(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

श्रंक 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या 19

बुधवार,

दिनांक 31 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, जन स्वास्थ्य, यातायात, स्वायत्त शासन, राजस्व, वित्त, आयुर्वेद, खनिज, कृषि, पंचायत, चिकित्सा, वन, श्रम नगर आयोजना, नगर विकास न्यास, उपनिवेशन—विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री सुरेन्द्रप्रसाद

केन्द्रीय सहकारी बैंक टोंक, के चुनाव

524. **श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** (मालपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के चुनाव काफी समय से ड्यू हैं व विभाग द्वारा कई बार बैंक को निर्वाचन के लिये लिखा जा चुका है ?

(2) बैंक द्वारा चुनाव न कराने के क्या कारण हैं व अब चुनाव के विषय में क्या स्थिति है व विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक के 6 स्थानों के लिये समस्त संचालकों का निर्वाचन दिनांक 25-11-73 को प्रति वर्ष रिटायरमेंट पद्धति के आधार पर हुआ था। तत्पश्चात् दिनांक 6-5-1974 को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा बैंक के उपनियम संख्या 32 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये रखा गया एवं रिटायरमेन्ट पद्धति को समाप्त कर दिया गया। संशोधित उपनियमों में यह भी प्रावधान रखा गया कि "यदि पूर्व में संचालक मण्डल का निर्वाचन 3 वर्ष के लिये नहीं किया गया हो तो वर्तमान उपनियम की रजिस्ट्री के पश्चात् निर्वाचन 3 वर्ष के लिये 4 माह की अवधि में कराये जायेंगे।" तदनुसार विभाग ने समय-समय पर बैंक को चुनाव कराने हेतु लिखा परन्तु बैंक ने इस सम्बन्ध में एक कानूनी मुद्दा उठा दिया कि जिन संचालकों के चुनाव पूर्व में 3 वर्ष अथवा 2 वर्ष की अवधि के लिये हो चुके हैं और कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है उनका समय से पूर्व चुनाव कराया जाना कानूनन वैध नहीं है यह कानूनी मुद्दा विचाराधीन है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। फिलहाल समस्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-6-76 तक स्थगित कर दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : रिटायरमेन्ट की पद्धति में आपने संशोधन किया है परन्तु चार महीने में दुबारा चुनाव होने थे। दो स्थानों के चुनाव हो गये और चार स्थान रिक्त हो गये थे। तो किस आधार पर वहां के चुनाव नहीं कराये गये हैं ? डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया परन्तु बैंक ने उसकी कम्प्लायन्स नहीं की, तो यह कौनसा कानूनी मुद्दा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : चार महीने में चुनाव होने चाहिये थे किन्तु नहीं हुए। नियमानुसार चार स्थानों का को-ऑप्शन कर लिया गया जो स्थान रिक्त हो गये थे। दो स्थानों के लिए पहले चुनाव हो गये थे और उन्होंने निर्धारित अवधि पूरी नहीं की। बैंक ने यह कानूना मुद्दा उठा दिया कि इन सदस्यों की तीन साल की अवधि पूरी न हो जाय तब तक चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। इसलिए जो उपनियम संशोधित किया गया है, उस पर यह कानूनी मुद्दा उठाया गया है जो विभाग के विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जो आपने अभी फर्माया तो क्या गवर्नमेंट ने पर्मिशन दी है कि आप कन्टीन्यू कर सकते हैं ? दो स्थानों के तीन वर्ष के लिए चुनाव हो गये और इस कारण 4 को बेनीफिट मिल जाये, क्या इसके लिए आपने पर्मिशन दी है ? आपने यह भी फर्माया कि बैंक ने कानूनी मुद्दा उठाया है तो क्या आपने राय ली है उस पर लॉ डिपार्टमेन्ट की? गवर्नमेन्ट ने क्या निर्णय लिया है ? यह भी नियम है कि 6 वर्ष की अवधि के पश्चात् सदस्यता ऑटोमेटिक सीज हो जाती है। यह लीगल प्रॉविजन है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और बैंक के मैनेजर को इन्हें मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिये जिनकी 6 वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो। फिर भी आज तक उनको मीटिंग में बुलाया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है कि किन-किन सदस्यों की अवधि 6 वर्ष हो गयी है। परन्तु यह सही है कि 6 वर्ष से अधिक हो जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। वह सदस्यता वैधानिक नहीं हो सकती है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपकी जानकारी के लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे मेम्बर्स हैं आप उनकी जानकारी करा लें और उचित कार्यवाही करें। दूसरे मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने यह फर्माया है कि बैंक ने कोई कानूनी मुद्दा उठाया है तो क्या आपने इसको लीगली एग्जामिन कराया है or has the Government permitted the Board of Directors to continue ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह विभाग के विचाराधीन है। अभी निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह कब से विचाराधीन है ? कब लीगली बैंक ने इसको उठाया है ? 1974 में इलेक्शन ड्यू थे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस दे दिया था।

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
उसके बाद कानूनी मुद्दा उठाया, यह अलग बात है। आप क्या सोचते हैं कि जो निर्णय लिया गया है; वह सही है? अगर हां, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यह फर्माने का कष्ट करें कि यह कब उठाया गया है और दो साल से क्यों पेन्डिंग है? It is too much.

श्री रामनारायण चौधरी : यह दो साल से विचाराधीन है। जो कानूनी मुद्दा उठाया गया है उस पर निर्णय एक दिन में नहीं हो सकता है। सभी पक्षों को सुनना पड़ता है। यह दो वर्ष की अवधि कोई ज्यादा नहीं है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपने अब तक इसका लीगल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया? आप यह लेटिट्यूड देकर उनको कन्टीन्यू करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो कह दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके सुझाव अनुसार लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ले ली जायेगी?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह तो आपकी ड्यूटी है। आप मिनिस्टर हैं, आपका ड्यूटी है। गवर्नमेन्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया और बैंक ने उसकी कम्प्लायन्स नहीं की। यह कानूनी मुद्दा है। आप यह समझते हैं कि यह कानूनी मुद्दा है तो क्या राय ली है लॉ डिपार्टमेन्ट की? यह क्या कानूनी मुद्दा नहीं है? या इसको कन्टीन्यू करने के लिये कानूनी रूप देना चाहते हैं? आपको राय लेनी चाहिये और कोई फैसला देना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : विधि विभाग से परामर्श कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अभी तक आपने क्यों नहीं किया? सरकार क्या दो साल से सो रही थी? जो एक्शन लेना है वह साफ लीजिये। लेटिट्यूड देकर उनको आप कन्टीन्यू करना चाहते हैं तो साफ कहिये।

प्रश्न संख्या 525

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल!

जयपुर से सवाई माधोपुर सीधी बस सेवा

526. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर सिटी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम ने राजधानी को जिला मुख्यालय से सीधी बस सेवा चलाने की नीति बनाई है? यदि हां, तो वर्तमान में किन-किन जिला मुख्यालयों पर सीधी बस सेवा उपलब्ध है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर में वर्तमान में सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ करने का विचार है?

Page No 4

(५)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर जिले के रूटों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या निजी बसों के बेरोजगार ड्राइवरों और कन्डक्टरों को निगम की सेवाओं में रखने का इरादा रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां। जैसलमेर के अतिरिक्त सभी जिला मुख्यालय राजधानी से सीधी बस सेवा से जुड़े हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जी नहीं तो सवाई माधोपुर से जयपुर कौनसी बस चलती है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक बस सवेरे साढ़े सात बजे जाती है, दूसरी ढ़ाई बजे जाती है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर से सवेरे 9 बजे चल कर 15-30 बजे जयपुर पहुंचती है और दूसरी बस 15 बजे चल कर 21.45 बजे जयपुर पहुंचती है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह वाया टोंक जाती है या दौसा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वाया दौसा-लालसोट।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अभी तक कोई दौसा-लालसोट होकर सवाई माधोपुर बस नहीं जा रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह जा रही है। सवाई माधोपुर को बस जाती है। एक टोंक होकर और दूसरी दौसा-लालसोट होकर जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : बरसात के पहले बस जाती थी। बरसात के बाद बनास का पुल खराब होने के बाद कोई बस नहीं जा रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। पहले जाती थी। बरसात के कारण बंद हो गयी होगी। और अगर अब नहीं जाती होगी तो मैं इसको चालू करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

नगर विकास न्यासों के मनोनीत अध्यक्ष

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, चश्मा खो गया है (विराम)।

527. क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने नगरों में नगर विकास न्यास बन चुके हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन न्यासों में गैर सरकारी अध्यक्ष मनोनीत करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान में अठारह नगरों में नगर विकास न्यासों की स्थापना की जा चुकी है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) अभी नहीं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या राज्य सरकार सरकारी अध्यक्षों को नियुक्त करके प्रजातन्त्र के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है या सरकार का प्रजातन्त्र में से विश्वास उठ गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार का प्रजातन्त्र में विश्वास है और जो व्यवस्था की गयी है वह प्रजातान्त्रिक ही है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : कलेक्टर को बना कर प्रजातन्त्र की व्यवस्था होगी ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप यह महसूस नहीं करते हैं कि कलेक्टर इतना ओवर बर्डन्ड रहता है कि वह सब जगह के कार्यों को व्यक्तिशः नहीं देख सकता ? कलेक्टर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, उनको भी देखता है और दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं वे भी कलेक्टर पर होती हैं। इसलिए कलेक्टर यू. आई. टी. के लिए पूरा समय दे सके और व्यक्तिगत रूप से रुचि ले सके यह व्यवहारिक तौर पर नहीं होता है। वह यू. आई. टी. के काम में व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं ले सकता और न इन्ट्रेस्ट लेकर ही काम कर सकता है। अगर आप सरकारी अध्यक्ष ही रखना चाहते हैं तो पूरे टाइम के लिए सरकारी अध्यक्ष रखिये। यू. आई. टी. का काम इम्पोर्टेन्ट काम है और इसके लिए चाहे ऑफिशियल या नोन-ऑफिशियल हो वह पूरे समय के लिए होना चाहिये।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था नगर विकास न्यासों के लिए कलेक्टर की की गयी है यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कैसे हो गयी है, यह समझ में नहीं आया ? आज कलेक्टर इतना हेवी बर्डन्ड है कि वह इस दिशा में सोच सकेगा, संभव नहीं। उसके काम को हल्का करने के लिए नगर विकास न्यास पर पूरे समय के लिए अध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहिये। सरकार का क्या विचार है ?

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी आप न्यासों के संबंध में जो संशोधन विधेयक ला रहे हैं उसमें न्यास के जो मामले हैं उनका कलेक्टर सुनवाई करेगा ? आज न्यास का अध्यक्ष भी कलेक्टर ही है। तो कलेक्टर के निर्णय पर अपील कलेक्टर ही सुने तो फिर जनता का क्या हाल होगा, यह समझ में नहीं आता है। निश्चित रूप से इसको दूर करने का प्रावधान करना पड़ेगा। या तो न्यास की कार्यवाही को सुनने के लिए कलेक्टर के बजाय और रखा जावे वरना आपने इसमें अमेन्डमेंट कर दिया कि कलेक्टर पद स्थापित होते हुए भी सुनेगा तो यह न्यायोचित नहीं होगा।

श्री जयकिशनलाल सोसावड़ा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कलेक्टर को यू. आई. टी. का चेयरमैन बना देती है तो इससे क्या फायदा है ? अगर जनता

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

के चुने हुए व्यक्ति को चेयरमैन बना दे तो इससे क्या नुकसान हो जायगा ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषदों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, नगर विकास न्यास में चेयरमैन कलेक्टर को बना दिया है और जिला परिषदों और पंचायत समितियों के 12 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, विधान सभा साल में एक बार बुलाई जाता है, तो क्या डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को खत्म नहीं कर रहे हैं ? यह प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की क्या दयनीय दशा हो रही है ? कि ये सारी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स ही इस प्रकार से अनडेमोक्रेटिक होती जा रही हैं। सरकार अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहे कि हम अन डेमोक्रेटिक हो गये हैं या नहीं ?

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये हैं और कुछ नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं। जिला परिषद् और पंचायत समितियों में भी निर्वाचित प्रतिनिधि काम कर रहे हैं और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जहां तक कलेक्टर्स के चेयरमैन बनाने का प्रश्न है, यू. आई. टी. में कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिये विभिन्न डिपार्टमेंट और आदमियों से को-ऑपरेशन लेकर चलना पड़ता है। उनके काम को किस प्रकार से चलाया जा सकता है यह मुख्य बात है, इसके लिये कलेक्टर अधिक उपयुक्त होता है, इसलिए कलेक्टर का चेयरमैन बनाया जाना जनहित में रहेगा, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि कलेक्टर काम को अच्छी तरह से नहीं देख पाता है, मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हूं। जहां तक मेरी जानकारी है कलेक्टर्स चेयरमैन के रूप में बहुत अच्छा और तत्परता से काम कर रहे हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे आये हैं।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटे से दो प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगी। एक तो यह कि हरएक जिलाधीश, सबको मालूम है कि कितनी कमेटियों का चेयरमैन होता है....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न तो पूछ लिया गया है और इसका जवाब भी दे दिया।

श्रीमती उषा प्रकाश : दूसरी बात यह है कि क्या सरकार यह मानती है कि जबसे कलेक्टर या ऑफिशियल चेयरमैन आये हैं तब से ज्यादा काम हुआ है बनिस्बत जबकि नॉन-ऑफिशियल्स काम करते थे ? मेरा अनुभव तो यह है कि कलेक्टर ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं और इसी वजह से न तो उन्होंने प्लॉट्स ही दिये हैं और न कोई खास काम ही हो सका है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर जिलाधीशों की नियुक्तियां अधिक एफिशिएन्ट और डेमोक्रेटिक हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा कि सारे जिलाधीश स्टेट केबिनेट के एक्स-ऑफिशियो मेम्बर हो जाय।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्डौन और गंगापुर में यू. आई. टी. है उनमें चेयरमैन के पास कोई काम नहीं है। अगर उनको आप समाप्त कर दें तो ठीक रहेगा।

(अश्रव्य-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अलवर की यू. आई. टी. की जानकारी है। मैं शहर में रहता हूं, उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि जो काम जनता के नुमाइन्दे करते हैं वह अच्छा करते हैं। कलेक्टर या दूसरा कोई भी आयेगा तो अपने मनमाने ढंग से ही काम करता है, इसलिए जनता के नुमाइन्दे को ही काम करना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने ...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : इससे यह स्पष्ट हो गया है कि मन्त्री महोदय पूर्णतः कलेक्टर्स के आश्रित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने जिनको तीन साल के लिये चुना, सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा उनको 12 साल के लिये कर दिया, क्या वे इसको जनतान्त्रिक प्रणाली का आधार मानते हैं। इसका क्या लॉजिक है?

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भरतपुर में यू.आई.टी. का चेयरमैन कलेक्टर को बनाया तब से 50 पर्सेन्ट से ज्यादा प्लॉट्स उन्होंने अधिकारियों को दिये हैं। दूसरों को नहीं देते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स को तो बिल्कुल नहीं देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही मन्त्री महोदय की इच्छा है।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्डौन और गंगापुर नगरपालिका में चेयरमैन ...

श्री उपाध्यक्ष : हिण्डौन में यू.आई.टी. है।

श्री उम्मेदीलाल : क्या सरकार आज यह घोषणा करेगी कि लोकल बॉडीज में जनता के आदमी होने चाहिए और कलेक्टर को रखना बिल्कुल इल्लीगल है?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जब से जिलाधीश यू. आई. टी. के चेयरमैन बने हैं वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं उनसे

(श्री रामनारायण चौधरी)
निवेदन करूंगा कि जब नॉन-ऑफिशियल चेयरमैन थे तब आपने काम नहीं होने के कितने प्रश्न उनके खिलाफ उठाये थे, यह आप देख लीजिये। जहां तक मेरी जानकारी है जब से वहां कलेक्टर को चेयरमैन बनाया है, आपने कभी मेरे को नहीं कहा कि काम ठीक नहीं हो रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि नॉन-ऑफिशियल के समय में काम नहीं हुआ, काम जरूर हुआ, लेकिन जब से कलेक्टर चेयरमैन हुए हैं तब से काम और भी अच्छी तरह से हो रहा है और मैं फिलहाल कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्लोज कर दिया नेक्स्ट !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे भारत वर्ष के कलेक्टर्स आपके परम आभारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री राजेन्द्रसिंह !

तहसील री-ऑर्गेनाइजेशन समिति की रिपोर्ट

528. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तहसील री-ऑर्गेनाइजेशन के लिये श्री श्यामलाल की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : जी हां, यह सही है कि तहसील री-ऑर्गेनाइजेशन के लिये श्री श्यामलाल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। किन्तु बाद में आयोग को विघटित कर दिया गया। आयोग ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी।

श्री राजेन्द्रसिंह : यह विघटन करने का क्या कारण था ?

श्री मूलचन्द मीणा : विघटन करने का कारण सबसे महत्वपूर्ण रहा, 1968 में आयोग गठित किया गया और उसके बाद में 1971 का सेंसस होने जा रहा था इसलिए 1-7-69 के पहले जितने प्रपोजल री-ऑर्गेनाइजेशन से सम्बन्धित थे वह फाइनल किये जाने थे, इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के होम अफेयर्स का यह सक्यूलर इश्यू हुआ, जितने प्रपोजल हैं वह इस तारीख तक फाइनल कर लिये जायं, अगर नहीं किये जायेंगे तो जो सेंसस होने वाला है उसमें दिक्कत आयेगी। क्योंकि आयोग की रिपोर्ट कुछ भी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए समाप्त कर दिया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, अब 1971 का सेंसस हो चुका है इसलिए सरकार री-ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की दुबारा रिपोर्ट बनवा कर जांच करने का विचार रखती है ?

श्री मूलचन्द मीणा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, सेंसस के पश्चात् भी इस

(श्री मूलचन्द मीणा)
प्रकार का एक बार फिर मसला उठा सन् 1972 में और इसके ऊपर केबिनेट मीमो पेश किया गया लेकिन केबिनेट से रिजेक्ट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह विश्नोई!

पेट्रोलियम पदार्थ पर सेल्स टैक्स की वसूली

529. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका पेट्रोलियम पदार्थ पर, जो कांडला से आता है वह डिपोज में केवल स्टोरेज होता है लेकिन जिसका उपयोग व सेल गांवों में जाकर होता है, सेल्स टैक्स वसूल कर लेती है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सेल्स टैक्स एक वस्तु पर एक ही बार लगता है जब कि जोधपुर डिवीजन में यह दो बार, तीन बार तक चुकाना पड़ता है जिससे ग्राम व्यक्ति को जो गांवों में रहते हैं डेढ़ी कीमत देनी पड़ती है? यदि हां, तो राज्य सरकार डबल टैक्स को रोकने हेतु क्या उपाय सोच रही है?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी नहीं। जोधपुर नगरपालिका बिक्री कर वसूल नहीं करती है। कांडला से आने वाले पैट्रोलियम पदार्थ नगरपालिका क्षेत्र के डिपोज में स्टोर होता है और उनका बिक्री कर, डिपो से ही वसूल किया जाता है। अतः गांवों में जाकर उसी माल पर कोई बिक्री कर वसूल नहीं किया जाता।

(2) जी नहीं। यद्यपि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बहु-बिन्दु पर कर लगाने का भी प्रावधान है किन्तु पैट्रोलियम पदार्थ पर बहु-बिन्दु कर नहीं है—अतः इन पर एक ही बार कर वसूल होता है। इसलिए इन पर दो बार टैक्स का सवाल नहीं उठता और न इसको रोकने के उपाय की आवश्यकता है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय मंत्री जी, यह वास्तव में प्रश्न होना चाहिए था म्यूनिसिपैलिटीज का, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पूछने का था....

श्री चन्दनमल वैद : सेल्स टैक्स का है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सेल्स टैक्स लगता है, डिपो से खरीदते हैं वहां एक बार लग जाता है, म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में आता है तो फिर दुबारा लग जाता है। मेरा निवेदन था, म्यूनिसिपल मंत्री बता दें, म्यूनीसिपैलिटी में दुबारा टैक्स लगता है तो उसके कारण गांवों में ज्यादा सेल्स टैक्स लगता है। पहले जोधपुर में लगता है, फिर लूणी में अलग लगता है। इस प्रकार दो बार लगता है। पैट्रोल पहले ही मंहगा है, फिर डबल टैक्स का किसानों पर, कन्ज्यूमर पर भार पड़ता है दोनों मंत्री इस पर विचार करें और रास्ता निकाला जाय।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं

श्री चन्दनमल वैद : मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि सेल्स टैक्स का प्रश्न पूछा गया था, उसका मैंने साफ

(श्री चन्दनमल बैद)
जवाब दे दिया है कि एक बार वसूल किया जाता है। म्यूनीसिपल मंत्री से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं वह आप जाने और सम्बन्धित मंत्री जाने।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका झगड़ा यह है ...

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमैंट्री पूछिये आप!

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सप्लीमेन्ट्री ही पूछ रहा हूं। पैट्रोल जयपुर से खरीद कर ले जाते हैं, उसका चालान कटना चाहिए और यहां से पैट्रोल भर कर जाना चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : सेल्स टैक्स का क्या पूछना चाहते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : वही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीजर समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सवाल म्यूनिसिपलिटी से सम्बन्धित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीजर समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जयपुर में चालान कट जाना चाहिये, लेकिन सांगानेर में म्यूनीसिपैलिटी दुबारा वसूल कर लेती है। इस कारण जो व्यापारी होते हैं उनको दुबारा टैक्स देना पड़ता है। क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा एक और प्रश्न है ...

श्री उपाध्यक्ष: That is closed now.

आयुर्वेद औषधालय खोलने का आधार

530. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद औषधालय हैं ? प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अनुसार जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आयुर्वेद औषधालय खोलने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला टोंक में ग्रामवासियों द्वारा भवन निर्माण कर देने पर भी वहां आयुर्वेद औषधालय नहीं खोले जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला): (1) राज्य में 1912 आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय वर्तमान में संचालित हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नवीन औषधालय सामान्यतः निम्न आधार पर खोले जाते हैं:—

1. भवन व्यवस्था की उपलब्धि।

2. 8 कि. मी. क्षेत्र में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

Page No 11

(11)

(श्रीमती कमला)

(3) जी हां। केवल भवन की उपलब्धि के आधार पर ही नये औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सूची दी है, उसमें आप जिला टोंक को देखिये, आपने 'अ' और 'ब' श्रेणी के अन्दर विलोपित कर रखा है। सभी जिला हैडक्वार्टर पर....

श्री उपाध्यक्ष : Please ask the Supplementary.

श्री अजीतसिंह : 'अ', 'ब' श्रेणी के अन्दर टोंक जिले के अन्दर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने सम्बन्धी कोई योजना है?

श्रीमती कमला : वर्तमान में आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय खुले हुए हैं उनका श्रेणीवार विभाजन किया हुआ है, दरअसल में वह रेशनल बेसिस पर नहीं है। हमने री-ऑर्गेनाइज करके उसका रेशनेलाइज बेसिस पर स्तर कायम किया है, वह जब लागू हो जायगा तो जिस कोटि में आपका औषधालय आयेगा उसमें उसको कायम कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट!

श्री अजीतसिंह : एक मैं जानना चाहता हूं। आपने बताया, आठ किलोमीटर और भवन के सम्बन्ध में। टोंक में आयुर्वेदिक औषधालय के लिए निवेदन किया था, वहां पर पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर पर औषधालय की सुविधा नहीं है। वहां पर व्यवस्था करने की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है?

श्रीमती कमला : इसके साथ तीसरी एक बात और लगी है, जिसे आप सब कुछ समझते हैं। अगर दोनों क्राइटेरिया को पूरा करने वाली तमाम जगह पर खोला जाय तो एक साल में चार सौ, पांच सौ औषधालय चाहिए। उतने मेरे पास हैं नहीं जितने उपलब्ध हैं उनको इलाकेवार उस तरह देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : आपने कानूनी तौर पर आकार, या मापदण्ड अपनाये वह आपने बताये। इसके अन्दर एक और आधार है, वह है राजनैतिक। ऐसे कई स्थान हैं जहां 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक कोई चिकित्सा का साधान नहीं है, जब कि भवन उपलब्ध हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : पान चबाते हुए प्रश्न पूछना क्या संसदीय प्रणाली के अनुरूप है?

श्री उपाध्यक्ष : यह इनसे ही पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपसे पूछ रहा हूं। आपके मार्फत पूछ रहा हूं। या तो आप कहिये, पान निगल जायें या बाहर थूक कर आयें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यहां पर कोई शराब पीकर आ जाय तो संसदीय प्रणाली के अनुरूप होगा?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब पिलाओगे और कोई पीकर आयेगा तब सोचेंगे। अभी पान की व्यवस्था का प्रश्न है।

Page No 12

(12)

श्री उपाध्यक्ष : पीने और पान चबाने को छोड़िये, प्रश्न पूछिये ।

श्री मीठालाल मीणा : पान खाकर आया हूं, मैं भूम नहीं रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इसका आधार क्या है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आपके जिला अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार, कलेक्टर सारे के सारे रिकमन्ड करते हैं कि फलां जगह औषधालय खोलिये, लेकिन उसके बजाय दूसरे स्थान पर खोलते हैं जहां पर खोलने की आवश्यकता नहीं है जितनी कि उस स्थान पर है जहां खोलने की रिकमन्डेशन की है । ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय भी हैं जो चार चार किलोमीटर की दूरी पर हैं । एक जिले में तीन तीन खोल दिये हैं । ऐसे आधार को न अपना कर मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थान पर खोलें जो इस ढंग के हों ।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं, स्पष्ट कह देना चाहती हूं मैं जब प्रावधान करती हूं, तो माननीय सदस्यों को, अधिकारियों को यह निवेदन किया है कि वे पांच मील के एरिया में जहां कोई चिकित्सा सुविधा, दूसरी उपलब्ध नहीं हो, उसका नाम सिर्फ प्रपोज करें। पिछली बार कई विधायक महोदयों ने ऐसे स्थान प्रपोज किये जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सब-सेन्टर थे, औषधालय थे और इतनी दूरी नहीं थी जितना चाहिए थी। उसकी जांच करने के उपरांत, मैं बताना चाहती हूं कि बहुत से विधायक महोदय को निवेदन किया, आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है, इसलिए मेहरबानी करके दूसरा नाम प्रपोज करिये, दूसरा नाम क्राइटेरिया पर दिया उसको मंजूर किया गया । अगर एम. एल. ए. इसका ध्यान रखें तो यह उनके देखने की बात है । मेरी जानकारी में आता है तो वहां बदलने की कोशिश की है ।

श्री मीठालाल मीणा : आज एम. एल. ए. बहुत सारे हैं उन्हें मालूम नहीं है । मेरा निवेदन है कि पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर पर औषधालय नहीं हैं । मैंने असेम्बली में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर भी दिया है कि इस तरह के औषधालय खोल दिये जायेंगे । यह स्थिति लालसोट तहसील में है, वहां पर पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक औषधालय नहीं हैं । भवन है उसके बावजूद औषधालय नहीं हैं । अगर ऐसे स्थानों पर खोलें, ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दें । लेकिन ऐसे स्थानों पर खोले हैं जहां तीन किलोमीटर पर दूसरा औषधालय है । नीचे के अधिकारियों की रिकमन्डेशन के आधार पर खोले हैं। जहां जन प्रतिनिधियों ने निवेदन किया वहां नहीं खोला ।

श्रीमती कमला : यह गलती सिर्फ इसलिए हो जाती है कि मैं विश्वास यह करती हूं, जैसा बताते हैं, आठ मील पर कुछ नहीं है । हम समझते हैं कि दरअसल में वहां कभी कभी कुछ हो जाता है, दूसरी चिकित्सा सुविधा होती है, तो अपनी तरफ से, अपने लेवल पर चेकअप करके करते हैं ।

श्री मीठालाल मीणा : जिला अधिकारियों की रिपोर्ट क्या है ? क्या उस रिपोर्ट पर विचार करेंगे ।

श्रीमती उषा प्रकाश : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के हिसाब से क्या सरकार सोचती है कि जिला हैड क्वार्टर, तहसील हैड क्वार्टर····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्रीमती उषा प्रकाश : प्रश्न आया था, जिला हैडक्वार्टर पर खोलने हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर। तहसील हैडक्वार्टर पर दूसरी सुविधा है, जिला हैड-क्वार्टर पर दूसरी सुविधा है तो उसके होते हुए भी आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की गुंजाइश है।

श्री उपाध्यक्ष : Supplementary should be connected with the main Question.

श्रीमती उषा प्रकाश : This is connected.

श्रीमती कमला : यह निर्धारण करना और निर्णय लेना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है क्योंकि जहां पर पहले ही चिकित्सा सुविधायें हैं और जैसे माननीय सदस्य ने कहा 15-15 मील तक कोई औषधालय नहीं है तो प्राथमिकता पहले उन स्थानों को देते हैं जहां कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पता लगाना मुश्किल होता है कि किस स्थान पर औषधालय खोलना है और कहां नहीं तो जिला स्तर पर जिला समितियों का गठन किया हुआ है तो फिर क्यों यह काम उन कमेटियों को देना चाहते हैं? पिछले साल भी जो औषधालय खोले गए हैं उनमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया और जहां खोलना वाजिब था उन स्थानों को छोड़ दिया गया। अब जब 200 औषधालय खोलने जा रहे हैं तो यह कार्य क्यों नहीं जिला आयुर्वेद समितियों को देते? आई वान्ट युअर रिप्लाई।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह अप्रजातांत्रिक है। मैंने लिखकर भेजा है कि हम एक क्षेत्र में एक से ज्यादा देने में असमर्थ हैं। आप अगर यह काम जिला कमेटियों को देंगे तो क्या ऐसा संभव होने वाला है कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र का औषधालय दूसरे क्षेत्र को देगा? तब करने में क्या फायदा है?

(शोरगुल)

श्री मीठालाल मीणा : एक-एक क्षेत्र में····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप विराजिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): मंत्रीजी जैसे कह रही हैं कि यह तो एक विश्वास करती हैं कि मंत्री स्तर पर हो तो ज्यादा सुविधाजनक होगा लेकिन पिछली बार जिस प्रकार की परम्परायें रही हैं, कई क्षेत्रों में एक भी नहीं खुला और दूसरी जगह तीन-तीन, चार-चार खोले गए।

श्रीमती कमला : एक भी उदाहरण दें जहां ऐसा हुआ है।

(व्यवधान)

किस क्षेत्र में 4-4 खोले गए हैं?

Page No 14

(14)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरे क्षेत्र में एक भी नहीं खोला गया और कई क्षेत्रों में 4-4 खोले गए। मैं आपको आंकड़े कलेक्ट करके दे सकता हूं।

श्रीमती कमला : आंकड़े कलेक्ट करके दें। आप जो कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में एक भी नहीं खुला। बताइए। आपका क्षेत्र इसलिए रह गया कि औषधालय केवल 102 थे और क्षेत्र 184 थे। मैं कितने आपको दे सकती थी, कोई न कोई तो उससे वन्चित रह ही जाएगा।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., दौसा

531. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., दौसा का ऑडिट अन्तिम बार कब हुआ। तथा इस संघ की हिस्सा पूंजी कितनी है ?

(2) उक्त संघ की अन्तिम कार्यकारिणी समिति के सदस्य कौन कौन हैं ? कृपया सूची मय वल्दियत, जाति व निवास स्थान का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संघ ने सदस्य समितियों से कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस रूप में ली ? प्रत्येक का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संघ ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी भी संस्था से कितना कितना ऋण व अनुदान, किस-किस तिथि को व किस-किस प्रयाजनार्थ प्राप्त किया ?

(5) क्या उक्त ऋण व अनुदान की राशि लौटा दी गई है ? यदि हां, तो कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संघ ने अपनी सदस्य समितियों से करीब तीस हजार रुपये लिए ? यदि हां, तो किस रूप में, ब्याज या बिना ब्याज व किस कार्य हेतु पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) प्रश्न के खण्ड 1 से लेकर 6 तक के सम्बन्ध में जो कार्यवाही रजिस्टर में लिखी गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। साथ ही रोकड़ बही (कैश बुक) की सम्बन्धित एन्ट्रीज की नकल व मूल प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि श्री मुन्शीलाल महावर, राज्य मन्त्री ही उक्त संघ के मन्त्री हैं, और वे अपना नाम बदलकर संघ का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त संघ की सदस्य समितियों, व अन्य स्थानों से प्राप्त ऋण व अनुदान की करीब 60,000) रुपये की राशि का गबन, घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) दौसा केन्द्रीय सहकारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्रय-विक्रय संघ का फाइनल ऑडिट अभी नहीं हुआ है। आरम्भ से 30-6-75 तक अन्तिम ऑडिट किया जा चुका है। संघ की हिस्सा पूंजी 1800 रुपये है।

(2) संघ की अन्तिम कार्यकारिणी समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

(1) श्री मूलचन्द जसाता सभापति

(2) श्री मुंशीलाल महावर मन्त्री

(3) श्री मूलचन्द बरलेठा सदस्य

(4) श्री टूंडाराम सदस्य

(5) श्री देवीराम सदस्य

(3) उप-नियमों के अनुसार संघ ने सहकारी समितियों से हिस्सा राशि प्राप्त की है जिसकी सूची निम्न प्रकार है:—

नाम समिति	हिस्सा राशि
1	2
दयालपुरा, जमा करने की तिथि 25-7-51	100)
निलोज	50)
दौसा	100)
भाडारेज	100)
बरखेड़ा	100)
सरताल	100)
जसौता	100)
निवाई	50)
नीलोज	50)
बनियाना	100)
नांगल	100)
हिंगाटिया	100)
जटवाड़ा	100)
हरिपुरा	25)
लवाण	100)
गढ़रागोली	100)
हरिपुरा	25)
सिकन्दरा	100)
गीजगढ़	100)
कालोली	100)
पालाल	100)

(4) संघ को केन्द्रीय व राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया उसकी सूची संलग्न है।

(5) संस्था को कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऋण राशि लौटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अनुदान की राशि समिति ने काम में ले ली है। अतः अनुदान की राशि लौटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(6) संघ को अपनी सदस्य समितियों से 1,800) रुपये के अतिरिक्त समय-समय पर अमानतें भी प्राप्त की हैं। अमानत की कुल राशि 26,446) रुपये सवा दस आने हैं। अमानत की राशि समिति के कार्य संचालन हेतु दी गई है और संघ के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

(7) रजिस्टर में लिखी गई कार्यवाही की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। दिनांक 1-7-53 से दिनांक 30-6-54 तक आमद-खर्च

(श्री रामनारायण चौधरी)
का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(8) श्री मुन्शीलाल महावर, राज्य मन्त्री इस संघ के मन्त्री हैं। यह सही नहीं है कि वे अपना नाम बदलकर इस संघ का कार्य कर रहे हैं।

(9) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायत नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मामला जासूसी नजर आता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मन्त्री का नाम है, मुन्शीलाल आपने कहा मुन्शीराम।

श्री रामनारायण चौधरी : मुंशीलाल महावर।

श्री मूलचंद सामरिया : कई प्रश्न मैंने पूछे हैं तो पहले प्रश्न की ही आपने गलत सूचना दी है। मैं अब पूछना चाहता हूं कि इसका ऑडिट किस अवधि से किस अवधि तक करवाया गया और वह ऑडिट किस तारीख से प्रारम्भ करवाया है और कौन अधिकारी करता है?

श्री रामनारायण चौधरी : जब से कार्य प्रारम्भ किया है।

श्री मूलचंद सामरिया : किस तारीख से कार्य प्रारम्भ किया है? आपने बताया प्रारम्भ से 30-6-75 तक। तो प्रारम्भ कब से होता है? जन्म किस तारीख से हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख मालूम नहीं है, लेकिन 1950 में हुआ है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या 1950 से आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है, यह सही है? दूसरी बात, जो अंतरिम ऑडिट किया जा रहा है उसमें कौन-कौन से अधिकारी हैं और किस तारीख से प्रारम्भ किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जानकारी नहीं है कि कौन ऑडिट कर रहा है लेकिन निरीक्षक के द्वारा की जा रही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि जो ऑडिट करने बैठता है, उसका ट्रान्सफर किया जाता है, जब तक दूसरे काम को समझने की कोशिश करता है तो उसका भी ट्रांसफर किया जाता है?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जानकारी नहीं है कि उनका इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। यदि आप कैटेगोरीकली पूछते तो जानकारी मैं आपको देता लेकिन वर्तमान में शक्तिसिंह द्वारा ऑडिट करवाई जा रही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप आश्वासन देंगे कि जब तक ऑडिट पूरा नहीं होगा आप उसका ट्रांसफर नहीं करेंगे जिससे किसी अधिकारी को समझने में साल-डेढ़ साल न लगे?

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक ऑडिट पूरा नहीं होगा, तब तक वर्तमान अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा।

Page No 17

(17)

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आवश्यक कागजात उसी अधिकारी के कब्जे में रहते हैं या दूसरे व्यक्तियों ...

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जानकारी नहीं है। जो ऑडिट कर रहा है, उसके पास होने चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर कागजात उस अधिकारी के कब्जे में न हों तो ऑडिट करने वाले अधिकारी को कागजात दिलाने का आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : यदि ऑडिट के लिए कागजात की आवश्यकता होगी, कोई ऐसा रेकार्ड है तो उनको उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह आवश्यक होता है। ऑडिटर के कब्जे में ही कागजात होते हैं तो ऑडिट होता है। इस समिति के विषय में खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था का ऑडिट नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यह समझिये कि एक संस्था है, जिस संस्था का रिकार्ड है वही संस्था ऑडिट करायेगी। उस संस्था की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को उसका रिकार्ड वह उपलब्ध कराये। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या अन्तर पड़ता है। अन्ततोगत्वा उसी संस्था की जिम्मेदारी है स्वयं की और उसको महसूस करके ऑडिटर को कागजात दिये जावेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : अधिकारी ने पचासों बार दरख्वास्तें दीं, सूचनायें दीं, नोटिसेज निकाले कि उसको रिकार्ड दे दिया जाय उसके बावजूद भी उसके कब्जे में रिकार्ड नहीं है। इसलिये मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऑडिटर के कब्जे में कागजात दिलायें। दूसरी बात यह है कि उसके कब्जे में रिकार्ड आने पर फर्जी रिकार्ड तैयार नहीं हो सकेगा। बाईलॉज के अनुसार कितने मंस में ऑडिट हो जाना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप स्पष्टतः बतायें कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री दीपंकर : मुंशीरामजी को यह देखना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुंशीलालजी का इस्तीफा चाहते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं तो यह चाहता हूं कि उस संस्था के हिसाबात का ऑडिट होना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों की बातों, उसके प्रश्नों से यह साफ है कि वे इस संस्था के ऑडिट के लिये आश्वासन चाहते हैं और मैं आपके माध्यम से उनको आश्वसान देना चाहता हूं कि इसका ऑडिट करवाया जावेगा।

श्री मोठालाल मीणा : आपके विभाग ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को जो सूचना भेजी है उसमें पदाधिकारियों के जो नाम दिये हैं उसमें मुन्शीलाल जी की बजाय मुंशीरामजी लिखा गया है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : क्या फर्क पड़ता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मीठाराम और मीठालाल में क्या फर्क पड़ता है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उधर मुखातिब होकर फरमाइये ।

श्री मीठालाल मीणा : अब तक क्या उपयोग किया है मुंशीराम महावर या मुंशीलाल ? विभाग से जो सूचना आयी है वह मैंने बतायी आपको ।

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुंशीलालजी के वालिद को तलब किया जाय ।

श्री रामनारायण चौधरी : मुंशीलाल जी या मुंशीरामजी, टाइप में अथवा लिखने में ऐसा हो गया हो । जहां तक मुझे जानकारी है मुंशीलालजी महावर ही है उनका नाम ।

श्री मूलचन्द सामरिया : चुनाव के लिये निवेदन करना चाहता था कि क्या यह सही है कि ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ़ एक्स्प्लेशन, सर, क्या आदरणीय मुंशीलालजी महावर इस बारे में स्पष्टीकरण करवायेंगे ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुंशीलाल जी खड़े हों ।

श्री मीठालाल मीणा : मुंशीलालजी बता दो सही बात क्या है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25-9-67 को अन्तिम चुनाव हुए उसके बाद नहीं हुए । बाईलॉज के अनुसार कार्यकारिणी के चुनाव कब होने चाहिये ? और क्या चुनाव हुए हैं उनके अनुसार ?

श्री रामनारायण चौधरी : 20 जून, 1976 के बाद चुनाव करवा दिये जावेंगे ?

श्री मूलचन्द सामरिया : बाईलॉज के अनुसार प्रेजीडेन्ट का चुनाव होना चाहिये क्या बाईलाज के अनुसार चुनाव हुए हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : बाईलॉज इस समय मेरे पास नहीं हैं । बाईलॉज पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स हैं और उसकी कॉपी ले लीजिये और देख लीजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक ही बात पूछ लेता हूं । आपने मुझे सूचियां दी हैं । 5 और 6 में 3304 रु. का विवरण नहीं है । क्या कारण है ? विवरण क्यों नहीं दिया । दूसरा आपने सूचा दी है 'ब' पढ़ी नहीं जाती है कि क्या लिखा है आपने । इतना रुपया इतना आने लिखा है । यह इन्कम्पलीट है । अन्तिम प्रश्न कि अखबारों में यह छपा है कि पांच हजार का गबन घोटाला है ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, किस अखबार में यह खबर में यह छपी है, यदि माननीय सदस्य पूछते तो मैं अखबार निकलवाता । मुझे जानकारी नहीं है कि किस अखबार में यह आया हुई ।

श्री मीठालाल मीणा : प्रथम पेज । उसमें कहा है कि विवरण उपलब्ध नहीं है । नहीं है तो फिर क्या है ?

Page No 19

(19)

श्री मूलचन्द सामरिया : सर्टिफिकेट किसने दिया ?

श्री भगराज चौधरी (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मोहनलाल मीणा : यह बतायें आप !

श्री मूलचन्द सामरिया : पांच हजार का गबन घोटाला है यह अखबार में छपा है। अनुदान की रकम है।

श्री उपाध्यक्ष : (शोरगुल होने पर) ऑर्डर प्लीज !

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुला लूंगा सुझाव के लिये। आप बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : समय सदन का बरबाद हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करिये।

प्रश्न संख्या 532

राजेन्द्रकुमार भारतीय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

कृपया देखें प्रश्न संख्या 533

प्राइवेट बस मालिकों पर बकाया राशि

533. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (कामी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के प्राइवेट बस मालिकों में सन् 1962 से 1975 तक कितना यात्री कर बकाया है। कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया यात्री कर कब वसूल कर लिया जावेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : इसको, उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया। नेक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा बकाया की वसूली

534. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वानसूर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बकाया वसूली की डिक्रियां असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास वसूली की कार्यवाही को कुर्की करने के लिये भेजी गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी डिक्रियां कितने अर्से से वसूली के लिये पेंडिंग हैं ? सूची मय नाम व पतों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बैंक ने कुछ डिफाल्टर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिये पुलिस को लिखा था ? यदि हां, तो किस-किस के खिलाफ किस-किस थानेदार को लिखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक के लिखने पर पुलिस ने डिफाल्टर्स के खिलाफ

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
कोई मुकद्दमे दर्ज नहीं किये ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(4) सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की कितनी रकम किस-किस को-ऑपरेटिव के जिम्मे बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्या सरकार बकाया वसूली के लिये बैंक की सहायता करने की हिदायत जारी करेगी।

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) अलवर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बकाया वसूली की कोई डिक्रियां सहायक रजिस्ट्रार के पास वसूली के हेतु नहीं भेजी गयी हैं। बैंक को कुर्की किये जाने के अधिकार प्रदत्त हैं।

(2) जी हां। श्री सूरजसिंह हेतु थाना थानागाजी, श्री घीसा, श्री उमराव, श्री महादेव हेतु थाना बानसूर, श्री रहमत, श्री मेठा, श्री गिट्ठू हेतु थाना मालाखेड़ा व श्री बद्रीप्रसाद हेतु लक्ष्मणगढ़ को लिखा गया।

(3) जी हां। उपरोक्त में से चार केसों में पुलिस ने मुकद्दमे दर्ज नहीं किये क्योंकि उन्होंने संबधित समितियों की तारीख ऑडिट रिपार्ट चाही है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। बकाया की वसूली हेतु विशेष अभियान आरम्भ किया जा चुका है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 117 व 118 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। राज्य द्वारा पूर्व में ही बैंक में वसूली हेतु 25 सहायक निरीक्षकों की सेवायें उपलब्ध करा रखी हैं तथा बैंक के प्रभिशासी अधिकारी को सरकारी संस्था अधिनियम की धारा 117 व 118 के अधिकार दे रखे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 535

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थगित प्रश्न ले लिये जायें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): प्रश्न संख्या 533 तो रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोस्टपोन हो चुका है। मंत्री महोदय ने पोस्टपोनमेंट सीक कर लिया है पहले ही। आपने सुना नहीं।

प्रश्न संख्या 535

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 536

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भोमाराम !

विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

537. श्री भीमाराम चौधरी (डीडवाना) एवं श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले की पंचायत समितियों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को दिये गये अनुदानों से सम्पन्न किन-किन विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हैं? कृपया पंचायत समिति-वार व ग्राम पंचायतवार सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार शेष रहे इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जारी करने हेतु विशेष अभियान चलाकर यह काम करवाने में कोई कठिनाई महसूस करती है ?

(3) क्या जिला परिषद्, नागौर से इस बारे में बार-बार प्रस्ताव मिले हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न चूंकि प्रत्येक पंचायत समिति और प्रत्येक ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखता है इसलिये इसमें हर एक जगह से वांछित सूचना आने में समय लगेगा और इतना जल्दी जवाब नहीं आ सकता था इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

स्थगित प्रश्न। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

निदेशक एवं वरिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध शिकायतें

112. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री दौलतराम चतुर्वेदी, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं और कार्य कर्त्ताओं को पूर्ण आश्रय देते हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि उन्होंने अपने विभाग के वरिष्ठ लेखाकार श्री ब्रजेश शर्मा जो माने हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता हैं के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ? ना ही उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट भेजी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री ब्रजेश शर्मा अन्तरिम लेख जांच के लिये अलवर, भरतपुर, ब्यावर, माउन्ट आबू, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा वगैरह स्थानों पर गए तथा वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग बुलाई ? या यह भी सही है कि इन समस्त मीटिंग की जानकारी निदेशक को दी जाती रही है ? यदि हां तो इसके बावजूद श्री शर्मा के विरुद्ध उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(3) क्या यह सही है कि आदर्श नगर, जयपुर औषधालय के वैद्य श्री केदारनाथ शर्मा को राष्ट्रीय जनसंघ के नेता होने के नाते जनवरी माह में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि गिरफ्तारी के दौरान श्री दौलतराम चतुर्वेदी के आदेश देने पर जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा उनकी छुट्टी स्वीकृत कर दी गई ? यदि हां, तो आज

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
तक श्री दौलतराम चतुर्वेदी को मीसा में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला): (1) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं है ना ही ऐसी कोई शिकायतें कभी उपलब्ध हुई हैं। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) श्री ब्रजेश शर्मा अन्तरिम लेखा जांच के लिये अलवर, भरतपुर और जोधपुर नहीं गये थे। वे ब्यावर, माउन्ट आबू, भीलवाड़ा व कोटा गये थे। विभागीय सूचना के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग नहीं बुलाई। अतः श्री शर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां। निदेशक आयुर्वेद द्वारा वैद्य को अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपने कहा कि विभाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह कैसे कहा अगर विभाग के पास जानकारी होती तो आप कार्यवाही करते लेकिन जब आपके पास शिकायत आयी तो यह तो आप पुलिस के माध्यम से पता लगाते यह तो पुलिस को जानकारी होती है कि फलां व्यक्ति आर. एस. एस. का मेम्बर है और फलां मेम्बर ने आर. एस. एस. की मीटिंग बुलाई कि नहीं यह तो आपको पुलिस से जानकारी करानी चाहिये।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा भी मैंने एक प्रश्न के उत्तर के दौरान में यह कहा था कि इसके लिये डी. आई. जी. सी. आई. डी. को लिखा है चूंकि डिप्टी डाइरेक्टर से जब जांच कराई तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया इसलिये हमने डी. आई. जी., सी. आई. डी. को लिखा है और वहां से अभी तक पूरी तरह से जांच होकर आया नहीं है अतः अभी कोई कार्यवाही किसी के भी खिलाफ नहीं की जा सकती। जहां तक विभागीय जांच जो डिप्टी डाइरेक्टर के द्वारा की जाने की बात है उसमें श्री शर्मा के खिलाफ में कोई बात साबित नहीं होती है इसलिये जब तक डा. आई. जी. की रिपोर्ट नहीं आती है कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन जब डी. आई. जा., सी. आइ. डी. की जांच के अनुसार अगर कोई उनके खिलाफ में कुछ साबित हुआ तो उनके खिलाफ में जरूर कार्यवाही की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जब केदारनाथ वैद्य मीसा में पकड़ा गया उसके बावजूद उसको सस्पेन्ड नहीं करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला : उनको अब सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसको सस्पेन्ड उसी वक्त क्यों नहीं किया गया जब उनको मीसा में गिरफ्तार किया गया था ? डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर दोनों ने सस्पेन्शन करने में इतनी देरी क्यों की ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8-1-1976 को पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तब जिला आयुर्वेद अधिकारी ने इसके लिए डिप्टी डाइरेक्टर को लिखा फिर डाइरेक्टर को लिखा

(श्रीमती कमला)
गया वह दिनांक 9-1-1976 को हुआ और उसके बाद में डाइरेक्टर ने दिनांक 12-1-1976 को सचिवालय में सेक्रेट्री साहब के पास भेजा, क्योंकि वह गजेटेड ऑफिसर था इसलिए उसको सस्पेन्ड सचिवालय से ही किया जा सकता था। इस दरमियान में कुछ क्वेरीज थीं इसलिए डिले हुई है। उन क्वेरीज के बाद में उसको सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसी क्वेरी थी। उसमें कहां डिले हुई और यह भी बतायें कि कब सस्पेन्ड किया गया ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई खास डिले पहले नहीं हुई है पर 12-1-1976 से लेकर बाद में जो 8 मार्च तक डिले हुई है वह डाइरेक्टर लेवल के बाद में हुई चूंकि उसकी रिपोर्ट डिटेल्ड में पहले आ नहीं सकी इसलिए देरी हुई। लेकिन 12-1-76 के बाद में जहां कहीं भी सस्पेन्ड होने के दिन तक देरी हुई उसके लिए जो भी व्यक्ति उत्तरदायी होगा उसके लिए जांच करवा कर अगर वह दोषी हुआ तो एक्शन लिया जायेगा।

श्री विजयसिंह (नोहर) : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 में जो दिया गया कि श्री ब्रजेश शर्मा अलवर, भरतपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा गए वहां जहां, उन जगहों पर नहीं गए वहां तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां वे गए और उन्होंने वहां पर मीटिंग बुलाई इसकी शिकायत जब आपके पास आ गई तो आपके डाइरेक्टर साहब ने उसके लिए क्या कदम उस व्यक्ति के खिलाफ में उठाए। और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए। क्योंकि डाइरेक्टर साहब को बार-बार इस बारे में सूचना जब मिलती रही थी तब क्या कारण था कि डाईरेक्टर साहब ने इनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया।

श्रीमती कमला : बात यह है. उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई शिकायत डाइरेक्टर साहब के पास नहीं आई। लेकिन ज्योंही जिला आयुर्वेदिक अधिकारी की रिपोर्ट आई उन्होंने उसको सचिवालय में कार्यवाही हेतु भेज दिया। इसके अलावा मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी मैने स्वयं ने एक बार श्री हांडा साहब से कहा था कि आपके पास अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझ देवें मैं उसके लिए जांच करवा कर उसके विरुद्ध अगर वह दोषी है तो कार्यवाही जरूर करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी शिकायत की कॉपी अभी मौजूद नहीं है।

श्री विजयसिंह : हो सकता है उसकी कॉपी श्री हांडा साहब के पास मौजूद नहीं हो, लेकिन उस शिकायत को कहीं ऑफिस में रिसीट रजिस्टर में दर्ज तो किया होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि इस सदन में पहले भी कई बार श्री दौलतराम चतुर्वेदी जी के खिलाफ में इस बारे में आरोप लगाए गए थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है अभी जो माननीय छंगाणी जी मन्त्री बने हुए हैं, उन्होंने आज से तीन-चार साल पहले की बात है जब वह मन्त्री नहीं थे

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उन्होंने यह सदन में आरोप लगाया था कि दौलतराम चतुर्वेदी आर. एस. एस. के लोगों को प्रश्रय देते हैं, तो आपको श्री ब्रजेश शर्मा के बारे में अगर कोई शिकायत थी तो वहां के अधिकारियों से नहीं करानी चाहिये थी, क्योंकि वह तो यही कहते हैं कि इनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं पाए गए। इसके लिए तो मन्त्री महोदया को जो सी. आई. डी., डी. आई. जी. ने जो रिपोर्ट दी वह सही रिपोर्ट हो सकती थी और उसी से रिपोर्ट जल्दी मंगवा कर एक्शन लेना चाहिये था। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए क्या आपने किसी डिपार्टमेन्टल अधिकारी को परश्यू करने के लिए नियुक्त किया था जिससे कि इसके बारे में जल्दी कार्यवाही होती।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि शिकायत तो आपके वहां रजिस्टर में दर्ज होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट बताना चाहती हूं कि मैंने खुद ने श्री दौलतराम चतुर्वेदी को यह कहा था कि आपके बारे में अवान्छनीय तत्वों को प्रश्रय देने की शिकायत आती रहती है और अगर आपके पास कोई शिकायत आई हो तो आप उसे दबावें नहीं। अगर आप शिकायत को दबावेंगे तो आपके लिए यह उचित नहीं होगा। और आपके खिलाफ में कार्यवाही हो सकती है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही मैंने दबाई है।

श्री विजयसिंह : वह आपको शिकायत क्यों देंगे जबकि वह लोगों को संरक्षण देते हैं।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जो जनरल रिमार्क्स अगर सदन में दिए जाते हैं उसके लिए तो कैसे कार्यवाही हो सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अवांछनीय तत्वों को प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को संरक्षण देते हैं, इस प्रकार की संस्थाओं के अन्दर काम करने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं या ऐसे लोगों से सम्बन्धित हैं। मगर स्पेसिफिक जब तक बात नहीं हो तब तक क्या हो सकता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा तो निवेदन यह है कि जब उनको मीसा में गिरफ्तार कर दिया था यह आदर्श नगर वाले वैद्य की बात तो स्पष्ट है इसमें डिले क्यों हुई?

श्री उपाध्यक्ष : ऑनली सप्लीमेन्ट्री प्रश्न ही पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया से मेरा प्रश्न तो सिर्फ इतना ही है कि क्या आपने जांच सी. आई. डी., डा. आई. जी. से करवाई उसके लिए आपने किसी विशेष अधिकारी को इसको परश्यू करने के लिए डेप्यूट किया जिससे कि उससे पता लगता हो कि आया डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। आपने प्रति मांगी लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जो प्रति थी वह मेरे पास से खो गई थी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि हमारे सदन के एक जिम्मेदार सदस्य ने चार साल पहले जो कि अब मन्त्री हो गए हैं और आयुर्वेद मन्त्री जी के

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कलीग हैं शायद अब यहां पर कहना उचित नहीं समझें कि इस प्रकार की शिकायत उन्होंने सदन में श्री दौलतराम चतुर्वेदी के खिलाफ में कोई की थी, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उनके खिलाफ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सदन के सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं कि जितनी तत्परता इस प्रकार की शिकायतों के बारे में मैं बरतती हूं उतनी तत्परता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बरतता है और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इतनी तत्परता बरतता है। लेकिन आप यहां पर जनरल रिमार्क्स पास करदें उससे क्या हो सकता है ? जब तक कि तथ्य प्रस्तुत नहीं करें, तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बिना जांच के, बिना तथ्यों के एक सिर्फ इसी जनरल रिमार्क्स पर कि फलां व्यक्ति संरक्षण देता है, फलां व्यक्ति जनसंघ का है फलां व्यक्ति का परिवार जनसंघी है, इन जनरल रिमार्क्स पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। इनके परिणाम सही नहीं निकल पायेंगे ऐसी मेरी मान्यता है

श्री उपाध्यक्ष प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सी. आई. डी., डी. आई. जी. जांच कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : हां, सी. आई. डी, आई. जी. जांच कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम खण्डेला का बरसाती नाला

525. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खण्डेला (सीकर) में बरसाती नाले के कारण प्रति वर्ष अपार हानि होती है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां के कुओं के पानी का स्तर बहुत कम हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि निर्माणाधीन बांध को पूरा कर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को पूरा कराकर समस्या का हल करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि बांध बन जाने से इस कस्बे में बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाले भारी नुकसान को भी रोका जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण जलस्तर ठीक हो गया है।

(3) जी नहीं बांध का कार्य पूरा होने से समस्या का आंशिक रूप से हल हो सकता है। राज्य सरकार विभिन्न प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(4) जी नहीं।

भीलवाड़ा में सेन्ड स्टोन के प्लाटों का आवंटन

532. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में माताजी के नाले में 50'×50' के सेन्ड स्टोन के प्लाट एलॉट किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी आधार पर बूंदी जिले के बड़े तालाबों में भी 50'×50' के प्लाट काम करने वाले गरीब शिड्यूल कास्ट व ट्राइब्स के लोगों को एलॉट करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी, नोखा

535. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कृषि उपज मण्डी, नोखा के निर्माण कार्य जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मन्जूर किया गया था, को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(2) क्या राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी, नोखा के निर्माण कार्य को रोकने के आदेश को तुरन्त वापिस लेकर पुन: निर्माण कार्य को चालू करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि कस्बा नोखा में हजारों की संख्या में हर रोज ऊंट गाड़ी व दैनिक दो-ढ़ाई हजार क्विन्टल अनाज बिक्री के लिये आता है और उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। नोखा मण्डी का निर्माण कार्य राज्य सरकार के आदेश से रोक दिया गया था। इसका कारण यह था कि नगरपालिका, नोखा की ओर से सरकार को प्रस्तावित भूमि पर मण्डी निर्माण कराने में आपत्ति थी क्योंकि नगरपालिका वर्तमान मण्डी को ही बनाये रखने में उत्सुक थी।

(2) अभी राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

(3) यह सही है कि नोखा की वर्तमान मण्डी में फसल के समय काफी माल आता है और ऊंट गाड़ियों वगैरह को ठहरने के लिये स्थान की भी कमी है।

बकाया लगान की वसूली

536. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया की घोषणा के अनुरूप कि बारानी में कहीं सवाये से अधिक लगान नहीं होगा तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) का लगान सात वर्ष तक बन्द रखा गया ?

(श्री मोहरसिंह)

(2) क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष सारे बकाया लगान को जो विगत पैमाइश में बढ़कर आया था, जिसकी सात वर्ष वसूली बन्द रही थी, का वसूल किया गया है ? क्या राजगढ़ की जनता पर यह घोर अन्याय नहीं है ?

(3) क्या इस प्रकार वसूला गया अधिक लगान अगले साल के बकाया लगान में समारत कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की घोषणा दिनांक 25-3-70 में यह कहा गया है कि बारानी भूमि की दर सवा से अधिक न रखी जाय। यह घोषणा गंग नहर एवं भाखरा नहर के क्षेत्रों की लगान दरों के बाद की गई था परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-5-70 द्वारा इसे अन्य क्षेत्रों के लिये भी लागू कर दिया था। यह सही नहीं है कि तहसील राजगढ़, जिला चूरू का लगान सात वर्ष तक बन्द रखा गया। लगान की वसूली पुरानी दरों से आज तक की जाती रही है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा लगान की दर सम्वत् 2025 से संशोधित की गई है। अब चालू वर्ष की मांग के साथ सम्वत् 2025 से 2031 तक की अन्तर की राशि भी वसूल की जा रही है।

(2) हां, यह सही है कि चालू भू-राजस्व के साथ अब अन्तर की राशि भी वसूल की जा रही है जो नियमानुसार है।

(3) लगान नियमानुसार वसूल किया जा रहा है। क्योंकि अधिक लगान वसूल नहीं किया गया है। अतः किसी राशि को समर्पित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विद्यार्थी

28. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 1970 से लेकर अब तक किन-किन विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया गया ? इनके नामों की सूची मय वल्दियत व पूरे पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विद्यार्थियों की प्रथम वर्ष टी. डी. सी. की परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है ?

(3) इनमें से किस-किस ने प्री मेडिकल टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किये और इनमें कितने क्वालीफाई नहीं कर सके ?

(4) इस मनोनयन की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जिनके बारे में यह सूचना उपलब्ध है वह संलग्न है।

(3) जिनके बारे में यह सूचना उपलब्ध है वह संलग्न है। शेष के बारे में सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) वर्ष 75-76 से मनोनयन नहीं होता। पूर्व में चयन विद्यार्थी की योग्यता व अन्य परिस्थतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

Page No 28

(28)

सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

281. श्री रणजीतसिंह (ग्रोसियां) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 विधान सभा द्वारा कब पारित किया गया और यह कब से प्रभावशील हुआ ?

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को मंत्रिमंडल द्वारा कब अनुमोदित किया गया और राज-पत्र में इनका कब प्रकाशन हुआ ?

(3) इस कानून के प्रभावशील होने के पश्चात् किस-किस वर्ष में किस 2 जिले में कितने-कितने सागड़ियों (बन्धक मजदूरों) की मुक्ति कराई गई और सागड़ी रखने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के स्थानान्तरण

282. श्री रणजीतसिंह (ग्रोसियां): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में 1 नवम्बर, 1974 से अब तक डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के किन-किन सदस्यों के स्थानान्तरण आदेश स्थगित या निरस्त किए गए ? कृपया तालिका कारण बताते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भिक्षावृत्ति पर रोक

283. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का विचार है ? यदि हां, तो इस पर कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी ?

(2) क्या अपंग भिक्षुकों के लिए भिक्षु गृह-निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या पर्यटन स्थलों, मन्दिरों, बस स्टेण्डों, स्टेशनों आदि स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) प्रस्तावित भिक्षावृत्ति निरोध अधिनियम, 1976 राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) अभी अपंग भिक्षुकों के लिए भिक्षुक गृह निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में नगर दण्ड नायक, उपखण्ड दण्ड नायक, जयपुर नगर, जयपुर

Page No 29

(29)

(समाज कल्याण मंत्री)
ने निषेधाज्ञा क्रमांक 3289-3319, दिनांक 22-12-75 द्वारा पर्यटन स्थानों, दर्शनीय स्थानों, रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति निराध अधिनियम भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्रम विभाग का कार्यालय

284. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रम विभाग का स्थानीय कार्यालय पोलो विक्ट्री से हटाकर तिलक नगर में लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि यह मकान किसी ऑफिसर का है और उसको पैसा दिलाने के लिए दफ्तर वहां लाया गया है?

(2) क्या इसकी वजह से मजदूरों को और उनके प्रतिनिधियों को बहुत दूर आने जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? क्या इससे खर्चा नहीं बढ़ेगा?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के करीब-करीब सभी अधिकारियों के मकान इस कार्यालय के इर्द गिर्द हैं और अपनी सहूलियत के लिए कार्यालय वहां लेजाया गया? यदि हां, तो सरकार इस कार्यालय को कब वापस इसी क्षेत्र में जहां पहले था वहीं लाने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। मकान मालिक ने खाली करने का नोटिस दिया था, अतः कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करना पड़ा। यह सही है कि मकान एक अफसर का है। शेष भाग सही नहीं है।

(2) जी नहीं। फिर भी कार्यालय का किसी उपयुक्त भवन में सुविधाजनक स्थान पर शीघ्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। खर्चा नहीं बढ़ेगा।

(3) जी नहीं। फिर भी कार्यालय को किसी उपयुक्त भवन में सुविधाजनक स्थान पर शीघ्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

सिनेमा कर्मचारी यूनियन, जयपुर

285. श्री केशरीमल, (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिनेमा कर्मचारी यूनियन, जयपुर द्वारा क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, जयपुर के समक्ष शालीमार सिनेमा के विरुद्ध कार्यवाही चल रही थी? यदि हां, तो कब से और इस पर बहस की तारीख कब रखी गई और बहस कब सुनी गई? बहस सुनने के पश्चात् फैसला देने के लिए कितनी तारीखें दी गई? इन तारीखों को बार बार बढ़ाने का क्या कारण था?

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त के व्यवहार से सन्देह पैदा हो गया और उसकी वजह से उन्होंने अपने केस में फैसला देने से मना करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र

(श्री केशरीमल)
के आ जाने के बाद उपरोक्त अधिकारी ने फैसला क्यों दिया ?

उत्तर

(1) सिनेमा कर्मचारी यूनियन द्वारा दो व्यक्तियों की व्यवस्थापक द्वारा सेवा-मुक्ति के आदेश के विरुद्ध राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम की धारा 28 (ए) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी (क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त) के समक्ष दिनांक 8 सितम्बर, 1975 को दावे प्रस्तुत किए गए। इन दावों पर बहस दिनांक 31-12-75 को सुनी गई। निर्णय के लिए तारीख 21-1-76 निश्चित की गई। चूंकि 21-1-76 को निर्णय नहीं लिखा जा सकता था अतः निर्णय हेतु दिनांक 24-1-1976 निश्चित की गई।

(2) प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्राधिकारी जो कि दौरे पर थे उनकी अनुपस्थिति में दिनांक 23-1-1976 को एक प्रार्थना-पत्र फैसला सुनाने के बारे में पेश किया जो कि कार्यालय द्वारा 24-1-1976 को निर्णय सुनाने तक प्राधिकारी के समक्ष नहीं पेश किया। प्राधिकारी ने 24-1-76 को प्रातः 10-00 बजे अदालत में आते ही निर्णय सुना दिया था।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर शहर में किराये पर लिए गए मकान

286. श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर नगर में किन-किन का मकान कब-कब से कितने-कितने रुपये माहवार पर किराये लिया हुआ है ? कृपया मकान मालिकों के नामों की पूरे पते सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन मकानों में किस-किस मकान का सन् 1973 से लेकर अब तक कितना और कब-कब किराया बढ़ाया गया ?

(3) किराया बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? कृपया इस सम्बन्ध में यदि नियम या विभागीय आदेश हों तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वान्छित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) वाञ्छित सूचना संलग्न सूचा में अंकित है।

(3) विभागीय आवश्यकतानुसार भवन में नव निर्माण एवं सुधार पर पुनः किराया निर्धारित किए जाने हेतु मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग को भिजवाया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील पदमपुर गांव फकीरवाली में आर. बी. नहर के पास की जमीन

287. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व एवं उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पदमपुर गांव फकीरवाली में आर. बी.

(श्री बेगाराम चौहान)
नहर के पास करीबन 400 मुरब्बे जमीन और फकीरवाली के पास गांव जीवनदेसर की करीबन 300 मुरब्बा भूमि लेवल के हिसाब से सिंचित हो सकती है? यदि हां, तो इस जमीन में पानी कब तक दे दिया जावेगा।

(2) क्या यह भी सही है कि जीवनदेसर हैड पर गेट ऊंचे लगाये हैं तथा नहर में पानी बहुत ऊंचा है जिससे पानी भी नहीं लग सकता है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम फकीरवाली और जीवनदेसर का रकबा सर्वे में नहरी कमांड हो चुका है?

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग को आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

288. श्री रणजीतसिंह (ग्रोसियां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 1 मार्च, 1975 से अब तक अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने कितने व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड आवन्टित किए गए हैं? कृपया ऐसे आवंटनों की एक जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन भू-खण्डों में से कितने भू-खण्ड ऐसे हैं जिन पर आवन्टितियों का पहले से ही अधिकार था?

(3) इन भू-खण्डों के लिए कितनी कितनी निजी भूमि अवाप्त की गई और कितनी कितनी सरकारी भूमि का आवंटन किया गया?

(स्थगित किया गया)

जागीर पुनर्ग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

289. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कुन्दनमल वल्द श्री नन्दलाल जैन गोधीका निवासी जयपुर की जागीर पुनर्ग्रहण कार्य-क्रम के अन्तर्गत फागी में एक हजार बीघा भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि खुद काश्त के लिए देने के आदेश जागीर कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 4-5-57, को दिए थे? यदि हां, तो क्या भूमि का आवन्टन कर कब्जा दिलाया जा चुका है?

(2) क्या यह सही है कि श्री कुन्दनमल ने अनेक बार राज्य सरकार को भूमि आवन्टन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उन पर आज तक क्यों नहीं निर्णय लिया?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार, सांगानेर ने उनके पत्र संख्या 5545, दिनांक 22-10-75 से उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर को यह स्पष्ट बता दिया था कि उनके यहां खसरा नम्बर 20112 में 88-112 बीघा जमीन

Page No 32

(32)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
रिक्त पड़ी हुई है और श्री गोदीका को यह भूमि आवन्टित करना उचित रहेगा ? यदि हां, तो उक्त भूमि का आवन्टन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर ने राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों एवं तहसीलदारों द्वारा बताई गई रिक्त भूमियों की रिपोर्ट आ जाने के बाद तथा सरकारी वकील से दिनांक 11-11-75 को बहस सुनने के बाद भी श्री गोदीका को भूमि का आवन्टन करने में बराबर टालमटोल कर रहे हैं ? श्री गोदीका को उन्होंने तारीख 27 मार्च, 75, 28 अगस्त, 75, 3 सितम्बर, 75, 25 सितम्बर, 75, 13 अक्टूबर, 75, 15 अक्टूबर, 75, 30 अक्टूबर, 75, 11 नवम्बर, 75, 14 नवम्बर, 75, 17 नवम्बर, 75, 21 नवम्बर, 75, 24 नवम्बर, 75, 6 दिसम्बर, 75, 16 दिसम्बर, 75, तथा 31-12-75 तारीखें दी हैं लेकिन भूमि आवन्टन के आदेश आज तक जारी नहीं किए गए ?

(5) क्या जागीर कमिश्नर, राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक 160 (2) एफ. 62 ख, दिनांक 11-5-74 द्वारा एस. डी. ओ., जयपुर को ग्राम कलवाड़ा, तहसील सांगानेर की खाली भूमि जिसका खसरा नम्बर 523 रकबा 28 बीघा तथा नम्बर 240 रकबा 14 बीघा है, श्री कुन्दनमल को आवन्टित किए जाने हेतु सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी किए थे ? यदि हां, तो इसके बावजूद भी यह जमीन श्री गोदीका को न देकर दूसरों को एस. डी. ओ. ने आवन्टित कर दी ? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या यह सही है कि श्री कुन्दनमल ने आपको दिनांक 22-12-75 तथा 19-1-76 को इस आशय का निवेदन-पत्र भेजा था कि राजस्व अधिकारी उनके मामले में अनावश्यक टालमटोल कर रहे हैं और उन्हें भूमि का आवंटन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस शिथिलता के लिए राज्य सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? अब भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों ने राज्य सरकार को क्या उत्तर भेजे ? प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा इसी माह में भूमि का आवन्टन कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो श्री गोदीका को कहां और किस खसरे नम्बर की भूमि का आवन्टन कब तक कर दिया जायेगा और कब तक उसका कब्जा भी दिला दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि श्री कुन्दनमल गोदीका को जागीर पुनर्ग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत फागी में एक हजार बीघा भूमि अधिकरण के बावजूद 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि तहसील फागी के ग्राम सालरसू (उन्हीं की जागीर ग्राम) में दिनांक 7-5-59 को उप जिलाधीश जागीर द्वारा आवन्टित की गई थी न कि जागीर आयुक्त द्वारा । इस भूमि का

(राजस्व मंत्री)

कब्जा लेने श्री गोदीका तहसीलदार, फागी के समक्ष 16-8-63 अर्थात् 6 वर्ष तक नहीं पहुचे, इतने लम्बे अर्से तक उनके उपस्थित नहीं होने से उक्त भूमि का आवन्टन अन्य भूमिहीनों को कर दिया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि श्री गोदीका ने अनेक बार भूमि आवन्टन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर राज्य सरकार ने उप जिलाधीश जागीर, जयपुर को भूमि आवन्टन करने हेतु निर्देश दिए। उन्हीं उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर ने आदेश दिनांक 5-1-76 द्वारा ग्राम भोज्याड़ा, तहसील चाकसू में 12 बीघा 15 बिस्वा सिवाय चक काबिल काश्त भूमि आवन्टित कर दी गई है।

(3) जी हां। तहसीलदार सांगानेर ने पत्र दिनांक 29-10-75 द्वारा यह लिखा था कि गोदीका को ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर में आराजी खसरा नम्बर 201/2 में 88½ बीघा भूमि सीलिंग से अधिक होने के कारण अधिग्रहण की गई है उसमें से 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि उन्हें आवन्टित कर दी जावे तो उचित रहेगा, किन्तु सीलिंग नियमों के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा जमा कराने को श्री कुन्दनमल तैयार नहीं थे इसलिए उन्हें आवन्टन किया जाना सम्भव नहीं था।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री गोदीका को दिसम्बर, 75 तक भूमि आवन्टन बाबत निरन्तर तारीखें दी गई किन्तु भूमि का आवन्टन इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर बतलाई गई भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब उन्हें दिनांक 5-1-1976 को भूमि आवन्टन की जा चुकी है।

(5) जी हां। यह सही है कि जागीर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 160 (2) एफ. 6211, दिनांक 11-5-74 द्वारा एस. डी. ओ., जयपुर को ग्राम कलवाड़ा तहसील, सांगानेर की खाली भूमि जिसका खसरा नम्बर 523 रकबा 25 बीघा तथा खसरा नम्बर 240 रकबा 14 बीघा है, श्री गोदीका को आवन्टित किये जाने हेतु सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया था किन्तु यह जमीन ग्राम के भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवन्टित की जानी थी इसलिए श्री गोदीका को नहीं दी जा सकी।

(6) जी हां। इस विषय में राज्य सरकार ने उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर को अर्द्ध शासकीय पत्र, दिनांक 27-11-75 एवं 24-12-75 द्वारा भूमि आवन्टन करने हेतु निर्देश दिए। जिन पर उन्होंने दिनांक 5-1-76 को आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। पत्रों की प्रति संलग्न हैं।

(7) श्री कुन्दनमल गोदीका को दिनांक 5-1-76 को 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 255 सिवायचक काबिल काश्त ग्राम भोज्याड़ा, तहसील, चाकसू में आवंटित कर दी गई है। श्री गोदीका उक्त भूमि का कब्जा लेने हेतु तहसील चाकसू में उपस्थित नहीं हुये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन का अलॉटमेन्ट

290. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में नहर का कार्य शुरू होने के बाद से आज दिन तक कितना बीघा जमीन कितने व्यक्तियों को जिलेवाइज एलॉट की गयी? जिलेवाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगानगर जिले की आबादी 1955 में कितनी थी तथा भूमिहीनों की कितनी संख्या थी? जिनमें से आज तक कितने भूमिहीनों को जमीन मिल चुकी है व अब तक और कितने भूमिहीन शेष रहे हैं जिन्हें और कितनी भूमि की आवश्यकता रहेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1955 में जनगणना नहीं हुई अत: इस वर्ष की आबादी के आंकड़े बताना कठिन है। गंगानगर जिले के 25406 भूमिहीनों को 364421 एकड़ भूमि का आवंटन माह फरवरी, 76 तक किया जा चुका है। 75908 के 'जी' प्राथमिकता के भूमिहीनों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं?

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति सांगानेर में अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों को पट्टे

291. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सांगानेर के ग्राम बगरू कलां में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवारों को 26 जनवरी, 75 तक कहां 2 कितने 2 पट्टे दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी भूमिहीनों को पट्टे दिये गये हैं? ग्राम बगरू कलां के रेंगरों को दो-तीन किलोमीटर गांव से दूर कितनों को पट्टे दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जहां इन्हें पट्टे दिये गये हैं क्या वहां पास में बरसाती नाला है? क्या बाजार व सड़क की भी सुविधा है? यदि है, तो कितनी दूर?

(4) क्या ग्राम बगरू के रेंगर समाज नागरिकों ने उक्त स्थान पर भूमि न लेने के सम्बन्ध में तथा अन्य स्थान पर बसने की कोई शिकायत की थी? यदि हां, तो शिकायत करने के उपरान्त भी वहीं पर बसाने का क्या कारण है?

(5) उक्त स्थान से रेंगर समाज के अनुसूचित जाति के परिवारों के पट्टे कैन्सिल कर ग्राम बगरू कलां के मेन रोड गांव के पास पट्टे देने पर कहां तक सहमत है?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(6) क्या ग्राम बगरू कलां की जनसंख्या को देखते हुये आबादी भूमि कम पड़ती है ? यदि कम पड़ती है तो आसपास की खेतीहर सिंचित तथा असिंचित भूमि को आबादी में कनवर्ट कर अनुसूचित जाति के रेगर परिवारों को बसाने में कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांगानेर के ग्राम बगरू कलां में अब तक अनुसूचित जाति के परिवारों को 308 पट्टे एवं अनुसूचित जन जाति वालों को 15 पट्टे दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। तहसीलदार, सांगानेर द्वारा 75 रेगर समाज के परिवारों को गांव से एक डेढ़ किलोमीटर दूर भू-खण्ड दिये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। बाजार व सड़क की सुविधा करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है।

(4) जी नहीं।

(5) ग्राम बगरू कलां के मेन रोड के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए मेन रोड पर भू-खण्ड आवंटन किया जाना संभव नहीं है।

(6) जी हां। ग्राम के आसपास की भूमि को आबादी में कनवर्ट किये जाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर को विभिन्न कच्ची बस्तियों में भूमि के पट्टे

292. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में कितने परिवारों को किस प्रतिगज के भाव से भूमि के पट्टे दिये जा चुके हैं ? कृपया बस्ती अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) नगर की समस्त कच्ची बस्ती के निवासियों को कब तक भूमि के पट्टे दे दिये जायेंगे ? राज्य सरकार की इस संबंध में क्या योजना है ?

(3) कच्ची बस्तियों के विकास पर जयपुर नगर में अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और समस्त बस्तियों में विकास करने और अधूरे कामों को पूरा करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ? व्यय किये गये धन का ब्योरा बस्ती अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(4) क्या भारत सरकार से निकट भविष्य में और धनराशि मिलने की संभावना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार नये वर्ष के बजट में कितनी धनराशि जयपुर नगर के लिये प्रावधान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) केवल नाम मात्र 3/- रुपया प्रति वर्गगज की दर से भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(नगर नियोजन मंत्री)

(2) बसी हुई बस्तियों में भू-खण्ड पाने के हक़दार लोगों के दावे व आपत्तियां सुनने का कार्य इस समय भी चल रहा है। न्यास ने इस दृष्टि से कि कच्ची बस्तियों के लोगों के मामले जल्द से जल्द निपट जायं कुछ अधिकारियों के कैम्प्स कच्ची बस्तियों में ही लगा दिए हैं जिससे कि न तो लोगों को इधर उधर भागने की परेशानी हो और उनके मामलों को ग्राम जनता के सामने निपटा दिया जावे। विभिन्न बस्तियों के निवासियों की सूची प्रकाशित कर सार्वजनिक रूप से प्रकाशन के पश्चात् दावे व आपत्तियां सुन कर 21 अगस्त, 1971 से पूर्व के बसे निवासियों को भू-खण्ड आवंटन करने का कार्य तेजी से जारी है।

(3) कच्ची बस्तियों के विकास पर जयपुर नगर ने माह फरवरी, 1976 तक 79,92,240/- रु. की धनराशि व्यय की जा चुकी है? शेष बस्तियों में विकास करने के लिए सातवीं परियोजना बनाई जा रही है तत्पश्चात्-ही राशि बताना संभव होगा। पांचवीं परियोजना तक की बस्तियों के अधूरे कार्यों को पूरे करने हेतु जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा लगभग 23 लाख रुपये की धन राशि की मांग की गई है। व्यय किए गए धन के ब्यौरे की बस्ती अनुसार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) यह योजना राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है। अतः भारत सरकार से राशि मिलने का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष 1976-77 के लिए राज्य सरकार ने जयपुर के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायतों का नगर पालिकाओं में परिवर्तन

293. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायतों को नगर-पालिकाओं में परिवर्तन करने हेतु आपत्तियां मांगी गई थीं, उनमें से किस किस ग्राम पंचायत के संबंध में कितनी कितनी, क्या क्या आपत्तियां कब कब प्राप्त हुई हैं? कृपया आपत्तियों के प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन आपत्तियों के निर्णय के बारे में क्या विधि अपनाई जावेगी?

(3) इन आपत्तियों पर कब तक निर्णय होना आवश्यक है?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को नगर-पालिकाओं में परिवर्तित करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन आपत्तियां मांगी जाती हैं। ये आपत्तियां सम्बन्धित जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत करनी होती हैं। जिन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में परिवर्तित करने हेतु आपत्तियां मांगी गयी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत शासन मंत्री)

(2) जिलाधीश इन आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित तथा यह अंकित करते हुए कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन डोंडी आदि पिटवाकर पालना कर दी गई है, राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार इन आपत्तियों पर व जिलाधीश की टिप्पणी पर विचार कर यह निर्णय लेती है कि किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित किया जावे अथवा नहीं ?

(3) जो आपत्तियां जिलाधीश की मार्फत प्राप्त होती हैं उन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

294. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है जयपुर शहर में स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि पर बने भवनों का नियमन करने का राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो कब तक के ?

(2) क्या राज्य सरकार ने समिति की भूमि पर बने मकानों में जल कनेक्शन देने पर जो रोक लगा रखी थी उसे भी हटा लिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के इस निर्णय के आधार पर जल कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिये यह रोक बने रहना आवश्यक है।

जयपुर नगर में कार्यालयों के लिए स्थान की कमी

295. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर में केन्द्र, राज्य व स्थानीय सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों के कार्यालय को एक या दो स्थानों पर करने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी अनुभव की जा रही है ?

(2) क्या राजधानी में कतिपय भवनों के लिए जमीन लेकर उसका योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(3) यदि जमीन का आवंटन किया गया है तो कितने क्षेत्रफल में और भवनों के निर्माण में कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लाल कोठी व कामर्स कॉलेज के पीछे कार्यालय भवनों के लिए योजनानुसार विकास कार्य किया जा रहा है।

Page No 38

(38)

(नगर आयोजना मंत्री)

(3) 27-45 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। कितनी राशि की आवश्यकता होगी यह सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि अभी निर्माण कार्यों की रूप रेखा उपलब्ध नहीं है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग-अलग आकार प्रकार के भवन बनाये जावेंगे। इन भवन के आय के स्रोत भी भिन्न भिन्न हैं।

राज्य में प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रधान उप-प्रधान, सरपंच आदि के विरुद्ध मामले

296. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कितने ही प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रधान, सरपंच उप-सरपंच के खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से एवं किन-किन के खिलाफ ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन मामलों में निर्णय कब तक किया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत सांचोर को नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना

297. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के बाद नगरपालिका, सांचोर का राज्य सरकार से विकास हेतु क्या-क्या अनुदान की रकम कब-कब दी गई है ? किस-किस कार्य के लिए कितनी रकम दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नगरपालिका, सांचोर से किस-किस विकास कार्य के लिए कितनी-कितनी अनुदान एवं ऋण की रकम की मांग राज्य सरकार को कब-कब प्राप्त हुई है ? इस बारे में अनुदान एवं ऋण की रकम दिलाने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका क्षेत्र सांचोर में सड़कों एवं ड्रेनेज की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार नयी नगरपालिका घोषित होने के नाते क्या विशेष सहायता प्रदान करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार नगरपालिका, सांचोर की सड़क निर्माण एवं ड्रेनेज सुधार योजनाएं बनवा कर शीघ्र तखमीने मंगवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसे तखमीने बनवाकर कब तक मंगवा लिये जायेंगे ? एवं उनके अनुसार सहायता कब तक प्रदान करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां,

दिनांक 5-9-75 को ग्राम पंचायत सांचोर को नगरपालिका में परिवर्तित किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगरपालिका, सांचोर को सामान्य कार्यों के लिए 1975-76 में प्रति व्यक्ति 1/- रुपये के हिसाब से 8048/- रु. सामान्य अनुदान स्वरूप स्वीकृत किया गया है।

(3) नगरपालिका, सांचोर द्वारा ऋण हेतु कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) नगरपालिका, सांचोर ने सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु कोई अनुदान या ऋण का प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसलिए शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) प्रश्न 4 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

गंगानगर जिले में सहकारी समितियों के भण्डार

298. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला श्री गंगानगर में कितनी कितनी क्षमता के और कहां-कहां सहकारी समितियों के भण्डार हैं, और वे कब से बने हुए हैं और उन्हें कब-कब प्रयोग में लिया गया ?

(2) क्या सरकार भविष्य में आने वाली रबी की फसल के समय पर उन भण्डारों के आसपास के गांवों से गेहूं की खरीद करके उन भंडारों को प्रयोग में लायेगी और इससे किसान वर्ग को भी सुविधा होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान

299. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान कहां-कहां हैं ? प्रत्येक प्रतिष्ठान में कुल कितने कर्मचारी, बुनकर एवं कताई मजदूर कार्यरत हैं ?

(2) कताई मजदूरों को इस उद्योग से प्रति दिन औसतन क्या मजदूरी मिलती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग व आयोग बोर्ड द्वारा अनुदानित कार्यरत खादी संस्थानों की सूची व प्रत्येक में वर्ष 74-75 में कर्मचारी, बुनकर एवं अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या अंकित कर सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सभी कार्य में प्रत्येक स्तर के लिए पारिश्रमिक खादी कमीशन द्वारा गठित प्रमाण-पत्र समिति द्वारा निर्धारित है। राज्य में ऊनी व सूती खादी का उत्पादन होता है। सूती खादी की कताई में यदि कर्मचारी आठ घंटा कार्य करें तो न्यू मॉडल चर्खे पर 0.75 रु. से 1.50 रु. तक प्रतिदिन पारिश्रमिक मिल सकता है तथा ऊनी कताई में भी सूत अंकों के आधार पर 0.75 रु. से 1.50 रु. तक पारिश्रमिक प्रतिदिन अर्जित किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 40

(४०)

नोहर तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें

300. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले की नोहर तहसील में सस्ते अनाज की दूकानों पर आपात स्थिति लागू होने के बाद गेहूं क्यों नहीं वितरित किया ?

(2) क्या यह सत्य नहीं है कि सस्ता गेहूं वितरित न होने से वहां की जनता को 165 से 175 रु. क्विन्टल गेहूं, खरीदना पड़ा ?

उत्तर

(1) आपात स्थिति के बाद नोहर तहसील से गेहूं की मांग प्राप्त नहीं हुई। माह जनवरी, 76 में जिला गंगानगर को विभाग द्वारा किए गए आवंटन में से 100 टन गेहूं जिलाधीश, गंगानगर द्वारा तहसील नोहर के लिए आवंटित किया गया था। परन्तु वहां की मण्डियों में गेहूं के भाव कम होने से उप जिलाधीश, नोहर ने उक्त आवंटित गेहूं नहीं उठाया।

(2) नोहर में भाव रु. 135/- से 145/- क्विन्टल रहे हैं। अतः वहां की जनता को 165/- रुपये प्रति क्विन्टल से 175/- रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं खरीदना पड़ा हो, सम्भव नहीं है।

टोडारायसिंह में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

301. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टोडारायसिंह में कृषि उपज मण्डी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार टोडारायसिंह में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। टोडारायसिंह कृषि उपज मण्डी समिति मालपुरा की गांव मण्डी है।

(2) राज्य सरकार के नये दृष्टिकोण के अनुसार समूचे राज्य को मण्डी नियमन के अन्तर्गत लेना है, और इसके लिए मण्डी समितियों का विस्तार करना है। अब जिस मण्डी में 25 लाख रुपयों का क्रय-विक्रय होता है वहां पृथक् से एक मण्डी समिति स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा। इस आधार पर टोडारायसिंह में भी पृथक् से मण्डी स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। सम्भव है इसमें कुछ महीने लग जायें।

भू-तल जल मण्डल जोधपुर के सस्पैण्ड कर्मचारियों के मामले

302. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या भू-तल जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 29-8-74 को जोधपुर के श्री शैलेन्द्रकुमार शर्मा, श्री जागीरसिंह ड्रिलर, श्री चिमनाराम ड्राइवर और श्री मदनसिंह हैल्पर, सरकारी ट्रक में एक पीपा डीजल तेल ले जाने के इल्जाम में 4-9-74 और 10-9-74 को सस्पेण्ड कर दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि चीफ इन्जीनियर ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जांच के आदेश 29-1-75 को दे दिये थे और जांच अधिकारी ने जांच करके 13-6-75 को अपनी रिपोर्ट भी चीफ इन्जीनियर को दे दी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच अधिकारी ने उक्त व्यक्तियों को निर्दोष पाया है ?

(4) क्या यह सही है कि चीफ इन्जीनियर ने जांच अधिकारी का रिपोर्ट पर अभी तक अपना फैसला इस मामले में नहीं दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि नियमानुसार जांच रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर अन्दर देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों ने अपने सस्पेन्शन के खिलाफ 2-12-74 को डेयरी डवलपमेंट एण्ड स्पेशल स्कीम एग्रीकल्चर कमिश्नर के पास अपील की थी परन्तु उसमें भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है ?

उत्तर

(1) श्री शैलेन्द्रकुमार शर्मा, वेदक एवं श्री मदनसिंह, हैल्पर को डीजल तेल की चोरी करने के आरोप में तथा श्री जागीरसिंह, वेदक व श्री चिमनाराम, वाहन चालक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर साक्ष्य नष्ट करने के आरोप से निलम्बित किए गए ।

(2) जी हां ।

(3) जांच अधिकारी ने भी कर्मचारियों को बिलकुल निर्दोष बताया एवं दो के विरुद्ध संशय प्रकट किया गया परन्तु जांच अधिकारी की रिपोर्ट से मुख्य अभियन्ता सहमत नहीं हैं ।

(4) मुख्य अभियन्ता ने दो कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया है और कार्यवाही चालू है ।

(5) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है:—

जांच प्रतिवेदन का परीक्षण	
शो-कॉज नोटिस जारी करना	2 सप्ताह
शो-कॉज नोटिस का उत्तर	2 सप्ताह
शो-कॉज नोटिस के उत्तर का परीक्षण ।	3 सप्ताह
नोटिस एवं अन्तिम आदेश	1 सप्ताह

किन्तु विभिन्न कारणों से उक्त अवधि में प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती । प्रस्तुत मामले में चूंकि मुख्य अभियन्ता जांच अधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत थे अतः प्रतिवेदन के विश्लेषण एवं उसके वैधानिक पहलुओं के परीक्षण में समय लगा ।

(6) जी हां, निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील शासन सचिव, भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को की गई । उस पर मुख्य अभियन्ता को इन कर्मचारियों का निलम्बन निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

Page No 42

(४२)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-76)

तहसील शाहबाद (कोटा) में भूमि का मामला

180. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) श्री गुरजीतसिंह चक 9 ओ., श्री गुरदीपसिंह चक 16 ओ., श्री केहरसिंह, श्री रघुवीरसिंह चक 25 बी. बी., श्री गुरदयालसिंह, एक, जे. जे. के नाम पर तथा उनके बच्चों के नाम पर एक जनवरी 1970 को कितनी-कितनी भूमि थी ?

(2) क्या यह सच है कि श्री गुरजीतसिंह, श्री गुरदीपसिंह, श्री केहरसिंह, श्री रघुवरसिंह आदि के लड़के 1-1-70 को नाबालिग थे ?

(3) क्या यह सच है कि श्री रघुवीर सिंह की धर्म पत्नी के नाम पर तहसील शाहबाद जिला कोटा में एक सौ बीघा भूमि है और बहुत सी ऐसी भूमि उसके कब्जे में है जो कि मन्दिर के नाम पर है और जिसमें से बहुत-सी बेची जा चुकी है ? सीलिंग मामले में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावें और बतलाया जाये कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1970 को श्री गुरजीतसिंह व उनके पुत्र सर्व श्री अजयपाल सिंह व महाराजासिंह के नाम पर क्रमशः 144.15 बीघा, 52.10 बीघा व 53.00 बीघा भूमि, श्री गुरदीपसिंह व उनके पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह के नाम क्रमशः 80.03 बीघा, 23.00 बीघा भूमि, श्री केहरसिंह व उनके पुत्र सर्व श्री बलवीरसिंह, गदबीरसिंह व पुत्री सुरेन्द्र कौर के नाम क्रमशः 83.19 बीघा, 43.17 बीघा, 12.00 बीघा, 14.05 बीघा भूमि, श्री रघुवीरसिंह के नाम 121.00 बीघा भूमि व श्री गुरदयालसिंह के पुत्र महगासिंह के नाम 53.11 बीघा भूमि है। श्री गुरदयालसिंह के नाम कोई भूमि नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। श्री रघुवीरसिंह का धर्मपत्नी का नाम ज्ञात नहीं है। तहसील शाहबाद, जिला कोटा में 'रघुवीरसिंह की धर्मपत्नी नामक' कोई खाता नहीं है और ना ही किसी मन्दिर की भूमि पर उनका कब्जा है और न कोई मन्दिर का भूमि उन्होंने बेची है। सर्वश्री गुरजीतसिंह, रघुवीरसिंह के सीलिंग सम्बन्धी परिवाद विचाराधीन हैं। श्री गुरदीपसिंह के गंगानगर जिले में परिवाद संख्या 497/75 में निर्णय दिनांक 25-11-75 को हो गया था, जिसके अनुसार सीलिंग से अधिक भूमि नहीं है। कोटा जिले में सीलिंग परिवाद में अपील विचाराधीन है। श्री केहरसिंह की मूल सीलिंग परिवाद को पुनः खोले जाने हेतु राज्य सरकार में मामला विचाराधीन है तथा श्री गुरदयालसिंह के मामले में जांच की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-76)

जालोर जिले में सीलिंग के मुकदमे

178. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत सन् 1968 से आज तक जिला जालोर में किस-किस उपखण्ड अधिकारी ने किस-किस भूतपूर्व जागीरदार के सीलिंग के मुकदमे तय कब-कब किये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कई व्यक्तियों के 90 स्टेन्डर्ड एकड़ के अनुसार से भी फैसले किये गए हैं और उन व्यक्तियों की भूमि नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत आती है फिर भी उनको जालोर जिले में सीलिंग के अन्तर्गत नोटिस नहीं देकर उनकी भूमि को सरकार ने कब्जे में नहीं लिया है । कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 1968 से आज दिन तक जिला जालोर में जिस-जिस उप-खण्ड अधिकारी ने जिन-जिन भूतपूर्व जागीरदारों के सीलिंग के मुकदमे जिस-जिस तारीख को तय किये उसकी सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है ।

(2) यह सत्य है कि कई व्यक्तियों के 90 स्टेन्डर्ड एकड़ से फैसले किये गये हैं । सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है । परन्तु यह सत्य नहीं है कि उन व्यक्तियों की भूमि नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत आती है फिर भी उनको इस जिले में सीलिंग के अन्तर्गत नोटिस नहीं दे कर उनकी भूमि कब्जे में नहीं ली गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

राज्य मन्त्री, राजस्व, (श्री मूलचन्द मीणा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उप-निवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं —

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) राज/उप/75, दिनांक 21 मार्च, 1976

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (6) राज/उप/76, दिनांक 26 मार्च, 1976

विधायी कार्य—विधेयक पर विचार

विद्युत् (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक ।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

Page No 44

(४४)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
विद्युत् (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"विद्युत् (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को क्रमशः एक सप्ताह/एक माह/छः माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें विद्युत् मण्डल को घाटे से बचाने के लिए जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपका 1948 का मूल एक्ट है उसकी धारा 54 के स्थान पर 49 (ए) स्थापित करने का प्रोविजन रखा है। उद्देश्य तो सरकार का सही माना जा सकता है कि किसी तरीके से विद्युत् मण्डल को घाटा न हो। जो दरें हैं वह बढ़ा रहे हैं आज की आवश्यकता, उत्पादन और धन वृद्धि को देखते हुए वह उनको मिले और इसके साथ ही साथ अपनी सूची को संशोधित करते हैं तो सूची को सही मायने में लागू रख सकें और साथ ही साथ यह चाह रहे हैं कि पुराने समय से किसी के साथ कोई एग्रीमेन्ट हुआ हो या और किसी तरीके से रेटों में कोई छूट दी गयी हो तो सब चीजों को समाप्त करके वह अदालत में नहीं जा सकें और जो भी इस मण्डल का आदेश हो उसके तहत आमदनी बढ़े ताकि यह घाटे में नहीं जाये और बिजली का उपयोग सही मायने में हो कृषि में और उद्योग में, उनकी वृद्धि के लिए हो तो मैं इस प्रकार के उनके विचार की सराहना करता हूं लेकिन उसके साथ हो साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह आपने लिख दिया कि अदालत में नहीं जायें लेकिन जो छूटें दी गयी हैं उन को भी आप विलोपित करना चाहते हैं वह करें, परन्तु जो इस विभाग के द्वारा मनमानी कार्यवाहियां होती हैं, अमूमन उद्योग विभाग के किसी भी आदमी से पूछ लें या किसी काश्तकार से पूछ लें या किसी छोटे से छोटे उपभोक्ता से पूछ लें तो वह इस विभाग की बहुत शिकायतें करेगा। बड़े से बड़ा उद्योगपति शिकायत नहीं करता बल्कि वह आपके रहम का पात्र बना हुआ है। आज बिड़ला इन्सटीट्यूशन्स के अन्दर करीब 20 लाख रुपये की बकाया है उसको वसूल करने की हिम्मत आपकी पड़ती ही नहीं। वहां जाते हैं तो खातिर करवाकर आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो प्रक्रिया है इससे बड़े आदमी बकाया से बचते रहें और यदि आपकी बकाया की वसूली हो तो आपके यहां अधिक धन की उपलब्धि हो सकती है। इसके बनिस्पत जो छोटे छोटे उपभोक्ता हैं उनको तंग किया जाये तो यह उचित नहीं है।

आपके इस निगम के इन्ट्रेस्ट में तो मैं इस संशोधन को सही मानता हूं और आपका सोचना ठीक है। हम बिजली को

(श्री दीपंकर)

सामाजिक क्रांति का स्वरूप मानते हैं। जिस गांव में बिजली पहुंचा दें उसमें क्रांति हो जायेगी, लोग नये तरीके से सोचने लगेंगे और उद्योग-धंधे लगेंगे। उनकी आमदनी का जरिया भी बदल जायेगा और कुछ नजरिया भी बदल जायेगा लेकिन आपकी बिजली गांव में जाती है तो लेनिन के कथन के विपरीत और आपके विचारों के विपरीत काम होता है। वहां बिजली पहुंचती है तो आफत पहुंचता है। किसी तरह से कोई काश्तकार बिजली का कनेक्शन ले लेता है, पहले तो बिना लिये दिये कनेक्शन मिलता नहीं है और किसी तरह से ले भी लेता है तो किस तरह से कनेक्शन काट दिया जाता है, सताया जाता है, पैसे लेकर री-कनेक्शन करते हैं और आपके यहां कितना जमा करते हैं और काश्तकार कितना देता है इसका अध्ययन तो आप कीजिए। आज हम दूसरे विभागों की बातें करते हैं कि वहां लेन, देन होता है, लेकिन आपके इस व्यापारिक संस्थान में, जिसमें आप भी हिस्सेदार हैं, और जनता भी हिस्सेदार हैं, चोरियां हों तो यह वाजिब बात नहीं लगती। इसलिए लाजिमी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी शिकायतें हैं वह दूर होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको यह निवेदन करेंगे कि आप ए. ई. एन. का ऑफिस सब जगह नहीं खोल सकते, लेकिन जहां भी ए. ई. एन. के ऑफिसेस हैं वहां उनके नीचे दो-दो और तीन-तीन जे. ई. एन. हैं और आपके जो बिल हैं उनकी दुरुस्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग 20, 30 और 40 मील जाते हैं, उनकी दुरुस्ती के लिए और बिल से ज्यादा की रकम तो उनके आने जाने में खर्च हो जाती है और उसके बाद भी बिल ठीक होता है या नहीं—यह दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लाडनूं की ओर दिलाना चाहता हूं। डीडवाना हमारे यहां से 20 मील पड़ता है। बिल 8 रुपये का आया और उसकी जगह 80 रुपये कर दिये तो उसकी दुरुस्ती करवाने के लिए तीन-चार बार गये फिर भी उन्होंने कहा कि आज तो टाइम नहीं है किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, ऊपर से हुकम आया है वहां जा रहे हैं। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को सताया जाता है। बड़े उपभोक्ता हैं तो आपके हैं और छोटे उपभोक्ता हैं तो आपके हैं। छोटों को आप अधिक सुविधायें दें ताकि आपकी सेवाओं के लिए आपका अच्छा यश फैलायें। अभी जैसा मैंने कहा इस तरह की समस्या राजस्थान में बहुत जगह है। अगर बिल बने और दुरुस्ती की व्यवस्था नहीं हो तो लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। बिल गलत बनते हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि पहले मांगों के सम्बन्ध में आपने बहुत कुछ आश्वासन दिये हैं इसलिए हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं परन्तु आपके ध्यान में जरूर लाना चाहते हैं कि आपके अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। समाज में सामूहिक लोग इकट्ठा होते हैं तो एक तरह से इस मण्डल के बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी आदत है कि

(श्री दीपंकर)

शादी के वक्त पर गड़बड़ियां करते हैं। एक मीठड़ी गांव है लाडनूं तहसील में। वहां एक आदमी ने लाइट लगा रखी थी। सुजानगढ़ से लाइट आॅफ कर दी और आपके कई गांव अंधेरे में थे। मैं जीप लेकर पहुंचा और पूछा कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि डीडवाना जाइये। मैंने डीडवाना जाकर पूछा। मैंने कहा कि आपके विभाग का जे. ई. एन. मेरे साथ आया है आप बताइये आपका स्विच कहां है? तो देखा कि स्विच आॅफ था। हमने कहा कि यह क्यों आॅफ है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कर रखा है कि फॉल्ट है। जे. ई. एन. ने कहा कि मैं आपके विभाग का आदमी हूं और मुझे पता है कहीं फॉल्ट नहीं है। तब जा कर उन्होंने स्विच आॅन किया तो लाइट आ गयी। बाद में मालूम पड़ा कि सुजानगढ़ में ज्यादा बिजली लेना चाहते थे और उनसे बात हो गयी थी कि तो दूसरे गांवों की बिजली काट देते हैं। तो इस तरह से शिकायतें होती हैं। अगर इस तरह की शिकायतें आपके सामने लायें तो अच्छा नहीं लगता और चर्चा होना भी अच्छा नहीं है लेकिन सामाजिक स्तर पर जो फंक्शन्स होते हैं और जो इस तरह से ले देकर सौदे होते है, यह छिपी हुई बात नहीं है। इस तरह से जो लोग करते हैं उनकी रोकथाम का आप कोई उपाय करें। आप अपनी रेट बढ़ायें, आमदनी बढ़ायें, कोई दिक्कत आ रही है आपको वसूली में तो उसको दूर करें और टाइम पर पेमेन्ट लें। आप बड़ों बड़ों से लेते नहीं हैं और छोटे छोटे फंक्शन या किसी के घर उत्सव हैं तो आप वहां अंधेरा कर दें जब कि आपकी बिजली के भरोसे गैस भी नहीं रखते है। गैस भी कहां से लायें? बड़ा शहर हो तो सब इन्तजाम कर दें। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई व्यवस्था करें। इन सब का क्या इन्तजाम हो सकता है, यह आप देखें। आखिर आज आप जब तक जांच नहीं करायेंगे तब तक जिस तरह से पुलिस महकमे वाली बात है, पुलिस की डिमाण्ड पर हमने यहां पर बातें कह दीं और उसी तरह से परम्परागत तरीके से काम करते जायेंगे। हमारे डीडवाना के बारे में ए. ई. एन. की शिकायत थी कि उसने कितने ही कनेक्शन काट दिए बिना किसी कारण के। कितने ही कनेक्शन बिना मीटर की गड़बड़ी के काट दिए और काटने के बाद अपनी मर्जी से ले दे कर जोड़ दिए। तो इस तरह की कितनी ही शिकायतें मैंने भेजी हैं, और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मुझे अपना एक पत्र भेजा है कि आपकी जो शिकायतें थीं वह भेज दी हैं जांच के लिए। जांच करवाने की हालत यह हो जाती है कि अगर चोर को कहो कि चोर को पकड़ो तो उनके रिश्तेदार निकले। तो उस जांच का क्या होने वाला है? अभी तक कितने ही नोटिस आपके पास आए, जन प्रतिनिधियों ने आपके पास शिकायतें की, जन-प्रतिनिधि आपके पास आए, विधायक आपके पास आये, आपकी पार्टी के आदमी आपके पास आए और वह अमुक आपके आदमी की शिकायत लाये भी यह चोर है और आप उसको पकड़ने के बजाय यह कह दें कि हमने जांच के लिए भेज दिया है तो आप अपने आदमी की क्या कद्र करते हैं? जन प्रतिनिधियों का क्या कद्र है? हमें यही कह दो कि

(श्री दीपंकर)

भाई यह तो ऐसा महकमा है कि हम नियुक्ति तो जरूर करते हैं और आदेश भी देते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह माने या न माने। उनकी मर्जी आए वैसा वे करेंगे तो हम उस पर सन्तोष कर लेंगे और बैठ जायेंगे। आप कह दें कि वे अपनी मर्जी से व्यवस्था करेंगे अन्यथा जब एक विधायक अगर किसी आदमी पर चार्ज लगाता है, वह कहता है कि यह रिश्वत खाता है, अपनी मर्जी से कनेक्शन काटता है और अपनी मर्जी से ही वापिस कनेक्शन जोड़ता है और उस आदमी को साथ लेकर उसके बयान नहीं लिए जायं काश्तकारों के बयान न लिए जायं और विधायक जो चार्ज लगाता है उसे साथ लेकर उसकी शिकायत की जांच नहीं की जाय जिससे वह साबित नहीं कर सके, तो फिर यह क्या जांच हुई? यह तो मखौलबाजी हुई हमारे साथ। कल ही आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें आपने लिखा है कि आपका शिकायती पत्र प्राप्त हुआ डीडवाना ए. ई. एन. के सम्बन्ध में। आपने जांच कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के पास मेरी शिकायत भेज दी गई है ताकि वह आयन्दा दूसरों से यह कहे कि यह एम. एल. ए. का खत है, उन्होंने XXXX और मंत्री महोदय के पास जाकर और कुछ नहीं करवा सके। यह उनके शब्द हैं, यहां पर ये शब्द काम में लेते हुए मुझे शर्म आती है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्त में मंत्री महोदय को यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से काम होते हैं, रिश्वत सरे आम ली जाती है, उनके एजेंट प्राइवेट जीपों में से आते हैं, मिल कर आते हैं और कहते हैं कि, कनेक्शन लेना हो तो सीधे हमारे से बात करो, ऊपर से आदेश लाने से क्या होता है।

एक छोटे से काश्तकार का मामला था। हमने यह निर्णय लिया है बीस-सूत्री कार्यक्रम के तहत कि जिसके पास में पांच एकड़ जमीन है उसको कनेक्शन दिया जाय। यह बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है। मैंने आपके पास एक छोटे काश्तकार का केस भेजा, आपने उस पर आदेश दिया। मैं पर्सनली उस आदेश को लेकर इस आशा और विश्वास के साथ कि काश्तकार को बिजली मिल जाएगी तो अच्छा होगा, वहां पर गया, लेकिन उसने उस आदेश को ताक में धर दिया, मैं नहीं मानता, आप अपनी मर्जी आए सो कर लो। उस छोटे काश्तकार को आज तक बिजली नहीं मिली। जो छोटे से छोटे काश्तकार के लिए आपके आदेशों की पालना आपके अधिकारी नहीं करें और आपकी ही ये तनख्वाह पायें, आपके विभाग में रहें और मजे से बैठे रहें, तो यह किसकी कृपा के कारण है? या तो आपका गठन इस तरह का हुआ है, या तो गठन में कहीं गलती है, या आपकी क्रियान्विति में कमी है या इस तरह से संचालक मण्डल का कोई सीक्रेट ऑर्डर है, कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शन्स हैं कि तुम तो जो सोचा है वह करते चले जाओ, हमारे पास पहुंचाते चले जाओ और ये शिकायतें तो ऐसी ही आती हैं, परम्परा-गत बात है, यह होती रहेगी, तुम अपना

XXXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाली गई।

(श्री दीपंकर)

काम करते रहो। यह नहीं होना चाहिए। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो कुछ भी चोरी रोकने के लिए आप करना चाहें करें, कोई सील तोड़ता है, कोई मीटर को उखाड़ता है आप उसका कनेक्शन काट दें, लेकिन जिस तरह की हमारी हालत है, अगर आप वहां पधारें, आप पधारे हैं मोलासर तक लेकिन डीडवाना तक आप तशरीफ लायें। हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे वहां पधारें तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ लहलहाते खेत नजर आते हैं, जगह-जगह छोटे काश्तकार और बड़े-बड़े काश्तकार बिजली लिए हुए हैं फिर भी उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जब फसल को पानी लगाने का समय होता है उसी समय कनेक्शन काट दिया जाता है ताकि जो पैदावार होने वाली होती है वह नहीं हो पाती है। महज इसलिए कनेक्शन काटे जाते हैं कि आज इसको जरूरत है तो पैसा देगा। तो इस तरह से बेशर्मी के साथ, मजबूर करके, इस तरह से मजबूरी का नाजायज लाभ लेने के लिए कनेक्शन काटते हैं। वह कोई मीटर में गड़बड़ नहीं करते, कोई चोरी नहीं करते, बिजली के बिलों का पेमेंट समय पर करते हैं लेकिन फिर भी नाजायज तरीके से कनेक्शन काटे जाते हैं तो इसकी जांच बैठानी चाहिए और जब तक जांच नहीं बैठायेंगे तब तक यह रुकने वाला नहीं है। इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं इस तरह का सही मायने में एक्शन ले पाते हैं? हम जब कोई बात कहते हैं तो आपका बड़ा अधिकारी आता है जो उनसे मिला होता है। आपको कह देता है कि यह तो इनकी आदत पड़ी हुई है। आपके जन-प्रतिनिधि जब गांवों में जाते हैं और लोग इकट्ठे होकर कह देते हैं। उसी के आधार पर ये आपको आकर कह देते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो इस तरह से वे तो सच्चे हो जाते हैं और हम असत्य हो जाते हैं। सच्चाई तो बराबर आमने-सामने जांच होने से ही सामने आ सकती है। मैं यहां पर कहना हूं, और भी कई माननीय सदस्य यहां पर कहेंगे, परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिनिमम चार्जेज के नाम पर पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, जो चोरी नहीं करते और जो चोरी करते हैं सबको बराबर कर रखा जाता है। खल-गुड़ एक भाव कर रखा है। जो चोरी करता है और जो चोरी नहीं करता है उसकी भी बिजली कटे और दोनों की साथ-साथ बिजली कट जाय और दोनों का नुकसान करवा दें। लोग-बाग इतने परेशान हो गए हैं कि वे परम्परागत काश्त करने लगे हैं। हम तो अपने बैलों से ही, कुओं से सींचेंगे जैसे पहले सींचते थे। गुस्से में आकर अपने आप अर्जी दी है, आप पता लगाइये, नागौर जिले के अन्दर जिनकी संख्या लाखों की तादाद में हो सकती है, आप चाहें तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, लोगों ने स्वत: लिखकर दे दिया है कि हमारे कनेक्शन काट दीजिये हमें बिजली नहीं चाहिए। अगर आज बिजली जैसी उपयोगी चीज के लिए, जो काश्तकार के लिए सबसे अधिक उपयोगी है खेती के लिए, इस तरह का अर्जी देने लगें कि मुझे बिजली नहीं चाहिए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है

(श्री दीपंकर)
शोचनीय ? आज बिजली का उपयोग अन्न उत्पादन में करते हैं, उद्योग-धन्धों में करते हैं, लेकिन आज सभी परेशान हैं सिवाय बड़े-बड़े उद्योग धंधे वाले या बड़े-बड़े फार्म वाले जिनको रिश्वत देना पोसाता है.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : इसलिए मैं निवेदन करूंगा.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

जहां तक आपके कनेक्शन देने का सवाल है.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं आपके आदेश की पालना करता हुआ एक दो मिनिट में ही अपनी बात कह दूंगा।

एक दो बातें और निवेदन करनी हैं। वह यह है कि आपसे सम्बन्धित जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे एक जलदाय विभाग है, बड़ी मुश्किल से माथा-फोड़ी करके आपके यहां से जल-योजना पास करवाते हैं, फिर आपके चीफ इंजानियर के पास जाते हैं, आपके टैक्निशियन से राय दिलाते हैं। आपको मंत्री महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि हमारे गांव में खारा पट्टी है जिससे आदमी कुबड़ा हो जाता है, मीठा पानी नहीं मिलता। मीठे पानी की योजना बड़ी मुश्किल से मंजूर करवाते हैं। योजना के लिए बेरे खुदे पड़े हैं और गांव में नल भी बिछा दिए जाते हैं, टंकी बन जाता है, टंकी बन कर तैयार हो जाती है और आपके विभाग में पानी विभाग ने पैसा जमा करा दिया परन्तु आपका विभाग पानी विभाग का पैसा लिए बैठा है। तीन-तीन, चार-चार साल से पैसा लिए बैठा है, जल योजना स्वीकृत है राज्य सरकार से और लोगों को मीठे पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन आपके यहां से कनेक्शन नहीं मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दूसरा निवेदन है कि पंचायतों में आपका नियम है कि पंचायत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रोड लाइट के बारे में कि प्रति लाइट ब्रेकेट्स लगाए। आप कहते हैं पंचायत को कि ब्रेकेट लगाओ। पंचायत वाले कहते हैं कि हम तो जानते नहीं हैं कि कहां ब्रेकेट बनता है और कहां लगाना है, आप ही बना दो। इस पर प्रति ब्रेकेट 25) रु. के हिसाब से रुपये ले लिए। जसवन्तगढ़, लीडी, और न मालूम कितनी ही पंचायतों के नाम गिना सकता हूं और राजस्थान में ऐसी कितनी ही पंचायतें होंगी जिनका पैसा आपके पास जमा है पर ब्रेकट्स लगे नहीं और फ्यूज उड़ जाते हैं। बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, आपका विभाग उनको बदलता नहीं है और पंचायत बदनाम रहती है। गांव वाले कहते हैं कि सरपंच निकम्मा है, लाइट नहीं जलवाता। वे कहते हैं कि साहब हमने तो लट्टू के लिए लिख दिया लेकिन ब्रेकेट नहीं लगने से बिजली का

(श्री दीपंकर)

जरा जोर का झटका लगता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। गांव वालों से इस तरह से पैसा ले लिया लेकिन लट्टू आपके विभाग वाले बदलते नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दीपंकर : समाप्त ही कर रहा हूं। मेरे गांव की दो चार बातें हैं जो निवेदन कर देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक ही बात निवेदन कर देता हूं। अभी रजत जयंती के मौके पर आपने एक निर्णय लिया। आप गांव की दूर-दूर की बातें नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। आपके पास रिपोर्ट नहीं आती इसलिए आप नहीं जानते, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि चालीस-चालीस, पचास-पचास खम्भे लगा कर एक-एक कुए को कनेक्शन दिए हैं। अभी दिये हैं मैं आपको प्राइवेट में लिस्ट पेश कर दूंगा। आपने यह समाप्त होने वाले वर्ष में दिये हैं। जो गांव नजदीक में आ गये हैं उनको छोड़ दें, यह उचित नहीं है। यह बड़ा मुश्किल होता है। रताऊ गांव को बिजली नहीं दी जा रही है। हमारे यहां पर इस गांव में बिजली जा सकती है। यह असंभव नहीं है, संभव है। परन्तु उसको बिजली नहीं दी जाती है, यह हमारा दुर्भाग्य है। आपके इरादे नेक हैं। अच्छा नीयत से आप यह बिल ला रहे हैं। मैं आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से आप मेहरबानी करके इसको देखिये और जो उपभोक्ता चोरियां करते हैं उनको दण्ड दीजिये, परन्तु साथ ही साथ आपके यहां जो रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और आपको बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, मण्डल को बदनाम करते हैं, उनके साथ भी आप सख्ती करिये। यह जनता की सरकार जनता के लिए है, उसी प्रकार यह मंडल जनता के लिए होना चाहिए। आशा है, यह अब हमारे काम आयेगा। कोई न कोई मन्त्री महोदय इसका रास्ता निकालेंगे और रिश्वत देते हैं, बदमाशी करते हैं उनको भी आप दंड देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकार बोर्ड को शक्ति प्रदान कर रही है। इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बार बार इस सदन के अन्दर बिजली विभाग के बारे में विचार प्रकट किये गये हैं और मन्त्री महोदय से

(श्री अजीतसिंह)

निवेदन किया है कि यह बोर्ड लापरवाही के साथ उपभोक्ताओं के साथ जो सख्ती बरतता है, इस विधेयक के अन्दर बोर्ड को और ज्यादा पॉवर देने के बाद वह उपभोक्ताओं के साथ और ज्यादती करेगा। मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा आज मीटर रीडर मनमानी करते हैं और ओवर-चार्जेज, मिनिमम चार्जेज घर बैठे लिख कर भेज देते हैं। मीटर रीडिंग नहीं करते हैं और इस प्रकार गरीब आदमियों की हालत खस्ता कर देते हैं। बिल को ठीक कराने के लिए भी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए इसको सुनने के लिए व्यवस्था करना चाहिये।

(12-24 म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पीठासीन)

अपील सुनने का अधिकार डिपार्टमेन्ट ही रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अपील करने के राइट्स भी आपने बोर्ड में नहीं रखे हैं। उपभोक्ताओं को उससे भी वंचित कर दिया है और कोई सुनवाई न हो, इसे मैं उचित नहीं समझता हूं। इस बिल के उद्देश्य में यह भी बताया गया है कि गवर्नमेन्ट के बजाय बोर्ड ही एग्रीमेन्ट करेगा और जो उद्योगपतियों को बिजली दी गई है पुराने एग्रीमेन्ट के अनुसार वह खत्म हो जायेगी और नये टेरिफ के अनुसार उद्योगों को बिजली दी जायेगी। इस प्रकार राज्य सरकार के पास जो शक्ति थी, उसको भी आप समाप्त कर रहे हैं और बोर्ड को दे रहे हैं। सरकार आवश्यकतानुसार जिन उद्योगों को रियायत देना उचित समझती थी, रियायत कर के बिजली दे सकती थी, वह भी शक्ति राज्य सरकार ने अपने पास नहीं रखी है। राज्य में उद्योगों के विकास के लिए यह उचित प्रतीत नहीं होता है कि यह शक्ति बोर्ड को दे दी जाये। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करेंगे और इस पर सरकार की नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि आखिर में इसकी क्या आवश्यकता पड़ गयी?

इसके अलावा, सभापति महोदय, दिन प्रतिदिन के जो हालात हैं उसकी ओर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो 'एल' फार्म वाली समस्या है यह बड़ी विकट है। छोटे-छोटे गांवों में 'एल' फार्म के बिना कनेक्शन नहीं मिलता है और यह फार्म 15) रुपये दिये बिना ठेकेदार से नहीं मिलता है। यह एक तरह से जबर्दस्ती का चार्ज है। ठेकेदार को देना पड़ता है। इससे न तो विभाग को फायदा होता है और न उपभोक्ता को फायदा होता है। इसकी तो डिपार्टमेन्ट को ही व्यवस्था कर देनी चाहिये। वह देख लें और सन्तुष्ट हो जायें तो कनेक्शन दे दें। ठेकेदार के द्वारा कनेक्शन होता है। उसको घर बैठे 15 रुपये देकर 'एल' फार्म लाना पड़ता है। यह उचित व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार को भी फायदा नहीं होता है। 'एल' फार्म वाली यह समस्या बड़ी विकट है। छोटे शहरों में कोई ट्रेन्ड ठेकेदार नहीं है और जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं वे वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए इन छोटे-छोटे शहरों/गांवों के लोगों को शहर हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है और 15 रुपये देकर वे 'एल' फार्म ले जाते हैं। यह फार्म आपके डिपार्टमेन्ट को नहीं जाती है। इसलिए

(श्री अजीतसिंह)

डिपार्टमेन्ट इसके लिए चाहे तो कोई फीस ले ले तो आपके डिपार्टमेन्ट को भी फायदा होगा और लोगों की परेशानी भी दूर होगी।

दूसरा निवेदन लट्ठों के बारे में करना चाहता हूं। एक लट्ठे का आप 750 रुपया चार्ज करते हैं। यह बहुत है। काश्तकारों के लिए बहुत ज्यादा है। उत्पादन के लिए आप बिजली दे रहे हैं तो लट्ठे को वाजिब रेट के आधार पर दें। जो इसके चार्जेज हैं वे ही रखें और मेरा तो यह निवेदन है कि आप इसको हटा कर पहले एस्टीमेट बनवा लें कि कितना खर्चा होगा और मुनाफे के लिए बोर्ड को लालायित नहीं रहना चाहिये। कोई कनेक्शन लेना चाहे तो यह जो लट्ठे का चार्जेज 750 रुपया है, वह ज्यादा है। इस पर आप विचार करेंगे, ऐसी आशा है।

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि म्युनिसिपैलिटीज एरियाज के अन्दर बोर्ड बल्ब लगाता है और ट्यूब लाइट म्युनिसिपैलिटी लगाती है। यह बल्ब की समस्या भी विकट है। कई महीनों तक आपका डिपार्टमेन्ट बल्ब नहीं लगाता है। अन्धेरा रहता है। तो यह बल्ब का काम भी म्युनिसिपैलिटी को दे दें। आपका डिपार्टमेन्ट लगाता है परन्तु टाइम पर बल्ब की सप्लाई नहीं होता है। इसलिए ट्यूब लाइट और बल्ब की व्यवस्था एक ही के जिम्मे हो तो उचित होगा। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं चन्द शब्दों में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ कम्पनीज को, इन्डस्ट्रीज को खास तौर से, स्पेशल टैरिफ और कुछ विशेष छूट राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से पहले जो इकरारनामा किया गया था, उसके अन्तर्गत दी गयी थी। उसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम हुआ और उसके अन्दर आपस में विवाद चला कि इन रेट्स से ज्यादा पैसा हो – राज्य सरकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मार्फत ज्यादा पैसा इनसे लेना चाहती थी, क्योंकि बोर्ड घाटे में जा रहा है। इस पर्पज के लिए आप यह संशोधन यहां पर लाये हैं ताकि उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है, उसकी रेट बढ़ाई जा सके।

सभापति महोदय, बिजली खास तौर से प्रोडक्शन के लिए हैं चाहे वह कृषि का प्रोडक्शन हो, चाहे वह औद्योगिक प्रोडक्शन हो, उसके बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। समाजवादी दृष्टिकोण से हम को दोनों किस्म के उत्पादन को बढ़ाना है–चाहे वह कृषि का उत्पादन हो, चाहे वह इन्डस्ट्रीज का उत्पादन हो। सभापति महोदय, अभी तक जैसा कि होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, इस बात को इस संशोधन से कोई गारन्टी नहीं है कि सेठों के साथ जो इन्डस्ट्रीज कायम करके उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ में कुछ बर्ताव हो और हमारे साथ वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कुछ दूसरे प्रकार का बर्ताव हो। यह सबसे

(श्री मोहरसिंह)

पहले ग्राब्जेक्शन की चीज है ? आगे के लिए कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है इसमें देखा जाये स्पेशल टैरिफ मोनोपोलिस्ट के साथ, इन्डस्ट्रीज के साथ में नहीं होगी। एक तो यह स्पेशल चीज खास तौर से इसके अन्दर आ जानी चाहिए। अब हो क्या रहा है, जो किसान हैं, काश्तकार हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लिये 13 से 23 पैसे यूनिट आपने बढ़ा दिया है लेकिन इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए अभी वही रेट है। इसलिए आपको यह प्रावधान करना चाहिए कि आगे के लिये कोई स्पेशल टैरिफ नहीं होगा। उन सेठों और इण्डस्ट्रियलिस्टों के लिये उस चीज का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं सोशलिस्ट नजरिये के अनुसार यह कह देना चाहता हूं कि जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, काश्तकार हैं जो खेती का काम करते हैं उनके साथ न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए। उनको कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, होना तो यह चाहिए था, सभापति महोदय, लेकिन हो क्या रहा है ? उन लोगों को कदम कदम पर परेशान किया जा रहा है। उनके सामने दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। कई बार इस हाउस के अन्दर शुरू से अब तक बिजली बोर्ड के बारे कई माननीय सदस्यों ने, प्रश्नों के द्वारा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, बजट भाषण के दौरान भी इस बात को उठाया गया कि बिजली बोर्ड के द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। ट्यूब वेल्स के सम्बन्ध में उनको खास तौर से दिक्कतें पेश आ रही हैं और इस बारे में बहुत कुछ कहा भी गया। सभापति महोदय, किसान का एक ऐसा तबका है, ऐसा गरीब तबका है जो हमेशा अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है लेकिन उसके पास नहरों का साधन नहीं है। वह गरीब समझता है कि ट्यूब वेल्स के अन्दर उसको बिजली मिल जायगी तो उत्पादन बढ़ जायगा। लेकिन, सभापति महोदय, शुरू से अब तक यह देखा गया है कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। सौ कुओं का औसत निकाल कर अगर देखा जाय, मैंने हरियाणा का भी देखा है, हमसे वह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने सौ कुओं का औसत निकाल कर देखा तो पता लगा कि सौ कुओं में से 25 केवल फायदे में हैं, उनको दाल रोटी मिल रही है लेकिन वह भी कुछ बचा नहीं सकते। कहीं पर 17 हाथ पर पानी है, कहीं पर 40 हाथ पर, कहीं पर 35 हाथ पर बड़ी मुश्किल से सिंचाई होती है लेकिन फिर भी वे दाल रोटी खाकर कुछ बचाने की स्थिति में हैं। पचास कुए ऐसे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं और 25 बाकी के डेफिसिट में जा रहे हैं। यह आप सर्वे करवा लीजिये चाहे शेखावाटी का इलाका हो, चाहे चूरू का इलाका हो, चाहे बाड़मेर का इलाका हो। वह बेचारा इसलिए करता है क्योंकि उसको काश्तकारी करनी है। वह आपसे बिजली लेना चाहता है इसलिये कि वह उत्पादन बढ़ाना चाहता है। हम यह मानते हैं कि सोना किस काम का जो कपड़ा फाड़े। इसी तरह से वह ट्यूब वैल किस काम का जो किसान को घाटे में रखे। लेकिन उस बेचारे को काश्त करनी है, चूंकि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए उसको परेशान होकर कुआ खुदवाना पड़ता है। लेकिन

(श्री मोहरसिंह)

इसमें भी उसके सामने रोजाना दिक्कतें आनी रहती हैं। अब जाकर मन्त्री महोदय ने बार बार कहने के बाद भी यह कहा है कि फसल के समय में बिजली नहीं काटी जायगी। यह भी उन्होंने उस समय कहा जब कि उन पर चारों ओर से दबाव आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रास्ते पर आ जाय यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। कल ही मेरे को किसानों ने बताया कि (विघ्न) आप लोग बातें बाद में कर लीजिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहरसिंह : तो इस तरह से जो बिजली की चोरी कर रहे हैं मीटर से, उन पर जुर्माना किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किसान की लाइबिलिटी है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मुंशीलालजी महावर ने दावत दी है, इसलिए हाउस प्रसन्न मुद्रा में है, उनके लिए मुझे जेल में भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा।

श्री मोहरसिंह : ठीक है दावत दी है, आप जीम आना। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसानों से यह कहा जाय कि तुमने बिजली की चोरी की है, तुम जुर्माना भरो। और बिजली बोर्ड का जो अहलकार है, उस पर क्या कोई लाइबिलिटी नहीं है? उसने उसका क्यों नहीं चेकिंग किया? उस पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है और बेचारे किसान को कहा जाता है कि लाइये 6,000 रुपये, उनके 2,300 रुपयों के और 4265 रुपयों के बिल आते हैं। कल ही यहां नजदीक के किसान आये थे और कह रहे थे कि अभी हमने 1,500 रुपये की बिजली बरती और तीन साल पहले 2300 रुपये की यह फर्क रहा इसलिए इसको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार जब बरसात अच्छी हुई तो 1,500 रुपये का बिजली ही काम में आई, इसमें उनका क्या कसूर है, तीन साल पहले 2,300/- की थी। इस पर उनको कहा जाता कि यह जो बैलेन्स है यह आपको देना पड़ेगा। यह भी कोई न्याय है कि तीन साल पहले 3,500 की थी और इस साल बरसात अच्छी होने से 15 सौ का ही हुई तो 15 सौ और ज्यादा का बिल आ जाय। यह तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कोई समाजवादी तरीका नहीं है। यह तो एक तरह की सामन्तवादी व्यवस्था है जो दुबारा आ रही है। उनको कहते हैं कि इतना तो देना ही पड़ेगा। यह तो पूंजीवाद से भी आगे बढ़ गये और नारा लगाते हैं समाजवाद का। देना ही पड़ेगा और उस पर तुर्रा यह कि इसकी कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते। इस तरह से आप किसान को किस तरह से इन भूखे भेड़ियों के सहारे छोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनको कहते हैं कि अपील भी नहीं कर सकते। श्रीमान्‌जी यह सारी का सारी व्यवस्था आप इस बिल में लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे तो किसान को परेशानी ही होगी। जो आगे बढ़ना चाहता है और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, ट्यूब वैल्स के द्वारा पैदावार का बढ़ाना चाहता है इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं उनको आपको मिटाने की कोशिश

(श्री मोहरसिंह)

करना चाहिए जिससे किसान का मन उत्पादन बढ़ाने में लगे, आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको परेशान करते हैं, आखिर आपके जो विभाग के कार्यकर्ता हैं, वे भी तो नौकरी करते हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, उनकी भी लाइबिलिटी है कि वह भी मीटर को ठीक रखें, उनको भी पाबन्द किया जाना चाहिए तभी जाकर किसान आगे बढ़ सकता है और आपका जो ट्यूब वैल लगाने का मकसद है वह पूरा हो सकता है तभी जाकर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। उसके जरिये से किसान को भी लाभ हो और किसान की जिन्दगी का स्टेण्डर्ड है वह भी ऊंचा बढ़े।

अब तक इस प्रकार की गलत कार्यवाही आपके बोर्ड की तरफ से हो रही है। ऐसी गलत कार्यवाही होती रहेगी और किसान को दबाते रहेंगे तो नतीजा यह होगा कि दाने-दाने को परेशान होकर वह घाटे ही घाटे में चलता जायगा और वह ट्यूब वैल को निकालने की बात करेगा। मैंने निवेदन किया था, शेखावाटी के अन्दर और दूसरे इलाकों के अन्दर कुओं के अन्दर से पाइप बाहर निकालना और डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुओं से सिंचाई करके जो कुछ अनाज के दाने पैदा होंगे उनको खा लेंगे लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह लोग रिश्वत देते देते थक गये हैं। हर तरह से परेशान हो गये हैं। कहां तक एक एक बोरी, एक एक क्विन्टल, रिश्वत में दे। कहां से अगर दुबारा कनेक्शन लेना हो, तो रिश्वत दें। कहां तक वह रिश्वत का चुकारा करें। इस तरह परेशान हैं। इसलिए यह आपका बिल है, इसके अन्दर सही ढंग से प्रावधान होना चाहिये ताकि किसान के ऊपर कम से कम लाइबिलिटी हो। उसको मेहनत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए, श्रीमान जी, वह आपका बिल है, अगर बोर्ड की पोजीशन घाटे की है, तो उनकी पूर्ति की जाय और पूर्ति करने के लिए जो गलत एग्रीमेंट हो गये थे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगा दें, लेकिन जहां तक किसान का प्रश्न है, उनको जो आप बिजली देते हैं, उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि उनके ऊपर पहले ही काफी बढ़ा चुके हैं, अब और बढ़ा रहे हैं। तो, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान जरूर लायें जिससे किसान खेती की तरक्की करे और जो एवरेज चार्जेज वगैरह की दिक्कत पैदा होती है, वह पूरी तरह से मिट सके।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया:—

"विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः एक सप्ताह /एक माह में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)"

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी!

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, यह जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1976 अमेंडमेंट के साथ प्रस्तुत हो

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रहा है, इसके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। सभापति महोदय, सेक्शन 49 के बाद 49ए इन्सर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और मजबूत, सक्षम और शक्तिशाली बनाया जाय यह अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि बिजली के राज्य में दो बड़े कन्ज्यूमर है। एक तो इन्डस्ट्री वाले और दूसरे कृषि वाले। एग्रीकल्चर चाहे इन्डस्ट्री में नहीं है, लेकिन यह नहीं भूल सकते कि यह इन्डस्ट्री से कम नहीं है। हमारे देश की सारी इकॉनॉमी इस पर ही बेस्ड, निर्भर है। जिस साल प्रोडक्शन घट जाता है, बिजली कम हो जाती है तो सारे देश की इकॉनॉमी बिगड़ जाती है—यह मान कर चलना पड़ेगा। देहातों में दूर दराज छोटे-छोटे काश्तकार, छोटे-छोटे कन्ज्यूमर हैं, उनको आप भूलें नहीं, उनको नजर से ओझल नहीं करें। इसके लिए मैं दो चार बातें निवेदन करना चाहता था जो कन्ज्यूमर बिजली कन्ज्यूम करते हैं उसके लिए एक फ्लाइंग स्क्वॉड बनाया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड देहातों में जाता है चोरी पकड़ता है अच्छी बात है। चाहे काश्तकार हो, चाहे कारखाने वाला हो, बिजली की चोरी करता है तो चोरी अपराध है, उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जुर्माने के साथ जेल की सजा हो तो कोई बात नहीं। पर उसके साथ-साथ मौजूदा गलतियों को नहीं भूल जाना चाहिए जिनसे काश्तकार परेशान होता है। काश्तकार इस बात के लिए तैयार है कि उनके कनेक्शन काट दिये जायं, बशर्ते कि डीजल, क्रूड आॅइल सस्ता हो, जिससे अपना सिचाई का काम चला सके और प्रोडक्शन बनाये रख सकें। मेरा निवेदन है कि मेरे पास कुछ उद्योगपतियों के नाम हैं, ऐसे उद्योगपतियों की जानकारी है जिनमें करोड़ों रुपया बकाया है। जिनमें रुपया बकाया है उनमें से कइयों के खिलाफ कोर्ट केसेज भी हैं। उसमें कोई दिक्कत हो—ऐसी बात नहीं है। मैं नाम बता सकता हूं जिनमें कोर्ट केस भी नहीं और करोड़ों बकाया हैं। एक केस है 11 हजार का, जिसमें बोर्ड ने आॅर्डर दे दिया लेकिन जे. ई. एन. (J.E.N.) एक्जीक्यूट नहीं कर रहा है इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। यह 1968 से बिल पेंडिंग है। इसी प्रकार कोटा एस. पी. सी. आई. में करोड़ों की धनराशि बाकी है। बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट है उसमें 30 लाख रुपये का बिल बकाया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोरसपोंडेंस जारी है। लगता है आपकी हमदर्दी है, इसलिए प्रोत्साहन देते हैं और बिल नहीं लेते हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर देहात में एक महीने का काश्तकार पर बिल बाकी हो जाता है तो जब फसल कटने को होती है, फसल पकने को होती है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। यह सोच कर कि काश्तकार को नुकसान होगा तो वह बिल का भुगतान करेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि इन्डस्ट्री का जब प्रोडक्शन टॉप पर है और उसमें बिल बकाया है तो उसको धमकी दी जाय कि क्योंकि बकाया पैसा नहीं दिया है इसलिए कनेक्शन काटा जायेगा। क्योंकि इन्डस्ट्री वाले आपसे लोन लेते हैं और सरकार का दिया लोन होता है इसलिए शायद आप घबरा जाते है। महीनों-महीनों बिल का भुगतान

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं होता फिर भी नहीं सोचते हैं कि कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाय। उनमें वर्षों के बिल बाकी हैं, 1964-65 1965-66, यहां तक कि ऐसे उद्योगपति भी हैं कि जिस दिन से कनेक्शन लगा है, उसके बाद उन्होंने एक महीने का भी भुगतान नहीं किया है। मैं माननीय मन्त्री का बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं, उन्होंने अनाउन्समेंट किया था हाउस में कि आयन्दा फसल के दौरान काश्तकार के कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे। यह बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी काश्तकार में पहले का बकाया है तो ए. ई. एन., जे. ई. एन. के लिए क्या आवश्यक है कि काश्त बोने के बाद वह बिल देता है, एवरेज बिल भी निकालकर देता है ऑडिट ऑब्जेक्शन का बिल होता है वह भी निकाल दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि कनेक्शन काट दिया जायगा। मेरा निवेदन है कि काश्तकार जब बीज डालता है खेत में उसके पहले नोटिस दिया जाना तो ठीक है कि तुम काश्त मत करो, तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। इस गलती को सुधारना चाहिए। खेत में बीज डालने से लेकर जब तक फसल नहीं कट जाती है तब तक किसी प्रकार का नोटिस सर्व नहीं किया जाना चाहिए जिससे काश्तकार को यह महसूस नहीं हो कि कनेक्शन काट दिया जायगा।

इसके साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी को-ऑर्डिनेशन नहीं है, एग्रीकल्चर विभाग में और बिजली विभाग में कोआर्डीनेशन नहीं होने से बिजली बोर्ड का एग्रीकल्चर के साथ में सामन्जस्य पैदा नहीं होता अतः सारी स्थिति खराब हो जाती है। इसके लिए एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी है जिले में, पर उसकी बैठक नहीं होती है। होनी तो चाहिए सब डिवीजन लेवल पर। जिलाधीश से मैंने निवेदन करके 20 दिसम्बर को रियां में मीटिंग बुलाई ग्रामीण क्षेत्र में जिससे कि अधिक से अधिक कन्ज्यूमर इकट्ठे होकर अपनी दिक्कत बता सकें और ऑफिसर सुन सकें। आपको ताज्जुब होगा सुन कर, उसमें जो कुछ हुआ, जो दिक्कतें सामने लायी गई, उनमें कुछ नहीं हुआ। जब कि सारी बात सही थी और बिजली अफसरों ने हां भरी थी। आपको सुन कर आश्चर्य होगा। श्री शिवलाल सुपुत्र रामलाल को 1554) रु. का बिल दिया गया। उस बिल का भुगतान समय पर कर दिया, 20 रोज के बाद उतने ही रुपये का उसी माह का बिल उसको फिर दे दिया गया। वहां रियां में 20 तारीख को जब मीटिंग हुई कलेक्टर की अध्यक्षता में, तब वह आदमी मौजूद था। उसने बताया कि उसे दुबारा बिल दे दिया है। तीन बार कार्यालय के चक्कर काट आया हूं लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जिस बिल का भुगतान कर दिया है उसका दुबारा भुगतान करने के लिए प्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं, दो नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। यह कहां का न्याय है, बिल का पैसा दे दिया, वह पेमेंटशुदा दिखाने को तैयार है। तीन बार चक्कर काट आया है। तीन रोज आने जाने के लगते हैं। उसके बाद भी कोई अधिकारी सुनने को व मानने को तैयार नहीं। एक्स. ई. एन. को यह सब बयान

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कर दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पांच छः रोज में निपटारा हो जायगा। लेकिन अभी तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। यह एक एक्जाम्पल है। इस तरह के न जाने कितने केसेज हैं। यह मान कर चलिये, आप, मन्त्री जी, यह कोई एक ही इलाके की दिक्कत नहीं है। बोर्ड के छोटे बड़े आॅफिसरों की मैं नहीं कहता कि वह जानबूझ कर करवाते होंगे, लेकिन यह वस्तु स्थिति है जिसमें से काश्तकार गुजर रहा है। उसकी परिस्थितियां ऐसी दयनीय है, दिक्कत ऐसी है कि काश्तकार यह सोच नहीं सकता, क्या करना चाहिए उसे? कनेक्शन को कटवा देना चाहिये, या नुमाइन्दे की मार्फत जाकर सरकार के दरवाजे खटखटाने चाहियें, या एक्स.ई.एन. का जाकर सिर फोड़े? डीडवाना में लड़ाई हुई थी। यह सही मानिये, लड़ाई करने में कोई खुश नहीं है, उसको पता है कि लड़ाई का नतीजा अच्छा नहीं होगा लेकिन जब सिर पर मौत डोलती है और आमदनी नहीं होने वाली है, बच्चे भूखे मरने वाले हैं तो क्या करे, हो सकता है जोश में गलत कदम भी उठ जाय। बजाय इसके कि सही स्थिति को समझें और सम्भालें और दूसरा रास्ता निकाले उनको सुना जाय, समझाया जाय तो सब मान जायेंगे ग्रामीण लोग आदतन ऐसे आदमी हैं। उनकी दिक्कतों को नजर अन्दाज करना अच्छी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति बार बार सदन में आती है, इस पर विचार-विमर्श होता है, डिमाण्ड पर होता है, प्रश्न काल पर होता है, बिल पेश हो, अमेंडमेंट हो—हर बार इस पर विचार करते हैं। यह निश्चित तौर पर बड़ी समस्या है, जिसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए विचार करने के लिए चाहे प्रवर समिति बने, चाहे कोई समिति जिला लेवल पर बने, सब-डिवीजनल लेवल पर बने-वहां विचार करके यह छोटी मोटी दिक्कतें हैं, वह ठीक की जायं।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। ए. ई. एन. से मैंने कहा, मेरे इलाके के बहुत से लोगों ने उनसे कहा कुए पर कनेक्शन देने के लिए एक मात्र खम्भा लगाना था। आश्वासन दिया कि काश्त कर लो दे देंगे। बीज डाल दिया फिर भी कनेक्शन नहीं मिला। उसके अगेन्स्ट में नागौर जिले में कनेक्शन देने के लिए 32 खम्भे लगा दिए गए। एक गांव में 32 खम्भे लगाए। रिकार्ड पर 23 दिखाये हालाकि आॅफीशियल इन्क्वायरी नहीं हुई लेकिन सरसरी जांच में लिखा गया है 31 खम्भे और उसमें एक खम्भा शॉर्ट पड़ता था तो बीच में एक खेजड़ी लगा दी। बीज डालने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिला। जो आदमी किसी तरह से ए. ई. एन. या जे. ई. एन. को खुश कर सकता है या प्रेशराइज कर सकता है, उसके लिए 30-35 खम्भे लगाकर बिजली का कनेक्शन दे दिया। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उसका बिजली बराबर नहीं आती, पॉवर बराबर नहीं आती, फ्लक्चुएट करता है। संदेह इसलिए है कि ए. ई. एन. ने जिस आदमी का कनेक्शन लगाया है उसको वोल्टेज नहीं मिला तो 10 हॉर्स पॉवर के बजाय 50 हॉर्स पॉवर का ट्रांसफार्मर लगा दिया ताकि उनको दिक्कत न हो। मैं किस किस का नाम बताऊं। मैंने मन्त्री जी को एक पत्र

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

भी भेजा था। एक जगह 100 हॉर्स-पॉवर का ट्रांसफार्मर लगाया है जिसमें से 20 एच. पी. कन्जयूम होता है बाकी ट्रांसफार्मर बेकार पड़ा है। या तो जिसकी मांग है उसको दीजिए नहीं तो ट्रांसफार्मर उठा लें। ट्रांसफार्मर सामने पड़ा है, कन्जयूमर बिजली मांगता है, गुंजाइश है, उसके बाद भी ए. ई. एन. या एक्स. ई. एन. नहीं सुनता है तो क्या किया जाय? हम महसूस करते हैं कि इसमें विद्युत् मंडल के अधिकारियों का या सरकार का कोई दोष नहीं है लेकिन वह कर्मचारी दोषी है जो इस बात का ध्यान नहीं रखता है। तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है। क्यों नहीं उसको सस्पेंड करते हैं ताकि वह शिकायत के नाम से ही घबराए और उसका दिल थर्राए कि अगर मेरी शिकायत हुई तो घर जाना पड़ेगा? लेकिन आपके अधिकारी ठहाका लगा कर हंसते हैं, उल्टे मजाक करते हैं। वह भी एक माननीय सदस्य के साथ मजाक करें जैसा कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे तो फिर साधारण आदमी पर क्या गुजरता होगी?

मीटर रीडिंग के लिए बिना जाये, घर बैठे ही लिख देते हैं कि 'ताला बन्द' है। इस प्रकार की आम हरकत लाइनमैन करता रहा है। यहां पर बाढ़ आई, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ जिलों में मोटर सहित कुए डूब गए। ए. ई. एन. ने नोटिस भेज दिया कि आपका कनेक्शन क्यों नहीं काट दिया जाए क्योंकि ताला आपका बराबर बन्द रहता है। वहां पर 40 फीट पानी भरा हुआ है कुए पर और ट्रांसफार्मर उठाकर दूसरी जगह यूज किया और अब कुए के लिए उसको लिखने में शर्म आती है कि पानी भर गया है। कुआ पानी में डूब जाता है लेकिन वह लिखता है कि ताला बन्द है। इस तरह झूठी बातें लिखते हैं। इस प्रकार से जनता को और सरकार को उल्लू बनाते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, बिल्स हैं। पिछले साल बाढ़ आई, सब लोग जानते हैं। बाढ़ में जब कुआं चला ही नहीं तो फिर बिल क्यों? और ऊपर से मिनिमम चार्जेज लगाये। यह क्यों? समझ में नहीं आता मिनिमम चार्जेज देने के बाद में कौनसा ऐसा एवरेज बिल होता है? जिस आदमी ने कुआ नहीं चलाया जिसका कुआ बंद पड़ा है रेवेन्यू रेकार्ड में एन्ट्री नहीं है और उसको बिल भेज दिया कि तुम्हारा एवरेज बिल इतने का बनता है। एवरेज बिल का तरीका आप देखें। वह अगर अलग से बनाकर भेजते हैं तो काश्तकार कहां अपील करेगा? इसलिए एवरेज बिल भेजते हैं चालू महिने के साथ में। अगर वह जमा नहीं कराता है तो कनेक्शन काट देते हैं। अगर कराता है तो यह मानकर चलता है कि यह रुपया गया। कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। होशियार नहीं हैं। हर बात का लेकर जन प्रतिनिधि या मंत्री का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।

तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको जिस तौर से चाहें लें, चाहे जानकारी के बतौर लें लेकिन कुछ न कुछ कमेटी बनाकर, ऐसी बातें न दोहराई जाए, ऐसी व्यवस्था करें। अगर बिजली बोर्ड घाटे में जाता है तो बिजली की दरें बढ़ाई हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हमारे कृषि उत्पादन की कीमत आज 105) है वह वापिस 200) हो जाए। हमको नुकसान होने वाला है, उससे फिर मुनाफा हो, कोई नाराजगी नहीं है लेकिन जो कुछ आप देना चाहते हैं, जो आश्वासन दिया है कि इतनी बिजली देंगे उतनी तो दें। आप कनेक्शन देते है, मिनीमम चार्जेज के लिए बॉन्ड लिखवाते हैं। जब बिजली में कटौती हो जाती है और 24 घन्टे में केवल 4 या 6 घन्टे मिलती है तो मिनिमम चार्जेज में कटौती क्यों नहीं होती ? 24 घन्टे में 100 बीघा पर काश्त कर सकता है जब कि 6 घन्टों में 100 बीघा में काश्त नहीं करेगा, 30-40 बीघों में करेगा। ऐसी हालत में आप मिनीमम चार्जेज लेते हैं तो पेमेंट तो किसान करेगा ही लेकिन आप बाध्य हैं, जब आपने बिजली में कटौती की है तो ऑटोमेटीकली आप मिनिमम चार्जेज में कटौती करें। इसलिए इस बात पर विचार करें कि जब बिजली की कटौती करना आवश्यक हो तो मिनिमम चार्जेज पेमेंट में भी कटौती की जाए।

दूसरी बात, आप जब बिजली में कटौती करते हैं तो उपभोक्ता को नोटिस काफी पहले भेजें। आपके अधिकारी अचानक स्विच ऑन या ऑफ कर देते हैं। कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दें। शहर में कोई लाइन ऑफ करनी होती है, किसी इलाके में बिजली नहीं मिलने वाली होती है तो सभी अखबारों में सूचना देते हैं कि फलां जगह बिजली बन्द रहेगी और उनको पता रहता है कि आज हमारे एरिया की बिजली नहीं आएगी। जो किसान देश के लिए उत्पादन करता है, वह क्या उस मोहल्ले वाले से कम से कम है जिसको अखबार के जरिये सूचना देते हैं। क्या सूचना भेजने में ए. ई. एन. को शर्म आती है या वह बाध्य नहीं है ? मैंने किसानों से बात की है वे सहमत हैं बिजली कम दें कोई बात नहीं लेकिन जितनी बिजली आप देते हैं किस समय आप देना चाहते हैं, उसकी सूचना मिले व वॉल्टेज बराबर हों,

जहां तक वॉल्टेज का सवाल है, आपका लाइनमैन गड़बड़ी करता है। मैंने एक्स. ई. एन. से कहा तो उसने कहा कि उनका यूनियन बनी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि वह गड़बड़ी कर रहे हैं फिर भी हम मजबूर हैं। अगर आप के लाइनमैन के सामने एक्स. ई. एन. चुप है क्योंकि उनकी यूनियन बनी हुई है तो वहां एक्स. ई. एन. को रखने से क्या फायदा ? हमारे लिए लाइनमैन कलेक्टर से बड़ा है। जब मर्जी आए तो 3 फेज को 2 फेज कर दिया। आप विद्युत मंडल को सक्षम बनायें तो आपकी धारणाओं में भी परिवर्तन करें। सभापति महोदय, आप जो बिल लाये हैं इसमें चाहे आप धारायें बदलें इस पर तो हमें कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि जो कन्ज्यूमर देहात में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और छोटे मोटे काश्तकार हैं उनको समय पर बिजली मिलती रहनी चाहिये। इसमें जो आज छोटी-मोटी गड़बड़ियां हो रही हैं, और जो मिनिमम पेनेल्टी वगैरह की दिक्कतें पैदा की हैं वह दिक्कतें उन गरीब काश्तकारों को नहीं होनी चाहियें। हम तो यह चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा और सस्ती और समय पर जितनी भी बिजली दे सकते हैं दें और इसके

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लिये काश्तकार को निश्चितता होनी चाहिये कि उसको इतनी बिजली तो मिलेगी ही। आप यह बता दें कि कितनी बिजली देना चाहते हैं ताकि उतनी बिजली मिल जाने से हमारे यहां का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जिससे हमारे यहां की इकॉनॉमी बेलेन्स हो सकेगी। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में इलेक्ट्रिसिटी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया गया है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जो एक बहुचर्चित इश्यू हमारे यहां पर काफी समय से चला आ रहा था, उसको समाप्त करने के लिये वे एक मजबूत विधेयक सदन में लाये हैं।

(1.02 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इस बिल के जरिये जो हाईपॉवर टेंशन कन्ज्यूमर्स हैं, जो रूलर्स हैं उनको जो पहले कन्सेशन्स दिये गये थे वे सभी कन्सेशन्स इस बिल के जरिये राज्य सरकार ने विथड्रॉ कर लिये हैं और इस बिल के जरिये स्पेशल कन्सेशन्स समाप्त होने के साथ-साथ हमारे समाज के अन्दर जो स्पेशल कन्सीडिरेशन इन बड़े लोगों को दिया गया था अब समाप्त हो जायेगा। इसीलिये मैं मन्त्री महोदय को एक बार और बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज करना चाहूंगा कि आपको इस बिल के लाने के बाद में अपने बिजली विभाग के मानस को भी एक स्ट्राम लाइन में लाना पड़ेगा। आज जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की स्थिति है उसमें अभी भी उन बड़े-बड़े हाई पॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स को आपने वही की वही फेसीलिटीज बाकायदा दे रखी हैं। इसके लिये मैं सदन के माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, तारीख 31-3-73 तक इन लोगों में 714.87 लाख रुपये की बकाया है और उसमें आपने मेरे ख्याल से कोई वसूली भी नहीं की होगी। सभापति महोदय, केवल हाईपॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स में अकेले एक आदमी में 244.03 लाख रुपये बकाया हैं। और टोटल हाईपॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स में आपके 338.35 लाख रुपये की बकाया आज दिन तक निकल रही हैं। इसके अलावा आपके जो पुराने रूलर्स हैं उनके अन्दर भी आपके 10.76 करोड़ रुपये बकाया निकल रहे हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज जहां तक मेरे पास जानकारी है इन बड़े-बड़े दिग्गजों से तो कुछ भी वसूल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आप बेचारे छोटे-छोटे किसानों के ऊपर फ्लाईंग स्क्वाड छोड़ते हैं, चैकिंग करवाते हैं और फिर आप उन लोगों के ऊपर बिजली की चोरी के केसेज चलाते हैं। आपने करीब 2 हजार किसानों पर केसेज बनाये हैं बिजली की चोरी करने के। लेकिन आपके इन हाई पॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स ने इतने सालों में कितनी चोरी की हैं उनके खिलाफ कोई केसेज नहीं बनाये हैं। इसके अलावा आपने 259 लोगों के बिजली के कनेक्शन्स भी काटे

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है और 43 लोगों के चालान भी आपने कराये हैं। इन केसेज में आपके यहां पर 6 लाख 68 हजार 84 यूनिट की चोरी हुई यानि की आपने 14 लाख 26 हजार रुपये की चोरी पकड़ी है। जब कि इन हाइ-पॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स के यहां आपने जो चोरी पकड़ी है उनके खिलाफ में आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। यह जो 28 हाई पॉवर टेन्शन कन्ज्यूमर्स हैं जिनके यहां पर आपने एक पर भी रेड किया है और जहां एक जगह आपने बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में रेड किया है वहां पर, सभापति महोदय, 6 लाख 61 हजार यूनिट की चोरी पकड़ी गयी थी, लेकिन आपने उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। आपने उनका चालान नहीं किया और न ही उनके यहां का बिजली का कनेक्शन ही काटा। इसके अलावा और भी जैसे प्रीमियर वेजीटेबल के मालिक के यहां पर बिजली की चोरी पकड़ी गयी पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह से, सभापति महोदय, एक नहीं बल्कि 18 केसेज हैं, यह आपके कैप्सटन मीटर्स वाले हैं तथा श्री रामनारायण ब्रादर्स अलवर वाले, प्रीमियर एण्ड वेजीटेबल ऑयल मिल, जयपुर ऑयल मिल, जे. एम. ऑयल मिल्स, साहू जैन मिल्स कोटा, कोल्ड स्टोरेज, ओरियेन्टल पॉवर केबल्स कोटा यह जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन्स हैं। इनका तो आपने चालान नहीं किया, लेकिन बेचारे 43 छोटे किसानों का आपने चालान किया। जब कि वहां पर साढ़े तीन हॉर्स पॉवर्स या पांच हॉर्स पॉवर्स का मोटरें चलती हैं और अगर कहीं ज्यादा से ज्यादा मोटरें चलती हैं वह भी 10 हॉर्स पॉवर्स की मोटरें किसी की चलती है। तो यह सभी मोटरें रोते रोते चलती हैं। आपने इन लोगों को हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाने का गौरव प्राप्त किया है और लोगों में बताया है कि हमने चैकिंग की है। लेकिन आप उन लोगों की चैकिंग नहीं करते हैं, बिरला कन्सर्न्स की, कैप्सटन मीटर्स की, और प्रीमियर ऑईल वेजीटेबल्स की जहां पर घी के ड्रम्स पकड़े गये थे और फिर वह केस आपके कलेक्टर के पास गया उन्होंने चालान पेश करने के आदेश दिये लेकिन बाद में उन केसेज का क्या हुआ यह पता नहीं। वह ऊपर जाकर गायब हो गये। इन बड़े-बड़े कन्सर्न्स में हजारों यूनिट की चोरियां होती हैं और पकड़ी भी जाती हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों से वसूली करने जा रहे हैं और इस विभाग को स्ट्रीम लाइन देना चाहते हैं तो इन लोगों के बारे में काफी सदन में चर्चा भी हो चुकी है, आज इन लोगों की वजह से काफी असन्तोष है और उसका कारण है कि आपने गरीब लोगों के कनेक्शन काट दिये पर इन बड़े लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

सभापति महोदय, इससे भी बड़ा असन्तोष का कारण यह है कि इस विभाग से फर्जी बिजली के बिल दिये जाते हैं। सिर्फ अपने-अपने चार्जेज का टार्गेट पूरा करने के लिये आपने मिनिमम चार्जेज का नया फार्मूला बनाया है। आज जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कह रहे हैं तो 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

करने में यह एडजस्ट नहीं होता है क्योंकि मिनिमम चार्जेज को आपका क्या जस्टिफिकेशन है ? मिनिमम चार्जेज का जस्टिफिकेशन हमेशा वाटर लेवल से होना चाहिये। यह क्या कि सभी बराबर हैं चाहे कहीं पर पांच फीट गड्ढा खोदो और आपको पानी मिल जाय, कहीं पर आज 10 फीट गड्ढा खोदो और आप को पानी मिल जाय। जहां पर वाटर लॉगिंग ऊपर है वहां तो डेढ़ हार्स पावर की मोटर ही ठीक है, वहां थोड़ी बिजली खर्च होती है; लेकिन राजस्थान के उस हिस्से में जा कि हमारा सहारा डेजर्ट की तरह है बड़ा भारी रेगिस्तान का इलाका है पूरा ही ऐरिड जोन है जिसके लिये आपने ऐरिड जोन बोर्ड बनाया है जहां वाटर लॉगिंग 500 फीट के नीचे है वहां पर आप चाहे 25 हॉर्स पॉवर की मोटर चला लें पर पानी आने में काफी समय लग जाता है। वहां पर और जहां पर पांच या दस हॉर्स पॉवर की मोटरें चलती हैं आपने सभी के लिये पैसे बराबर लगा दिये हैं। तो यह तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आखिर वहां पर 25 हॉर्स पॉवर की मोटर की एनर्जी की यूटिलिटी क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने इस दृष्टिकोण को बदलें और इस प्रकार की नीति अपनावें कि जिससे काश्तकार को बिजली का खर्च कम लगे। इसके अलावा जो लोग अधिक एफोर्ड कर सकते हैं उन पर ज्यादा चार्जेज लगने चाहियें, लेकिन जो लोग ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन पर ज्यादा चार्जेज सरकार के कन्टेंशन और समाजवाद के नारे के कन्टेंशन के अनुसार नहीं हो सकते हैं। जो इलैक्ट्रिसिटी कम पैसे देकर ज्यादा कन्ज्यूम करते हैं उन पर अधिक रेट्स नहीं और जो कम इन्र्जी कन्ज्यूम करते हैं उनसे अधिक रेट्स पर अधिक रेट्स चार्ज करें इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं माननीय मन्त्री महोदय की दलील को जस्टिफाई नहीं मान सकता हूं। हाई टेन्शन कन्ज्यूमर्स हैं, 66 के. वी. के सब स्टेशन्स है, हो सकता है प्रॉन पॉइन्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कम पड़ती होगी, लेकिन राजस्थान की भूमि को देखते हुए, कल्टीवेटर्स का प्रोत्साहन देने के लिए उनकी प्राइसेज को कम रखिए। माननाय मन्त्री महोदय को यह देखना पड़ेगा कि कितना बैलेन्स लेकर चलते हैं। उसका कोई बैलेन्स, प्रपोर्शन होना चाहिये। सारे इनपुट्स किसानों को देते हैं उनको कॉस्टली कर रहे हैं। इन्फलेशन आपने कम किया 4 पर्सेन्ट सारे देश का। एक दिन आप यह कह देते है कि इन्फ्लेशन सारी दुनिया के देशों में होने वाली एक प्रक्रिया है और उससे अपना देश भी अछूता नहीं रहने वाला है। हम अग्रणी हैं आज दुनियां भर में इस इन्फ्लेशन का कम करने में। एक सिर्फ कॉटन टैक्सटाइल को छोड़कर, दूसरे जितने प्रोडक्शन हैं, चाहे शूगर हो, इनपुट्स में फर्टीलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बिजली और पानी-60 पर्सेन्ट कॉस्ट इनपुट्स की हो जाती है। मन्त्री महोदय ने प्राइसेज बढ़ाकर छोटे से छोटे तालाब पर सिंचाई रेट्स बढ़ाकर वाटर के इनपुट्स की रेट को भी रेज कर दिया है। 60 पर्सेन्ट इनपुट्स रेज हो गए हैं तो छोटे छोटे कुओं से छोटी छोटी कृषि

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

करने वाले लोग हैं, जो बहुत गहराई के कुओं से पानी निकालने वाले लोग हैं। वे क्या करेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अन्त में बिल का स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि आप सख्ती से वसूली करें चाहे रूलर्स में बकाया हो, चाहे हाई-टेन्शन कन्ज्यूमर्स में हो। 90-90 पर्सेन्ट लोन भरतराम चरतराम को दिया है। तीन पैसे पर बिजली दे रखी है। लाखों रुपयों की बकाया इनमें होती है। सारी शक्ति आपने वसूल करने के लिए अपने पास ले ली है। कुछ माननीय सदस्य गलत समझ गए हैं। जिनके प्रिविलेज थे, उनके प्रिविलेजेज और राइट्स खत्म हो गए। उनसे आप वसूली करेंगे और अपनी इकॉनोमी को दृढ करेंगे। सारा की सारी पूंजीवादी व्यवस्था है लूट किसानों से हो रही है। इनपुट्स रेज होते जा रहे हैं और प्रोडक्शन रेट्स नीचे गिरती जा रही हैं। बिजली एक इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है। उसको भी रिवाइज करने के लिए सारे बैलेन्स को मेन्टेन करके चलेंगे।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम यादव !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापति जी, हमारे सदन में लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि हमारे राज्य में कुछ लोग बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे बहुत बड़े लोग हैं। बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनको बहुत सस्ती बिजली दी गई है। यह बात लम्बे अर्से से चल रही है। अच्छा हुआ कि यह आपके ध्यान में आया कि इसको ठीक करना है।

माननीय सभापति जी, वे इस प्रकार के लोग हैं जिनको 3 पैसे, पांच पैसे, और 7 पैसे यूनिट से बिजली दी जा रही है। वे देश के धनी लोग हैं जो इस रेट पर बिजली ले रहे हैं। वे ताकतवर हैं और उनके ऊपर करोडों रुपया बोर्ड का बकाया चला आ रहा है। उनसे कम पैसे लेते हैं और फिर कम पैसे लेने के बाद भी बकाया को वसूल करने की क्षमता भी सरकार ने नहीं दिखाई है। पैसे वालों से कम से कम जो पैसा लेना है वह तो सख्ती से वसूल कर लें और इस बोर्ड को बचायें।

माननीय सभापति महोदय, आवाज सदन में उठाने के बाद और अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बाद जो लोग इस तरह से प्रिविलेज पाकर प्रिविलेज्ड क्लास बनकर, आम जनता का जो टैक्स अधिक देने पड़ रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन लोगों को सस्ती बिजली दी

(श्री केशरीमल)

जा रही है और आम जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। उनको बिजली सस्ती मिल रही है और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। हमारे ऊपर भार बने हुये हैं ऐसे केपिटेलिस्ट्स का बराबर साथ देते आ रहे हैं। यह कानून का रूप है। निश्चित रूप से अदालत में जायें तो पुराने फैसलों को तोड़ने की बात कही जाती है, एग्रीमेन्ट्स को तोड़ने की बात कही जाती है। यह बात उनके पक्ष में गई है न एग्रीमेन्ट्स बदले जा सकते हैं और उन लोगों को ऐसे हा सहूलियतें मिलेंगी। यह हमारे कानून और अदालतें जो इस तरह की बात करती हैं यह इस बात की द्योतक हैं कि देश में कानूनी तौर पर राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है पूंजीवादी व्यवस्था है। देश के पूंजीपति हम सब का शोषण करके खुद मोटे बनते जा रहे हैं। हमारे राज्य में सरकार ने उनको संरक्षण दिया है। बड़ा फर्क करके रखा है। आपके कारखाने को 6 पैसे यूनिट में बिजली मिलेगी टैक्सटाइल का हो या सीमेन्ट का हो। दूसरों को 19 पैसे में मिलेगी। जिनको महंगी बिजली दी जा रही है उन्हीं से वे कम्पीटीशन करते हैं। दोनों तरफ से गरीबों पर मार पड़ती है। अब सरकार ने यह ठीक कदम उठाया है। देर आयद दुरुस्त आयद। इसको ठीक करना चाहिये था। इस तरह से यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है यह स्वागत काबिल है। लेकिन इस अमेन्डमेन्ट के लाने के बाद क्या हम यह समझकर चलें कि एक तो ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें अब उनको विशेष फायदा नहीं दिया जायेगा ? मैं अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है लेकिन अब कम से कम व्यवस्था इस प्रकार की हो कि इसमें ऐसा न हो कि फिर उनको छूट दे दी जाये। रेट जरूर बढ़ा दी जाये लेकिन एक कारखानेदार और दूसरे कारखानेदार में फर्क नहीं रखा जाये। अगर ऐसा किया गया तो फिर वही असमानता रहेगी और हमारे बोर्ड को नुकसान रहेगा और फिर उसकी पूर्ति के लिए हम पर टैक्स ज्यादा लगेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी यह मौका है कि जब आप दुरुस्ती करने लगे हैं तो इस तरह की दुरुस्ती हो कि इन लोगों को अब और मौका नहीं मिल जाये। अब इनको और फायदा मत दीजिए। यह अमेन्डमेन्ट जो होने जा रहा है इसके लिए मैंने कहा है कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं।

मेरा एक निवेदन और करना है, माननीय सभापति महोदय, बोर्ड के तौर तरीकों के बारे में। जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा। मैं बोर्ड के अधिकारियों से और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा है कि बड़ी चोरियां हो रही हैं तो निश्चित तौर पर चोरियों के करने कराने में आप किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरायें या जिम्मेदारी दीजिए कि जिस जे. ई. एन. के इलाके में चोरियां हो रही हैं, जिसमें चोरी हो तो वह भी जिम्मेदार होगा। यह मजदूर और कर्मचारियों के खिलाफ तो कहा जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह अधिकारी लोग बिजली की चोरी करवाने में खुद शामिल होते हैं। इसलिए यह जिम्मेदार होने चाहिए कि जिस जिस इलाके में और जिस कारखाने

Page No 66

(66)

(श्री केशरीमल)

में चोरी पकड़ी जाएगी तो वहां के जे. ई. एन. या ए. ई. एन. इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसा होगा तो चोरी में निश्चित तौर पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, कनेक्शन्स देने में बहुत बड़ी कोताई और ढिलाई है बहुत पैसा खाने के बाद कनेक्शन मिलता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह निवेदन करना चहता हूं कि कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और अभी सदस्यों ने कहा कि मजदूर चोरी करते हैं और चोरी कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर न तो चोरी करते हैं और न चोरी करवाते ही हैं। चोरी तो अधिकारी लोग करते हैं। अगर वह चाहें तो चोरी कहीं नहीं हो। फिर भी यदि चोरी होती है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी को निकालना चाहिए और इसका हम समर्थन करेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जिससे उनको लगे कि बोर्ड हमारे साथ है। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी लोग जो जान से काम करते हैं और अपनी जान जोखम में डालकर काम करते हैं। मैंने, सभापति महोदय, कर्मचारियों को मरते देखा है, तड़पते देखा है और दुर्घटनाओं को देखा है। वह अपनी जान को जोखम में डालकर काम करते हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं कि दुश्मनी के कारण किस प्रकार से अधिकारियों ने मजदूरों को खतरे में डाल दिया है और वह मरे हैं। लेकिन कर्मचारियों के साथ बोर्ड क्या करता है? आज उनके फिक्सेशन के मामले वर्षों से अटके पड़े हैं, लेकिन उनका फिक्सेशन नहीं हो रहा है। वह फिक्सेशन के लिए लगातार कहते हैं लेकिन नहीं होता। फिक्सेशन कमेटी इसलिए होती है कि उसमें खुलकर पक्षपात हो। अगर एक यूनियन के पदाधिकारी को फिक्सेशन कमेटी में ले लिया तो वह निश्चित रूप से एक ही यूनियन के आदमी का पक्ष करेगा और दूसरों के साथ अन्याय करेगा। माननीय सभापति महोदय, वैसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं लेकिन एक दृष्टान्त मैं आपको देता हूं। एक श्री करनाट यूनियन के सेक्रेटरी थे, जो कि वर्षों से इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट में काम करते थे, लेकिन क्योंकि वह लाल झण्डे का सेक्रेटरी है उसका फिक्सेशन आज तक नहीं हुआ और जो उसके सामने हैल्पर रहा था वह आज इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ग्रेड हो गया। उसका फिक्सेशन वर्षों से नहीं किया गया। मैंने इसके लिए कोर्ट में कार्यवाही की। कोर्ट ने फैसला दिया कि इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है। माननीय सभापति, इस संबंध में बोर्ड को बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बोर्ड ने जवाब तक नही दिया। बोर्ड आखिर क्या कदम उठाना चाहता है? उस अन्याय को दूर नहीं किया जा रहा है। आज कर्मचारियों से आप काम लेना चाहते हैं। कर्मचारियों को आप कहना चाहते हैं कि आप इसके हिस्सेदार हैं। कर्मचारियों से आप यह भी मदद लेना चाहते हैं कि काम ज्यादा से ज्यादा हो और हम कहते हैं कि निश्चित तौर पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं हम उनके अन्दर जी जान लगाकर

(श्री केशरीमल)
प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, वह सरमायेदार फिर भी अच्छे हैं, लेकिन जो राजकीय सरमायेदार हैं वह बिलकुल निकृष्ट साबित हुए हैं।

सभापति महोदय, मैंने उदाहरण पेश किया। एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि तीन आदमियों को इसलिए निकाल दिया गया कि उनके ऊपर इलजाम लगाया गया कि स्टेपनी चोरी चली गयी। इस बिना पर उनको काम से हटा दिया गया। हमने कहा कि चोरी गयी है किसी और कारण से। अब हमसे मत पूछिये कि किस कारण से गयी और कहां बिकी। लेकिन उन मजदूरों को उन्होंने सस्पेण्ड किया। पुलिस से ठुकाई करवाई और कुछ नहीं मिला तो काम से उनको हटा दिया। हमने इसके लिए बोर्ड को कहा, बोर्ड ने नहीं माना। हम अदालत में गये और अदालत से फैसला हो गया कि इन आदमियों को हटाना गलत है। उनको काम पर लेना चाहिए और उनको वेतन देना चाहिए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, फैसला होने के बाद और बोर्ड और मंत्री महोदय से मिलने के बाद कोई अमलदरामद हो यह तो दूर रहा लेकिन कहा यह गया कि इमर्जेन्सी है, मिलकर काम करना चाहिए। उसकी अपील बोर्ड ने हाई कोर्ट में नहीं की और अदालत के फैसले को मान्यता नहीं दी। अदालत के हुक्म को ठुकराने का काम कोई पूंजीपति नहीं करता, लेकिन यह राज्य का पूंजीपति बोर्ड कर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी समाप्त करता हूं।

इस तरह से यह तरीका ठीक नहीं है मजदूरों से काम लेने का। इसी तरह से जो दूसरे डिपार्टमैंट हैं उनमें भी फिक्सेशन से मामले इसी प्रकार से लटके हुए हैं। उनका फैसला नहीं हो रहा है और कई ऐसे लोग हैं जिनको वर्षों काम करते हो गए, उनको हटायेंगे फिर वापिस रखेंगे और फिर वापिस हटायेंगे। ऐसे 6-6 महीने के तरीके को जो अपनाया है वह ठीक नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके को बदलना चाहिए, और उनको काम पर लेना चाहिए। जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उनको स्थाई करना चाहिए और फिक्सेशन के मामले जल्दी से निपटाने चाहिए। यह मेरा निवेदन करना है इस संबंध में।

मैं अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई कुए ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बिजली लगी हुई है लेकिन उनमें आपस में झगड़ा हो गया। दो तीन भाईयों ने मिलकर बिजली लगाई, उनमें आपस में विवाद हो गया। एक भाई बिजली देता नहीं है। दूसरे भाई ने कहा कि मैं भी इस पर बिजली लगाना चाहता हूं। बोर्ड कहता है कि तुमको इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं इजाजत मिलेगी तो ? उन्होंने कहा कि एक जमाने में न जाने कैसे तुमको कनेक्शन मिल गया। यह एरिया इलैक्ट्रिफाइड नहीं है। एक कुए पर बिजली लगी हुई है. दूसरा आदमी लेना चाहता है लेकिन उस को परमिशन नहीं देते हैं।

मैं तो मेरा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे घर का बिजली का बिल भी कभी कभी आता है। अगर दस रुपये माहवार आता है तो कभी 50-60 रुपये का

(श्री केशरीमल)
आयेगा। जाकर इन्जीनियर को कहता हूं तो यह कहता है कि यह तो जमा कर दो। मैंने जमा करा दिया। उसको लिखकर दिया कि यह क्या माजरा है ? क्यों इतना पैसा आया और कैसे इसको दुरुस्त करेंगे ? मैंने कहा कि आप दिल देख लें और जो एवरेज बनता है वह ले लें। माननीय सभापति महोदय, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि पहले पैसे जमा करा दो। कोई सुनने वाला नहीं है ? जब मैं अपनी बात कहता हूं तो ऐसे पचासों उदाहरण दिए जा सकते है। मेरे साथ यह होता है तो जिनके कुए के कनेक्शन की बात है उनके साथ का क्या होगा। रिश्वत के मामले के तो आपको पचासों ऐसे सबूत दिलाए जा सकते हैं लेकिन होशियारी से लेते हैं। तमाम ठेकेदारों के मार्फत लेते हैं। यह कनेक्शन का पैसा, यह एडवांस का पैसा और इतना कनेक्शन के ऊपर पैसा, यह सब होता है, इसको देखना चाहिए।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): सभापति महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिक सप्लाई (अमेंडमेंट) बिल आज हमारे सामने विचारार्थ सदन में पेश हुआ है। इस सम्बन्ध में खास तौर पर दो बातें कही जा रही हैं। एक बात तो यह है कि सदन के सभी सदस्य इस बिल का स्वागत करते हैं क्योंकि यह अच्छा कदम है और इसके साथ ही साथ सभी सदस्यों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिपार्टमेंट के कार्यों की आलोचना की है। मुझे याद है एक रोज पहले भी सदन में चर्चा आई थी एक क्वेश्चन को लेकर और सदन के सभी सदस्य बड़े एजीटेटेड थे कि इस विभाग में बड़ी गड़बड़ है और यहां काम सुचारु रूप से नहीं होता है। मैं नम्रता से यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन के सभी सदस्य सब ओर से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस विभाग का कार्य ठीक तरह से नहीं चलता है, गड़बड़ है, करप्शन की शिकायतें हैं तो सरकार को और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, दोनों को, इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शायद सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में करप्शन की शिकायत थी। करप्शन सब जगह है लेकिन यह बिजली की शिकायत गांव गांव में आई हुई है और कई तरह की शिकायतें हैं। पॉवर कनेक्शन देने की शिकायतें हैं, कनेक्शन जिस तरह से दिये जाते हैं उनमें आमतौर से करप्शन की शिकायत है। मेरी जानकारी में भी जो बात आई किसी हद तक वह शिकायत सही है। इसके बाद दूसरी शिकायत बिजली सप्लाई की है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि कई महीनों से अलवर के इलाके के लोग इस बात से परेशान रहे और गांव के लोगों ने आकर सब जगह शिकायत की, लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया, मेरे इलाके के लोगों ने और सारे जिले के लोगों ने इस बात की शिकायत की कि बिजली नहीं मिलती टाइम पर और फसल सूख रही है। जो बिजली मिलती है थोड़ा बहुत देर के लिए वह भी रात को मिलती है और जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। किसी भी किसान को उसकी फसल के लायक तो बिजली टाइम पर मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि सर्दी के मौसम में रात

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को बिजली मिलती है, वह भी रात को 12 बजे के बाद और वह भी थोड़ी देर के लिए और वह भी ऐसी कि मशीनें चलती नहीं। यह बात तो वास्तव में बड़ी दुखपूर्ण है। किसानों ने मुझे बड़ा परेशान किया। मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा, कलेक्टर साहब से कहा, कि सब लोग परेशान हो रहे हैं, फसल का मौका है, इस वक्त जब कि फसल को ज्यादा पानी चाहिए उस वक्त गड़बड़ आ रही है। यह शिकायत आमतौर पर किसान कर रहे थे जिस प्रकार कि एक बच्चा जिद्द पर आ जाता है और रोने लगता है कि मैं तो यह खिलौना लूंगा। जैसे एक किस्सा इस बारे में मशहूर है कि उस बच्चे को ऊपर बिठा दिया, आले के अन्दर बिठा दिया और बच्चा डरते डरते कांपने लगा। वह खिलौना तो भूल गया लेकिन चाहता है कि किसी तरह से नीचे उतार दें। इसी तरह से मार्च के महीने में क्या हुआ कि मिनिमम चार्जेज के नाम से जो किसानों सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये देते थे, उनके पांच सात हजार का बिल आ गया। सब जगह भाग-दौड़ मच गई, मेरे पास भी आए। वहां होली की छुट्टियों में सब लोग भागते फिरे। आम किसान के सामने यही बात थी कि हम छः महीने से शिकायत कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, टाइम पर बिजली नहीं मिलता है तो फिर मिनिमम चार्जेज लेने का क्या अधिकार है? बिजली तो हर समय किसान के काम में नहीं आती। किसान तो फसल के काम में ही बिजली को लेता है और फसल के टाइम पर शिकायत रहती है कि बिजली सप्लाई नहीं करते। जब बिजली की सप्लाई नहीं होती, बिजली कंज्यूम नहीं कर पाते तो मिनिमम चार्जेज लेने का क्या मतलब है? मिनिमम चार्जेज तो इसलिए हैं कि इतनी बिजली कंज्यूम करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो साल भर का एवरेज लेकर मिनिमम चार्जेज लेंगे। लेकिन जब आप बिजली सप्लाई ही नहीं करते तो मिनिमम चार्जेज किस बात के? मैंने एक बार तो टाल दिया कि एक्स. ई. एन. साहब से जा कर समझ लो। लोगों के पांच छः हजार रुपये के बिल आ गए। तो इस तरह की बात हुई। तो यह बात तो सही है कि आप बिजली न दें, किसान परेशान रहें और जब चार्जेज का सवाल आए तो आप साल भर का पांच छः हजार का बिल दे दें जब कि बिजली कंज्यूम नहीं की। अगर बिजली सप्लाई करते तो भी एक बात थी। किसानों की शिकायत सही थी। तो जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि बिजली सप्लाई नहीं करते और मिनिमम चार्ज कर रहे हैं यह बात तो उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं। मुझे एक बात याद है, 55-56 में जब सबसे पहले यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सारे हिन्दुस्तान में बने तो उस समय भारत सरकार की ओर से मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें इस विभाग का मंत्री होने के कारण मैं भी गया था। हर एक स्टेट के मिनिस्टर उसमें गए थे। उस समय पी. डब्ल्यू. डी. और इलेक्ट्रिसिटी एक ही विभाग में थे और मैं भी पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर था और उस नाते शामिल हुआ था। उस समय सारी स्टेटों ने, सभी ने इस बात की शंका की कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना देंगे तो इस तरह से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
यह ठीक है कि आपकी स्वीकृतियों में, सेंक्शन्स मे, बिल पास कराने में इफेक्टिव हो जावें, लेकिन जनता की जहां तक बात है, पॉवर सप्लाई की जहां तक बात है, उसके मैनेजमेंट की बात है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आप को सुझाव देना चाहता हूं कि अभी यह सारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने जो बिजली सप्लाई का काम रखा है और बीस सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई की जावे ताकि वे प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और कल कारखाने मशीनें जहां भी जरूरत है बिजली के कनेक्शन बढ़ा कर सप्लाई ठीक की जाएगी। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमने बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए, इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तर कमेटी बनाई हुई है जो इस सारी कार्यवाही को देखता है उसमें बिजली का काम भी है। मेरा सुझाव है कि उसमें एक सब-कमेटी बना दी जाय और सब कमेटी इन सारा बातों को देखे। वैसे भी वह एडवाइजरी कमेटी है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहां पर लोग अपनी बात कह सकते हैं। जो बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी है उसकी मीटिंग होती है महीने दो महीने में तब जाकर उसमें वे अपनी बात रखें इसलिए एक परमानेंट सब-कमेटी बना देनी चाहिए जो इस बात को देखे कि बिजली के काम में किसी तरह की शिकायत या कोई गड़बड़ सप्लाई में या डिस्ट्रिब्यूशन में तो नहीं हैं। वह परमानेंट सब-कमेटी बना देने से इस विभाग की व्यवस्था ठीक हो सकेगी। उसमें मिनिस्टर भी जाते हैं, अपने जिले के मिनिस्टर साहब भी जायेंगे तो उनके सामने भी वे सारी बातें आ जायेंगी। अभी यह बात चल रही है कि हम तो तहसील लेवल पर कमेटी बनायें लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजली के काम को देखने के लिए एक सब-कमेटी परमानेंटली बना दी जाय ताकि यह सब शिकायतें दूर हो सकें। आज पॉवर सब को चाहिए। बड़ा इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट है यहां किसी जमाने में तो बिजली मिलती नहीं थी लेकिन आज हरएक को बिजली मिलती है, हरएक को बिजली चाहिए, हरएक को कनेक्शन चाहिए तो जो इस विभाग में गड़बड़ है, शिकायतें ज्यादा हैं और हर किसान को बिजली चाहिए, हर लेवल पर बिजली चाहिए तो उसकी देख रेख के लिए इसके मैनेजमेंट का डि-सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो जिला कमेटियां आपने बनाई हैं उसमें आप एक एक सब-कमेटी परमानेंटली बना दें। यही मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : श्री भोमाराम चौधरी !

श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, जो बिजली का अमेंडमेंट एक्ट सदन के सामने आया है उसके विषय में कुछ मैं मेरे इलाके की समस्याएं है वह मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे इलाके में जो बिजली की समस्याएं हैं उनमें सबसे पहली समस्या यह है कि मीटरों की गड़बड़ रहती है। जो एवरेज चार्जेज के लिये यह कहा जाता है, एवरेज चार्जेज लगाये जाते हैं

(श्री भोमाराम चौधरी)

बिजली की चोरी की जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की कोई चोरी नहीं होती है। रुपये में एक पैसा तो मैं सोच सकता हूं कि चोरी होती होगी, लेकिन जितना हमारे यहां अनुमान होता है उतनी चोरी नहीं होती है। होता क्या कि कंज्यूमर अगर रिपोर्ट करता है कि मेरा मीटर खराब है तो यह रिपोर्ट ए. ई. एन. ऑफिस को जाती है। ए.ई.एन. ऑफिस से जवाब मिलता है, हमारे पास मीटर नहीं है, मीटर होने पर आपको लगा दिए जायेंगे और चार, छः महीने तक कन्जूमर आता जाता रहता है, मीटर नहीं लगाया जाता है। उसके बाद एवरेज चार्ज लिया जाता है। दूसरे आपके जो मीटर लगाये जाते हैं वे ज्यादा चलते हैं हालांकि मीटर की स्पीड एक घण्टे में 7 से 9 यूनिट होनी चाहिये लेकिन जो आपके मीटर हैं वे एक घण्टे में 25 यूनिट और कहीं पर 40 यूनिट निकालते हैं। इसके लिए कन्ज्यूमर जाकर कहता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने खुद जाकर के कहा है कि मेरा मीटर खराब है। तीन कुओं का कनेक्शन मेरे नाम से है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मीटर खराब हैं। मैंने रिपोर्ट की ए. ई. एन. को उसने कहा आपके मीटर लगा देंगे। साल भर तक ऐसे ही चलता रहा। ए. ई. एन. को मैं खुद लेकर गया और उसने जाकर चेक किया कोई गड़बड़ नहीं मिली, सीलें सही मिली हैं और उन्होंने कहा एवरेज लगा कर भेज देंगे। सभापति महोदय, आज तक उस फाइल का पता नहीं है। उस फाइल का फैसला नहीं होता है इसका कारण यह है कि एम. एल. ए. का फैसला कर दिया तो आगे घोंचा डालेगा इसलिए इसको दबा रखो। यह तो मेरे स्वयं का हाल है। छोटे कन्मज्यूर का तो कौन सुनेगा ? मेरे ट्यूब वैल के कनेक्शन की बात है। बिल के लिए मैं बराबर कहता रहा कि बिल दो ढाई साल बाद मुझे मिला, ज्यादा हो गया तो कहां से चुकाऊंगा। अब मुझे बिल मिला है और वह बिल 13 पैसा यूनिट की बजाय 23 पैसे यूनिट का है। मैंने उन्हें बताया तो कहा, गलती हो गई। उस ए. ई. एन. का ट्रान्सफर हो गया और दूसरा ए. ई. एन. आ गया। मैंने उनसे भी कहा कि इसको ठीक करो। किन्तु वह मुझे झांसा देते रहे, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। आपको इसी वर्ष की फरवरी तक बता रहा हूं कि आपके डिपार्टमेन्ट में किस तरह बहुत जोरों से काम हो रहा है, इस बिल के 900 रुपये भरे। उसके बाद मार्च के बिल के 1900) रुपये की गड़बड़ हो रही है यह एक साथ भरे हैं। गरीब आदमी कहां से भरेगा। तास बीघा की खेती जो गेहूं का करता है साल भर में उसको एक एकड़ पर 345 रुपये का सालाना प्रॉफिट होता है। उसकी सारी मशीनरी मजदूरी काट कर के 345 रुपये सालाना जब उसको बचते हैं वह कैसे इतने बिलों का एक साथ पेमेन्ट कर सकता है। वह एक मुश्त पेमेन्ट नहीं कर सकता है। अगर नहीं भरेगा तो बिजली काट देंगे और यहां पर मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि कनेक्शन इसलिए काटते हैं कन्ज्यूमर फसल पकने के बाद हमारे पास नहीं आता है। वह बाद में नहीं आता है यह आप ही नहीं कह रहे हैं, आपके चीफ इन्जीनियर, चेयरमैन,

Page No 72

(72)

(श्री भोमाराम चौधरी)

सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर, एक्स. ई. एन., ए ई.एन. सभी कहते हैं, गरज होती है तो कन्ज्यूमर हमारे पास आता है और फिर नहीं आयेंगे। गरज से मतलब है। परन्तु 1900 रुपयों का बिल एक साथ कैसे चुका सकते हैं। एम. एल. ए. का कनेक्शन काटते हैं तो कहेंगे कि देखो बिजली का चोर है। बिजली के बिल का पैसा नहीं चुकाता है। यह हालत तो मेरी है। आप चाहेंगे तो यह बिल आपके समक्ष पेश कर दूंगा।

दूसरी बात, सभापति महोदय, यह है कि आज किसान केवल खेत में गेहूं ही नहीं बोता है। खेती के बाद, फसल लेने के बाद वह प्याज, मिर्च और साग सब्जी भी पैदा करता है, परन्तु उस समय आपके ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं। पीछे-पीछे फिरते हैं, परन्तु ट्रान्सफार्मर ठीक नहीं होते हैं। लास्ट ईयर की बात है। मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे इलाके में 13 ट्रान्सफार्मर जल गये और किसानों की खड़ी फसल प्याज, मिर्च की सारी बर्बाद हो गई। मैंने जाकर पूछा तो बताया कि ट्रान्सफार्मर का तो प्रबन्ध हो गया है लेकिन गाड़ी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी दी तब जाकर ट्रान्सफार्मर लगे हैं। पैट्रोल पम्प का बिल मेरे पास है। इस तरह से काश्तकारों को परेशानी होती है। गाड़ी नहीं है। आपके डिपार्टमेन्ट की गाड़ी चाय बिस्कुट लाने के लिए है। गाड़ी फिरती रहती है, कोका कोला नहीं है तो उसको लेने के लिए आपकी गाड़ी जाती है परन्तु कन्ज्यूमर का मीटर या ट्रान्सफार्मर खराब हो जावे तो उसके लिए आपके विभाग के पास गाड़ी नहीं रहती है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपका डिपार्टमेन्ट इतनी तेजी से चल रहा है कि वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इमर्जेन्सी लगी तब हमारे दिमाग में यह बात आयी थी अब तो काम काज ठीक चलेगा, इस साल तो हम पनपेंगे, भाव घट गये तो कोई बात नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में भाव घटे हैं, हम अकेले काश्तकार नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन भाव घटने के साथ साथ इस बिजली डिपार्टमेंट ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। आपके यहां से चैकिंग पार्टी गई। उस इन्जीनियर से मैं मिला हूं। उन्होंने कहा 7 केस पकड़ लिये हैं। हमने कहा हमारे इलाके में जितने भी चोरी के केस हैं उनको पकड़ लीजिये और कनेक्शन काट दीजिये। तो उन्होंने बताया कि गरीब आदमी है। उनके तन पर कपड़ा नहीं। हमें बड़ी दया आ रही है बाद में सोचेंगे, परन्तु बाद में कनेक्शन लगाने के लिए एक एक हजार रुपये क्यों अब जाकर के दिसम्बर में लगे हैं। फसल कटने पर यह ए. ई. एन. को दिये? थोड़ी देर बाद कन्ज्यूमर आता है और कहता है कि हमारा कनेक्शन गलत काटा गया है। मैं उनसे बुरी तरह से लड़ रहा हूं, तुम चोर हो लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक 1,400 रुपये भर दिये हैं, यह रसीद है उसके बावजूद हमारे कनेक्शन काट दिये गये हैं। तो मैं सोचता हूं कि यह कितना अन्याय है? फिर मैं माथुर साहब से मिलता हूं। वे समझदार आदमी थे। मैंने कहा आप कनेक्शन काट रहे हैं, कम से कम पहले कन्ज्यूमर की फाइल तो देखिये

(श्री भोमाराम चौधरी)

कि उसने कितना पेमेन्ट कर दिया है। जिन्होंने 500 भरे हैं उनके कनेक्शन काट दीजिये, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने 1000/1400/रुपये भरे हैं उनके कनेक्शन क्यों काट रहे हैं? उन्होंने देखा और ठीक किया। उन्होंने सारी फाइलें देखी और उससे कई काश्तकारों का भला हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

उन्होंने ए.ई.एन. को कहा कि यह तुमने क्या ऊधम मचा रखा है। कन्ज्युमर से एवरेज चार्ज कर रहे हो। यहां तक बात हुई। यह जो आपका एवरेज है, वह गलत लगा देते हैं। कम से कम मीटर रीडिंग हो, वह ठीक हो और मीटर टाइम पर चैक हो। ट्रान्सफार्मर जल जाये तो उसको समय पर लगायें। हमें कोई आपत्ति नहीं, मन्त्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 20 पैसे की बजाय चाहे तीस पैसे ले लीजिये, लेकिन हमारे काश्तकार अपना बिल दे दें और अपने घर आ जायें, ऐसी व्यवस्था कर दीजिये। पीछे से कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिये। हमारे से आप चाहे 35 पैसे ले लीजिये लेकिन इन मनहूसों से हमारा पीछा छुड़वाइये।

सभापति महादय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि मैं पंचायत समिति डीडवाना में व जिला परिषद् नागौर की मीटिंग में गया जब जोधपुर में भी मीटिंग हुई और यह कहा गया था कि अब आपको कोई न्यू कनेक्शन्स देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जो पहले से कनेक्शन्स हैं उनको भी पूरा वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। यह आप देख सकते हैं, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी आपने कनेक्शन्स दिये हैं और कनेक्शन देने चाहिएं हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनको कनेक्शन देते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपने कनेक्शन दिये किसको हैं, भोमाराम को, पेमाराम को या कुम्भाराम को जो कि बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनको आपने कनेक्शन्स दिये हैं, इसकी आप जांच करवा सकते हैं। मैं आपको साबित करके बता सकता हूं, आपने जितने भी कनेक्शन दिये हैं, वे सब गलत-सलत कनेक्शन दिये हैं। मैंने जोधपुर के अन्दर मीटिंग में भी कहा था कि आपकी 31 लाइनें जो हैं वे अनजस्टिफाइड हैं, 16 जो आपके ट्रान्सफार्मर्स हैं ओवरलोड चलते हैं उनको आप कम से कम ठीक कराने के लिये हुक्म फर्मावें, दस खम्भों से 43 खम्भों तक के लिये। आपने जो भी कनेक्शन दिये हैं वे सब अनजस्टिफाइड हैं। सभापति महोदय, हमको आश्वासन भी दिया और शायद चीफ इन्जिनियर साहब बैठे थे उनको कहा भी कि इनका काम कर दीजिये। इनके सामने यह भी कहा था, मैंने कहा था कि डीडवाना तहसील में कोई बकाया हो तो मेरी गाड़ी से चल कर, मेरा पेट्रोल बालकर मैं पैसा दिलवाऊंगा। हां, अगर कोई चोरी करता है तो आप कनेक्शन काट दीजिये और उसको आप मत दीजिये मुझे इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। कोई लेना-देना नहीं और लास्ट ईयर ठोका-पीटी भी हुई था।

(श्री भोमाराम चौधरी)

जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति भीख के लिये हाथ जोड़ता है, मैंने आपको सात दिन तक हाथ जोड़े लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने चीफ इन्जिनियर को भी कहा, एक्स. ई. एन. को भी कहा, ठोका-पीटी हुई, मैंने निवेदन किया कि आप फैसला कर दीजिये, हमारी फसल बर्बाद हो जायगी। इससे उनको काफी 25 पर्सेन्ट से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इस तरह से किसानों को परेशान किया जायगा तो क्या किसान खेती करेंगे? एक काश्तकार सर्दी में रात भर खेतों में खड़ा होकर पानी देता है। सर्दी में पानी में सिवाय एक फौजी के कोई भी नहीं रह सकता, वह भी इसलिए रहता है क्योंकि उसको हुक्म मानना पड़ता है, किसान भी आधी रात तक पानी में रहता है, क्यों कि 6 बजे आपका वॉल्टेज चला जाता है। कभी हमने यह भी सोचा, हम में से कोई एक दिन भी इतनी सर्दी में इस तरह से नहीं रह सकता है। गर्मियों के मासम में भी उसको एड़ी से चोटी तक पसीना आता रहता है फिर भी वह रात दिन काम करता रहता है। इतनी कड़ी मेहनत करने वाले के साथ में इतनी ज्यादती।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, देवपुरा साहब आपके पास चुगनी गांव का एक किसान आया था, आपने उसको लिखा भी था लेकिन उसको जो जवाब दिया गया आपके अधिकारी द्वारा मैं उसको सदन में नहीं कहना चाहता। उसको रोक दिया गया, उसको कनेक्शन नहीं दिया, उसकी फसल बरबाद हो गई। आपके पास शिकायत भी आई। आपने कहा कि मैंने उससे कह दिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसको फटकार दिया है, आपके ए.ई.एन. और एक्स. ई.एन. कुछ भी नहीं सुनते हैं। इस तरह से उनके साथ व्यवहार होगा तो इससे क्या लाभ होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चाहे एक कनेक्शन दीजिये दो कनेक्शन दीजिये लेकिन जस्टिफाइड होने चाहिए नहीं तो एक लम्बी लाइन लग जायगी। आप पोस्टर लगा दीजिये, भाषण दे दीजिये इससे तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो ठोका-मारी हो जायगी, बेचारा कृषक परेशान होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की आदतें बिगड़ी हुई हैं उनको आप सुधारने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मन्त्री) : सभापति महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिक सप्लाई (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1976 जब मैंने पेश किया, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने के लिये, कुछ माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये।

सभापति महोदय, मैं यह मान कर चलता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस बिल को जब उन्होंने वहस करना प्रारंभ किया उससे पहले अवश्य इसको पढ़ा होगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मेरा बिल बहुत लिमिटेड पर्पजेज के लिये है। इस बिल के द्वारा जिन कुछ इण्डस्ट्रियलिस्टों के साथ या कुछ कन्ज्युमर्स के साथ, चाहे तत्कालीन रियासत या सरकार ने या राजस्थान सरकार ने स्पेशल टैरिफ के आधार पर कुछ एग्रीमेंट किया था और बहुत ज्यादा रियायत उनको दी गई थी, तो उसको खत्म करके उनसे नोबल टैरिफ के आधार पर चार्जेज वसूल करने का अधिकार बोर्ड अपने पास लेना चाहता है, केवल इस हद तक यह बिल सीमित है। कहीं पर कोई, जनरल अमेन्डमेन्ट पेश नहीं किया गया है जिसका असर आज के सभी, कन्ज्युमर्स पर पड़ता हो या एग्रीकल्चरिस्ट या जो कन्ज्युमर जिसका कृषि से सम्बन्ध है, बिजली का उपभोक्ता है, उन पर कोई असर पड़ता हो। इस बिल के सम्बन्ध में मैंने यह चाहा है कि इस प्रकार की जो स्पेशल टैरिफ जिन उपभोक्ताओं को दी गई थी उनको हम नोबल टैरिफ के हिसाब में लाना चाहते हैं। उनके अन्दर जो बकायात हैं जिनको सन् 1971 से एग्रीमेन्ट के आधार पर मैं मानकर चलता हूं, हॉलांकि अदालत ने उसको नहीं माना, कुछ केसेज पेन्डिग भी हैं, इस प्रकार के जो केसेज चल रहे हैं उनमें जो बकायात निकले हैं, उनको पूरा वसूल कर सकूं, वे न्यायालय की शरण में नहीं जा सकें और उसका लाभ नहीं मिल सके और दूसरी बात यह कि उनसे नोबल टैरिफ जिस केटेगरी में आते हैं उसी के आधार पर मुझे उनका पेमेन्ट मिल जाय।

बोर्ड को जो काफी रियायत एग्रीमेंट के कारण देनी पड़ रही थी, जिस एग्रीमेंट के कारण बोर्ड को नुकसान हो रहा था, उस कारण से यह विधेयक लाया गया, इसमें केवल मात्र तीन कन्ज्यूमर आते हैं जिन पर यह बिल अफेक्टिव होगा। जिनके सम्बन्ध में यह बिल लाया गया है, वह हैं मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, दूसरा है, सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी और बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट, पिलानी, तीसरा है, श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज, कोटा। इन तीनों के सम्बन्ध में यह बिल लाया गया है। तीनों के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं, जिनके बारे में सदन में चर्चा आयी और बोर्ड पर आरोप लगाया गया कि बोर्ड इनके प्रति सहानुभूति रखता है और पैसा वसूल नहीं करता है, इस कारण करोड़ों रुपया बकाया है। बोर्ड का श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज, कोटा पर 2 करोड़ 44 लाख रुपया बकाया है। ऑर्डिनेन्स निकला उसके बाद हिसाब बताऊं कि 5 करोड़ 60 लाख रुपया पड़ेगा। यह रुपया हम वसूल करना चाहते हैं, और इसको वसूल करने के लिए यह है। पिलानी के हैं मैसर्स सेन्ट्रल-इलेक्ट्रोनिक्स, इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट और बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट इनमें 54 लाख 86 हजार और 14 लाख 36 हजार रुपया बकाया निकलता है। इनसे यह बकाया वसूल करना चाहते हैं। जयपुर उद्योग में हमने काफी क्लेम कर रखा है। जयपुर उद्योग के साथ विशेष प्रकार की शर्त जयपुर रियासत ने कर रखी थी। टैरिफ में एक शर्त लगाई थी कि टैरिफ के बाद जिस किसी इंडस्ट्री को कम से कम टैरिफ दिया जायगा वही इनसे लिया जायगा। श्रीराम विनियल एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज, कोटा को तीन पैसे प्रति यूनिट

(श्री हीरालाल देवपुरा)
पर दी गई तो उन्होंने उस एग्रीमेंट के आधार पर हमसे उल्टा क्लेम किया, मेरा टैरिफ ज्यादा है, और मेरे साथ यह शर्त है इसलिए इस टैरिफ पर मुझे मिलनी चाहिए और उन्होंने करीब 15 करोड़ का क्लेम किया है। कोर्ट में मामला चल रहा है और आर्बिट्रेशन में आया है। यह पन्द्रह करोड़ की लाइबिलिटी बोर्ड पर न आये और जयपुर उद्योग भी नार्मल टैरिफ में आ जाय, उससे पूरा पैसा ले सकें और और इसका लाभ मिल सके – इस दृष्टि से इस बिल को सदन में लाया हूं। मैं यह मान कर चलता था कि इस बिल का सदन स्वागत करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है उसका स्वागत किया है। लेकिन माननीय सदस्यों ने समझा है शायद, यह बिल दूसरे कन्ज्यूमर पर लागू होगा, और हमारे यहां जा एग्रीकल्चरिस्ट हैं, काश्तकार हैं, कृषि के सम्बन्ध में जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनसे अधिकार छीन रहे हैं; जो अदालत में जाने का, अपील में जाने का हक है उस हक को समाप्त कर रहे हैं। कहीं पर भी इस बिल का उससे सम्बन्ध नहीं है, इसका किसी प्रकार के अधिकार को छीनने से सम्बन्ध नहीं है, न यह इस बिल के परव्यू में आता है, न यह बिल उन पर लागू होता है, और न उनके अधिकारों को किसी प्रकार से प्रभावित करता है। इस दृष्टि से, सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं यह मानकर चलता हूं, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, कहीं उसमें ऐसी भावना नहीं आयी जिससे मालूम हो कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित करना या प्रवर समिति के सुपुर्द करना जरूरी है। जनमत जानने का प्रश्न इसमें नहीं है, क्योंकि यह जनहित का प्रश्न है, बोर्ड के हित का प्रश्न है तो यह जनहित का भी प्रश्न है। दूसरे प्रवर समिति में भेजने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इस सदन में इन बकाया की वसूली के बारे में कई बारे कहा जा चुका है माननीय सदस्यों द्वारा। मुझे लगता था माननीय सदस्यों की भावना यह रही कि बकाया जल्दी से जल्दी वसूल की जाय। वसूली क्यों नहीं की गई–यह आज भी रेफर किया गया है। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

इस बहस के दारान माननीय सदस्यों द्वारा जनरल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, जो आम तौर पर सदन में कई बार कही गई हैं–चाहे प्रश्न उठा कर, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, मिनिमम चार्जेज के सम्बन्ध में, एवरेज बिल के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, सदन में मैं उन बातों का जवाब दे चुका हूं। कई सुझाव आये, उन सुझावों के सम्बन्ध में भी मैं सदन में कह चुका हूं। माननीय सदस्यों ने एक बात भ्रष्टाचार की कही। हम और आप भ्रष्टाचार का बात करते हैं। मैं स्वयं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अभी नहीं मिटा है भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करें उस प्रयत्न में मैंने आपके सहयोग की आकांक्षा की है, आपके सहयोग की अपेक्षा की है। अगर जनरल भ्रष्टाचार की बात होगी तो मैं मजबूर हूं, आज का कॉन्स्टीट्यूशन है उसमें मैं कार्यवाही नहीं कर सकता। लेकिन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्पेसिफिक केस भ्रष्टाचार का बतायें और, उसमें कार्यवाही नहीं हो, या सबूत होने पर सजा नहीं मिले और सदन में कोई बात कही जाय तो मैं जरूर मानूंगा कि आपने तथ्यपूर्ण बात कही है, सही लांछन लगाया है। भ्रष्टाचार, मैंने कहा, एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए आप और हम, सबको, चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, लड़ना होगा, सहयोग देकर और दिलचस्पी लेकर लड़ना होगा तब भ्रष्टाचार मिटेगा। आम तौर पर कह दें कि कनेक्शन देने के लिए हजारों रुपये लिये जाते हैं-मैं इन्कार नहीं करता हूं। मैं कह दूं कि नहीं लिये जाते हैं तो वेग बात है। मैं चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक केस दे दें और दो चार सम्बन्धित अधिकारियों को सजा मिल जाय तो मैं मानता हूं, और आप भी मानेंगे कि उसका असर पड़ेगा और हम भ्रष्टाचार को मिटाने में कामयाब हो सकेंगे। वेग बात कहने से काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात कही गई, मिनिमम चार्जेज किस तरह से लगाये हैं, किस कारण से लगाये हैं। आज कह सकता हूं कि मिनिमम चार्जेज न केवल राजस्थान में लगाये गये हैं, बल्कि हरियाणा, पंजाब और आसपास की रियासतों में लगे हुए हैं। मैंने वहां से कम्पेयर किया है कि राजस्थान के मिनिमम चार्जेज हैं वह उनसे कम हैं या ज्यादा हैं। राजस्थान के अन्दर मिनिमम चार्जेज पांच हॉर्स पावर पर 15 रुपये हैं, जब कि हरियाणा में 18 रुपये लेते हैं। यूनिट पर जितना खर्च कर रहे हैं, केपिटल एक्सपेंडिचर उसका साढ़े बारह प्रतिशत, लाइन के पहुंचाने में जो खर्चा होगा, जो भी ज्यादा होगा वह मिनिमम चार्जेज या साढ़े बारह पर्सेन्ट केपिटल एक्सपेंडिचर। यह एक्सपेंडिचर को गारन्टी किया है, जो भी खर्चा किया है उसका ब्याज साढ़े बारह पर्सेन्ट ले लेते हैं, भले ही बिजली ले या न ले, साढ़े बारह पर्सेन्ट वसूल कर लेंगे और 18 रुपये मिनिमम चार्जेज हैं। तो राजस्थान में कहां ज्यादा है हरियाणा से? उत्तर प्रदेश में भी जो हैं उससे कम राजस्थान में हैं। इसी तरह से पंजाब में है, मध्य प्रदेश में हैं।

सभापति महोदय, मिनिमम चार्जेज इस बात के नहीं हैं कि बोर्ड कोई कमाई करना चाहता है। मिनिमम चार्जेज इस बात के हैं कि जो केपिटल एक्सपेंडिचर पर्टीक्यूलर काम के लिए किया जा रहा है, केपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो बिजली आप तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रख रहे हैं चाहे काम आवे या न आवे, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि बिजली पूरी नहीं दे पा रहे हैं, इसके दूसरे कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या कमियां हैं—उन पर बैठ कर विचार किया जा सकता है और बोर्ड को सोच कर एक्शन लेना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए जिससे बिजली पूरी मिले, और मिलनी भी चाहिए। लेकिन लाइन पर जो केपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसके हिसाब से देखना है। जितना खर्च कर रहे हैं, जितना उसका इन्ट्रेस्ट लगता है उतना पैसा तो कम से कम बोर्ड को मिलना चाहिए। इस कारण से मिनिमम चार्जेज हैं, इसमें प्रॉफिटियरिंग मोटिव नहीं है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एवरेज चार्जेज के लिए पहले निवेदन किया था। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य मिनिमम चार्जेज और एवरेज चार्जेज को एक मान रहे हैं। मिनिमम चार्जेज अलग हैं और एवरेज चार्जेज अलग हैं। एवरेज चार्ज उन लोगों से लिया गया है जिन लोगों के खर्च में एकदम फॉल आया है, बिजली कन्जम्प्शन में एकदम फॉल आया है। ऑर्डिनरी नहीं बल्कि पर्टीक्यूलर काश्त में जितनी बिजली जलनी चाहिए थी गत वर्ष उसी काश्त के लिए जितनी बिजली का उपयोग किया, इस बार भी बिजली का उपयोग करते हुए भी मीटर रीडिंग से किसी तरह का फॉल आया है जब कि उतना फॉल नहीं आना चाहिए। जिस समय वाकई फॉल शुरू हुआ तो पुराने महीनों का एवरेज निकाल कर एवरेज चार्जेज निकाले। इसमें गलतियां हो सकती हैं। मैंने निवेदन किया कि इसमें जांच कराने के लिए तैयार हूं। सीनियर ऑफिसर उसकी जाकर जांच कर लेगा जो जहां जहां जिस जिस कारण से फॉल हुआ है, वह सही है तो उसमें दुरुस्ती करेगा। इसमें हमने करेन्ट मन्थ का बिल अलग किया है। करेन्ट अलग हो जायगा और वह बिल जमा हो जाता है और एवरेज चार्जेज का बिल जमा नहीं होता है तो कनेक्शन नहीं काटा जायगा। यह स्पष्ट बात कही है और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया है और उस बात को एक सप्ताह भी नहीं निकल पाया है और फिर यह चर्चा यहां होती है माननीय सदस्य कम से कम इतना समय तो दें कि हम जांच करवा कर ठीक करवा दें और उसके बाद कोई उज्र, कोई शिकायत रहती तो वह चीज यदि सामने आती तो समझ में आता कि बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है। सदन सक्षम है, हर समय अपनी बात कहने के लिए और जिन पर आपने जिम्मेदारी सौंपी है उनको जताने के लिए कि यह ठीक करना है।

सूरतगढ़ से आने माननीय सदस्य ने कहा कि जो चोरियां पकड़ी वे किसानों का पकड़ लीं, उद्योगपतियों की नहीं। हम यह नहीं कहते हैं कि चोरियां हुई। मैंने कहा अनियमिततायें बरती हैं। चोरी का मतलब है जितनी बिजली आपने कन्ज्यूम की आपका मीटर किसी कारण से वह नहीं बता रहा है या मीटर की सील टूटी हुई है उसको तोड़ा गया है, रीडिंग में गड़बड़ी की है तो वह चोरी है लेकिन जहां मीटर बिल्कुल ठीक स्थिति में है और पॉवर कन्जम्प्शन बताया है, वह चोरी नहीं है। तो ज्यादा जो उद्योगपतियों के केसेज मिले हैं उनमें मीटर्स रीडिंग दे रहे हैं, सही बता रहे हैं। सवाल इतना ही था कि हमने उन उद्योगों पर जो रेट लगाई है टैरिफ की 14, 16, 18 या 21 पैसे उसके साथ में छूट दी है 7 प्रतिशत। बिजली के प्रकाश की दृष्टि से, पंखों की दृष्टि से फैक्ट्री में, उसी रेट से उपयोग में ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बिजली उपयोग में आई है तो डोमेस्टिक कन्ज्यूमर या पॉवर कन्ज्यूमर की हैसियत से उसको रेट देनी पड़ेगी तो जो गड़बड़ियां मिली हैं उनमें 7 प्रतिशत से ज्यादा बिजली का उसी रेट पर उपयोग किया, तो यह चोरी नहीं है। हमने उनका फाइन किया, उनकी 7 प्रतिशत छूट खत्म की और जितना भी बिजली का उपयोग किया वह नॉर्मल टैरिफ याने कार्मशियल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और डोमेस्टिक टैरिफ के अनुसार वसूल किया। जिन्होंने पेमेंट किया उनके कनेक्शन काटने का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराए उनके कनेक्शन्श काटे हैं। तो केवल चोरी के मामले ही कोर्ट में गए। गड़बड़ी के, किसानों के जहां एवरेज चार्जेज बाकी रहे, बिल में पैसे बाकी रहे लें ऐसे कोर्ट में नहीं गए।

सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो टैरिफ आपने लागू किया है वह भविष्य में भी लागू रहेगा क्या? यह बिल तो तीन कन्जूमर्स के लिए है जैसा मैंने बताया कि जो 1964 से पहले एग्रीमेंट हुआ था और जिनमें लाखों करोड़ों रुपए बाकी हैं, उनसे वसूल करने है। नए उद्योगपतियों पर, जो नए उद्योग लगने वाले हैं उनके लिए टैरिफ बना हुआ है। इसको मैं कई बार दोहरा चुका हूं, उनकी अपनी रेट्स हैं, उसी टैरिफ पर हम उद्योगपतियों को बिजली देते हैं क्योंकि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कुछ उद्योग ऐसे हैं केमिकल उद्योग है जिनकी पड़ोसी राज्यों में बिजली की रेट कम है हमको भी देना पड़ती है। कभी कभी हम देखते हैं कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए यदि रियायती दर पर बिजली देंगे तो भी हमें दूसरी तरफ से राजस्थान को कुछ फायदा होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि सदन भी चाहेगा कि ऐसे उद्योगों को यहां लाकर हमें यदि कुछ रियायतें भी देनी पड़ती हैं तो देनी चाहिए, यह हमारे टैरिफ में भी है, राज्य सरकार का भी डिसीजन है।

तो इन्सेंटिव के तौर पर हमने कहा कि पहले 5 वर्षों में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की हम नॉर्मल टैरिफ में रियायत देंगे। इसके अलावा हमने किसी भी तरह की रियायत किसी उद्योगपति को नहीं दी है न हो हमारा विचार है।

यहां पर कुछ मुद्दे उठाए गए जो जनरल नेचर के थे। जहां पर एवरेज चार्जेज का सवाल आया, उसके लिए मैं कह चुका हूं कि उसकी अलग से जांच करवाई जाएगी जहां जहां पर ऐसी कोई जेनुइन बात निकलेगी जिसके कारण वह एवरेज बिल गलत बनाया है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। कहीं भी हमारी यह मन्शा नहीं है कि किसानों को परेशानी हो। छोटे लेविल पर दिक्कतें आती हैं तो हर व्यक्ति को हर अथोरिटी को एप्रोच करने का अधिकार है, अर्थमैटीकल एरर है, जान बूझकर बदमाशी की जा सकती है, इन्टरप्रेटेशन की वजह से नीचे के लेविल पर गलती हो सकती है, तो इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि बोर्ड को किसी को बिजली नहीं देनी है। बोर्ड कॉमर्शियल संस्था है, उसको बिजली की खपत कराकर आमदनी करनी है, विकास की दृष्टि से प्रसार करना है और जो कुछ बोर्ड कर रहा है उसमें नुकसान न हो तो कन्जूमर्स में अविश्वास पैदा करके बोर्ड नहीं चल सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव आए है वे माननीय सदस्य वापिस ले लें और इस बिल को पारित करने में सहयोग दें।

श्री सभापति : क्या अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री दीपंकर व श्री रामरघुनाथ चौधरी : जी हां।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए, या प्रवर समिति को भेजने के लिए उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई है।

श्री दीपंकर व श्री रामरघुनाथ चौधरी : अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री मोहरसिंह : मैं वापिस नहीं लेना चाहता। मैं आश्वासन लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : तो फिर दोनों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए।

विधेयक पर विचार

श्री हीरालाल देवपुरा : विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खन्ड 2 श्री झाबरमल सुन्डा।

श्री झाबरमल सुन्डा (फतहपुर): मेरा सेक्शन 2 में, संशोधन है, In sub-section (9) of section 49 A-proposed to be inserted, after the words "other than licences" and before the words 'and to frame' in sert the words 'and consumers using electricity for agricultural purposes'.

मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि के काम में नहीं लिया जाएगा फिर भी मेरी मान्यता है कि इससे यह जोड़ दिया जाए। किसान जितना सीधा है, कोआॅपरेटिव है उतना शायद कोई दूसरा सेक्शन सोसाइटी का नहीं है। जितना भी उसके साथ में बिजली के मामले में जो कुछ किया गया है, उसमें उन्होंने बड़ी खुशी से सारे का सारा सहन किया है टैरिफ का मामला है, 13 से 31 पैसे किया तो भी उसने कुछ नहीं कहा, दूसरों को आप 3 पैसे में देते हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको कम पैसे में बिजली दो। आज भी कई माननीय सदस्यों ने कहा और दो दिन पहले भी मुझे जवाब दिया गया कि बड़े उद्योगपतियों में 5 करोड़ के आसपास की बकाया है। यह बिल इसलिये लाया गया है कि उनसे वह वसूली हो सके। इसके अलावा अभी एक केस में सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हुआ था कि आपने जो पहले इन उद्योगपतियों से जो टर्म एण्ड कण्डीशन्स पर कॉन्ट्रैक्ट किया उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस

(श्री झाबरमल सुण्डा)

प्रकार का केस आन्ध्र की किसी पार्टी के बारे में था। यह फैसला शायद अगस्त में हुआ है। इसके अलावा दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हमारा कोटा का अॉटोमिक एनर्जी का पॉवर जनरेटर है वह 220 मेगावाट का ही है और उस पर बेस करके आप इस साल नहीं चल सकते हैं, और वह खराब हो जावेगा तो हमें भाखरा से बिजली लानी पड़ेगी। वह भी हमें जो काश्तकारों को बिजली देनी है 23 पैसे के आसपास पड़ेगी क्योंकि इसमें काफी लॉसेज होते हैं। सभापति महोदय, हम अभी जो रियायतें बड़े उद्योगपतियों को दे रहे थे वह कम नहीं करते अगर हमारे लाइन लॉसेज कम नहीं होते तो उन्हें वापिस लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहां जो एग्रीकल्चर क्लॉस है उसके पास बिजली ज्यादा लीकेज होती है और, सभापति महोदय, यह लीकेज भी आज 24.59 प्रतिशत तक हो जाती है। करीब 25 प्रतिशत तक लीकेज हो जाती है जब वन फोर्थ लीकेज में चली जाय तो हमें जितनी बिजली मिलनी होती है उतनी तो मिलती नहीं है हम उसको कवर भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो रियायतें हमने इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी हैं उसे भी हम वापिस नहीं लेते अगर हम इनके साथ इन लॉसेज को रोकने के लिये बिजली के ट्रान्समीशन में लीकेज नहीं हों इसके लिए अच्छे कन्डक्टर्स वगैरह लगाते और दूसरे मेथड्स काम में लेते। हमारे यहां पर जो ज्यादा लाइन लॉसेज हैं उन्हें हमें रोकने के लिये सेल्फ सपोर्टेड होने की जरूरत है। आज हमारा जो कोटा का एटॉमिक एनर्जी वाला प्लॉन्ट है उस पर हम विश्वास करके नहीं चल सकते कि इतनी बिजली हमें प्राप्त होगी ही। मुझे विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता लगा है कि इस प्लॉन्ट में कुछ ऐसी खराबियां हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के भी वश में उनको ठीक करना नहीं है। इसके अलावा वहां से हमें कुल मिलाकर 420 मेगावाट बिजली मिलती है लेकिन हमें चाहिये 590 मेगावाट बिजली तो हमारा जा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके वश की बात यह नहीं है कि वह इतनी बिजली अभी पैदा कर दे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना जनरल भाषण न देकर अपने संशोधन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री झाबरमल सुन्डा : मैं उसी पर आ रहा हूं, सभापति महोदय, लेकिन मेरी एक अर्ज है कि यह बिल एग्रीकल्चरिस्ट्स से संबंध रखता है इसलिये मुझे थोड़ा अॉउट आफ दी वे भी बोलने की इजाजत दें। वैसे तो मेरा संशोधन जनमत जानने हेतु ही दिया हुआ है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें सेल्फ सपोर्ट होने की जरूरत है। हमने इस साल 11.65 करोड़ रुपये का खर्चा बिजली के लिये करने का प्रावधान रखा जब कि सम्पूर्ण राजस्थान में बिजली की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण के लिये 268.00 लाख रुपये चाहिये। तो जो आपने प्रावधान रखा है वह बहुत कम है। इसके लिये राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। दूसरे आपने किसानों से आज एवरेज बिल चार्ज करने की प्रणाली निकाली है उसमें आपको किसानों को पैसा जमा कराने की सुविधा तो देनी ही

(श्री झावरमल सूण्डा)

चाहिए। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि किसान पैसा नहीं जमा करा रहा है। किसान बिजली की चोरी कर रहा है। उसके लिये आपने विजीलेन्स ऑफिसर एपॉइन्ट किये हैं। फ्लाइंग स्क्वेड चालू किये हैं और किसानों के ऊपर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया है और आपने चालान भी किये हैं। दूसरी तरफ इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहां के चोरी के मामले आपके सामने भी आते हैं तो भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं और इसके विपरीत बेचारे छोटे किसानों को आप चोर मानते हैं। क्या आपके बड़े इन्डिस्ट्रियलिस्ट्स चोर नहीं हैं? सिर्फ काश्तकार ही चोर है? मैं तो कहना चाहूंगा कि आपको किसानों को पद्मभूषण और बड़ी-बड़ी डिग्रियां देनी चाहिये, आपको उनको एवार्ड देने चाहिये, क्योंकि किसान तो बिल जमा कराना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इस सदन में एक कॉल अटेन्शन मोशन दिया था तो मन्त्री महोदय ने मुझे यह कहा था कि आप फिक्र न करें। आपके एवरेज बिल किसानों के जमा कर लिये जायेंगे। मैंने तुरन्त ही जो पेम्फलेट निकल रहे थे उनको रुकवाया और फिर करेन्ट महीने के एवरेज बिल के पेमेन्ट के हिसाब से काश्तकारों ने जो पैसे जमा कराने के लिये कोशिश की तो उनका पैसा जमा नहीं किया गया। मैं, सभापति महोदय, खुद आपके एस. ई. और चीफ इंजानियर साहब के पास गया कुछ लोगों में 8-8 और दस-दस हजार रुपये पिछले तीन-चार महीनों के थे पर वह बिल जमा नहीं हो रहे थे। तो मेरा निवेदन है कि आप इन अधिकारियों को आदेश दें कि उन किसानों के करेन्ट महीने के एवरेज बिल जमा किये जावें।

जो मैंने खण्ड 2 सब-सेक्शन (1) में संशोधन दिया है उसको इनसर्ट किया जावे। वह इस प्रकार है:—

"In sub-section (1) of section 49-A proposed to be inserted, after the words 'other than licencees' and before the words 'and to frame', insert the words "and consumers using electricity for agricultural purposes'."

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि या तो माननीय सदस्य ने इस बिल को पढ़ा नहीं है और अगर उन्होंने पढ़ा है तो मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य इस बिल को समझे नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : यह ऑब्जेक्शनेबल है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इसमें तो स्पष्ट ही दिया हुआ है:—

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any agreement, undertaking, commitment or concessions made, before the first day of April, 1964, by the Rajasthan State Electricity Board or the Government of

(श्री हीरालाल देवपुरा)

Rajasthan or by the ruler or Government of any covenanting State of Rajasthan, or in any judgment or order of any court, it shall be lawful for the said Board to revise, from time to time, the tariffs fixed for the supply of electricity to persons other than licencees and to frame uniform tariffs for the puspose of such supply."

तो, सभापति महोदय, यह तो 1-4-64 से पहले जिन लोगों के साथ एग्रामेन्ट हुआ था उन तीन स्पेसिफिक पार्टीज के लिये ही है। दूसरों के बारे में नहीं है दूसरों पर लागू नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य को यह खतरा पैदा हो गया है कि शायद यह संशोधन जो बिल में लाया जा रहा है वह उन पर लागू नहीं हो जाय तो मैंने तो स्पेसिफिकली कहा है कि 1-4-64 के पहले जिन लोगों के साथ एग्रीमेन्ट हुआ था उन पर ही लागू होगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वह और किसी पर लागू नहीं हो रहा है उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री सभापति : आप वापिस लेते हैं।

श्री झाबरमल सुन्डा : मन्त्री महोदय, किसानों के प्रति अच्छे दृष्टिकोण को देखते हुए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 2 में दिये थे उन्हें वापिस लेने की अनुमति दे दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री झाबरमल सुण्डा : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड स्वीकार किया जाये। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किये गये।

माननीय मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

Page No 84

(८५)

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया गया ।

राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976

माननीय श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री दीपंकर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीपंकर जी ओपनिंग बैट्समैन हैं ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : श्री गिरधारी लाल भार्गव की जगह पर ।

एक माननीय सदस्य : उनकी जगह तो नहीं ।

श्री सभापति : (श्री दीपंकर जी से) आप शुरू करिये ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: "राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को एक सप्ताह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इस विधेयक का स्वागत करते हुए कि 20 पॉइन्ट प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पेश किया गया है यह सराहनीय है और उसके लिए उनको बधाई पेश करना चाहता हूं । योजनाबद्ध तरीके से बाजार, सड़कें और जो भी आप बनाना चाहते हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए और उसके लिए भू-खण्ड आप अवाप्त करना चाहते हैं यह अच्छी बात है । बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे लोकल एक्ट्स हैं जिनमें लोकल बॉडीज के लोग काम करते हैं, स्वास्थ्य, दवा-दारू, शिक्षा और सड़कों आदि को सुव्यवस्थित करना, और आबादी को सही तरीके से बसाना, बाजार वगैरह सुसज्जित हों, सड़कें बनाना, उनका यह कर्तव्य माना गया है उनमें । जहां नगरपालिकाओं का आर्थिक स्थिति कमजोर है वहां भूमि का भी अभाव है । यह माने या न माने कोई योजना होती, उसके तहत भूखण्ड अवाप्त करने के लिए अधिकारी का नाम होता, मेरा सुझाव है कि जो सार्वजनिक चीजें हैं इनका विस्तार व्यापक स्तर पर होगा इसलिये नगरपालिका क्षेत्र में काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं, पंचायत समितियों में काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनके नाम का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है

(श्री दीपंकर)

और यदि उनके नाम का उल्लेख हो तो लोगों में उत्साह बढ़ेगा कि सरकार हमारी ओर ध्यान ध्यान दे रही है। मूलतः इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक 20 पॉइन्ट प्रोग्राम का सम्बन्ध है बहुत भू-खण्ड अपने लोगों को गांवों में दिये हैं। शहरों में बस्ती बसानी है और जो कुछ भी है सब जगह यह चीज नहीं बन पायी है ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां कि भू-खण्ड हैं ही नहीं और वहां पर आप पूर्ति न कर सकें तो आपकी मजबूरी रहेगी। इसलिये आपकी मार्फत, सभापति महोदय, मन्त्रीमहोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि जितनी नगरपालिकायें हैं, उनका छोटा दायरा हो या बड़ा दायरा हो उनके पास जमीन हो अमूमन बड़ा आदमी उसको कहते हैं जिसके पास बड़ी हवेली हो। बड़ा आदमी कौन कि जिसके पास बड़ी जमीन हो, आधे गांव की जमीन अकेले ने घेर रखी हो, गरीब आदमियों की आबादी बढ़ गयी है, उसको जमीन देना चाहते हैं तो नगरपालिका के पास आबादी की जमीन नहीं है, इसलिये आपके इन एक्ट्स का उपयोग नहीं हो पाता है। एग्रीकल्चर की जमीन आप ले लेते हैं। फिर कोई तरीका करें वरना हमारे यहां कोई भू-खण्ड नहीं है, जमीन नहीं है ऐसी भूमि नहीं। वैसे जमान तो है लेकिन लोगों की आदत बड़े-बड़े बाड़े नोहरे बना कर रखने की है। किवाड़ लगा रखे हैं। काम वे आते नहीं हैं। इसलिए जिनके पास रहने के लिये भू-खण्ड नहीं हैं, जिनके पास बड़ी हवेलिया हैं, बड़े नोहरे हैं, नगरपालिकाओं को आप अधिकार दीजिये कि बच्चों के लिये उनमें उद्यानों कि व्यवस्था करें। शहरों के अन्दर रहने वालों के लिये भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। भू-खण्ड किस प्रकार से प्राप्त और अवाप्त किये जा सकते हैं इसका समावेश इसमें कर लिया जाय तो गांव की शोभा भी बढ़ेगी और आबादी भी बढ़ेगी। लोगों को बसाने का प्रोग्राम नहीं है। जहां उद्यान लगने चाहिये वहां लग जावेंगे। नये सिर से बाजार हो जावेंगे। आमदनी भी बढ़ जावेगी। कानून बनाने की जो मंशा है वह पूरी हो जावेगी। मूल रूप से निवेदन करने का है वह यह है कि बड़ी जमीनों, भू-खण्डों पर लोग कब्जा किये हुये हैं वे छोटे-छोटे टुकड़े करके बेचते हैं वे पाबन्द हो जायं कि नहीं बेचें। इस कानून के जरिये अवाप्त करने की जो कार्यवाही है उसके सम्बन्ध में वह अदालत में न जा सकें। इसका आप इसमें नियमत करिये।

(2.35 म. प.)

(श्री मीठालाल मीणा, सभापति, पीठासीन)।

इसलिये यह जरूरी है कि ऐसी हवेलियां रहने के लिये हैं उनमें भू-खण्ड छोटे लिये जाकर जो कमी है उसको पूरा करें। जो भूमि विधेयक के नाम से जमीन देने का कानून बना रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। इसमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण अपनायें व्यापक भू-खण्ड पड़े हुये हैं हवेलियां, नोहरों के रूप में जमीन फालतू पड़ी हुई है, उसको ले लिया जाय तो आराम से बसेंगे। ये सारी चीजें सम्मिलित करने के लिये जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जाय तो मेरे इस प्रस्ताव को लोग ज्यादा मान्यता देंगे। लोगों की आवाज

(श्री दीपंकर)

भी आपके पास पहुंच सकेगी। इसमें थोड़ा समय लग जावेगा। सार्वजनिक उद्योग, अच्छी सड़कें बना कर, टेढ़ी-मेढ़ी जो घूम कर गलियां जाती हैं वे सीधी हो जावेंगी, रास्ते पक्के बन जायेंगे, गैर तरीके से कब्जे किये हुये भू-खण्ड हैं वे हट जावेंगे और सार्वजनिक आवश्यकतायें पूरी हो जावेंगी।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

"राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः तीन दिन/एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"]

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, जो बिल आया है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ लैंड्स उसका तो मैं स्वागत करता हूं। अब तक हमारे यहां ऐसा कानून नहीं होने से अच्छी योजना बना कर गांवों को नहीं बसा रहे थे। न शहर ही शहर की तरह से बस सकते थे। नगरपालिका हैं वहां दिक्कत आ जाती है। सार्वजनिक उद्यान, भवन, अस्पताल, कहां बनायें ? इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

इसके साथ एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मन्त्री महोदय को। माननीय मन्त्री महोदय सुनने का प्रयत्न करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुन रहा हूं।

श्री विजयसिंह : बातें तो बाद में हो सकती हैं। क्षमा करें।

तो जो नगरपालिकायें बनी है, उनके पास में इस तरह की योजना नहीं है जिसके आधार पर नगर की बसावट और उसके आगे के विकास को अपने दिमाग में सोच सकें। जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाये, सार्वजनिक स्थान कहां बनाये जायेंगे, एक्वीजिशन की कार्यवाही अथवा एक्वीजिशन की कार्यवाही कर ली जावेगी, उसको लैंड होल्डर नहीं बेचेगा। लेकिन जहां नई नगरपालिकायें बनी हैं वहां पर भी आपको इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिये कि जब तक मास्टर प्लान नहीं बने कहां अस्पताल बनाये जाए, कहां सड़क निकलेगी, कहां दुकानें बनेंगी, कहां स्कूल बनेंगे, कहां प्लेग्राउन्ड्स होंगे और किस तरह से नई नगरपालिका का विकास करना है। जब तक इसका मास्टर प्लॉन नहीं बन जाये तब तक आपको रेस्ट्रिक्शन्स लगा देने चाहिये और प्लॉट्स का बिकाव बन्द हो जाये, यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है कि कहीं भी कोई नई बस्ती हो, आज कई दिक्कतें आ रही

(श्री विजय सिंह)
हैं लोगों के सामने म्युनिसिपल एरिया के अन्दर भी जहां नई बस्ती बनती है और जहां बेघरवार लोग जाकर बसते हैं उनकी खेती की जमीन होती है। नगरपालिका चाहती है कि उनका अधिग्रहण करके यह जमीनें उनको सौंप दी जाये। यह दिक्कत उनकी मिटाई जानी चाहिये। इसके अलावा जिन नगरपालिकाओं के आस पास खेती की जमीन है, निकट भविष्य में यह समझा जाना चाहिये वह जमीन नगरपालिका के सबब में होने की वजह से उस पर आबादी जरूर होगी तो उनमें भी अभी से ही रेस्ट्रिक्शन लगा देने चाहिये। यही सुझाव हैं। अगर माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि जो नगरपालिकायें नई बनी हैं उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा और उनकी बसावट और उनके विकास की बहुत बड़ी आधार शिला हम रख सकेंगे।

इसके अलावा एक और निवेदन करना है कि जो नई नगरपालिकायें हैं उनके यहां मास्टर प्लॉन अभी तक बना हुआ नहीं है और मास्टर प्लॉन बनाने का सरकार का विचार भी नहीं है। सरकार का विचार तो यह है कि जहां आबादी 20 हजार से अधिक है और नगरपालिका है तो वहां का केवल मास्टर प्लॉन बनाया जाये। जब कि होना यह चाहिए कि नगरपालिका चाहे छोटी हो या बड़ी हो सबका मास्टर प्लॉन बनाया जाना चाहिये और जो डिप्टी टाउन प्लॉनर हैं उनको इस बात के आदेश दिए जाने चाहिए कि जो भी नई नगरपालिका बने वहां सबसे पहले मास्टर प्लान बनाकर नगरपालिका को दें जिससे इस तरह के निर्माण नहीं हो, जिससे वहां के नगर के विकास में कोई दिक्कत न आये। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सारी नगरपालिकायें चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों उनमें मास्टर प्लॉन बनने के बाद ही जमीन का बेचान हो सके और जब तक मास्टर प्लॉन नहीं बने रेस्ट्रिक्शन लगा देने चाहिये। इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे स्थान पर रतीराम जी बोलेंगे।

श्री सभापति : श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो नगरों के अन्दर लैण्ड ट्रान्सफर्स पर रोक लगाने का यह बिल सदन में रखा है मैंने इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को सदन में लाकर वास्तव में एक प्रगतिशील स्टेप लिया है और बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में अवश्य उन्होंने प्रगतिशीलता का परिचय दिया है लेकिन जो भी जिस रूप में जिस एक सीमा तक लिमिटेड दायरे में उन्होंने जमीनों के हस्तान्तरण पर रोक लगाई गई है मैं समझता हूं कि उनकी जो भावना है वह तो उत्तम है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन

(श्री रतीराम यादव)

अच्छा यह होता कि वह थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाते, और उन तमाम बातों का समावेश इसके अन्दर करते तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा सुन्दर होता और जो बार बार हमको कानूनों के अन्दर बदलाव लाने पड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी संशोधन करने पड़ रहे हैं उससे भी उनको छुटकारा मिल सकता था। इस रूप में और मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल का जो इसके अन्दर खामियां रह गई हैं, जो कमियां इसमें रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए ताकि उन सब बातों का भी समावेश इसमें किया जा सके।

सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने यह प्रावधान किया है कि जो हमारा 1953 का लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट बना हुआ है उसके तहत जो जमीनें हमने अर्जित की हुई हैं अथवा हम लोकहित के अन्दर ऐसी नगरीय जमीनों को सरकार के कब्जे में लेना उचित मानते हैं, जिनको लेने की सम्भावनायें हैं, ऐसी सब जमीनों के ऊपर बचान की, ट्रान्सफर्स की रोक लगाने का इसमें प्रावधान किया है।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी नगर में दूसरी जमीनें हैं। इसके अलावा भी नगर में दूसरी जमीनों के आए दिन बेचान होते हैं, खरीद-फरोख्त होती है, ऐसे लोग जो नगर के अन्दर धन के मालिक हैं जो बड़े पूंजीपति हैं, जो दूसरों की एग्रीकल्चरल लैण्ड खरीदकर अपने पास डाल लेते हैं और समय आने पर जब उन जमीनों की कीमत ऊंची चढ़ जाती है तो उनके प्लॉट्स बनाकर आबादी के लिए दूसरे जरूरतमंद लोगों को ऊंचे रेट्स पर वह बेचते रहते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं नम्रता के साथ कि ऐसी एग्रीकल्चरल लैण्ड, जिसके प्लॉट्स बना कर बड़े साहूकार लोग आये दिन बेचते रहते हैं, उनके बारे में आपने इसमें प्रावधान क्यों नहीं रखा ? क्या आप यह सोचते हैं कि उन जमीनों के रोज इसी तरह से बेचान होते रहें और नगरों का प्लॉन्ड वे में हम विकास करना चाहते हैं ? तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल आपने प्रस्तुत किया है यह सुन्दर होते हुए, प्रगतिशील होते हुए भी यह लंगड़ा बिल है, यह अधूरा है, आपकी उन पवित्र भावनाओं को पूरा करने में अक्षम है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल के अन्दर आप यह भी प्रावधान और रखें कि ऐसी तमाम जमीनें जो एग्रीकल्चरल है जिनके कि प्लॉट्स बनाकर इस तरह के बड़े लोग भूमिपति बेचते रहते हैं उनके ऊपर भी यह बिल प्रतिबंध लगायेगा और ऐसे लोग आइन्दा इस तरह प्लॉट बनाकर नहीं बेच सकेंगे और अगर वह इस तरह से बेचेंगे तो उनके ऊपर भी इसी तरह जुर्माना होगा और उन्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आप बीस सूत्री कार्यक्रम की मन्शा को इस बिल के द्वारा पूरा करना चाहते हैं लेकिन नगर के अन्दर ही केवल बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करना चाहें और इसके

Page No 89

(89)

(श्री रतीराम यादव)

अलावा बाहर गावों के अन्दर, बहुत बड़े बड़े गांव हैं जहां नगरपालिकायें चाहे नहीं, हों लेकिन आवास की समस्या वहां बड़ी भारी है, तंग गलियां गावों में हैं और गरीब लोगों को वहां रहने की जगह नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को, हरिजनों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनको आपने कुछ प्लॉट्स दिए हैं लेकिन गांवों के अन्दर भी इस तरह की जमीनें बहुत पड़ी हुई हैं बड़े लोगों के पास उनको वह चाहे किसी रूप में बेचते रहें अगर गांवों का विकास हो या नहीं हो इसकी उनको चिन्ता नहीं है। लेकिन आपको तो बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर गांवों का भी सुन्दर बनाना है, गांवों में भी आपको चमन लाना है, गांवों में भी स्कूलों के लिए, औषधालय के लिए और कितने ही लोक हित के कार्यों के लिए, आगे गांव के विकास के लिए जरूरत पड़ती है भू-खंडों की, इसलिए मैं उचित समझता हूं कि इस बीस, सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत कम से कम सारे गांवों में नहीं तो जो बड़े गांव हैं जिनकी आबादी ज्यादा है उनके अन्दर इस तरह की जमीनों के ऊपर जो लोक हित में आप आवश्यक समझते हैं उनके बेचान पर भी आपको इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इसलिए इस बिल का जो प्रभाव है वह न केवल नगरों तक आप सीमित रखें बल्कि और गांवों तक भी प्रभावशील बनावें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयोगी होगा।

इसलिए अन्त में, मैं यही निवेदन करके अपनी बात खत्म कर दूं कि जो मैंने सुझाव रखे हैं मोटे तौर से एक तो नगर के अन्दर जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसके प्लॉट बना करके बेचे जा रहे हैं उनको भी इसके अन्दर आप लायें। दूसरी बात, जो बड़े गांव हैं जहां लोक हित के अन्दर, सामाजिक सेवाओं के अन्दर लैंड की जरूरत पड़ती है वहां पर इस तरह की लैंड है, बड़े लोगों के पास है बेकार पड़ी है, उसका दुरुपयोग होता है, अवैध हस्तान्तरण होते हैं, इसलिए उसको रोकने के लिए वहां तक भी आप इसको प्रभावशील बनावें। यह दो मोटे तौर पर मेरे सुझाव हैं और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस बिल के अन्दर इनका समावेश करने के लिए इस बिल को आप प्रवर समिति को निर्दिष्ट करें ताकि अच्छी तरह से वहां विचार होकर गम्भीरता से इसके ऊपर विचार किया जाकर इन सब बातों का समावेश करें। इसके अलावा भी अगर इस तरह की कोई बातें हों जिससे हम नगर और गांव को बहुत सुन्दर ढंग से विकसित कर सकें, उनका प्लॉन्ड वे में हम निर्माण कर सकें तो मैं समझता हूं कि उसके लिए यही उपयुक्त होगा कि इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा के खड़ा होने पर)

आप बोलेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : जी हां। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, शहरों और गांवों की बढ़ती हुई

(90)

(श्री यागेन्द्रनाथ हाण्डा)

सन् 1963 के लैंड एक्वीजिशन बिल की एक कड़ी है, इस सदन में लाए हैं जिसमें, रेस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ राजस्थान लैंड्स बिल्स, 1976 में कई प्रावधान किए गए हैं। एक तो वे जमीनें जिनके बारे में एक्वीजिशन की कार्यवाही चल रही है, एक वह जमीनें जो एक्वायर कर ली हैं, ऐसी जमीनों का ट्रान्सफर रोक दिया गया है, लेकिन ऐसे ट्रान्सफर्स परमिशन से हो सकते है, कॉम्पीटेंट ऑथारिटी की परमिशन से। मन्त्री महोदय का जितना प्रेम कलेक्टरों के प्रति है उसको देखते हुए मैं मानकर चलता हूं कि यह कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी कलेक्टर ही होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति ऐसी जमीन का बेचान करना चाहता है तो वह कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी के पास अपील करता है और इस अपील पर अगर तीस दिन के अन्दर कोई फैसला नहीं होता है तो स्वीकृत मान ली जाएगी और अगर वह अपील स्वीकृत हो गई तो तीन महीने की मोहलत है उसमें वह ऐसे लैंड का ट्रान्सफर कर सकता है। अब कलेक्टर से मन्त्री महोदय का प्रेम कितना गहन है, मन्त्री महोदय की जानकारी कितनी गहन है उसका नजारा सदन को मिल गया जब वे यह नहीं बता सके कि ऐसी कितनी कमेटियां हैं। उनका वे नाम भी नहीं जानते जिनमें कलेक्टर चेयरमैन होता है। ऐसा कलेक्टर यदि तीस दिन के अन्दर स्वीकार नहीं करता तो वह स्वीकृत क्यों मान ली जाय? यह कमजोरी क्यों? वह अस्वीकृत मान ली जायेगी इस दृष्टिकोण के अनुसार तो यही ज्यादा उत्तम होता। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का क्षेत्र इस मामले में बड़ा वसीअ है। चाहे नगरपालिकाएं हों, चाहे नगर परिषदें हों, चाहे.... ...

(समय 2.55 बजे)

....(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन) गांवों की पंचायतें हों और गांवों की आबादियां हों—इन सारी बढ़ी हुई आबादियों के सम्बन्ध में जमीनों के जो घोटाले चल रहे हैं वह मैं समझता हूं कि अपने आप में राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वह भीनमाल हो, चाहे वह गंगानगर हो, चाहे वह सूरतगढ़ हो और चाहे वह जयपुर का नारी-का-नाका हो—यह प्रश्न अपने आप में कम गम्भीर नहीं है। इस बिल को लाने से पहले मन्त्री महोदय अपनी खाट के नीचे भी अगर डंडा फेर लें तो बहुत उचित होगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही नगरपालिका भीनमाल के चेयरमैन को मन्त्री महोदय के आदेश से सस्पेंड किया गया है। केवल उसका अपराध यह था कि उसने कमेटियों का निर्माण नहीं किया। यदि इस प्रकार का ग्राउन्ड सस्पेंशन का हो तो मैं इस समय इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि अपने रास्ते से डिरेल हो जाऊंगा लेकिन उस नगरपालिका की एक विशेषता बताऊंगा कि तीन प्लॉट्स जो कि तीन तीन बार नगरपालिका के अध्यक्षों ने रिजेक्ट कर दिए, माननीय मंत्री महोदय ने तीन करोड़पति स्मगलर्स को अपने आदेश से दे दिए जिनका कनेक्शन भीनमाल की नगरपालिका से है। एक हैं मिश्रीमल सन ऑफ केसरीमल, एक हैं सोनीबाई वाइफ ऑफ मूलचन्द और तीसरे हैं एक भंवर लाल सन ऑफ मूलचन्द। इनकी स्मगलिंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
के बारे में तो मैं अर्ज नहीं करना चाहता लेकिन यह जो लो-इन्कम ग्रुप के हैं इसका प्रमाण मैं लाया हूं। यह ऐसे भंवरलाल की एक कुंकुमपत्रिका जो उनकी लड़की के विवाह के सिलसिले में छपी थी, इसमें उनकी सम्पतियां लिखी हैं : मिश्रीमल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बैंगलोर, मनोहर मेंटल इंडस्ट्रीज बैंगलोर, होमी ट्रेड कॉलोनीज बैंगलोर, जैन ब्रदर्स लैन बैंगलोर। यह वह निर्धन, लो-इन्कम ग्रुप का व्यक्ति है एस. भवरलाल, भीनमाल जिसके तीन टेलीफोन बैंगलोर में है उसकी तारीफ का वर्णन इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस निर्धन व्यक्ति का वर्णन जिसको लो-इन्कम-ग्रुप में मान कर मंत्री महोदय ने भीनमाल के अन्दर प्लॉट दिया है। दो-दो टेलीफोन नम्बर एस भंवरलाल के भीनमाल में हैं, 117 और 104 जो भीनमाल में मैंटेन कर रहा है। आप इसको सदन की प्रॉपर्टी बना लीजिए। फिर एक नहीं नारी-के-नाके के ऊपर अनेकों वेल्यूएबल प्लाटों के ऊपर अतिक्रमण हो और गंगानगर के अन्दर आज....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप सदन के अन्दर कोई चीज रखना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां, इसे (कुंकुमपत्रिका) सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : अगर यह इस बिल से रेलेवेन्ट हो तो ही आप यहां पर रख सकते हैं और वह भी इजाजत लेकर।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां, आज्ञा ले लेता हूं।

श्री सभापति : यह क्या इस बिल से रिलेटेड है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर आप आज्ञा नहीं दें तो मंत्री महोदय को भेंट कर दूंगा।

श्री सभापति : रेलेवेंट होगा तो स्वीकृति मिलेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक तरफ तो यह एक्ट इस आबादी की भूमि के सम्बन्ध में है और दूसरी तरफ हमारा यह दृष्टिकोण है दोनों में तालमेल तो है, सभापति महोदय। आज तो बड़ा इम्पार्टेंट क्वेश्चन है।

श्री सभापति : इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा तो ख्याल है, सभापति महोदय, क्योंकि प्रश्न केवल बिल का नहीं है, एक्ट का नहीं है, इसके इम्पलीमेंटेशन का भी है और जब तक हम.......

श्री सभापति : आप अपने भाषण को समाप्त करिये, बहुत कह चुके।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं मंत्री महोदय को दे दूंगा यह भीनमाल के निर्धन व्यक्ति का वर्णन जिसको उन्होंने गरीब मान कर लो-इन्कम ग्रुप में प्लॉट दिया ...

श्री रामनारायण चौधरी : जो भेंट आपको मिली है वह आप ही रख लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: यह सुदामा का चावल स्वीकार कर लीजिए।

तो अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको एक्वायर कर रहे हैं सरकार ऐसे प्लॉटों पर ही इसको केन्द्रित करें तो समस्या का हल नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पर गंगानगर के अन्दर लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही दो सौ मुरब्बा जमीन पर चल रहा है और सारा का सारा एक लम्बा क्षेत्र लैण्ड एक्वीजिशन के लिए निकलता है। इस गंगानगर में, जैसा कि माननीय सदस्य रतीरामजी ने कहा, उमराव एण्ड कम्पनी दो सौ करोड़ की कम्पनी है सारे गंगानगर की आबादी इसके साथ चिपकी हुई है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सेठ सुगुनचन्द ने पांच चक के म्युनिसिपल एरिया में एक मकान बना रखा है। माननीय सदस्य रतीराम जी ने कहा है कि ऐसी भूमि को भी इसके अन्तर्गत लिया जाये। इसी प्रकार से एक मन्दिर देवीजी का बना रखा है और इस म्युनिसिपल एरिया के अन्दर बीस बीघा जमीन है उस जमीन को इन्डस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर के पांच करोड़ के अन्दर उसका सौदा किया जा रहा है। यही गंगानगर के सेठ लच्छीराम, उदेसिंह की 25/25 बीघा जमीन है। दृष्टिकोण यह है उन सारी धरतियों के सम्बन्ध में कि उनके ट्रान्सफर, उनकी सेल रोकी जानी चाहिये। अगर यह नहीं रोकी गई तो जनता को कोई राहत नहीं होगी। यहीं जयपुर का प्रश्न ले लिजिये, मास्टर प्लान बन गया लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। कोकाकोला की फैक्ट्री है दस बीघा धरती पर कल्टीवेशन कर रही है। इसी प्रकार से सेठ पोददार ने एक मकान बना रखा है बीस बीघा धरती पर जो स्टेच्यू सर्किल के पास है। वहीं पर महाराजा जयपुर की कम से कम 40 बीघा, 50 बीघा जमीन है जिस पर उन्होंने ग्राउंड बना रखा है। उनके ट्रान्सफर को नहीं रोकेंगे तो इस बिल का जो पर्पज है वह पूरा नहीं होगा, चाहे नगरपालिका हो, नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर परिषद् हो। यह सारा लैण्ड है जो मास्टर प्लॉन में आ गई है, उनको लेकर आबादी का बसा सकते हैं। यह प्रावधान इसके अन्दर डालना चाहिये। माननीय सदस्य रतीराम जी ने इसके लिए अमेन्डमेन्ट भी दिया है। मैं समझ नहीं पाया कि वह स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? इस बिल के साथ अटैच होकर क्यों नहीं आया?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसी प्रकार से अन्त में यह बात कहूंगा कि ठीक है ट्रान्सफर रोकने हैं और इसको और सख्त बनाना चाहिये परन्तु यह कहा गया है कि तीस दिन के अन्दर कलेक्टर इसको डिसाइड नहीं करता है तो वह स्वीकृत मानी जावेगी। इन सारी चीजों को कलेक्टर 30 दिन के अन्दर कैसे डिसाइड कर पायेगा? इन सारी चीजों का इसमें समावेश होना चाहिये चाहे वह एग्रीकलचर लैण्ड हो। इस हद तक इसका समावेश होना चाहिये। इस बिल के परव्यू में भूमि सुधार से इफेक्ट होने वाली भूमि और उसके सारे ट्रान्सफर, सभी प्रकार की सेल रोकी जानी चाहिये, बिना परमिशन नहीं हो, तब तो हमारी आबादी को हम बसा पायेंगे।

श्री सभापति : श्री बनवारालाल !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान (भूमि अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह मांग का है कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। मान्यवर, जहां तक जनमत जानने हेतु प्रसारण का प्रस्ताव है, उसका मकसद यह हो सकता है कि आम लागों की राय माननीय सदस्यों के पास आ जावे और माननीय सदस्य उस राय के आधार पर अपने मूल्यवान सुझाव इस सदन में प्रस्तुत करें और इस प्रकार वे इस कानून को और सक्षम बनाने में अपना योगदान दे सकें। यही जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का उद्देश्य होता है। तो इससे पहले कि यह बिल यहां पर इन्ट्रोड्यूस हो, यह ऑर्डिनेन्स के द्वारा कानून की शक्ल ले चुका है और जहां तक जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का सवाल है, माननीय सदस्यों को पिछले डेढ़ महीने में यह मालूम हो गया होगा। इसका ऑर्डिनेन्स पिछले डेढ़ महीने पहिले निकल चुका है और कानून की शक्ल यह ले चुका है। इसकी जो प्रतिक्रिया जनसाधारण में हो सकती थी, वह प्रतिक्रिया माननीय सदस्यों के पास अब तक आ चुकी है और माननीय सदस्य अपना मानस इस कानून का मजबूत बनाने के लिए, किस प्रकार यह इफेक्टिव बने, बना चुके हैं और तरह तरह के सुझाव माननीय सदस्यों ने यहां पर रखे हैं. अपने विचार भी व्यक्त किये है और उन विचारों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है।

तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने आज के इस विधेयक के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये, इसमें जो व्यवस्थायें हैं, जो प्रॉविजन्स रखे हैं, उनको उन्होंने बहुत बारीकी से पढ़ा है और क्लॉजिज के ऊपर उनके अमेन्डमेन्ट भी है, इस कानून के अध्ययन में उन्होंने दिलचस्पी ली है, यह प्रसन्नता की बात है। दूसरे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसको पढ़ा है और अपने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें उन्होंने अपनी कुछ बात भी ठोक दी हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उन्होंने ऐसी बात कहा है जिसका हाथों हाथ उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि भीनमाल में कोई तीन स्मगलरों को हमने भूमि बेची हो इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि ढाई साल के मेरे कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का, जो स्मगलर हो, जिनका नाम आप यहां पर पढ़ रहे थे, कोई नहीं बेची गयी है, मेरे कार्यकाल के अन्दर नहीं बेची गयी है-यह मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कह सकता हूं। इस प्रकार की कोई सेल राजस्थान सरकार से मेरे कार्यकाल में नहीं हुई है। मैंने भीनमाल में एक व्यक्ति

(श्री रामनारायण चौधरी)

का जमीन का रेगुलराइजेशन किया था जिसका नाम पारसमल था। उसके बारे में कलेक्टर, गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर, वहां के विधायक, सभी लोगों ने कहा था कि इससे ज्यादा रीजनेबल केस नहीं हो सकता है। यह रेगुलराइजेशन के काबिल केस था जो माननीय सदस्य की सूची में नहीं था। आपने जो दो-तीन नाम पढ़े मेरे को इनका जानकारी नहीं है कि मैंने इनको सेंक्शन दी हो। माननीय सदस्य रतीराम जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये वे सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : याद कर लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : याद है, अपना स्मरण शक्ति के आधार पर कहता हूं हुआ ही नहीं है मेरे वक्त में। मेरे से पहले हुआ हो तो पता नहीं है। मेरे वक्त में नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि पहले हुआ हो तो ?

श्री रामनारायण चौधरी : पहले की बात मैं नहीं जानता। उसके बारे में ऑफ हैन्ड नहीं कह सकता हूं। आप फेक्ट्स रखेंगे तो कार्यवाही की जायेगी। जो इन्क्वायरी के रिजल्ट सामने आयेंगे, एक्शन लिया जायेगा।

मान्यवर, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मूल्यवान सुझाव दिये। आपने कहा कि यह जमीन उसके परव्यू में नहीं आती है जो लोग आज भी एग्रीकल्चर लैन्ड के प्लॉट बना कर बेच रहे हैं, वह नहीं आती है। यह सही है। इसका मकसद सीमित है, कुछ ही पॉइन्ट्स के ऊपर है। माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे को कलेक्टर्स से बड़ा मोह है। मेरे को कोई मोह नहीं है कलेक्टर से। काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी कौन हो, कलेक्टर को बनायें या अलग से इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिससे गरीब आदमी को सहूलियत हो किसे अधिकारी बनाया जायेगा, कहां व्यवस्था हो, कौन काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी हो, गवर्नमेंट जब जब इसका निर्णय करेगी तो माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उनका ख्याल रखेगी कि कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी किस को बनाया जाये जिससे जनता को सुविधा मिल सके, जिसके जरिये से आसानी से और कम समय में काम हो और जो लोगों को रिलीफ दे सके। ऐसी ऑथोरिटी के एपाइन्टमेंट का जब सवाल आयेगा तब आपके सुझावों पर ख्याल रखा जायेगा। इसमें माननीय सदस्य ने एक बहुत ही मूल्यवान बात कही कि एक महीने में यदि अनुमति नहीं मिलती है तो अनुमति दी हुई मान ली जायेगी। इसके अन्दर यह जो प्रोविजन है, यह सही है। माननीय सदस्य का यह सुझाव है और आपने अमेंडमेंट भी दिया है, उसको मैंने गौर से देखा है। लेकिन, मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है कि एक महीने में यदि वह डिसपोज ऑफ नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट मान लिया जावेगा तो यह हार्डशिप हो जायेगी और प्रॉपर्टी को बेचने का जो उसका राइट है, इसके अलावा दूसरा करना पड़ेगा।

दूसरी जगह भी म्युनिसिपेलिटीज एक्ट में, और दिल्ली में मैंने देखा कहीं पर भी

(श्री रामनारायण चौधरी)
ऐसा प्रोविजन नहीं है, उनमें कहीं भी नेगेटिव एप्रोच नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर भी आपका सोशियेलिस्टिक व्यू अपनाना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मान लीजिये कि एक व्यक्ति ने पर्मीशन के लिये एप्लाकेशन दी और उसका आवेदन-पत्र कहीं मिसप्लेस हो गया, या उस पर कोई कार्यवाही होने से रह गई तो वह उसको रिजेक्टेड मान ले और ऐसी हालत में उसको अपील में जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अधिकारी लोग भी सुस्त हो जायेंगे कि गवर्नमेन्ट का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो गवर्नमेन्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, और पार्टी अपने आप अपील में जायगी। इसलिए हम इस बात की व्यवस्था करें कि अगर उसको पर्मिशन मिल जाय तो वह इसका मिसयूज नहीं करे, इसको हमको देखना चाहिए। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से भी सलाह करके विचार करूंगा। एक महीने के अन्दर कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी सम्बन्धित पार्टी को अपना डिसीजन कन्वे करे, उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे यह उसको कन्वे हो जाना चाहिए। इस तरह के उसके पास क्या रेफरेन्सेज हो सकते है, ऐसे ही जैसे लैण्ड एक्वायर हो गई या इन्टेन्डेड एक्वीजीशन है, यही कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में उसको क्लियरेन्स देना है। ''फिर भी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को एक महीने के अन्दर क्लियरेन्स देना होगा। जहां पर यह देखा गया कि एक महीने में कोई डिसीजन नहीं दिया और पर्मिशन क्लियर मान ली गई उस हालत में गवर्नमेन्ट को कोई लॉस होगा तो गवर्नमेन्ट इसको सीरियसली लेगी और कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के खिलाफ स्ट्रिक्ट व्यू लेगी, यह मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस पर एश्योरेन्स देना चाहता हूं।

मान्यवर, कितने ही माननीय सदस्यों ने क्लियरेन्स के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, इसके लिए उन्होंने इसको जनमत जानने के लिये भेजने का जो प्रस्ताव किया है। उनकी जो प्रतिक्रियाएं आनी थी, वह इसमें आ चुकी हैं। माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं, उनसे मुझे बहुत बल मिला है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रस्ताव संशोधन के उन्होंने दिये हैं उनको वापिस लेने की कृपा करें।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, क्या वे वापिस लेना चाहेंगे।

श्री विजयसिंह : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री रतीराम यादव : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 में जिन

(श्री सभापति)
माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री विजयसिंह : मैं वापिस लेता हूं।

श्री दीपकर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वापिस लेता हूं।

श्री रतीराम यादव : मैं वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक 1976 विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 के खण्ड 2 से 4 तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5। श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम यादव : माननीय सभापति महोदय, मैंने उप खण्ड (5) की तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में शब्द "आवेदक को, के पश्चात् शब्द 'नामंजूरी' के स्थान पर 'मंजूरी' शब्द प्रतिस्थापित करने के लिये अमेन्डमेन्ट रखा है।

दूसरा अमेन्डमेन्ट मैंने यह रखा है कि इसी उप-खण्ड की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में 'प्रदान' शब्द के स्थान पर 'अस्वीकृत' शब्द प्रतिस्थापित किया जावे।

इसमें, सभापति महोदय, जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखे हैं, इनकी भावना यही है कि इसके अन्दर उनका खुला छोड़ दिया है, इसमें लिखा है कि "आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर आवेदित अनुज्ञा का मन्जूर या नामन्जूर नहीं करता है अथवा आवेदक को नामन्जूरी की सूचना नहीं देता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित अनुज्ञा प्रदान करना समझा जायेगा।" इसमें, सभापति महोदय, अधिकतर यही खतरा रहेगा कि ऑफिसर और वह पार्टी अगर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट से मिल जाते हैं तो लोक हित में बड़ा भारी नुकसान होने का अन्देशा है। इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि अगर कोई निर्णय नहीं होता है, अगर स्वीकृति या अस्वीकृति की उसको कोई सूचना नहीं मिलती है, यह निर्णय नहीं होता है कि उसका आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया गया है तो उसको रिजेक्टेड माना जाना चाहिये ताकि यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाय कि दोनों की मिली-भगत से नुकसान हो जाय। यह प्रेक्टिस में देखने में आया है, इस बिल के अन्दर इस खतरे को महसूस करके

(श्री रतीराम यादव)

आयन्दा के लिए खत्म कर दिया जाए, इसी वजह से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री सभापति : श्री हुडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हुडा : अमेन्डमेन्ट यह है कि उप-खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अनुज्ञा प्रदान करना समझा जायेगा" के बजाय शब्द "द्वारा आदेशित अस्वीकृत समझा जायेगा" प्रतिस्थापित किया जावे। इसका अर्थ यह निकलता है कि यह अधिकार, लेटिट्यूड ब्यूरोक्रेसी का नहीं देना चाहते जो इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सीधी सी बात है कि जिस आदमी को स्वीकृत करना है, उसको खींचने का और कोई तरीका नहीं है। फिर एक महीना तो मामूली एल. डी. सी. भी कागज को, निकालने में लगा देगा उसका हाथ लगे तो उसकी मेज पर जो ढेर लगा रहता है, उससे निकालने में ही 15 दिन लगा देगा। इतना बडा लेटिट्यूड स्ट्रिंजेन्ट नहीं हो। मन्त्री महोदय भी गांव से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही स्पष्टवादी हैं तो स्पष्टवादी तरीके से ही इसको स्वीकार करेंगे और लेटिट्यूड ब्यूरोक्रेसी को नहीं देगे। कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनको खींचने का यही तरीका है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, आपको कुछ कहना है?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रारम्भ में ही जानकारी हो गई थी माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट की। संक्षेप में मैंने चर्चा भी की थी। मान्यवर, यह इस बात का प्रतीक है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के अध्ययन में काफी दिलचस्पी ली है और एक एक कॉलम को पूरे गौर से देखा है, इसके इम्पलीकेशन्स क्या होंगे यह जाहिर किया है। तो, मान्यवर, यह बात सही है कि कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को यह अवसर है कि यदि एक महीने में वह डिसाइड नहीं करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को जिसका क्लियरेन्स नहीं मिलने वाला है, फायदा हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इसमें बहुत ही इन्टेन्डेन्ड और लिमिटेड रेफरेन्सेज हैं जिनके आधार पर रिफयूज करने का प्रश्न आता है और कोई भी कॉम्पीटेन्ट ऑथारिटी एक महीने में क्लियरेन्स नहीं दे सके अथवा स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों में से कुछ भी नहीं करे तो यह समझें कि वह अनुज्ञा प्राप्त होगा। अब प्रश्न यह आता है कि रिफयूज नहीं करता है तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। वह व्यक्ति जो यही चाहता है, उसको अनुमति हो जाती है। यह चैक करने के लिए माननीय सदस्य का सुझाव है कि तीस दिन में डिसाइड नहीं होता है तो उसे स्वीकृत माना जायगा। मैंने निवेदन किया था, अग्रवाल साहब ने सुझाव दिया, गुफ्तगू हुई, आपका विचार है और इनके विचार हैं, मुझे दोनों विचारों में असमानता नहीं दिखाई दी। मैं पसन्द करता हूं और जी चाहता है, मैं इसे स्वीकार कर लूं, लेकिन इससे कठिनाई बढ़ जायगी, कठिनाई इस कदर बढ़ जाएगी कि वह लोग, जो वास्तव में जेनुइन हैं, इसमें फंस जायेंगे। इसलिए मैंने जैसा पहले अर्ज किया, मैं उसे फिर

Page No 98

(98)

(श्री रामनारायण चौधरी)
दोहरा देता हूं कि कोई कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी राजस्थान में ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर यह चार्ज लगायें कि महीने में डिसाइड नहीं किया है। अगर किसी काम्पीटेन्ट आथोरिटी पर इस प्रकार का चार्ज लगायेंगे तो दूसरी तरह उसकी व्यवस्था कर देंगे। मैंने निवेदन किया, काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी की तरफ से लेप्स है तो उस लेप्स के आधार पर गवर्नमेन्ट गम्भीरता से डील-विद करेगी। आप जो आशंका कर रहे हैं, यह आशंका मैं समझता हूं, आशंका ही रहेगी और लेप्स होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। जो आपके अमेन्डमेन्ट की भावना है, उसकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन इससे लोगों की कठिनाई बढ़ जाएगी, और नेगेटिव एप्रोच हो जाएगा। आज तक व्यवस्था है उसमें यह है कि एक समय तक नहीं होता है तो मान लिया जायगा। मान लिया जाय तो काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी होती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, दोनों माननीय सदस्य से, कि इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की कृपा करें।

श्री सभापति : वापिस ले रहे हैं ?

श्री रतीराम यादव : मैं प्रेस कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है ……

श्री सभापति : निवेदन करने का वक्त नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He has got the right to reply.

श्री रतीराम यादव : मैंने जो संशोधन मूव किया है …

श्री सभापति : बहस की स्थिति नहीं है। आप प्रेस करना चाहे तो प्रेस करिये। ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री रतीराम यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'हां' पक्ष, जीता।

श्री खेतसिंह : Noes have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : घण्टी बजाकर देख लीजिए। अभी देख लीजिए।

(मत विभाजन सूचक घण्टी)

श्री सभापति : मैं दोनों संशोधन को पुनः मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व श्री रतीराम यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए
प्रश्न यह है ……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'ना पक्ष' जीत गया, साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से खण्ड 12 तक स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से खण्ड 12 तक स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय...

श्री सभापति : खैर, संक्षेप में बोलिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, यह विधेयक खण्डशः भी मन्जूर हो गया है। हमारे दल के साथियों ने इस बात का प्रयत्न किया कि जो उद्देश्य इस बिल का है, उसके अनुरूप इस विधेयक को बनाया जाय ताकि इसके लक्ष्य की पूर्ति हो सके। यद्यपि आप अपने बहुमत की बुनियाद पर इस विधेयक को पास कराने में समर्थ होंगे, लेकिन जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, हमारे और उनके उद्देश्य में फर्क नहीं था। एक तो इस बात पर विचार करें, वैसे इनको जल्दी ही इसमें अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता महसूस होगी, किन्तु इस बिल को कॉम्प्रीहेंसिव बनाने की आवश्यकता थी। अब नगरों में, कम से कम राजस्थान के पांच नगरों में एक और केन्द्रीय कानून, अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट भी लागू हो गया है और उस एक्ट के तहत सीलिंग से अधिक जमीन भी और सीलिंग के अन्तर्गत भी रहने वाली जमीन के हस्तान्तरण पर किसी न किसी प्रकार की रुकावट की है, लेकिन वह रुकावट इतनी अफेक्टिव नहीं है, जितनी कि अफेक्टिव इसमें पीनल प्रॉविजन कायम करके हमने की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जो उद्देश्य तथा कारणों का विवरण आपने इस विधेयक में प्रस्तुत किया है, वह उद्देश्य केवल मात्र जिन जमीनों को एक्वायर कर लिया, या एक्वायर कर लिए जाने वाली है, उन पर लागू करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। एक तो कृषि भूमि, दूसरा सीलिंग के तहत, अर्बन सीलिंग के तहत आने वाली भूमि को भी जब तक इसके कार्य क्षेत्र में नहीं लायेंगे तब तक इस प्रकार से उनके हस्तान्तरण से जो गरीब लोग ग्रस्त हो रहे हैं, उन लोगों को राहत नहीं दे पायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिक समय नहीं लूंगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे केसेज शायद कम हों, जिन लागों ने एक्वायर्ड लैंड बेची हो,ऐसे केसेज भी कम हों, जिनमें लोगों ने इन्टेन्डेड एक्वीजिशन वाली लैंड बेची हो। ऐसे केसेज की बहुतायत है शहरों के अन्दर जो इन दोनों परिभाषा में नहीं आते लेकिन कृषि भूमि हाने के नाते लैंड रेवेन्यू एक्ट, टिनेन्सी एक्ट के तहत विभाजन नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती। आम तौर पर उसमें खरीददार का नुकसान होता है। बेचने वाले पर पाबन्दी नहीं है, उसका नतीजा है, म्युनीसिपेलिटी, नगर परिषद्, नगर विकास न्यास इजाजत नहीं दे रहा है। दोनों की स्वीकृति के बिना ही अन-आॅथोराइज्ड कन्सट्रक्शन करें या नहीं करें-इस तरह से यह प्रश्न, यह हालत सबके सामने पैदा हो रही है। बेचने वाला है वह पैसा लेकर चैन की नींद ले रहा है। हम इन्तजार कर रहे हैं। तो जिस गरीब ने खरीदी, इसको पेनेलाइज क्यों कर रहे हैं ? इस तरह प्रोत्साहन अन-आॅथोराइज्ड आॅकूपेन्टस को मिल रहा है। जो उद्देश्य था उसको इसमें इन्वलूड न करके इसे अधूरा रखा है। फिर जिसके लिए बनाया उसके लिए अमेन्डमेन्ट नहीं मन्जूर किया, जिसमें था कि एक महीने तक निर्णय नहीं होने पर उसको मन्जूर माना जायगा। यह अपने आपमें सारी मेहनत को नेगेट कर देता है। यह बिल बना रहे हैं, इसमें इसको नेगेट कर देते हैं। और नेगेशन ही नहीं इस बिल की दूसरी धाराओं में आपस में विसंगति है क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने वाले को यह कहते हैं धारा 8 में, रजिस्टर करने वाला जब तक उसकी अनुज्ञा नहीं मिल जायगी तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अब आप कल्पना कीजिए एक, महीने तक इजाजत नहीं मिली, इस बिना पर अमुक व्यक्ति कहता है मुझे इजाजत मिल गई और रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है,। रजिस्ट्रेशन वाला कहता है कि इजाजत लाओ। आदमी कहेगा कि मुझे एक महीने से ज्यादा हो गया दरख्वास्त दिए और क्योंकि रिजेक्ट नहीं हुई इसलिए उस बिना पर मैं अपना एप्लीकेशन स्वीकृत मानता हूं। रजिस्ट्रेशन वाला कहेगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं इसका काॅग्नीजेंस नहीं लेता। मुझे तो धारा 8 साफ कहती है कि दस्तावेज की तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि ऐसे ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखित में आज्ञा पेश न कर दें। इसलिए धारा 5 की उप-धारा (5) इसमें मदद नहीं करेगी। वह तो लिखित में मांगेगा, लिखित में नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं करेगा। तो इस धारा में असंगति है और अननेसेसरी लोगों को लिटीगेशन में जाना होगा। अगर एक महीने में आप उसका नामांतरण मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक महीने से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा केवल कोर्ट से इजाजत ले सकते हैं। इसलिए आपकी भावनायें अच्छी होते हुए भी इसका फ्रेमिंग क्रूड तरीके से हुआ है और जो धारायें बनी हुई हैं सीमित हैं इसलिए इस पर विचार करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार

(श्री रामनारायण चौधरी)
व्यक्त किए हैं उनका और मेरी इस बिल के संबंध में चर्चा भी हुई और आपने यह फर्माया कि सारे कानून की मन्शा एक व्यवस्था से नेगेट हो जाएगी। यहां नेगेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसमें किसी को खुला नहीं छोड़ा गया है एक महीने के अन्दर नो-ऑब्जेक्शन क्लियरेंस देने की व्यवस्था की गई है। उनको एक महीने में डिसाइड करना होगा और यदि नहीं करते हैं तो इससे दूसरे पक्ष को फायदा हो जाता है तो मैंने सदन में आश्वासन दिया है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि यह जो एक महीने की व्यवस्था है उससे किसी को नाजायज फायदा उठाने के लिए हम गुंजाइश नहीं रहने देंगे। मै माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं और विचारों की दाद देता हूं लेकिन इस बिल का धारा 9 में है—"If any person contravenes the provisions of section 3 or section 4...."

Now section 3 is about prohibition of transfer of lands acquired by the State Government and section 4 is about the restriction on transfer of lands in relation to which acquisition proceeding have been initiated. For contravention of the Provisions of these sections, a person "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or fine or with both".

तो मैं समझता हूं आपने यह बात कही कि इसको ब्राड-बेस्ड बनाया जाना चाहिए, यह सही है जो जमीन अन्डर एक्वीजिशन है और जिसकी एक्वीजिशन की संभावना है, प्लॉन में है तो उस तक ही सामित रखा गया है। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे 5 बड़े शहरों में कृषि भूमि को बेचा जा रहा है। खरीददार घाटे में जा रहा है और बेचने वाला मुनाफे में जा रहा है और लैंड रेवेन्यू एक्ट टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान हैं, वे इस प्रकार के सब-डिवीजन्स को एलॉऊ नहीं करते। जैसा आपने कहा सही है, उससे खरीददार ही घाटे में जाता है। तो यह चीज इस कानून के लागू होने के बाद जब देखी जाएगी और तरमीम की आवश्यकता हुई तो कानून जो बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है, सदन सक्षम है, सरकार देखेगी कि इस कानून के प्रॉविजन्स को डिफीट करने की चेष्टा कर रहे हैं तो हम शांत नही बैठेंगे, व्यवस्था करेंगे। जो जमीन से नाजायज फायदा उठाकर भोले भाले लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे तो कानूनी प्रॉविजन्स इस प्रकार से सेल्स का रोकें, इसके लिए क्या प्रावधान आने चाहिऐ, उनको लाने के लिए उस समय विचार करेंगे। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है कि जो आप कहते हैं वह नहीं हो सकता है लेकिन हमने काफी हद तक प्रयत्न किया है फिर भी कहीं भी कमी होगा और समाज विरोधी तत्वों द्वारा इसकी मन्शा को डिफीट करने का प्रयत्न होगा तो आवश्यक संशोधन भी लाए जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी अनुमति से एग्रीमेंट हो गया था कि मेरे वाले बिल को पहले लिया जाएगा, जो छोटा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : छोटा नहीं खोटा है।

श्री सभापति : पहले विश्वविद्यालय वाले को लिया जाए।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

"राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को क्रमशः एक सप्ताह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय"।

श्री दीपंकर : सभापति जी, मुझे जानकर खुशी है कि तीनों विश्वविद्यालयों में करीबन 30 स्थान प्रोफेसर्स और रीडर्स के खाली थे, लेक्चरार्स के करीब 250-300 स्थान खाली थे, उनको भरे जाने के बारे में शिक्षा मन्त्री ने व्यवस्था सोची। इस विषय में जो चयन समिति की विधि प्रसारित की थी उसमें मन्त्री जी ने अभी अभी कुछ और संशोधन देकर उसे बदल दिया, इसलिए हमारा विचार भी कुछ बदल गया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि बड़े डेमोक्रेटिक वे में संशोधन स्वतः डाला दिया। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही लंबे समय से 10-10 साल से कुछ अध्यापक काम कर रहे हैं और वे लोग इस आशा में हैं कि हमें कन्फर्म किया जायगा। परन्तु जब चयन समिति के समक्ष ये लोग आयेंगे उस समय मुश्किल होगी कि जिनकी सेवायें 10-10 साल तक की हो गई हैं वे यदि सलेक्ट नहीं हुए तो कहां जायेंगे? उनको कौन सेवा में लेगा? तो इसका भी शिक्षा मंत्री कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। सन् 1973 के अन्दर ओमप्रकाश की अध्यक्षता में तीन आदमियों की कमेटी का गठन किया गया था उसने सिफारिश की थी कि जिनकी सेवाओं को तीन साल हो चुके, उनको कन्फर्म कर दिया जाए। उस कमेटी ने यह बात भी ध्यान में रखी कि जिन

(श्री दीपंकर)

अध्यापकों को 10-10 साल तक हो चुके हैं वे महरूम न रह जायं नौकरी न से, इसकी कोई व्यवस्था हो।

बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान जैसे प्रांत में तीन विश्वविद्यालय हैं और ये हिन्दुस्तान की बढ़िया यूनिवर्सिटीज में से हैं। मैं इनके वाइस-चांसलर्स पर कोई चार्ज नहीं लगाता, व्यक्तिगत करेक्टर पर नहीं जाता परन्तु इस सदन में प्रश्नों के जरिये और मांगों के समय यह चर्चा होती रही है कि इन तीनों में उदयपुर के लिए कहा जाता है कि उनका आर. एस. एस. से सम्बन्ध है। इस तरह से जो प्रतिबंधित संस्थायें हैं उनसे उनका सम्बन्ध हो और जहां आने वाली पीढ़ी के लिए सोपान बनाने का मार्ग है उसमें अच्छे व्यक्तियों को नहीं रख सके तो हमारी कमजोरी है। तो इसके लिए जांच बिठायें और उसमें साबित हो जाए, दरअसल किसने क्या कर रखा है, यह स्पष्ट हो जाय। जब तक तीनों विश्वविद्यालयों की स्थिति साफ नहीं होती है तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों के मुकाबले जो गणना है, उसमें हल्के पड़ जायेंगे। एक तरफ हमारे पास बड़ी हस्ती हैं जिन पर हमें गर्व होता है। श्री माली जैसे व्यक्ति को उदयपुर ने दिया है जो भारत सरकार के शिक्षा मन्त्री भी रहे और उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रांत में हिन्दु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे जहां आर. एस. एस. का गढ़ था। उनको आप क्यों नहीं लेते हैं? इसका क्या कारण है? आज हमारे यहां पर हमेशा सदन में इन कुलपतियों के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता ही रहा है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में काफी चर्चा हुई थी और उनके कारनामे भी यहां पर बताये गए थे? तो इस तरह अगर आप ऐसे लोगों को कुलपति बनावेंगे तो मैं समझता हूं हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार इन कुलपति ने अपने यहां पर लेक्चरारों के चयन में और चीजें वगैरह खरीदने में काफी गड़बड़ियां की हैं। इतना ही नहीं यह कुलपति ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसे वर्ग से सम्बन्ध कर रखा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसकी यहां पर चर्चा भी हुई थी, और कई बार अखबारों में आया था। तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने ऊंचे पद पर उनका बने रहना शोभायमान नहीं होता। शिक्षा के सर्वोच्च स्थान के लिये आपका ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि सर्वोच्च व्यक्ति ही बैठने चाहिये। इसके लिए अगर हमारे यहां पर कोई व्यक्ति आपको अवेलेबल नहीं हो तो आपको चाहिए कि आप प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आउट साइड से लायें। आप खुद कोशिश करिये हमारे यहां भी आपको ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे यहां के कोठारी साहब यहां से बाहर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के चेयरमेन थे। उनको लोगों ने परखा और देखा। लेकिन हमारे द्वारा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को परख नहीं सकने के कारण ही हमारे यहां के लोगों को मौका नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर गम्भीरता से सोचे। इसके अलावा आज आप एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट उदयपुर विश्वविद्यालय का दे रहे हैं। यह कहां तक न्याय संगत है? मैं

(श्री दीपंकर)

समझता हूं कि यह असंगत है। इस उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में कई बार सदन में बातें आयी हैं और अब समय नहीं है कि उनके कारनामों पर परदा डाला जाये। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों कुलपतियों के खिलाफ में एक जांच आयोग बैठाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह इस हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेकर एक जांच आयोग जो इन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके बारे में बैठायें जिसमें यहां के सदस्य भी मेम्बर हों और फिर वह आयोग सभी की जांच करे। वैसे जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में तो जांच बैठाने का शिक्षा मन्त्री जी कह रहे थे। इसके अलावा, सभापति जी, हमारे यहां पर जो खाली स्थान हैं उनको भरने में, लेक्चरार्स की भर्ती करने में आप इतना जरूर ध्यान रखें कि जो पुराने आदमी यहां पर काम कर रहे हैं उनको बेकार नहीं कर दिया जावे। उनके ऊपर थोड़ी दया रखना ऐसा मेरा निवेदन है। इसके अलावा, जैसी कि पहले शिक्षा मन्त्रीजी ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध जांच आयोग बैठाने की बात की थी वह सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसको तीनों ही यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के बारे में जांच करनी चाहिए। आज जो यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी तह में जाने की हमें जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं, सभापति महोदय, आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक जांच आयोग बैठाया जावे। वह पता लगाये कि कौन आर. एस. एस. को या आनन्द मार्ग को इनमें संरक्षण देता है या किस स्तर पर कौन उभर कर हमारी यूनिवर्सिटीज में ऊपर जा रहा है। आज हमने हमारे यहां पर इमर्जेन्सी लगा रखी है और उसमें ऐसी प्रवृत्तियां को रोकने के लिए कार्यवाहियां कीं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। लेकिन यह कौन लोग हैं जो पीछे बैठे बैठे हमारे विद्यार्थियों में जहर फैला रहे हैं? आज जो लोग साम्प्रदायिकता की भावनायें फैला रहे हैं उन्हें हमें रोकना होगा, नहीं तो आज हम जो कुछ भी इमर्जेन्सी के अन्दर कर पाये हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल भदादा।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक व अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 जो सदन में प्रस्तुत है उससे तो ऐसी चयन समिति का गठन होगा कि जिससे राजस्थान की प्रतिभायें मुंह ताकती रह जायेंगी। उन्हें कभी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य का अवसर ही नहीं मिल पायेगा। आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है उसमें क्या कुलपति, क्या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट, और क्या डीन सभी विशेष क्षेत्र के इन्ट्रेस्ट रखते हैं। इसलिए आज

(श्री भंवरलाल भदादा)
हमारे यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। राज्य की नवोदित प्रतिभाओं में रोष है। उनमें क्रोध की अग्नि धधक रही है। आज जो लोग अपने तिकड़मबाजी से कब्जा जमाये हुए बैठे हैं और अपने क्षेत्र के अयोग्य व्यक्तियों को जो, अपने प्रदेश में थर्ड ग्रेड होने की वजह से स्थान नहीं पा सके थे उन्हें यहां पर ऊंचे पदों पर लाकर बिठायें हैं। यदि उनमें योग्यता होती, ज्ञान की प्रखरता होती। तो क्या उनके लिए अपने प्रदेश में स्थान नहीं होते? जो अपने क्षेत्र में तिरस्कृत होते हैं, ठुकरा कर फेंक दिये जाते हैं वे क्षेत्रीय भावना, भाई-भतीजावाद से यहां लाकर बिठाये जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग महापुरुषों के शब्दों की दुहाई देकर अपने काले दामन को छिपाना चाहते हैं। अभी हाल में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के सचिव ने अपनी खाल को बचाने के लिए, अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिये अपने देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ जी के भाषणों के अंशों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किये हैं। इसमें चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ होती है। सभापति महोदय, इन लोगों के प्रयासों के उद्धरणों से ऐसा लगने लगता है कि मानो पोंगा पन्थी लोग धर्म का उपदेश देने की प्रवंचना कर रहे हों। कहां डॉक्टर राधाकृष्णन सर सी. वी. रमन, डॉक्टर भंडारकर और कहां अज्ञेय व उनके साथी सहयोगी। आज राजस्थान का युवक ज्ञान-विज्ञान, पठन-पाठन, योग्यता की क्षमता में किसी से कम नहीं है, अवसर मिलने ही की बात है। जहां भी राजस्थान के लोगों को अवसर मिला है उन्होंने अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता, ज्ञान-साधना का अच्छा परिचय दिया है और राजस्थान के नाम को रोशन किया है। कलकत्ता, बनारस आदि विश्वविद्यालय उनकी योग्यता और क्षमता से उजागर हैं।

श्री सभापति : यह आप कथा पढ़ रहे हैं।

श्री भंवरलाल भदादा : मैं खुद मेरी लिखा हुआ पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते।

श्री भंवरलाल भदादा : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो चयन समिति बनायी जाय उसके अन्दर ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जिससे कि हमारे राजस्थान के जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं वे उसमें चयन होने से वंचित रह जायं। चयन करने में कम से कम राजस्थान के उपयुक्त आदमियों को मौका मिलना ही चाहिए और क्षेत्रीय भावना से लाकर बिठाये जाने पर बन्दिश लगनी चाहिए।

एक पर्चा बांटा गया है अध्यापक विश्वविद्यालय संघ की ओर से। आखिर इस प्रकार के पर्चे बांटने की आवश्यकता क्यों हुई? इसमें चयन समिति के गठन की जो बात की गई है उसमें मुगालता देने की चेष्टा की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भी इसमें सलाह देने की हिमाकत की गई है। इस पर्चे में कहा गया है कि राजस्थान सरकार को इसकी

(श्री भंवरलाल भदादा)

पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। मैं उस बन्धु से पूछना चाहता हूं कि पैसे की आवश्यकता होती है या और कोई भी बात होती है तो शिक्षा मन्त्री और सरकार से उसकी मांग की जाती है लेकिन उनके कुकर्म पर जब अंकुश लगाने का अवसर आता है तो पवित्रता की बात की जाती है। सरकार को बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में किसी प्रकार का दखल नहीं करना चाहिए लेकिन यह नहीं हो सकता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों और वहां के विद्यार्थियों के बारे में राज्य सरकार उदासीन रहे और उनके हितों की रक्षा न करें। सरकार का यह परम पुनीत कर्त्तव्य है कि नौनिहालों के हितों की रक्षा करे और उनकी उचित शिक्षा-दीक्षा का वह बराबर ध्यान रखे। मैं समझता हूं कि यह एक पवित्र संशोधन प्रस्तुत हुआ है। इसमें एक्सपर्ट्स के चयन के लिए एक समिति के गठन का संशोधन जरूर किया गया है। 6 नामों का सुझाव इसमें दिया गया है। अमूमन 3 ही होते हैं। घुमा फिराकर द्रविड़ प्राणायाम करके उसी को अधिकार दे दिया है। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कमेटी बनायी गयी है एक्सपर्ट्स की चयन करने के लिये उसमें 6 नामों को हटा कर के तीन नामों को चयन करने के लिए रखा जाय और तीन एक्सपर्ट्स को ही चयन समिति में बुलाया जाय। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी ने जिस उदार भावना से राजस्थान के हितों को ध्यान में रखकर चार आदमियों की कमेटी बनाई है एक्सपर्ट चुनने के लिए उसको बरकरार कायम रखेंगे और 3 नाम सुझाने का प्रावधान करेंगे।

रूल्स मेकिंग पॉवर मूल प्रस्ताव में गवर्नमेंट और विधान सभा को दिए हुए हैं। नया अमेन्डमेन्ट जो प्रस्तुत है उसमें साल में किया पॉवर का जो दसवां क्लॉज है उसमें सिण्डीकेट को पॉवर दीये गई हैं। मैं यह उचित समझता हूं कि रूल्स मेकिंग पॉवर्स का जो अधिकार है जैसा एक्ट में है वैसा ही उसे रहना चाहिये न कि संशोधित रूप में। मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसको भी स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): सभापति महोदय, जो विधेयक पेश हुआ है वह 1½ वर्ष के बाद पेश हुआ है। 1½ वर्ष या दो वर्ष बाद पेश हुआ हो लेकिन आखिर में सरकार ने यह तो महसूस किया कि विश्वविद्यालयों में जो चयन होता है एक्सपर्ट्स का उसमें पक्षपात होता है इसीलिए वहां पर योग्य व्यक्ति सलेक्ट नहीं हो सके हैं। इसका परिणाम यह जरूर हुआ कि 1½ साल तक कोई मीटिंग नहीं हुई। जो लोग पद छोड़ कर चले गये वे पद खाली रह गये। 1½ साल तक एक वेक्यूम क्रीयेट हो गया। जो ऑर्डिनेन्स जारी किया था और बाद में उसको बिल का रूप देकर पेश किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रॉन्ट कमीशन को उसमें कॉन्फिडेन्स में लिया गया था। यदि नये लिये होते तो जरूर चयन करते। लेकिन इस प्रकार से 1½ साल तक

(श्री ग्रमृतलाल गहलोत)

वेक्यूम रहा। हालत यह हुई कि तीनों विश्वविद्यालयों में कई जगहें खाली पड़ी हुई हैं।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हम सम्मान करते हैं। जो सही रूप में विश्वविद्यालयों को देख पाये हैं वे इस बात से भली-भांति परिचित हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है वास्तविक रूप में। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के सीनेट का मेम्बर हूं, विश्वविद्यालय जोधपुर की सीनेट का मैं मेम्बर था। इसके साथ-साथ मुझे ग्रध्यापकों से मिलने का मौका मिलता रहा है। उनके दुःख-दर्द को सुनने का मुझे मौका मिलता रहा है। शायद इस सदन के माननीय सदस्य यूनिवर्सिटी के नियमों से परिचित नहीं होंगे। विद्वान् होना और चीज है और सत्यवादी होना और चीज है। जो बेईमान होता है वह गलत भी होता है। विद्या के मन्दिर में भयंकर गुटबन्दियां, क्षेत्रीयवाद और जातिवाद चल रहा है और जब वहां इस तरह का वातावरण होता है तो कौनसे योग्य व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। थर्ड ग्रेड रिजेक्टेड ग्रादमियों को भर दिया जाता है। राजस्थान के बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दिया जाय यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर उन बच्चों से यह ग्रपेक्षा करें कि वे देश और समाज की सेवा करेंगे, यह ग्रसंभव चीज है।

सभापति महोदय, हमारे सामने यहां सदन में ग्रमेन्डमेन्ट पेश किया गया। उससे पहले ग्रार्डिनेन्स निकला था और उसको विधेयक का रूप दिया गया था। उसको देख कर बड़ी निराशा हुई थी। पिछले वर्ष यहां यह कहा था मैंने कि सीनेट का रिकान्स्टीट्यूशन होना चाहिए। ग्रमेन्डमेंट लाकर उस सिन्डीकेट को खत्म कर दिया गया, न विधायक हैं और न कोई और। सब चले गए। केवल एक ग्रादमी के हाथ में सारी सत्ता चली गयी। बाहर का भय न हो और ग्रन्दर का विवेक न हो तो उसका हाल क्या होता है? उसका हाल वही होता है जैसे बिना ब्रेक की मोटर गाड़ी का होता है। जब उनको पूरी सत्ता मिल गयी है तो बिना ब्रेक की गाड़ी को चलायेंगे और उसके दुष्परिणाम भी होंगे। यूनिवर्सिटी में गुटबाजी का बोलबाला और क्षेत्रीयता और जातिवाद का बोलबाला। मैंने यहां तक पॉइन्ट ग्राउट किया था कि इन्टेलीजेन्सिया क्या है, किस प्रकार से गुट बन्दियां हैं और किस प्रकार से विद्यार्थियों को राजनैतिक दृष्टिकोण से ढाला जाता है इसका लेखा जोखा मिलता है। इमर्जेन्सी ग्राते ही वह बवाल खत्म हो गया। बाहर से तो यह हो गया लेकिन ग्रन्दर पनप रहा है और समाप्त नहीं हुग्रा है। ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन नहीं मिले इसकी बड़ी ग्रावश्यकता है। जो बाद में ग्रमेन्डमेन्ट ग्राया उसका मैं स्वागत करता हूं। 1॥ साल बाद ग्राया, ग्राया तो सही, 6 ग्रादमियों का ग्राप पैनल मानते हैं। कितने एक्सपर्ट्स 6 को ढूंढने में हैं और उनकी नियुक्ति में चॉइस क्या है। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संख्या सीमित करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय छः के बजाय तीन ही रखें। जो ग्रॉर्डिनेन्स निकला था, मैं रोजमर्रा सुनता था कि यह हो गया वह हो गया। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ग्राता नहीं।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कानून का रूप दे दिया तो स्थायी रूप से अंकुश लागू हो गया।

सभापति महोदय, यह दो साल, पौने दो साल का वैक्यूम रहा इस वैक्यूम में हमारी युनिवर्सिटी एजुकेशन को बहुत धक्का पहुंचा, क्योंकि पद खाली रह गये और कुछ युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने पोस्ट सैंक्शन की थीं वह लैप्स हो गयीं। उधर तो पोस्ट खाली रहीं और उधर विद्यार्थियों की पढ़ाई मारी गयी। यह ठीक नहीं हुआ। आपको ठीक समय पर कदम उठाना चाहिए था वह आपने नहीं उठाया।

दूसरे, सभापति महोदय, मेरा कल एक प्रश्न था। मैं किसी कारणवश हाजिर नहीं हो सका था। मैंने प्रश्न किया था कि जब पड़ौसी राज्यों में नये वेतनमान लागू हो गये हैं तो हमारे यहां वह क्यों नहीं लागू हुए? नये वेतनमान पास के राज्यों में लागू होने से यह हुआ कि यहां के अच्छे अध्यापक वहां जा रहे हैं। बिहार हमसे भी ज्यादा गरीब राज्य है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में नये वेतनमान लागू हो गए, हरियाणा में हो गए, पंजाब में लागू हो गए और मध्यप्रदेश में भी शायद लागू हो चुके हैं। तो जब पड़ौस के राज्यों में नये वेतनमान लागू हो चुके हैं तो हमारे यहां क्यों नहीं हो रहे हैं? आप शायद लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सभापति महोदय, आपने कमेटी बनाई। जब कोई काम नहीं करना होता है तो कमेटी बना देते हैं और फिर कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है पर उस पर कभी काम नहीं होता है। यह मुगालता देने का अच्छा तरीका है कि कमेटी एपॉइन्ट कर दी जाये। फिर कमेटी पर कमेटी और कमीशन पर कमीशन चलते रहते हैं और काम कुछ होता नहीं है। दर असल जरूरत यह है कि हम साधन कहां से लायें। इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। दरअसल बात यह है, मेरे इस सुझाव को माननीय सदस्य अच्छा समझते हैं या नहीं, यह अलग बात है, मेरा निवेदन करना यह है कि आप एक सूची मंगायें कि पड़ौसी राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें फीस क्या है? मैं समझता हूं कि अपने यहां फीस बहुत कम है। यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज रेज नहीं कर सकती तो आप जो ग्रान्ट देते हैं और जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ग्रान्ट देता है उससे इतना पैसा प्राप्त नहीं हो सकता कि नये वेतनमान दिये जा सकें। इसलिए हमारी शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री अमृतलाल गहलोत : सभापति महोदय, पड़ौस के राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार की आय प्रति व्यक्ति हमसे ज्यादा नहीं है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। फिर भी वह नये वेतनमान दे पाते हैं तो देखना यह है कि इसका क्या कारण है? हमारे यहां फीस बहुत कम है और वहां ज्यादा है। आप बिना वेतनमान दिये शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना चाहें तो यह उचित नहीं है। विद्यार्थियों की फीस हमारे यहां बढ़ाई जाये। आप इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से सूची मंगायें कि वहां पर विद्यार्थियों को कितनी फीस देनी होती है। यदि विद्यार्थियों की फीस बढ़ाई जा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

सकती है, और कुछ रिसोर्सेज और भी तरीके से रेज किये जा सकते हैं ताकि हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को नये वेतनमान दिये जा सकें तो मैं समझता हूं कि गिरते हुए स्तर को हम बचा पायेंगे वरना आप देखेंगे कि कुछ समय बाद हमारे जितने भी अच्छे अध्यापक हैं वह चले जायेंगे और आने वाले विद्यार्थी हमको दोष देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि समय पर उन्होंने संशोधन पेश किया है लेकिन मैंने कहा कि 6 के बजाय 3 कर दिया जाय, अगर ऐसा किया गया तो उचित होगा।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, पिछले वर्षों में यूनिवर्सिटीज के एक्ट के अन्दर राज अमेन्डमेन्ट बिल इस हाउस के अन्दर आते रहे हैं और अगर मुझे ठीक याद है तो गये वक्त में एक बिल माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इन्ट्रोड्यूस किया था तो भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल में बहुत खामियां हैं और उसकी दुरुस्ती कर सकें तो अच्छा है और न भी करें तो बिल तो आखिर पेश हो जायेगा और पास भी हो जायेगा, लेकिन आपका हाउस के अन्दर दुबारा आना पड़ेगा दूसरे अमेन्डमेन्ट्स लेकर। और आज वही स्थिति है।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज मौलिक रूप से इस बिल के ऊपर शिक्षा मंत्री जी ने किसी भी स्टेज पर खुद के द्वारा या एजूकेशन कमिश्नर के द्वारा या दूसरे एजूकेशनिस्ट्स से कन्सल्टेशन करके थॉटफुल कन्सीडरेशन नहीं दिया गया कि इस विश्वविद्यालय के अन्दर यह बिल कितना सुधार ला सकता है, और मिनिमम एग्रीमेन्ट कितना हो सकता है मेम्बर्स के अन्दर। लोगों से पूछकर और चेपाचापी करके अमेन्डमेंट रख दिया है। तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सलेक्शन का क्या प्रोसेस हो और क्या प्रोसेस नहीं हो और सलेक्शन कमेटी का क्या कम्पोजीशन हो यह बातें बहुत सैकिण्डरी हैं। प्राइमेरिली देखना तो यह है कि हम इन्डीविजुअल बात के ऊपर नहीं भी जायें तो आज जो भी बिल पेश होना है अगर यह सोचकर पेश होना है कि डाक्टर जी. सी. पाण्डे को यह पॉवर्स नहीं मिलें और मिल भी जायें तो यह सही नजरिया नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर पाण्डे आज हैं कल दूसरा वाइस चान्सलर हो सकता है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति वाइस चान्सलर हो लेकिन सलेक्शन कमेटी का यह प्रोसेस ऑफ सलेक्शन रहेगा—यह विचार लेकर शिक्षा मंत्री जी चलें और इसके अन्दर पूरी मेहनत से दिमाग लगायें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तीन दिन के अन्दर आप ग्रॉन्ट इन एड भी बांट दो, और चीफ व्हिप का भी काम कर लो, बिल भी तैयार कर लो मैं समझता हूं कि यह इतना सरल नहीं है और उसका नतीजा यह है। हम कहते हैं कि सलेक्शन का प्रोसेस यह होना चाहिए और इसको काट दो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि वाइस चान्सलर को हटाने के लिए कोई प्रोविजन

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
है इस एक्ट के अन्दर नहीं है। आप देखिये क्या हालत है? इसको आप एन्टीसिपेट कीजिए। मान लीजिए कि कल को, मैं किसी वॉइस चान्सलर पर इन्डिवीजुअल इल्जाम नहीं लगाता कि फलां आदमी ऐसा है, लेकिन कोई वाइस चान्सलर ऐसा है जो किसी प्रकार से वाइस चान्सलर अपॉइन्ट हो जाये और उसके बाद यह मान लिया जाय कि वह आदमी बिल्कुल अनडिजायरेबल साबित हो गया तो आप यह तो देखिये कि सिन्डीकेट का कम्पोजीशन क्या है? एक वाइस चान्सलर, दो प्रोफेसर्स नॉमिनेटेड बाई दी वाइस चान्सलर और दो डीन नोमिनेटेड बाई दी वाइस चान्सलर। इस तरह से पांच मेम्बर्स होते हैं और दूसरी तरफ डाइरेक्टर कॉलेज एजूकेशन और दो वॉइस चान्सलर के नॉमिनी और एक गवर्नमेन्ट का नॉमिनी। वाइस चान्सलर चाहे कि मैं दादागिरी करूं तो कर सकता है। अगर करना चाहे और करता रहे और गवर्नमेन्ट इस बात से सन्तुष्ट हो जाये, हाउस में बात आये और नहीं भी आये और अदरवाइज गवर्नमेन्ट सेटिस्फाइड हो जाये कि वाइस चान्सलर को रखना जरूरी नहीं है तो आप बतायें कि आप क्या कर सकते हैं? सिवाय इसके कि ग्रान्ट-इन-एड का डंडा बजायें। तो यह डंडा तो यूनिवर्सिटी पर बजेगा। यूनिवर्सिटी कोई वाइस चान्सलर नहीं बनाता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स की होती है तो आप एड बन्द कर दीजिए। आपके पास कौनसी पॉवर्स हैं उसको हटाने की? वाइस चान्सलर को वहां पॉवर्स है कि एक दफा वाइस चान्सलर बन गया तो वह हट नहीं सकता। अभी शिक्षा मन्त्री जी जवाब देंगे कि आज तक किसी भी वाइस चान्सलर ने अपनी टर्म पूरी नहीं की। तो, श्रीमान जी, उस स्थिति में कम्पोजीशन दूसरा। बात, हर एक लॉजिक से और रीजन से तय होता है, कॉन्शस से तय होती थी लेकिन आज वाइस चान्सलर जो मर्जी आये वह कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं यह बतायें? आप कह सकते है डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिये तो आपने क्या किया? सीनेट की क्या हालत है? अभी सिन्डीकेट की मीटिंग हुई थी हमारे शिक्षा मन्त्री जी भी आए थे। मैं भी सीनेट का सदस्य हूं तो शिक्षा मन्त्री जी ने और मैंने वाइस चान्सलर ने साथ खड़े होकर बातें कीं। आप कहिए तो सही कि मेम्बर की हैसियत से कौनसी पॉवर्स एक्सरसाइज कीं? क्या पॉवर्स हैं आपको? एज ए एजूकेशन मिनिस्टर आपकी पॉवर हो सकती हैं। ग्राण्ड-इन-एड की पॉवर होगी, लेकिन आपको सीनेट के मेम्बर की हैसियत से क्या पॉवर्स हैं? क्या चैक एण्ड बैलेंस रख सकते हैं अपॉइन्टमेन्ट्स में? कुछ नहीं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आज की इमर्जेन्सी के अन्दर जो सिलेक्शन कमेटी बनानी हैं उसमें आपने जो अमेंडमेन्ट स्वीकार किया है इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने इतना तो माना कि कुछ गड़बड़ थी। लेकिन जो आपका ओरिजिनल बिल है उसमें वाइस चान्सलर को सर्व-सर्वा बना दिया यानि वाइस चान्सलर डीन ऑफ दी फैकल्टी है, उनमें से एक्सपर्ट्स को नॉमीनेट करे। आप सिण्डीकेट के नॉमिनी हैं उसको वाइस चान्सलर नॉमिनेट करेगा। डीन ऑफ दी फैकल्टी, हैड ऑफ

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
दी डिपार्टमेन्ट अगर प्रोफेसर है तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट प्रोफेसर को नॉमिनेट करेगा। कुल मिलाकर उसका जो स्वरूप है वह इस प्रकार का है कि यदि आप अकेले वाइस चान्सलर को ही कर दें तो वह ज्यादा बेहतर था लेकिन अब अमेन्डमेन्ट लाए हैं कि एजूकेशनिस्ट नॉमिनेट करेगा। एक तो चान्सलर नॉमिनेट करेगा और एक वाइस चान्सलर करेगा और सिण्डीकेट का नॉमिनी है वह गवर्नमेन्ट करेगी। यहां पर फिर मैं यह निवेदन कर दूं कि इन्डिवीजुअल का महत्व नहीं है, गवर्नमेन्ट सिण्डीकेट का नॉमिना नॉमिनेट करेगी। तो एड-हॉक अरेंजमेन्ट हा गया लेकिन ओरिजिनल बिल में सिन्डीकेट का कम्पोजीशन बदलना होगा। मैं तो यह समझता हूं कि गर्मियों की छुट्टियों में आप चले जाइये माउण्ट आबू, जोधपुर के पास ही है, आपका दौरा भी हो जाएगा और तसल्ली से सोचकर परमानेन्ट हल सोचिए।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय सदस्य को भी साथ ले जावें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मेरी सेवायें उनके बिल्कुल डिस्पोजल पर हैं शिक्षा मन्त्री जी के।

तो मैं निवेदन करूं कि यह उस सूरत में ठीक है। चलो लेकिन आपने यह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट रखा है, मेरे खयाल से शिक्षा मन्त्री जी इसका अर्थ समझे। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट का प्रोविजन रखा है लेकिन लिखा क्या है, Head of the Department if he is professor. यह डीन ऑफ दी फैकल्टी तो ठीक है लेकिन if he is a professor तो मैं आपसे पूछता हूं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो फिर क्यों बनाया ? हाईपोथेटिकल प्रोविजन क्यों घुसेड़ते हैं ? कम्पलसरी सुपरफ्लुअस प्रोविजन रखने से क्या फायदा है ? Head of the Department, if he is a professor. मैं आपको कहता हूं राजस्थान युनिवर्सिटा तो क्या तीनों यूनिवर्सिटीज के अन्दर रोटेशन हो चुका है और आज मुश्किल से ही हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट कोई प्रोफेसर होगा। तो यह बात आप देखिए। इसके लिए मेरा सुझाव है यदि सलेक्शन कमेटी में डिपार्टमेन्ट को रिप्रेजेंटेशन न मिले वह भी बात वाजिब नहीं हो सकती है। इसके लिए यह चाहिये कि Head of the Department will sit in the interview for the equivalent post. लेक्चरॉर की वेकेंसी है और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट लेक्चरार के रूप में है तो लेक्चरार बैठेगा। लेकिन प्रोफेसर में नहीं बैठेगा। अगर इण्टरव्यू प्रोफेसर का है और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट रीडर है तो वह प्रोफेसर के इण्टरव्यू में नहीं बैठेगा। उस सूरत में आप यह कीजिए कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा, मान लीजिए कि रीडर या लेकचरार है हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट तो प्रोफेसर के इण्टरव्यू में Head of the Department will sit in the interview for equivalent posts. एक तो यह आप न्यू कम्पोजीशन कीजिए। एक यह जो आपने कमेटी बनाई है जो छः आदमियों का पैनल बनेगा क्योंकि यह आपका डानशिप भी रोटेड हो चुकी है तो डीन ऑफ दी फैकल्टी भी यूनिवर्सिटी का दूसरा प्रोफेसर नॉमिनेट करे लेकिन फैकल्टी का जरूर

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
रिप्रेजेण्टेशन होना चाहिये और वह अपनी फैकल्टी को रिप्रेजेन्ट करने के लिए जरूरी भी है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

आपने अभी छः आदमियों का पैनल बनाया कमेटी के कम्पोजीशन का लेकिन छः व्यक्तियों के पैनल को आपने डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया वाइस चान्सलर के। तो वाईस चान्सलर के डिस्क्रिशन पर छोड़ना भी कोई अनुपयुक्त बात नहीं है, लेकिन आज की हालत को देखते हुए यह बहुत मुनासिब नहीं होगा। इसलिए तीन का ही पैनल कर दें। क्योंकि आपने जो कमेटी बनाई है वह इतनी अच्छा कमेटी बनाई है कि उसके अन्दर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें या उसमें सलेक्शन हो उसकी गुंजाइश नहीं रहती और उसका कोई औचित्य भी नहीं है। तो इसको आप करें।

शिक्षा मन्त्री जी अब मैं बिल के मुतल्लिक बात कहता हूं। अभी मैं दो तीन बातें कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पांच सात रोज पहले की ही बात है। उसी बात को बार बार कहना अच्छा नहीं है कि यह पांडे जी कभी आनन्दमार्गी थे या नहीं। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से यह लिखा गया है ऊपर। पहले तो यह था कि आनन्दमार्गी हैं लेकिन फिर किसी तरह से मैन्यूपुलेट करके नीचे भेज दिया कि आनन्दमार्ग की दो ब्रांचेज हैं; एक तो वह जो वायलेंट एक्टीविटीज को फोर्स करती हैं और दूसरी ब्रांच वह है जो स्प्रिचुअल एक्टीविटीज को फोर्स करती है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया कि हां यह बात सही है कि दो ब्रांचेज हैं। एक एकेडेमी है जो स्प्रिचुअल एक्टीविटीज को एक्टीवाइज करती है और दूसरी ब्रांच वायलेंट एक्टीविटीज को फोर्स करती है। तो यह भ्रम क्यों फैलाते हैं आप अगर आप यह समझते हैं कि वाकई में आनन्दमार्गी होना कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होती कोई स्टिग्मा नहीं है तो आप साफ साफ कह दीजिए, हम चुप बैठ जायेंगे। लेकिन यह क्या कमजोरी है कि हाउस में तो आप टालमटोल कर जाते हैं, यहां तो कह देते हैं कि हम जांच करवायेंगे और दूसरे रोज कुछ और करते हैं। यहां पर आप स्टेटमेंट देते हैं कि हम आनन्दमार्गी को बरदाश्त नहीं करेंगे और जांच करायेंगे, यह एक्शन लेंगे, वह लेंगे और भारत सरकार को कुछ लिख देते हैं। अगर आप मानते हैं कि आनन्दमार्गी है और उसका फासला एक ही है तो आप एक्शन लीजिए वरना आप कह दें कि यह स्प्रिचुअल एक्टीविटीज को फोर्स करते हैं और इसमें कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप यहां खड़े होकर डिफेंड करिये। जो आदमी यहां पर हाउस में नहीं है और उस पर एलीगेशन लगता है तो आपको डिफेंड करना चाहिये।

दूसरी बात यह है अब वह आनन्दमार्गी हैं या नहीं यह अलग चीज है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के अन्दर जब यह सिण्डीकेट का स्वरूप बदला है, सीनेट की स्थिति आप जानते हैं, आप जानते है कि सिण्डीकेट में क्या होता है? यूनिवर्सिटी के अन्दर एडवर्टाइजमेंट को बहाना ले करके फिल-अप कर देते हैं वेकेंसीज को। अभी एक प्राइवेट सेक्रेटरी रखा, उसको बाद में

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

चल-कर सेक्रेटरी बना दिया और अब डिप्टी रजिस्ट्रार की ग्रेड दे दी। ठीक है एक आदमी को क्या दे दिया, क्या नहीं दे दिया, यह मैटर नहीं है। यह बात जरूर मैटेरियल है शिक्षा मन्त्री जी, मैं निवेदन करूं कि आपके गवर्नमेंट के सलेक्शन्स ज्यादा ठीक हैं। यूनिवर्सिटीज के ग्रेड्स और एमोल्यूमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेज से बैटर हैं, यानि यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेजेज से बैटर क्वालिफाइड आदमी होने चाहिए। लेकिन आपकी गवर्नमेंट में पी. एस. सी. से जो लेक्चरार सलेक्ट होते हैं उनमें अगर थर्ड क्लास ग्रेजुएट है; third class at any stage is a disqualification. उनको नहीं लेते हैं जब कि युनिवर्सिटी में ऐसी अनेक एग्जाम्पल हैं हायर सैकेंडरी में, थर्ड क्लास, बी. ए. थर्ड क्लास और एम. ए. फर्स्ट क्लास। क्वालिफिकेशन थ्रू आउट दी कैरियर फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आप जानते हैं कि एम. ए. में कितना मेनुपुलेशन होता है। आप कहें कि नहीं होता लेकिन चांसेज तो हैं ना? आदमी का कैलीबर देखना हो तो लगातार फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। तो आपने जो यह रूल्स मेकिंग पॉवर्स डेलीगेट की हैं सिण्डीकेट को, प्रजेंट सेट-अप में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत मुनासिब नहीं है, और यह बात सही है कि एक बड़ी अन-एकेडेमिक बात रहेगी। कोई भी यह बात कह सकता है कि गवर्नमेंट का इण्टरफियरेंस कम होना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात से सब सहमत होंगे कि गवर्नमेंट को सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात रख कर सिण्डीकेट को पॉवर डेलीगेट करे। मैं यह मानता हूं कि तभी जाकर सलेक्शन ज्यादा बढ़िया होगा। इसलिए आप सलेक्शन बोर्ड को चेंज कीजिए और यह पॉवर्स अपने पास रखिए और काम्प्रीहेंसिव बिल बाद में लाइये। जो कमेटी में छः की जगह तीन का ही पेनल रखने का आपने अमेंडमेंट स्वीकार किया है वर्तमान हालत में मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) बिल, 1976 के लिए मैंने जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु भेजा है तो उसमें मेरा मूल उद्देश्य सुझावात्मक है। मन्त्री महोदय ने अभी हाल ही में कुछ ही मिनिट पहले जो संशोधन पेश किया, वास्तव में यदि हम उसका अवलोकन करते हैं तो यह बिल जो है वह हमें एक तरह से ऐसा दिखाई देता कि जिसमें हम यूनिवर्सिटी के ऊपर चैक एण्ड बैलेंस रख सकें। मान्यवर, मैं इस बिल का यह कहते हुए स्वागत करती हूं कि बहुत लम्बे समय से विश्वविद्यालय में बहुत स्थान रिक्त हुए पड़े थे। बहुत से प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरार्स के स्थान रिक्त थे, उन सब के सामने उनके भविष्य के लिए प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। वह स्थिति साफ हो गई है। ऐसी स्थिति में बिल पेश किया गया और उसमें जो अमेंडमेंट पेश किया गया है उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

मान्यवर, चयन समिति में आपने जो एक विशेष प्रकार का प्रॉविजन रखा है,

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

यह बात आपके विभाग ने देरी से सोची है कि युनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के नाम पर कितनी धांधलियां होता हैं, खास तौर से चयन के समय, किसी भी प्रकार का चयन किया चाहता है उस समय पक्षपात देखने को मिलता है। परन्तु यह बिल जो है, ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां है, उन पर चेक लगायेगा। अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही, इसमें निरन्तर परिवर्तन आया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होने चाहिये वह क्या शिक्षा संस्था जिसमें कोई परिवर्तन न आवे। इस स्थिति में यह बिल पेश किया गया है, यह आज का आवश्यकताओं के अनुरूप है, इसमें कोई शंका नहीं है।

इसके साथ ही इसमें जो चयन समिति के सदस्य रखे गये हैं, इसमें एक आपने गवर्नमेंट का नामिनी रखा है और उसके साथ ही साथ एक चांसलर का नॉमिनी रखा है। यह कदम सराहनीय है। इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को अपना नॉमिनी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिये जो शिक्षा के सम्बन्ध में, चयन के सम्बन्ध में, विशेष गुणों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो। यदि आप किसी ले मेन को नॉमिनेट कर दें तो उस स्थिति में यह कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा। यह कहावत चरितार्थ होगी कि मेम्बर ऊपर के ऊपर डिफेन्ड करता है। यह बात रहेगी कि चांसलर, वाइस चांसलर का वॉइस ही सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं और मैंने यह पहले भी दिया था, परन्तु शायद यह उचित नहीं समझा गया कि इसमें एक आर. पी. एस. सी. का नॉमिनी का होना अति आवश्यक है। यह कार्य यदि आप करेंगे तो उसमें निष्पक्षता अधिक आने को संभावना है।

मान्यवर, साथ ही खंड 4 और 5-वां जो क्लाज हैं, उसमें यह बात कही गयी है कि उसमें कुछ हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट होंगे। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस समय यह कन्डीशन है हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की, जो इस प्रकार का चयन करेंगे, किसी प्रोफेसर को आप रखियेगा तो उसमें दो बातें आपको और जोड़नी पड़ेंगी, एक तो यह कि वह सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो और दूसरी बात यह होगी कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हो। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को जोड़ना है तो उसके इक्वीलेन्ट पोस्ट का हो, लोअर पोस्ट का न हो। तो ऐसी स्थिति में यह निष्पक्ष रूप से व्यवस्था हो सकेगी।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस बिल में जो है वह एक्सपर्ट का है। वास्तव में एक्सपर्ट वह धुरी है जिसके ऊपर यह सारी चयन समिति निर्भर है। एक्सपर्ट किस प्रकार से रखेंगे इसके बारे में आपने खंड 8 में उल्लेख किया है। यह बताया है कि इसमें एकेडेमिक कौन्सिल के द्वारा जो नाम सजेस्ट किये जायें वाइस चांसलर के माध्यम से उनमें चार व्यक्तियों की एक कमेटी होगी जो तय करेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि एकेडेमिक कौन्सिल में पूरे विषयों का प्रावधान नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को ले लीजिए — ज्योग्राफी, सोशालोजी, म्यूजिक, होम साइन्स और उर्दू के प्रोफेसरों

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है, एकेडिमिक कौन्सिल में नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन से एक्सपर्ट इन लोगों के चयन के लिए बुलाये जाने चाहिए ? मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सभी विषयों के हैड हैं उनका एकेडेमिक कौन्सिल में प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से होना चाहिए। जैसे सब के सब 6 एक्सपर्ट के नाम भेजेंगे तो मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि यह केवल प्रॉयोरिटी बेसिस पर रहना चाहिए जिससे कि प्रॉयोरिटी के आधार पर तय किया जा सके कि कौनसा एक्सपर्ट बुलाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, मान्यवर, वह यह है कि इस बिल में आपने विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी पर किसी प्रकार का आघात नहीं किया है। हर स्थान पर आपने वाइस चांसलर को चेयरमेन रखा है और साथ ही साथ कुछ चैक हो सके, कुछ अन्दर से बेलेन्स कर सके, इसके लिए व्यवस्था की है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस बिल से विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी समाप्त हो जायेगी।

सामान्यतया यह बात देखी गयी है और बहुत से माननीय सदस्य भी कहते हैं कि हम विश्वविद्यालय में राजस्थानियों का अभाव पाते हैं। मान्यवर, यह निर्विवाद सत्य है कि हम राजस्थानियों ने शिक्षा बहुत बाद में शुरू की है और यही] कारण है कि आज विश्वविद्यालय के जो सर्वोच्च पद हैं, उन पर और साथ ही, विश्वविद्यालयों को छोड़िए, अन्य जो राज्य सरकार के डिपार्टमेन्ट्स हैं, उनके भी जो सर्वोच्च पद हैं, उन पर राजस्थान के बाहर के व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि चाहे आप इसे क्षेत्रवाद की भावना कह दीजिये, क्षेत्रवाद दोनों अर्थों में खतरनाक है। हम यह नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रवाद के आधार पर अयोग्य राजस्थानी को कोई विशेष पद दे दें। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि यदि हर दृष्टि से राजस्थानी योग्य है, हर दृष्टि से प्रखर बुद्धि है, विशेष प्रकार की योग्यता रखता है परन्तु वह व्यक्ति विशिष्ट पद पर नहीं पहुंच सके क्योंकि उसका सलेक्शन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वे राजस्थान के बाहर के हैं, उनके दिमाग में क्षेत्रवाद की भावना है, जातिवाद की भावना है या भाई-भतीजा वाद की भावना है। ऐसी भावनाएं उनमें प्रवेश कर जाती हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से सन आफ सॉइल का राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर खंडन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर राजस्थान के प्रखर बुद्धि के व्यक्तियों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सही मायने में प्रखर बुद्धि का राजस्थानी है उसको आपने सेवा का मौका नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होगा और उसका सारा दिमाग, व्यक्तित्व विघटित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का विघटन, केवल राजस्थान की ही क्षति नहीं है, एक राष्ट्रीय क्षति है। इसलिए क्षेत्रवाद की भावना को तो नहीं बढ़ाना है परन्तु दूसरे आधार पर जो पक्षपात के आधार हैं, उनको दूर करना होगा। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष तौर से वह व्यक्ति चुना जाना चाहिए। क्षेत्रवाद दोनों अर्थों में न हो।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मान्यवर, इस निष्पक्षता को आंकने वाली जो सबसे बड़ी बॉडी है, वह है सिन्डीकेट। सिन्डीकेट का यह कर्त्तव्य है, उसको यह देखना है कि वास्तव में यह चयन किस ढंग से हो रहा है, निष्पक्ष तौर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। परन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सिन्डीकेट का रूप क्या हो, इसके बारे में मन्त्री महोदय आपका दिमाग स्थिर नहीं है। कुछ समय पहले आपने जो इलेक्टेड मेम्बर्स रखे थे उनको यह कह कर हटा दिया कि तीनों विश्वविद्यालयों के वी. सी. का यह कहना है कि ये हमारी प्रगति के अंदर रोड़े है। इसके साथ ही स्टूडेन्ट्स का नॉमिनेशन भी आपने सिन्डीकेट में कर दिया था। उस समय जब यह बिल आया उस समय मैंने कड़े शब्दों में यह बात माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को कही थी कि इससे सिन्डीकेट की सीक्रेसी नहीं रह पायेगी। यदि आप इसमें विद्यार्थियों को रखना ही चाहते हैं तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले को रखिए। उस समय, मन्त्री महोदय आपने क्या जवाब दिया था, वह मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहती हूं। माननीय सदस्यों को मालूम ही है —

श्री खेतसिंह : दोहरा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत: आपने शिक्षा मंत्री जी, यह फर्माया था कि प्रजातन्त्र में क्वालिटी नहीं क्वान्टिटी देखी जाती है। हम लोग जो विधान सभा में आये हैं वह क्वालिटी के आधार पर नहीं क्वान्टिटी के आधार पर आए हैं। इसलिए हमें सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट्स के इलेक्टेड मेम्बर्स रखने चाहिए। परन्तु बाद में इसको शिक्षा मन्त्री जी ने रियलाईज कर लिया और उन्होंने स्टूडेन्ट्स नॉमिनेशन सिन्डीकेट से हटा दिया है। साथ ही आपने यह चांसलर का नॉमिनी रखा है, मान्यवर, उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखा है जिनका कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाते हैं और पहले आपने चेक और बैलेन्स के रूप में विधान सभा के सदस्यों को नॉमिनेट किया था, उनको भी बिलकुल माइनस कर दिया है। यानि आपका इन्साफ का और मापदण्ड का जो तराजू है, उसमें विधान सभा के एक भी माननीय सदस्य उस स्तर के नहीं हैं।

श्रीमती पुनियासिंह : क्या मौजूदा सदस्य, जो सिन्डीकेट में रिप्रेजेन्ट करते थे, क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी की नजर में सभी अयोग्य थे।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनका नॉमिनेशन हटा लिया गया, यह उनकी भ्रान्ति हो, लेकिन यह भ्रान्ति उनकी सही नहीं है। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं कि सिन्डीकेट के अन्दर ऑटोनॉमी बना रहे और उसके साथ-साथ चेक भी रहे तो आप उसके अन्दर एम. पी. का नॉमिनेट करिए लेकिन आप राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी नॉमिनेट करें, यह मैं आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य समझती हूं।

इसके साथ ही, मान्यवर, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहती हूं, कि यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर के व्यक्तित्व के

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

ऊपर हमेशा विधान सभा के अन्दर कई प्रकार का छींटा कसी सुनने को मिलता है। अभी भी दो-तीन माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर जो मिस्टर पांडे हैं वह आनन्दमार्गी हैं। मान्यवर, आज इस आपातकालीन स्थिति के अन्दर अगर वह आनन्दमार्गी है, इसके साथ ही मान्यवर, यह भी कहा गया कि वहां पर 19 व्यक्ति सी. आई. ए. के एजेन्ट हैं, तो मेरा निवेदन करना यह है कि उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है ? अगर वह बात सही नहीं है, तो उस स्थिति में उनके व्यक्तित्व का हनन करना और उनके चरित्र पर कोई लांछन लगाना कहां तक उचित है ? इस तरह से हर व्यक्ति पर लांछन लगाते रहें, उनके चरित्र का हनन करते रहें जिसका सत्यता का कोई प्रमाण या कोई आधार नहीं हो तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वह कैसे काम कर सकेंगे ? आज मिस्टर पाण्डे हैं, अगर वह आनन्दमार्गी हैं तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी को इसकी पूरी जांच करानी चाहिये और एक सैकिन्ड के लिये भी उनको विश्वविद्यालय में नहीं रखना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह सिद्ध हो चुका है, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, हर व्यक्ति को विधान सभा में अपने विचार रखने का अधिकार है।

श्री सभापति : हां आप तो फर्मायें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं कहना चाहती थी, मान्यवर, इस प्रकार से यदि हम किसी के चरित्र का हनन करते हैं तो इससे कोई विकास नहीं कर पायेंगे। हां, यदि यह सही बात है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और अगर जांच करने से सही बात नहीं साबित होती है तो इस तरह से जो किसी के चरित्र पर लांछन लगाये जाते हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे अभी एक माननीय सदस्य सुरेन्द्रजी ने कहा था कि मिस्टर पाण्डे का आध्यात्मिक लगाव है, आनन्दमार्ग से नहीं है

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह गवर्नमेंट कहती है, मैंने नहीं कहा।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सांई बाबा से कई लोगों का लगाव है और मैं समझती हूं कि कई माननीय सदस्यों का उनसे लगाव होगा। परन्तु मान लीजिये कल सांई बाबा के बारे में कोई सीक्रेट आउट होते हैं, तो इस तरह से अनजान में कोई सम्पर्क हो गया हो तो उसके चरित्र को बिलकुल ही बहिष्कृत कर दिया जाय, यह ठीक नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, यदि एक सामान्य व्यक्ति के चरित्र का भी हनन किया जाय तो भी बहुत बुरा है परन्तु विश्वविद्यालय के पावन आसन पर कोई व्यक्ति विराजमान है उस पर झूठा लांछन लगाया जाता है तो यह कतई ठीक नहीं है, लांछन इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उस पर क्या असर

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

पड़ेगा, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह नहीं कि इस तरह से झूठे लांछन लगाये जायं, अगर सत्य हो तो आप उसको सामने लाइये, नहीं तो इस तरह के लांछन लगाना समाप्त कीजिये ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उस पर कोई बुरा असर पड़े, यह ठीक बात नहीं है। मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की अव्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक निवेदन और मैं करना चाहती हूं और वह यह है कि हालांकि यह इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है, अस्थायी प्राध्यापकों का प्रश्न है, जो हमारे सामने आता है, जिनका चयन—चयन समिति के द्वारा किया, है, आप सभी विश्वविद्यालयों के आंकड़े देख लीजिये, हमारे यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा प्राध्यापक अस्थायी मिलेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक तिहाई हिस्सा टोटल स्टाफ का अस्थाई है 179 लेक्चरार अस्थायी हैं। पिछले बिल में यू. जी. सी. के मेम्बर का आपने प्रावधान रखा था, उस बात को भी आज ढाई साल हो गये हैं। यह समझ में नहीं आता कि ये लेक्चरार्स नौ-दस साल से क्यों चले आ रहे हैं। उनके लिये सलेक्शन कमेटी क्यों नहीं बैठी? क्यों इस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी के सामने उनके भविष्य को अनिश्चितता की स्थिति में लाकर खड़ा किया हुआ है? मान्यवर, कुछ प्राध्यापक कल मुझसे मिले, उनके युवा चेहरे पर मायूसी देखकर मुझे बहुत ही दुःख हुआ। मान्यवर, कितना कठिन है पूरा एक दशक अनिश्चितता की छाया में गुजारना? उनके भाग्य का क्या फैसला होगा? उन व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई प्रोफेसर, डॉक्टर ए. के. माथुर, डॉ. ए. पी. भार्गव, डॉ. मित्रा, डॉ खण्डेलवाल जो फर्स्ट क्लास पी.एच. डी. हैं, और इण्टर-नेशनल फेम की मेगजीन्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, फिर भी चयन समिति उनके लिये नहीं बैठ सकी और उनका चुनाव नहीं कर सकी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 12 वर्ष कार्य करने पर ये ओवर एज हो गये हैं, अब वे किसी दूसरी सर्विसेज में भी नहीं जा सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर वे किसी तरह से दूसरी यूनिवर्सिटी में आज भी जाते हैं तब वहां पर उनसे पूछा जाता कि आप दस साल तक टेम्प्रेरी कैसे रहे, आपको परमानेन्ट क्यों नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए मान्यवर, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से युवा प्राध्यापकों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मेरा सुझाव भी है कि सलेक्शन कमेटी जब मीट करती है, तो सिन्डीकेट को यह भी

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
देखना है कि इन व्यक्तियों के चयन के समय इनके टीचिंग एक्सपीरियन्स के मार्क भी होने चहिए। जिस प्रकार से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचिंग एक्सपीरियन्स के आधार पर मेरिट के अलावा भी अधिक नम्बर होते हैं उसी आधार पर उनका भी चयन किया जाना चाहिए और टीचिंग का जो एक्सपीरियन्स है उसके मार्क्स उसमें होने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके भविष्य की जो अनिश्चितता बनी हुई है वह दूर हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त कर रही हूं।

इसा प्रकार से मान्यवर, विद्यार्थियों के बारे में एक बड़ी महत्व की बात यह है कि अटेन्डेन्स समाप्त करने की बात कही गई है। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की 75 पर्सेन्ट अटेन्डेन्स जरूरी थी और बाद में उसको 66 पर्सेन्ट किया और अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट इसको भी कम करने की सोच रही है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि जिन छात्रों को रेग्यूलर पढ़ाई नहीं करनी है तो वे कॉरसपॉन्डेन्स कोर्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वे विश्वविद्यालय में आते हैं तो अटेन्टिव होना ही पड़ेगा। वह अटेन्डेंस कम करने की बात वही व्यक्ति कहते हैं जिनका युवा पीढ़ा है इससे बहुत अधिक सम्पर्क नहीं रहा है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं, एक प्राध्यापक पढ़ाता है, उसका एक टॉपिक दस दिन में खत्म होता है। पहले दिन जो विद्यार्थी थे, दूसरे दिन उनमें से कुछ नदारद, और तीसरे दिन नये विद्यार्थी आ जाते हैं। तो वह किस प्रकार से पढ़ायेगा? इससे आप जो व्यय कर रहे हैं प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार की तनखाह पर, उसका उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में 75 पर्सेन्ट अटेन्डेंस यूनिवर्सिटी में होना बहुत आवश्यक है।

अन्तिम बात मैं जो कहना चाहती हूं, मान्यवर, वह यह है यूनिवर्सिटी में युवा पीढ़ा को एक विशेष प्रारूप में ढाला जाता है और ढालने वाले जो शिल्पी हैं उनको आपको अर्थभाव से मुक्त करना पड़ेगा। यू. जी. सी. की ग्रेड कई पास वाली स्टेट्स ने मान ली हैं। बिहार ने मान ली है, पंजाब ने मान ली है, यू. पी. ने मान ली हैं और सिद्धान्तः आपने भी स्वीकार कर लिया है कि यू. जी. सी. की ग्रेड प्राध्यापकों को मिलनी चाहिए। फिर आप देने में देर क्यों कर रहे हैं? यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक हमारी यूनिवर्सिटी में रहें तो पास वाली यूनिवर्सिटी में जो पे स्केल्स उनके हैं, उनके अनुसार हमें पे स्केल्स स्वीकार करने पड़ेंगे वरना हमारे जो शिक्षक हैं वह दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जायेंगे।

बस इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय

जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः एक माह एक सप्ताह-तीन दिन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"]

श्री सभापति : श्री विजय सिंह !

श्री विजय सिंह (झुंझुनू) : सभापति महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एण्ड आफिसर्स (स्पेशल कण्डीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुझे निवेदन करना है कि इसको प्रवर समिति के सुपर्द किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह कानून जब भी लाये हैं तब यह कहा गया है कि यह कानून अपूर्ण है इसलिए इस कानून के अन्दर बार-बार संशोधन करने पड़ेंगे और इस सदन के सामने लाने पड़ेंगे। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। वही स्थिति आज भी है। पहली दफा यह कानून आया 1974 के अन्दर, और जिस वक्त कानून बनाया उस वक्त भी यही स्थिति थी। जैसा उन्होंने कहा कि यह चेपा-चेपी का कानून है। मैं कहता हूं कि आपा-धापी का है, यह आपा-धापी का कानून है जिस वक्त मन में जैसा आ जाय तब वैसा ही कानून ले आया जाय। विश्वविद्यालयों में जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उनको भरने के लिए कार्यवाही की—यह ठीक है, लेकिन उस कार्यवाही मे कहां तक औचित्य है – यह ध्यान में रखना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस संशोधन से, जो संशोधन हम आज ला रहे हैं, वाइस चान्सलर को एक तरह से यूनिवर्सिटी के अन्दर आमनीपोटेन्ट बना रहे हैं, उसे पावरफुल बना रहे हैं, ताकि उसको कोई चेलेंज नहीं कर सके। जिस तरह के अध्यापक, प्राध्यापक, लेक्चरार, रीडर, जो एपॉइन्ट करने हैं वह कमेटी के मार्फत अपनी मर्जी के माफिक करवायें। लेकिन उनका स्टेण्डर्ड क्या है, उसका इस सदन में जिक्र हो चुका है, कितने पर्सेन्ट राजस्थान के हैं, कितने बाहर के हैं, कितने ऐसे हैं जो जिन्दगी भर थर्ड डिविजन रहे, मैट्रिक में इन्टरमीडियेट में, बी. ए. में थर्ड क्लास रहे और एक बार न जाने किस प्रकार फर्स्ट डिविजन प्राप्त कर लिया—उनको बैठा रखा है वाइस चान्सलर ने। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं करता, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी की भी बात करता हूं जहां पर प्रॉविन्सियलिज्म, कास्टिज्म, फेवरिटिज्म, नेपॉटिज्म यह सारी चीजें रेम्पेन्ट हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसकी ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए या इस कानून को लेकर, यह मामूली सी बात नहीं है। इस पर दुबारा सोचना पड़ेगा। यह आज निवेदन कर रहा हूं इनमें से एक ही कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द करते और आज दिन तक इस पर विचार करके, सारी कमी दूर करने की, और जो सारी बातें आयन्दा भविष्य में आने वाली हैं, जो दिक्कतें हैं उनको मिटाने की रिपोर्ट पेश करते और उस रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाते तो बार-बार आपा-धापी का कानून लाकर पास कराने वाली बात नहीं होती।

माननीय सभापति जी, सिलेक्शन कमेटी में पहले जो यू. जी. सी. की तरफ से पेनल भेजा जाने वाला था, उसकी

(श्री विजयसिंह)

जगह वह सारे के सारे आदमी रखे हैं, जो वाइस चान्सलर अपनी मर्जी के माफिक रखें। सदन मे यह बात आई है, मेरे पास नये एमेंडमेंट की कॉपी नहीं आई है जो आप मूव करना चाहते हैं इसके अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा हालत है उसमें सारी की सारी पावर वाइस चान्सलर को दे दी है। वाइस चान्सलर जिस तरह मर्जी हो, उस तरह सलेक्शन कमेटी बनाये, किसी तरह के आदमी लाये। इस पर पहले हाउस में डिस्कशन हो चुका है, जिस वक्त डिमाण्ड थी एजूकेशन की, उस वक्त मैंने निवेदन किया था, इसलिए वह एक दूसरी स्थिति है। आज भी जो लाये हैं, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, छः आदमी का चुनाव करेगी एक कमेटी, उस कमेटी का कॉन्स्टीट्यूशन ठीक है, मुझे इस कॉन्स्टीट्यूशन से गिला नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो छः आदमियों के नाम भेजे जायेंगे, उनमें से तीन छांटेगा वाइस चान्सलर—यह बात अच्छी नहीं है। अगर कमेटी तीन नाम भेजती है एक्सपर्ट्स के और वही तीन रख लिये जायं तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कमेटी छः आदमियों के नाम भेजे और उसमें से तीन को छांटने का ऑप्शन वाइस चान्सलर को दिया जाय, इसका मतलब यह है कि वाइस चान्सलर की कमेटी हो गई और इस चयन कमेटी, पैनल भेजने वाली कमेटी के पास पावर रही नहीं। उसने तो नाम भेज दिये एक सब्जेक्ट के छः छः आदमी के नाम भेजे उनमें से कितने एक्सपर्ट होंगे, कितने नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि छः के बजाय तीन रखा जाना चाहिए। तीन एक्सपर्ट भेजे कमेटी, जो कमेटी बनाई है, तो ठीक है। वाइस चान्सलर को छांटने की पावर नहीं दी जानी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे यहां पर अजीब स्थिति चल रही है, वह यह है कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा पावर यूनिवर्सिटी को देते रहे हैं और देना चाहते हैं—इसमें दो राय नहीं है कि जहां यह एक ऐसी बॉडी है जो ऑटोनॉमस है, इन्टरनल सॉवरेनिटी है, इसके अन्दर ही सारा काम करे और राज्य सरकार का किसी तरह का इन्टरफियरेन्स न हो। यह देखने में अच्छी बात है लेकिन हमारे यहां यह कहावत है कि माल खाये माटी का और गीत गाये बीरा का। हमारा पैसा है राजस्थान की जनता का पैसा है और सरकार पैसा देती है और उस पैसे का एक अकेला वाइस चान्सलर दुरुपयोग करे और अपनी मर्जी माफिक काम करे—यह कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इसके अन्दर भारी कमी है, उन भारी कमियों को निकाला जाना चाहिए। ऑटोनॉमी के नाम पर तानाशाही चलाना यूनिवर्सिटी के अन्दर यह बहुत अच्छी बात नहीं है और हैल्दी एटीट्यूड नहीं है। इसके लिए अब भी सोचना चाहिए। मैंने पहले निवेदन किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चान्सलर को लेकर, उनकी क्या गतिविधियां हैं। जिसके लिए मेरे से पहले बोलने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आप उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री सुमित्रासिंह : (श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत से) आपके ऊपर कहा जा रहा है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आपको कोट कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : आपने कहा कि लांछन लगाये जाते हैं। माननीय सदस्या से मैं निवेदन करना चाहता हूं, झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने अखबार की कटिंग पेश की है. उस वक्त आपातकालीन स्थिति नहीं थी। अवधूत के रिसेप्शन के लिए वाइस चान्सलर गये और रिसीव करके लाये। वह सोशलिस्ट हैं, वॉयोलेशन करने वाले हैं—मैं यह नहीं कहता। फिर कौनसा लांछन आप साबित कराना चाहती हैं। यह सेल्फ प्रूव्ड है। लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे अवधूत, जिसने हमारे रेल्वे मंत्री की हत्या की, उसको रिसेप्शन देने वाला आदमी आज भी बैठा है। फिर भी माननीय सदस्या कहती हैं कि लांछन लगाते हैं ...

श्री सभापति : (श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्या, आसन ग्रहण करें। No intrruption.

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय सदस्य! मेरा व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं था ......

(अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज! मैं माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहूंगा, अपने-अपने विचार रखने का सबको स्वतंत्रतापूर्वक अधिकार है, लेकिन किसी को बीच में जवाब देने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। आप भी आसन को सम्बोधित करें, माननीय सदस्या ने क्या कहा, क्या नहीं, यह नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य आसन को एड्रेस कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैने आसन को सम्बोधित किया है, माननीय सदस्या को सम्बोधित नहीं किया।

यह बात उठ रही है—मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता, न ही ऐसा वातावरण पैदा करना चाहता हूं जिससे किसी के दिल पर ठेस लगे। वह जैसे होंगे, वैसे होंगे। लेकिन जो लिट्रेचर तकसीम किया है उसको फिर से पढ़ना चाहिए।

जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह सुनने लायक बात है। मैं निवेदन करता हूं कि आज भी उनका आर. एस. एस. से सम्बन्ध है, मैं आज भी उन पर यह लांछन लगाता हूं कि शारदाशरणसिंह नाम के आदमी को ईजिनियरिंग होस्टल के बीच में बंगला देकर आर. एस. एस. को आर्गेनाइज करने का कैम्पेन चला रखा है। शारदाशरण सिंह आज मीसा में गिरफ्तार है लेकिन वह मकान आज भी उनके नाम चल रहा है। वहां के कलेक्टर ने प्रोफेसर गोयल को लिख कर दिया कि आज ही

(श्री विजय सिंह)

खाली करवायें। लेकिन आज भी खाली नहीं करा रहे हैं। आर. एस. एस. के असलाह लाठियां, भगवा झण्डे, लिट्रेचर उस मकान के अन्दर पड़े हुए हैं जिसको उन्होंने खाली नहीं करवाया। सिन्डीकेट ने निर्णय लिया लेकिन आज भी वाइस चान्सलर खाली नहीं करवा रहे हैं। एक श्री चावला आर. एस. एस. लीडर हैं उनको एक हॉस्टल का वार्डन बना दिया है, उनसे बराबर काम लेते रहे। सिन्डीकेट ने निर्णय लिया है कि उनको नौकरी से हटाया जाए, आज भी उसके खिलाफ मीसा में वारन्ट है और वे फरार हैं, भगे भगे फिर रहे हैं। कोई यह समझ ले कि लान्छन लगाया जाता है तो सही नहीं है। लान्छन सही है और ऐसा हो रहा है। इन शिक्षा के मन्दिरों को ऐसे तत्वों से बचाना पड़ेगा नहीं तो वहां से किस तरह की भावी पीढ़ी निकलेगी सर इन्टलीजेन्सिया होगी, वह देश को कौन से रास्ते पर ले जायगी इस पर कन्ट्रोल करना पड़ेगा।

वहां पर जो अनियमिततायें हो रही हैं उनको बन्द करने के लिए जो आप कमेटी बना रहे हैं चयन के लिए उसके अन्दर सुधार करें और राज्य सरकार के प्रतिनिधि जैसे शिक्षा आयुक्त हैं वह कोई खराब नहीं होता है, डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन कमजोर या नासमझ नहीं होता है या शिक्षा शास्त्री नहीं होता है ऐसी बात नहीं है फिर क्यों नहीं उनको वहां चयन समिति में रिप्रेजन्टेशन दिलाते हैं? पैसा हमारा, सारी योजना हमारा, हमारे बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं, बहनें पढ़कर निकल रही हैं, कल मातायें बनेंगी। इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगी, उनको किस तरह से बनाने जा रहे हैं? तो इसको कन्ट्रोल करना चाहिये। मन्त्री महोदय फिर सोचें और जो जरूरी संशोधन करना हो करें। सेक्शन 10 में हमारे पास रूल मेकिंग पावर्स थीं वह सिन्डीकेट को दे दी। आप समझते हैं सिन्डीकेट वाइस चान्सलर के चंगुल से निकल पाएगा जो वाइस चान्सलर ऐसे आदमियों को एप्वाइन्ट करता है जो उनके फेवर के हों या कास्टिज्म प्राविंशियलिज्म से प्रभावित होकर आए हों। तो क्या सिन्डीकेट ऐसे नियम बनाएगी जो वाइस चान्सलर की मर्जी के खिलाफ हों? तो अभी भी संशोधन लाकर इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह जो विधेयक इस समय सदन के विचाराधीन है, मैंने भी एक प्रस्ताव उस विधेयक को प्रवर समिति को देने का रखा है। मैं महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में हमें काफी गहन अध्ययन करके, एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पीस-मील तरीके से जो समस्या एकदम सरकार पर चढ़कर आई और उसका हल करने की कोशिश की, यह तरीका इस गम्भीर समस्या को हल करने का दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस सीमित लक्ष्य से इस विधेयक को लाया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा के सामने केवल मात्र यह प्रश्न नहीं है कि विश्व-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विद्यालय के शिक्षक किस प्रकार सलेक्ट किए जाय या जो अस्थाई अध्यापक हैं उनको किस प्रकार से स्थाई बनाया जाए बल्कि आज विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जहां शिक्षा के स्तर, शिक्षक और उनके चयन करने का तरीका विचारणीय है, उसके साथ सारे का सारा यह प्रश्न भी कि हम विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दें, विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी या स्वायत्तता, उनका मैनेजमेन्ट किस प्रकार से हो और जनता के चुने हुये प्रतिनिधि इस सदन का और विश्वविद्यालयों का किस प्रकार का सम्बन्ध हो।

सभापति महोदय, आज इस बुनियाद पर कि विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के द्वारा यह इच्छा प्रकट की जाती है, मांग की जाती है, चुने हुए प्रतिनिधियों का, विधानसभाओं का, संसद का उसमें हस्तक्षेप न हो। सभापति महोदय, कन्सेप्ट यह उस समय का है जब कि हमारे देश में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जमाना था। उस वक्त यह बात ठीक थी कि हमारी शिक्षण संस्थाओं को उनसे दूर रखा जाय।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन का समय आज के बिजनेस में जो दो विधेयक हैं, जब तक वह पारित नहीं हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज के बिजनेस के दो विधेयक पारित न हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

सदन का समय आज का बिजनेस समाप्त नहीं हो तब तक के लिए बढ़ा दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय, सभापति महोदय, हम लोग यह चाहते थे कि इन निरंकुश शासकों से इन विश्वविद्यालयों को मुक्त रखा जाय। वहां पर स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति होने चाहिये ताकि स्वतन्त्रता के लिए उन लोगों में देश के प्रति भावना जागृत होगी। जो विद्यार्थी उन विश्वविद्यालयों से निकलें वह स्वतन्त्र विचारों के निकलें। लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा कुछ ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि वह लोग विश्वविद्यालयों को अपने यहां के लेजिस्लेचर से भी ऊपर मानते हैं। आज हमारे सदन में उनके प्रति आलोचनायें की जाती हैं कि उन पर नियन्त्रण रखा जाना अनिवार्य है क्योंकि इन लोगों की इच्छा हमारे देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। वह लोग आम जनता का या उनके प्रतिनिधियों का कोई नियन्त्रण नहीं चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि सरकार उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे या किसी प्रकार के कोई संशोधन उनके इन्टरनल मामलों में नहीं हों। वह अपने आपको ऑटोनॉमस बॉडी मानते हैं। वहां के कुलपति ऐसा क्लेम करते हैं कि हम सरकार से ऊपर है। आज वह चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता और अधिक होनी चाहिये। सभापति महोदय, आज उप कुलपति की तरफ से जो निर्दे-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चर प्रसारित किया गया है उससे ऐसी झलक पड़ती है कि यहां जो सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें जो पावर्स इन कुलपतियों को दी गई हैं वह कम हैं। उनका जस्टिफिकेशन यह है कि अगर कोई कुलपति किसी लेक्चरार या हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेन्ट या रीडर या डीन का सलेक्शन करता है और वह उसके कहने में नहीं चलता है तो फिर कुलपति का वहां रहने से क्या फायदा यह कहते हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी का डिसीप्लिन बिगड़ जायेगा। यह कुलपति को अधिकार होना चाहिये कि वह उसमें सबसे सुप्रीम हो। कुलपति कहते हैं कि उनको अपने नीचे समाम एम्प्लॉइज के अपॉइन्टमेन्ट के अलावा और भी पॉवर्स होनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कन्सेप्ट रखना अब डेमोक्रेटिक कन्सेप्ट नहीं है। आज के युग में यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे लोगों में डेमोक्रेसी की भावना विकसित हो। वह डेमोक्रेसी के विकसित करने का एक केन्द्र हो। लेकिन ज्यादा पॉवर्स मांगना और यूनिवर्सिटीज में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होने देने की बात करना बहुत ही संकुचित विचार हो जायेगा। यह एक कंजर्वेटिव विचारधारा हो जायेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आज के जमाने की डेमोक्रेसी के अनुरूप हमें हमारे विश्वविद्यालयों को ढालना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि जैसी कि एग्जाम्पल हमारे सामने आयी है और वहां पर आज जो हो रहा है उन गतिविधियों को देखते हुए हम उन्हें और ज्यादा पॉवर्स नहीं दे सकते।

हमने यह अनुभव किया है कि राजस्थान के इन तीनों ही विश्वविद्यालयों के बारे में चाहे वह जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर का विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर का विश्वविद्यालय हो—इन सभी की चर्चायें हमारे यहां विधान सभा में आये दिन होती रहती हैं और उससे हमें ऐसा महसूस होता है कि अब समय आ गया है कि जब हमें इन विश्वविद्यालयों की हालत में सुधार लाना चाहिये। आज इस सम्बन्ध में अपॉइन्टमेंट में गड़बड़ियों के केसेज ही हमारे यहां पर चर्चित नहीं किये गये, सभापति महोदय, यहां पर इन यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार की वित्तीय गड़बड़ियां हो रही हैं किस प्रकार से वहां पर आये दिन गबन और घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आये हैं, इसके अलावा और भी कई अनियमिततायें वहां पर हैं। आज वहां पर न केवल शिक्षा के सम्बन्ध में गड़बड़ी है बल्कि शिक्षा के नाम पर राजनीति और प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। सभापति महोदय, इस सदन में बार-बार यह बात आयी है कि वहां पर प्रतिक्रियावादी लोगों को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है। सभापति महोदय, आज मुझे एक साइक्लोस्टाइल्ड पैम्फलेट मिला है जो कि कन्वीनर राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉन्फ्रेन्स के मिस्टर कोई श्री आर. डी. उपाध्याय हैं उन्होंने प्रसारित किया है। उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि यूनिवर्सिटीज में वैचारिक स्वतन्त्रता होने की पूरी छूट होनी चाहिये। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के डिफेन्स में कहा है कि जहां तक यूनि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वर्सिटीज का ताल्लुक है वहां पर विचारों की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। सभापति महोदय, वहां पर स्वतन्त्र विचारों के नाम पर, ऑटोनॉमी के नाम पर, आज आर एस.एस. और आनन्दमार्गी जैसी साम्प्रदायिक और असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वह कहते हैं कि आनंदमार्गी के ऊपर अब बेन लगा है, इसके बारे में पहले किसी ने कुछ भी लिट्रेचर लिखा हो उसका मतलब यह नहीं कि अभी भी उनका आनन्दमार्ग के प्रति कोई सहानुभूति है। उनका कहना है कि विचारों की स्वतन्त्रता रखने और स्वतन्त्र विचारों का विद्यार्थियों में विकास करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। चाहे आज की स्थिति में आनन्द मार्ग के प्रति सहानुभूति रखना या उसमें विश्वास रखना प्रैक्टिकल नहीं हो लेकिन इसमें भी कोई सुधार हो सकता है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में आज कोई संस्था हो, चाहे कोई भी केन्द्र हो, चाहे कोई भी इन्स्टीट्यूशन हो अगर वह संस्था हमारे देश के जो ब्रॉड प्रिन्सीपल हैं जो हमारे सिद्धान्त हैं उसके अनुरूप नहीं है तो मैं यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि वह संस्था आज हमारे देश की डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। वह हमारे देश की विरोधी संस्था है। हमारे देश के विरुद्ध उसकी नीति होने के कारण ऐसी संस्थाओं को भी पनपने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। स्वायत्तता के नाम पर हमारे देश की डेमोक्रेसी को खतरा पैदा नहीं किया जा सकता। हमारे देश में स्वायत्तता के नाम पर साम्प्रदायिकता की भावनाओं का प्रचार नहीं कराया जा सकता। हमारे देश में आजादी को खतरा पैदा नहीं कर सकते। आज इस प्रकार की स्वायत्तता की मांग को लेकर यह लोग इम्पीरियलिज्म की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। यह लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ में कार्यवाही कर रहे हैं। फासिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है। हमारी देश की जनता को चाहिये कि इन प्रवृत्तियों को कर्ब करने की जरूरत है। जो लोग आज ऐसा प्लॉन करते हैं वह लोग डेमोक्रेसी को हमारे यहां पर खत्म करना चाहते हैं, और, सभापति महोदय, हमारे यहां की राष्ट्रीयता की मेनस्ट्रीम है उससे वह लोग मेल नहीं खाते। जिस ओर हमारा देश जा रहा है उस ओर वह लोग जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जा रहे हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि गलत धारणायें हैं उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिये। आज टीचर्स का चयन करने जा रहे हैं उस वक्त हमें बढ़िया से बढ़िया लेक्चरार या फर्स्ट क्लास लेक्चरार को ही लेक्चरार चयन करने की आवश्यकता नहीं लेकिन हमें देखना होगा उनकी थिंकिंग क्या है। उनकी थिंकिंग हमारे देश की डेमोक्रेसी के मेनस्ट्रीम से मेल खाती है या नहीं? क्या वह ऐसे लोग तो नहीं है जो कि साम्प्रदायिकता को भड़का रहे हैं या आनन्द मार्गियों की ओर तो उनका झुकाव नहीं है या उनका थिंकिंग फासिज्म की तो नहीं है? हमें उनकी ओर अच्छी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहूंगा कि हमारे यहा पर जो तीन विश्वविद्यालय हैं वहां पर हमें मजबूती के साथ दृढ़संकल्प करके हमारी राष्ट्रीयता की नीति की बुनियादी बातों को क्रियान्वित करना चाहिए। जिस प्रकार हमारी देश की प्रधानमन्त्री बार-बार कई जगह कह रही हैं कि हमें विदेश की शक्तियां से और उनके दलालों से सम्भल कर चलना चाहिये। हमारे देश के सामने साम्प्रदायिकता का जबरदस्त सवाल आ गया है उसे समाप्त करना चाहिये। और उसके लिए हमें किसी भी चाज से मोह नहीं रखना चाहिये। हमें विजीलेन्ट रहने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं ही बोलूंगा। मेरे दल का समय मुझे दे दिया जाय।

श्री सभापति : आप, हाण्डा साहब फिर नहीं बोलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का पहले ध्यान रखना चाहिये। हमें पहले उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है। हमें गारन्टी करनी चाहिये चाहे वह लोग कितने ही ऊँचे ओहदे पर बैठे हों। हमें देखना चाहिये कि उनसे खतरा तो नहीं हो रहा है। हमें ऐसा कोई किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहिये जिससे कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। और न ही हम ऐसा खतरा मोल लेंगे। दूसरे देशों से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। आज किस प्रकार अमेरिका का सी.आई.ए. प्लान करके दूसरे देशों की सत्ताओं को बदल रही है। इस प्रकार का अमेरिकन सी. आई. ए. किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में घुसकर अपने पैर फैलाती है। इस बात को अमेरिका की सीनेट के अन्दर कहा गया था। सभापति महोदय, अमेरिकन सीनेट ने जो सी. आई. ए. की जांच की थी उस रिपोर्ट में यह दिया था, उसमें यह कहा गया था कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के इनचार्ज श्री फोर्ड का प्रशासन हिन्दुस्तान के प्रशासन के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है वह ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जो टी. वी. की फेसीलिटीज हमारे यहां पर दी जाती हैं उसकी मदद को भी देना अमेरिकन गवर्नमेन्ट ने बन्द कर दिया। इसके साथ-साथ हमारे देश में जो इमर्जेन्सी कायम हुई उसके लिए अमेरिका के अधिकारियों द्वारा और अखबारों में यह कहा गया कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी को डिमॉरेलाइज किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि फोर्ड सरकार हमारे देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसलिए इन हालात में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ आज यूनिवर्सिटीज में चाहे वह लेक्चरार हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे डीन हों इन सभी के सलेक्शन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन्हीं हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स ने और डीन्स ने अपनी-अपनी फैकल्टियों में वहां के लोगों से अमेरिकन एम्बेसी से मिलकर ऐसे लिट्रेचर और फिल्मों का प्रदर्शन कराया जिसके बारे में सदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का ध्यान बार बार कई माननीय सदस्यों द्वारा आकर्षित किया गया। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अमेरिकन जनता और हिन्दुस्तान की जनता के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से विरोधी रुख अपनाये हुए है हमारी सरकार और हमारे देश के प्रति, उसके दूतावास के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों में आयें और उनको उनकी गतिविधियों का केन्द्र बनायें तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं और देश के दुश्मनों को इन जगहों के अड्डे बनना देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जसा कि चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हम जिम्मेदार लोग हैं। हमें किसी प्रकार किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहिये, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि मंत्री महोदय को इसकी वाकफियत है, क्लार्क आमेर होटल, जयपुर के अन्दर अमेरिकन दूतावास की ओर से शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया गया था? मेरे उत्तर में आपने ही कहा है। आपने यह भी कहा है कि सरकार से इसकी कोई इजाजत नहीं ली गयी है। आपने यह भी कहा कि उसका सारा खर्चा अमेरिकन एम्बेसी ने भुगता है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि यहां के वाइस चान्सलर ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यों की? किस हैसियत से की? किस तरीके के ताल्लुक उनके इस एम्बेसी से हैं? हमारे वाइस चान्सलर को किसने अधिकार दिया? किसी भी वाइस चान्सलर का बिना सरकार की इजाजत के ऐसे देश से, जो हमारे प्रति एक प्रकार की दुश्मनी रखता है, सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। उनको किसने इजाजत दी? यहां पर यह सवाल उठने के बाद भी मुझे मालूम हुआ है कि यूनिवर्सिटी में एक सरकुलर निकाल दिया गया कि कोई भी विदेशी हो, बिना वाइस चान्सलर के पूछे किसी को न बुलाया जाय। पहले यह प्रदर्शनी हुई तो कहते हैं कि मेरे से पूछकर नहीं हुई। चन्द दिन पहले फिलॉसफी डिपार्टमेंट में फिर अमेरिकन एम्बेसी का आदमी आकर लेक्चर दे गया और फिर सरकुलर निकाला। मैं शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके वाइस चान्सलर सेन्ट जोवियर कॉलेज में अमेरिकन किताबों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जाते हैं ता उसकी इजाजत किससे ली? इसी प्रकार के सम्मेलनों में जाते हैं तो किस से इजाजत लेते हैं? क्या यह उचित है? हमारे दिल में, हिन्दुस्तान के लोगों के दिल में अमेरिकन सरकार और उनके दूतावास की गतिविधियां जो हमारे देश के प्रति हैं, रोष पैदा करती हैं। यह रोष वाइस चान्सलर के दिल में क्यों नहीं पैदा होता है? वहां पर बुला कर उनके गले में माला डालते हैं, तब उनको फोर्ड का वक्तव्य दिखायी नहीं देता है जो हमारे देश के प्रति अपमान जनक भाषा में रोजमर्रा देते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ हमारी प्रधान मन्त्री विजिलेन्ट रहने की बात करती हैं। दूसरी तरफ हमारे विश्वविद्यालय उसी तरीके के अड्डे बनें। हम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह जानते हैं कि इस प्रकार सी. आई. ए. उनके जरिए आती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह डॉ. वुडल्फ बार-बार यूनिवर्सिटी में आता है। मुझे सन्देह है यह सी. आई. ए. का आदमी है। बहुत लोग अमेरिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको सन्देहजनक मानते हैं। क्लार्क आमेर होटल में जो कॉन्फ्रेन्स हुई था उसमें सी. आई. ए. के लोग थे। आप क्यों मौका देते हैं इस तरह की गतिविधियों का और उसमें जाने का ? यह बड़ा गम्भीर सवाल है।

जहां तक वाइस चान्सलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के आनन्दमार्गी होने का सवाल है इस सदन में एक मेगजीन प्रस्तुत हुई है। कोस्मिक मेग्जीन। जिसमें आनन्द-मार्ग पर वाइस चान्सलर का लेख है उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है। उसका कान्ट्रेडिक्टशन नहीं किया गया। यह नहीं कहा गया कि यह मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। जो उनके मित्र डिफेन्स देते हैं उनका यह कहना है कि उस वक्त यह लिख दिया था जिस वक्त यह मालूम नहीं था। लेकिन जो रीसेन्ट हिस्ट्री है उनको और उनकी धर्म पत्नी की इससे एसोसिएशन की उसका इस सदन में हम लागों ने इससे पहले भी रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे वास्तव में पेनेलाइज नहीं हों। हमको कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक्स, वाई, जेड को पेनेलाइज किया जाय। यह व्यक्तियों का सवाल नहीं है। मेरा सगा भाई भा इस तरीके का हो तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का यदि हम दृष्टिकोण रखेगे तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसलिए इन तीनों यूनिवर्सिटीज का एक्टीविटीज, इनके गठन को गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी का जो कानून है, मैं इससे सहमत हूं कि जो सिन्डीकेट आपने बनायी थी, वह आज के विचारों के प्रतिकूल है, अनडेमोक्रेटिक है, सही नहीं है और इसलिए सारे ढांचे का आपको बदलने की आवश्यकता है। यह सही है कि पिछले दिनों में कुछ दक्षिण पंथी शक्तियां इसमें घुस कर उन केन्द्रों का अनुचित लाभ उठा रही हैं। चाहे कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी पर रोक भी लगानी पड़े लेकिन ऐसे तत्वों को निकालना आवश्यक है। हम इस बात को मानने वाले हैं कि जो बुनियादी खराबियां हैं हमें उनको निकालना है। कुछ समय के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका जाय तो रोका जाना चाहिए। उस कानून को दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है। मौजूदा जो सिन्डीकेट है वह सीमित है एक आदमी के हाथ में सत्ता देना डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं करना है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो आपने प्रस्तुत किया है इसमें अभी कुछ अमेन्डमेन्ट्स सजेस्ट करके गलती को सुधारने की कोशिश की वह तो स्वागत् योग्य है। किन्तु कुछ बुनियादी प्रश्न या समस्याएं पैदा हुई हैं जिनके कारण आप विधेयक ला रहे हैं वे अभी भी बनी रहती हैं।

नम्बर 1, राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तादाद में टेम्प्रेरी टीचर्स हैं. फिर भी चयन समितियां नहीं बैठी हैं। उसकी वजह से यह टेम्प्रेरी है। इनको एडजस्ट करने कन्फर्म करने का आपके इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। आपके इस विधेयक के अनुसार तो उन लोगों को भी दूसरों की तरह ही चयन समिति के सामने जाना होगा। वे सलेक्ट हो जायं तो ठीक है और नहीं सलेक्ट हो जायं तो ठीक है। यह न्यायपूर्ण सही दृष्टिकोण नहीं है। आगे चयन के लिए इस विधेयक के द्वारा आप प्रक्रिया बना रहे है, लेकिन जो एक्जिस्टिंग स्थिति है उसको रिजोल्व करने के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन रखना चाहिए कि जो एक्जिस्टिंग टेम्प्रेरी हैड्स हैं अगर उनमें वे एलिजिबल होते हैं, या योग्यता रखते हैं, जिस पद पर काम कर रहे हैं और जिस काल में काम किया है उस काल में अयोग्य नहीं हुए हैं या ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि उनको निर्योग्य नहीं किया जाय, ऐसे लोगों का प्रोबेशनरी पीरियड खत्म करने के बाद उनको इस विधेयक के द्वारा कन्फर्म कर देना चाहिए। मेरी माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से बात हुई। वे कहते हैं भावना तो हमारी भी यही है लेकिन आपके हाथ में है। यह सदन आपकी भावना का समर्थन करेगा।. आप भावना को मूर्त रूप देंगे। इसलिए आप इसमें प्रोविजन कर सकते हैं कि जहां तक एक्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें एलिजिबल हों और इस पीरियड में निर्योग्य साबित नहीं हुए हों प्रोबेशनरी पीरियड जिन लोगों ने खत्म कर दिया हो, स्थायी पद रिक्त हों तो उनको उन पर कन्फर्म कर दिया जाय और उनको कोशिश करके एडजस्ट कर लिया जाय। एक तो मेरा यह सुझाव है। नम्बर दो, मेरा यह सुझाव है कि इन चयन समितियों का एक स्टेच्युटरी प्रॉविजन इसमें डाला जाना चाहिए जिससे कि किस प्रकार चयन हो उसकी ब्रॉड गाइड लाइन हों। उसमें मेरा यह सजेशन है कि चयन में एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स और इन्टरव्यूज के अन्दर जो उसकी प्रतिभा है उसका मूल्यांकन हो। यह दो अलग-अलग चीजें होती हैं। आज इन्टरव्यूज के मार्क्स अधिक रख कर मनमानी करके और आर्बिट्रेरी तरीके से कई बार मौका दिया जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैं ऐसी प्रतिभा से इन्कार नहीं करता जो कि केवल अंकों से या क्वेश्चन पेपर से ही प्रदर्शित होती हो। उसकी भी आवश्यकता है लेकिन उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए मेरा यह सजेशन है कि 75 पर्सेन्ट एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के अंक होने चाहिए और 25 पर्सेन्ट प्रतिभा याने इन्टरव्यूज के होने चाहिए। मैंने सुना है कि अभी तक जो गाइड लाइन सिन्डीकेट ने दी है उसमें 70 पर्सेन्ट एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के रखते हैं और 30 पर्सेन्ट इन्टरव्यूज के रखते हैं। यह भी रखा जाये तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको स्टेच्यूट में ही प्रोवाइड कर दिया जाये ताकि फिर इसकी अवहेलना नहीं हो सके। अभी मौजूदा मैंने सुना है कि नियमों में है लेकिन उसकी पालना नहीं होती। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान रखने से क्या फायदा जिसको फ्लाउट किया जा सके। हम इस चीज की गारन्टी करना चाहते हैं और हमारे पास पावर्स हैं कि हम इस चयन समिति की प्रक्रिया में ही यह क्लॉज को डाल दें मैंने इसको भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पेश किया है, माननीय मंत्री जी उसको देखें और उसके मुताबिक संशोधन करें। वह 70 और 30 पर्सेन्ट को पसन्द करें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस चयन समिति में जो लोकल टीचर्स हैं, जो टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनका से (Say) बहुत ही कम है। इसलिए मैं आब्जर्वर्स प्रणाली को इन्ट्रोड्यूस करने के पक्ष में हूं। जिस विभाग के लिए टीचर का चयन हो उस विभाग के तमाम टीचर्स 3 आब्जर्वर्स उस चयन समिति के अलावा इलेक्ट करें और उन आब्जर्वर्स का काम यह हो कि जो चयन समिति काम कर रही है और जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक उन्होंने काम किया या नहीं किया इस बात को देखें और यह आब्जर्वर्स कमेटी भी सिन्डीकेट को अपनी रिपोर्ट भेज दे। सभापति महोदय, जो लोग न्यायपालिका से वाकिफ हैं वह जानते हैं कि सेशन्स केस में ज्यूरी सिस्टम होता है। वहां भी सेशन जज ज्यूरी की ओपीनियन सुनते हैं। फिर उस पर एक्ट करें या नहीं करें यह उनकी मर्जी है। इसी तरह से सिन्डीकेट के सामने उस विभाग के आब्जर्वर्स की रिपोर्ट चली जाये कि चयन समिति ने नियमों का पालन किस हद तक किया है और सिन्डीकेट उसको एप्रूव या डिसएप्रूव करे। वह आब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर ध्यान दे उसको मानें या नहीं मानें यह सिन्डीकेट के ऊपर छोड़ा जाये। इसलिए मैंने इसके अन्दर एक आब्जर्वर सिस्टम को इन्ट्रोड्यूज करने का सजेशन रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो चार मिनिट में समाप्त करता हूं।

फिर, सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बिल के शिड्यूल में यह सजेशन दिया है जो चयन समिति चुनी जाती है इसमें 6 विशेषज्ञों का पेनल बनाने की तजवीज दी है। उसमें शायद आपका इरादा यह था कि 6 में भी हम प्रॉयोरिटी तय करेंगे कि पहला यह होगा, दूसरा यह होगा और तीसरा यह होगा। आपसे जो मेरी बात हुई उसमें आपने यह कहा था कि वाइस चान्सलर के साथ में यह ऑप्शन नहीं होगा कि 6 में से किसी को भी बुला ले, लेकिन जो आपने अमेन्डमेन्ट पेश किया है इसमें वाइस चान्सलर को ऑप्शन है कि वह छठे मेम्बर को बुला सकता है और पहले वाले को इग्नोर कर सकता है। मैं समझता हूं कि जो आपकी मंशा है वह वास्तव में यही है तो तीन की इतनी हाई पावर कमेटी बनाना ही बेकार हो जायेगा। यह सही है कि तीन से ज्यादा इसलिए जरूरी है कि कोई आदमी नहीं मिले, कोई आने में असमर्थ हो तो कुछ ज्यादा नाम हों ताकि अगर वह नहीं मिलें तो वह ले लिये जायें। इस दृष्टि से अगर आप 3 से ज्यादा 6 भी रखें तो मुझे ऐतराज नही होगा बशर्ते कि वह प्रॉयोरिटी बेसिस पर हो नम्बर 1, 2, 3 और सो ऑन इसमें। वाइस चान्सलर को ऑप्शन नहीं हो कि नम्बर 1 को छोड़ दे और 6 को ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कुछ सजेशन्स रख रहा हूं और बाकी बातें खण्डशः विचार होगा उस समय रखूंगा।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय वस्तुतः हमारी शिक्षा के बड़े केन्द्र हैं जिन पर सब को गौरव होता है उनकी व्यवस्था के लिए भी कानून उतने भी संयत और उतने ही अच्छे बनने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शायद विशेष सोचती नहीं है। जैसा भी समय पर आया पहले आर्डिनेन्स के द्वारा उस कानून को लागू कर दिया जाता है और उसके बाद विधान सभा में उसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही इन कुछ वर्षों में हम बराबर देख रहे हैं। 1974 में जब एक संशोधन विधेयक लाया गया था तो खास करके उसके उद्देश्यों में यह बताया गया था कि हम यह विधेयक किस प्रयोजन से ला रहे हैं लेकिन वह प्रयोजन शायद उसके बाद सफल नहीं हुआ और फिर एक दूसरा संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया। यह जो संशोधन यहां पर अभी लाया गया है यह व्यवस्था तो उस समय भी थी, लेकिन क्योंकि विधान सभा के पटल पर और यहां इस ऑगस्ट हाउस के फ्लोर पर कई माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में होने वाली धांधलेबाजी की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि किस तरह विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के चयन में लापरवाही बरती जाती है और जातिवाद और दूसरी सारी बातों का वहां पर बोलबाला होता है। बल्कि एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा था कि जोधपुर विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय क्यों नहीं नामकरण कर देते। इन परिस्थितियों में जब कि पहले यहां पर यह विधेयक प्रस्तुत किया उन भावनाओं को आपने फिर एक वर्ष की इस अवधि में तत्काल बदलकर नयी व्यवस्था यहां पर प्रस्तुत की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान के कॉलेजेज के अध्यापकों के चयन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को नियुक्त किया हुआ है। वहां पर भी आप कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर बैठाते हैं और उसके बाद अध्यापकों का चयन करते हैं। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं उनमें और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज और ग्रेजुएट कॉलेजेज के जो अध्यापक हैं उनमें आप कोई जमीन आसमान का फर्क देखते हैं? क्या विश्वविद्यालयों में बड़े ही योग्यता सम्पन्न आ गये हैं और आपके कॉलेजेज में बेकार के लोग भरे पड़े हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? फिर जो आपने समिति का गठन किया है उसमें जो संशोधन के लिए आपने सुझाव दिए हैं उसमें सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वे अध्यक्ष भी होंगे। आप यदि केवल कुलपति को अध्यक्षता के लिए उचित समझते हैं तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कुलपति ही क्यों? एक दूसरे विश्वविद्यालय का कुलपति उसका अध्यक्ष क्यों न हो? इसके औचित्य में कोई बात हो तो समझा दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप यह समझते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को केवल बाहर

(श्री मनोहर कोठारी)

चांसलर के अध्यक्ष रहने पर ही, सलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष होने पर ही अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों ही विश्वविद्यालयों के किसी भी कुलपति को, किसी भी वाइस चांसलर को आप अध्यक्ष मनोनीत करें। इससे भी आपकी स्वायत्तता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाकी की व्यवस्था जैसी है वह रह सकेगी।

मैं निवेदन करूंगा कि जो छः का पैनल देने की बात कही गई है उसमें से फिर वाइस चांसलर तीन की नियुक्ति करेगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता था—वे तो चले गए,—लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1973-74 की एक लिस्ट मेरे पास उदयपुर विश्वविद्यालय की है। वहां पर जिन लोगों को चयन के लिए विशेष तौर से एक्सपर्ट्स के तौर पर आमन्त्रित किया गया था उसमें केवल एक ही विश्वविद्यालय से, खास तौर से एक ही विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स अधिकांश में बुलाये गए। जो कुल 46 एक्सपर्ट्स उस समय बुलाए गए उनकी एक-एक की तारीख और उनके नाम मेरे पास हैं, वह मैं बता सकता हूं कि केवल 46 एक्सपर्ट्स वहां पर बुलाए गए उनमें से हरियाणा के 23 एक्सपर्ट्स आए क्योंकि हमारे उपकुलपति उदयपुर विश्वविद्यालय के हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में वे रह चुके हैं हिसार यूनिवर्सिटी में, वे अपने ही मित्रों को ओब्लाइज करते हैं बुला करके और उनको मौका देते हैं इस बात का कि वे उनकी इच्छा के कंडीडेट का चयन करें, सलेक्शन करें। दिल्ली से बुलाये 12, जबलपुर से ?, अलीगढ़ से 2, आगरा से 1, पूना का 1, पंजाब से 2 और राजस्थान का 1। आप अन्दाज लगाइये एक्सपर्ट्स के चयन करने का जहां यह ढंग हो वहां पर क्या होगा ?

अभी आपके सामने, माननीय सभापति महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने कई विचार रखे राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जोधपुर। विश्वविद्यालय के लिए मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका वहां पर आर. एस. एस. से सीधा सम्बन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन विश्वविद्यालयों का यदि शैक्षणिक वातावरण यदि ठीक नहीं हो तो फिर इन विश्वविद्यालयों की उपयोगिता क्या रहेगी ? यह मैं जानना चाहता था ? विगत इन दो-तीन सत्रों में बराबर इस विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा एकमत से उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए यहां तक कहा गया कि उनका आचरण ठीक नहीं है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने, वहां के विजिलेंस कमिश्नर ने और वहां की सरकार ने अर्थ दण्ड दिया है उनकी लापरवाही के लिए। यहां से इस बात की मांग की जाती रही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर कई घोटाले हुए हैं। मैंने भी कहा है कि कई लोगों के साथ घोटाले हुए हैं। कई आर्थिक, वित्तीय घोटाले हुए हैं। सलेक्शन में घोटाले हुए हैं। लेकिन उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। राज्य सरकार से हमने निवेदन किया कि आप सेक्शन 8 के अन्तर्गत उदयपुर

(श्री मनोहर कोठारी)

विश्वविद्यालय के कार्य कलापों की जांच करवाइये, वह जांच आज तक होगी नहीं। मध्यप्रदेश सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति के लिए कहती है कि आप रिलीव कर दीजिए, हमें इनके खिलाफ इन्क्वायरी करनी है, लेकिन राज्य सरकार इसके बारे में सोचता नहीं। फिर स्थिति यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही अध्यापकों को प्रश्रय मिलता है। वहां जातिवाद का बोलबाला है। एक नूर मोहम्मद ने अभी हाई कोर्ट में रिट की है। उस व्यक्ति के साथ केवल इसलिए कि एक पर्टीक्यूलर अध्यापक के विरोध में उससे बयान दिलवाना था और उसने यह कहा कि मैं झूठा बयान नहीं दूंगा, उसके खिलाफ करीब 64 हजार के गबन का मामला बना दिया। ऑडिट ने कभी नहीं कहा, कहीं से रिपोर्ट नहीं है। महज इसलिए कि वह झूठा बयान दे उसके खिलाफ एन्क्वायरी लगा दी। नूर मोहम्मद ने यह मांग की कि डॉ. सरधाना आर. एस. एस. के व्यक्ति हैं और मैं माईनर कम्युनिटी का आदमी हूं। वह आर. एस. एस. के आदमी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको एन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर न किया जावे। वाइस चांसलर ने उनको एन्क्वायरी ऑफिसर तो मुकर्रर नहीं किया लेकिन प्रोसीक्यूशन में लगा दिया। अब आप अन्दाज लगाइये, माननीय सभापति महोदय, अगर वाइस चांसलर महज बिल्कुल निष्पक्ष किसी की जांच करवाना चाहते थे तो जिन बाबूसिंह सरधाना को एन्क्वायरी ऑफिसर लगाया उन्हीं को फिर प्रोसीक्यूशन ऑफिसर भी लगा दिया। क्या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगा सकते थे ? ताकि यह विश्वास न हो जाय कि इनके खिलाफ एन्क्वायरी पक्ष में करेगा या विरोध में करेगा : यह स्थिति है। तो आप देखिए कि उस नूरमोहम्मद ने हाई कोर्ट में इस बात की मांग की। उसको तनख्वाह आज तक नहीं मिली जब कि पूरी तनख्वाह दिलाने की बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के सिर पर एक वैज्ञानिक के खून का टीका लगा हुआ है। डॉक्टर श्रीवास्तव को न्याय नहीं दिया। उन्होंने राज्य सरकार के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने हर तरह से कोशिश की। एक ऐसा वैज्ञानिक, जिनकी हमारे देश में आवश्यकता थी, को राज्य सरकार ने क्योंकि सहयोग नहीं दिया, राज्य सरकार ने उन्हें वांछित संरक्षण नहीं दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उस आदमी के साथ ज्यादती हुई। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने ज्यादती की और उस आदमी की हार्ट फेल से डेथ हो गई। यह कलंक हमारे उस विश्वविद्यालय पर है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता था कि हमारे राज्यपाल महोदय हैं वे भी हमारे डेमोक्रेटिक सेट अप के अंग हैं। राज्यपाल महोदय डेमोक्रेटिक सेट अप के महत्वपूर्ण अंग हैं और जब हमारे राज्य में कोई नियुक्ति होती है तो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से होती है, उनकी प्रसन्नता से होती है। जब कि राज्यपाल महोदय जानते ही नहीं हैं कि किस आदमी की नियुक्ति हो रही है, न नाम से जानते हैं और न शक्ल से जानते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सलेक्शन कमीशन या सर्विस कमीशन ऐसा

Page No 135

135

(श्री मनोहर कोठारी)

स्थायी कमीशन क्यों नहीं बना दिया जावे और उसकी नियुक्ति स्वायत्तता के नाम पर और डेमोक्रेटिक सेट अप के नाम पर कुलपति के नाम से कर दी जावे। कुलपतिजी प्रसन्न होकर नियुक्त करें लेकिन कुलपति को राज्यपाल की तरह का अधिकार हो, इससे ज्यादा नहीं। तब तो आप इन सारी संस्थाओं को बचा पायेंगे।

अन्त में क्योंकि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय में सर से पानी बहुत ऊपर निकल गया है। वहां की जो स्थिति है और कई माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि आप जहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां आप स्वायत्तता की बात कहते हैं और जहां अवांछनीय तत्वों को सिण्डीकेट से, जो चुनाव के जरिये किसी न किसी तरह से पहुंच गए, निकालने की बात कहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सेट अप को बदलिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो चार मिनिट मैं लूंगा, सभापति महोदय।

तो कम से कम इसमें क्या न्यायोचित बात है कि हमारे चुने हुए निर्वाचित विधान सभा के सदस्यों को, जो स्वयं में स्वायत्त हैं, जिनके प्रिविलेज हैं, आपने डिबार कर दिया। माननीय मंत्री महोदय उनको सिण्डीकेट में रखने में क्या आपत्ति है? क्या विधान सभा के माननीय सदस्य भी आपकी दृष्टि में वैसे ही अनावश्यक तत्व थे या वे लोग इस तरह के प्रपंच में पड़ गए थे जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय उनका वर्णन करते हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां आप यदि इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के नाम पर यदि आप कोई इस तरह की व्यवस्था करने की बात सोचते हैं और इन वाइस चांसलर्स को अधिकाधिक आप यदि बलवान बना कर शक्ति सम्पन्न करके लोगों के साथ अधिक से अधिक बेरहमी करवाना चाहते हैं तो यह आपकी व्यवस्था ठीक है। और फिर जब यह ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में कहा है:

"Further, in order to secure greater autonomy "

यह 'ग्रेटर' जो शब्द है इसकी जरूरत क्या पड़ गई?

"Further, in order to secure greater autonomy to the Universities in the matter of selection of teachers and officers of the University, it was also decided to provide that instead of the Education Commissioner or his nominee, one person nominated by the Syndicate for each faculty for a period of one year may be made one of the members of the selection committee."

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन कमिश्नर बाय वरच्यू ऑफ हिज ऑफिस सिन्डीकेट के सदस्य हैं। डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री मनोहर कोठारी)

सिन्डीकेट के सदस्य हैं। आप डाइरैक्टर आॅफ एजूकेशन को सलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं रखते हैं? क्या आपके इस शिक्षा विभाग डाइरेक्टोरेट आॅफ कालिज एजूकेशन, में आप यह समझते है कि वहां पर शिक्षाविद् नहीं रहते हैं? क्या आपका विभाग शिक्षाविदों से वंचित है? वहां पर शिक्षविदों की कमी है, दरिद्रता है, क्या आपने यह मान लिया है? अगर आप यह मानते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके जो डाइरेक्टर आॅफ एजूकेशन हैं, मैं समझता हूं मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है और वे अधिकृत विद्वान हैं अपने विषय के। आप ऐसे लोगों को सलेक्शन बोर्ड में न रखें और यह कहें कि टू सिक्योर आॅटोनाॅमी तो यह आॅटोनोमी नहीं आॅटोक्रेसी है और उसको प्रोत्साहन देने की बात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोचें और कुछ इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : शिक्षा मंत्रीजी!

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि मैंने आज संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं, कुल मिला कर उन संशोधनों की सब ने ही तारीफ की है। इस बात को माना है कि यह संशोधन उपयुक्त थे, और यह विधेयक ठीक समय पर लाया गया है। इसमें एक ही बात पर सब से ज्यादा जोर दिया गया है और वह बाद में जब क्लाॅज बाॅय क्लाॅज लेंगे तो विस्तार से कहूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर 6 का हमने इसमें रखा है जिसके द्वारा एक्सपर्ट का चयन किया गया है उनमें 6 एक्सपर्ट को लिस्ट पर लिया गया है। यह इसलिये लिया है कि अगर एक्सपर्ट बाहर गये हैं, या बीमार है, या किसी परिस्थितिवश हाजिर नहीं हो सकते हैं तो दूसरे, तीसरे और चौथे एक्सपर्ट को बुला लिया जाये। इस तरह से 6 का नाम लिया गया। परन्तु यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भावना प्रकट की और यह कहा कि इससे वाइस चांसलर को यह मौका मिल जायेगा कि वह पहले नम्बर के एक्सपर्ट को न बुलाकर नम्बर 6 पर जो होगा उनको बुलायेगा या अपने ढंग से जिसको उपयुक्त समझेगा, उसको बुलायेगा और किसी दृष्टि से प्रथम को या अन्य को उपयुक्त नहीं समझेगा, तो नहीं बुलायेगा। यह उसको आॅटोनोमी दी है। इसके साथ ही इस को देने से जो मैं दूसरे अमेन्डमेन्ट ला रहा हूं उनका कोई मायना नहीं रह जाता है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और जैसा कि चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने सुझाव दिया, एक संशोधन रखा था उसमें मैं स्वयं संशोधन ला रहा हूं और प्रायोरिटी के बेसिस पर हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे।

अब मैं, सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनको दो हिस्सों में विभाजित करता हूं। एक का तो इस बिल से ताल्लुक है। जितने भी अमेन्डमेन्ट् हैं उनके बारे में मुख्य रूप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी संशोधन आपने दिये हैं और उनके बाद में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये

(श्री खेतसिंह)

हैं, वे आपको साइक्लोस्टाइल कॉपी द्वारा भेज दिये गये हैं। उसके बाद में आम तौर पर आपके संशोधनों में और मेरे संशोधनों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं रह जाता है और जिस भावना को आप उजागर करना चाहते हैं और आप यह चाहते थे कि चयन ठीक तरह से हो और अपने यहां के जो प्रतिभाशाली नवयुवक हैं, जो यहां के पी.-एच. डी. और गोल्ड मेडेलिस्ट हैं, हमारे राजस्थान के हैं उनका चयन निश्चित रूप से होना चाहिये। पुरानी कुछ ऐसी बातें आपने बतलाईं जिनके आधार पर काफी हद तक बाहर के व्यक्ति राजस्थान में आते रहे। अभी मैं इसके पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु कुछ आप हां में से माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। हमारे यहां पर राजस्थान बनने से पूर्व काई विश्वविद्यालय नहीं था और जब यहां पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ ता शुरू-शुरू में हमें बाहर के व्यक्तियों को लेना पड़ा और उसकी वजह से यहां शुरू में ही काफी ज्यादा तादाद में, दूसरे प्रान्तों से हमारे यहां पर प्रोफेसर, रीडर्स आये और उनके आने के कारण कुछ नम्बर उनका ज्यादा रहा और उसकी वजह है कि उन दिनों में हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं होने से उनका लेना भी आवश्यक था। यह सारी बात आप माननीय सदस्य जानते हैं। मैं अभी विस्तार से इसमें जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। यह बात सही है कि 29 वर्षों की आजादी के बाद जब हमारे यहां पर तीन-तीन विश्वविद्यालय हैं और हमारे यहां से अच्छे मेघावी छात्र निकलते हैं और फर्स्ट डिविजन भी आते हैं, गोल्ड मेडेलिस्ट भी हैं, पीएच. डी. भी हैं तो उनका निश्चित तौर से चयन होना चाहिये और उस हिसाब से आप देखें। मैंने एजूकेशन की डिमान्ड पर हुई बहस का जवाब देते हुए भी कहा था कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में 169 टैम्प्रेरी लैक्चरार हैं। इनमें से काफी हद तक राजस्थानी हैं जिनको टैम्प्रेरी तौर पर लिया हुआ है। लेकिन आपको, माननीय सदस्यों को, शायद यह शंका है कि आया यह जो नई चयन समिति है, वह इनका चयन करे या न करे। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि क्यों नहीं आप ऐसा प्रॉविजन जोड़ देते हैं जिसके तहत तीन साल जिन लेक्चरार को इस यूनिवर्सिटी में हो गए हैं, उनको अपने आप परमानेन्ट कर दें। यह सोचने की बात है। आप स्वयं इस बात को मानेंगे। टैम्प्रेरी लेक्चरार जो क्वालिफाइड हैं और जो पिछले दस साल से अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, जिन्होंने ठीक काम किया है, जिनका रिजल्ट अच्छा रहा है और जिनकी आज की पृष्ठ भूमि में राष्ट्रीय भावनाएं रही हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन अपने आप हो जायेगा। यह निश्चित बात आप मानें। इस दृष्टि से चयन समिति के इस प्रारूप में आप देखेंगे तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा। इसमें इन सारा बातों को ध्यान में रखा है। जिनका किसी प्रकार से काम सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, और आज की पृष्ठ भूमि के अन्दर जिनके बारे में कोई

(श्री खेतसिंह)

शक शुबहा है, जो अन्तर्राष्ट्रीय या इस प्रकार की संस्थाओं से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं हो, इसके बारे में निश्चित तौर से यह चयन समिति को गठित करने के बाद, हमारी यह गाइड लाइन रहेगी कि हम देशद्रोही और इस प्रकार की संस्थाओं का काम करने वाले हैं जिनका ऐसा पास्ट रिकार्ड रहा हो, उनका चयन करते वक्त पूरा ध्यान रखा जावे और ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं होने दिया जाय।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने इस बात की शंका व्यक्त की थी कि आपने इस बिल को लाने में देर लगाई पौने दो वर्ष का। इसके बारे में ज्यादा कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है जो बिल लाया हूं इसके बारे में भी कुछ वजूहात रहे हैं और अभी तक हमारी गलती नहीं रही है और खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि हम ने जिस वक्त यू. जी. सी. के चेयरमैन को एक नॉमिनी को वहां नॉमिनेट करने का प्रस्ताव रखा था, उससे पूर्व हमारे उस वक्त के एजूकेशन कमिश्नर को दिल्ली भेजा गया था। यू. जी. सी. के चेयरमैन से उनकी बातें हुई थीं और उन्होंने एग्री किया था कि वे एक नोमिनी भेज देंगे। तब मैंने स्वयं यह बताया था कि वहां से एक एजूकेशनिस्ट आ जायेगा और उनके द्वारा जो चयन समिति है, वह अच्छी तरह से काम कर सकेगी। इस दृष्टिकोण के साथ वह प्रॉविजन रखा था लेकिन बाद में जो नये चेयरमैन आये यू. जी. सी. के उन्होंने और एजूकेशन मिनिस्टर ने विचार विमर्श किया और वे दोनों इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रॉविजन आप रखेंगे तो अन्य यूनिवर्सिटी भी प्रॉविजन्स रख कर के हमारे से मांग करेंगी और जो हमारा मुख्य कार्य है उसमें बाधा पड़ेगी। चयन समिति में बैठकर चयन में उलझ जायेंगे इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और हमारे एक्ट में धारा इस प्रकार की थी कि उनका मेम्बर होना आवश्यक है। उनके मेम्बर के बिना चयन समिति का गठन नहीं हो सकता और चयन समिति गठित नहीं होती है तो चयन की जो प्रक्रिया है वह प्रारम्भ नहीं हो सकती थी। चयन प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के कारण उसमें विलम्ब हुआ। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि इस दौरान में तीनों यूनिवर्सिटीज के अन्दर अपाइन्टमेन्ट्स हुए हैं कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की थी कि यू. जी. सी. से जो पैसा मिलना था वह भी नहीं मिल सका और लेप्स हो गया जिससे भारी नुकसान हुआ छात्रों की पढ़ाई में, ऐसी कोई बात नहीं है। अपाइन्टमेन्ट्स भी होते रहे हैं और छात्रों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई है।

अब यह हमको बदलना पड़ा है इसलिए कि चयन समिति में यू जी. सी. का मेम्बर नहीं लिया गया है। इसके लिए नया सेक्शन (4) जब हम क्लॉज आई क्लॉज अमेन्डमेन्ट पर बात करेंगे तब

(श्री खेतसिंह)
निवेदन करूंगा कि अब जो हमने कमेटी बनाई है, निश्चित तौर से जल्दी से जल्दी वह कमेटी चयन कर सकेगी।

दूसरी बात, कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति जाहिर की कि आप यह बिल बहुत जल्दी में ला रहे हैं। माण्डल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि समय पर चयन न होने के कारण यूनिवर्सिटी का काम रुका पड़ा है, ऐसी हालत में अगर इसको प्रवर समिति के पास भेज देते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में देर लगेगी, फिर उसको मैं सदन में पेश करूंगा इससे और भी अधिक समय लगने की सम्भावना है। विश्वविद्यालय में चयन की प्रक्रिया को आप जहां जल्दी चाहते हैं तो उसमें और अधिक देर हो जाएगी। लिहाजा इसको इसी वक्त इसी सदन में पास कर दें जिससे आने वाले सत्र में ठीक तरह से चयन हो सके और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आये। इसलिए मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं।

मेरे पीछे बैठे हुये भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की कि भारतवर्ष में कहीं ऐसा नहीं है कि रूल्स मेकिंग पॉवर सिन्डीकेट को दे दी जाय। मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोरम कितना हो जिससे बैठक हो सकती है, क्या चयन हो सकता है। यह नये अमेन्डमेन्ट में दे दिया है कि कोरम 50% का होगा जिसमें वॉइस चान्सलर होगा, एक एजूकेशनिस्ट नॉमिनेटेड बाइ दी चान्सलर, एक एजुकेशनिस्ट नॉमिनेटिड बाई गवर्नमेन्ट, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट, डीन ऑफ फैकल्टी, तीन एक्सपर्ट्स इनकी कमेटी बनेगी। उसमें नाम आयेंगे और उन नामों में से 6 आदमियों का पैनल बनाकर वॉइस चान्सलर को देगा, और वॉइस चान्सलर प्रॉयोरिटी के बेसिस पर, पैनल के आधार पर उनमें से लेगा। उनका पूरी कमेटी चयन करेगी। 50 पर्सेन्ट कोरम होने पर कमेटी बैठ सकेगी और चयन कर सकेगी। इसलिए जो रूल्स मेकिंग पॉवर की बात कही गई उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सज्जनसिंह : इसमें रूल्स मेकिंग पावर क्या हुई? यह तो आप सेक्शन में कर दीजिये कि कोरम बिल की 50 पर्सेन्ट। इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री खेतसिंह : वह इसलिए रखा है कि कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं, 50 पर्सेन्ट का तो प्रोफेसर, लेक्चरार और रीडर के लिये रखा है, लेकिन कुछ और भी सर्विसेज हैं जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार है, लाइब्रेरियन हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी पद हैं जिसके लिये हम क्या तय करें कि सिन्डीकेट को पॉवर दी जाय, और आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक में तीन एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, कुछ में एक की, कुछ में दो एक्सपर्ट की, कुछ सर्विसेज में तीन की, इस तरह से अगर पूरा प्रोविजन कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जायगा, तथा वॉइस चान्सलर से डाइरेक्ट ताल्लुक रखे।

(श्री खेतसिंह)

है और सिन्डीकेट का पॉवर दी है। क्योंकि थोड़ा बहुत विश्वास तो सिन्डीकेट में भी आपका होना चाहिए।

कुछ और मुद्दे जो उठाये गये उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कि जो सिन्डीकेट बनाई है, वह वॉइस चान्सलर की नॉमिनेटेड बॉडी हो गई है, वॉइस चान्सलर को बहुत पॉवरफुल बना दिया है और वाइस चान्सलर अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगेगा। झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने तो उसको तानाशाह भी कह दिया। लेकिन आप इसकी पुरानी पृष्ठ भूमि को देखेंगे तो आपको मालूम है, हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। जिस वक्त मैं वह बिल लाया था, सभी माननीय सदस्यों ने उसको एक मत होकर पास किया था। उस वक्त हालात क्या थे, सिन्डीकेट की मीटिंग नहीं हो रही थी और वह ठीक तरह से फन्क्शन नहीं कर रही थी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पुरानी बातों का ख्याल किया। उस वक्त इसमें ऐसे मेम्बर थे जो अराष्ट्रीय संस्थाओं में या बेन्ड आर्गनाइजेशन में काम करते थे और उनके सक्रिय सदस्य थे। उस वक्त उनकी वजह से सारी यूनिवर्सिटी एजूकेशन में और छात्रों के अन्दर भी इस तरह की भावना हो गई थी। उस वक्त ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि हमको वह अमेन्डमेन्ट लाना पड़ा और सिन्डीकेट को भंग भी करना पड़ा और एक छोटी सिन्डीकेट बनाई गई थी।

मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षा में कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसी हालत में निश्चित तौर से यदि ऐसा देखा गया कि यह सिन्डीकेट एक व्यक्ति के इशारे पर काम कर रही है, या छात्रों को कोई नुकसान हो रहा है। नियुक्तियों में या और किसी काम में पक्षपात हो रहा है, प्रोविन्शियलिज्म, जातिवाद या भाई भतीजावाद की बातें सामने आई तो गवर्नमेन्ट इसमें और भी अमेन्डमेन्ट ला सकती है, इसके बारे में और भी सोच सकती है और जो कार्यवाही उचित है वह करने को बाध्य हो सकती है।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से भी सहमत हूं कि यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें गवर्नमेन्ट को कुछ अधिकार हों, इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए। वॉइस चांसलर को हटाने का अधिकार गवर्नमेन्ट को नहीं है, हिन्दुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के वॉइस चान्सलर को हटाने का अधिकार गवर्नमेन्ट को नहीं है।

श्री सज्जनसिंह : वॉइस चान्सलर को हटाने का अधिकार चान्सलर के पास है।

श्री खेतसिंह : यह सही है, वॉइस चान्सलर को हटाने का अधिकार चान्सलर के पास है, लेकिन मैं गवर्नमेन्ट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेन्ट को वॉइस चान्सलर को हटाने का अधिकार नहीं है।

एक केस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हुआ था, माननीय सदस्यों को मालूम होगा जिसके अन्दर वॉइस चान्सलर की शिकायतें आई थीं, और चान्सलर ने उसको हटा दिया था। ऐसा प्रावधान अपने यहां पर भी है कि यदि वॉइस चान्सलर के खिलाफ कोई कान्क्रीट उदाहरण पेश हों, तो उसकी एन्क्वायरी की जायगी और अगर उसके अपराध साबित हो जाय, जो भी गड़बड़ियां

(श्री खेतसिंह)
हो वह प्रूव हो जायें तो निश्चित तौर से चान्सलर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है।

श्री मनोहर कोठारी : आप किस प्रकार से सेटिस्फाइड होना चाहते है? आपको प्रमाण के रूप में सारे कागज दे दिये, कागजों का पुलिन्दा दिया है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। पहले आप मन्त्री जी को सुन लीजिये।

श्री मनोहर कोठारी : डाक्टर लाम्बा का मसाला आपको दिया गया है, सारा मामला आपको बताया गया फिर आप कैसे सन्तुष्ट होना चाहते हैं? उनके खिलाफ एन्क्वायरी की जाना चाहिए। आप कब तक सन्तुष्ट होंगे ? कौनसा रास्ता है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : माननीय सभापति, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये। उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दे दूंगा। अगर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य तुरन्त जवाब चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले सत्र में आपने कुछ उदाहरण डॉ. लाम्बा के खिलाफ दिये थे, कुछ प्रोफेसर को हटाने के बारे में, कुछ की सर्विस को रद्द करने के बारे में। उसके बारे में हमने एजूकेशन कमिश्नर की मार्फत रिकार्ड मंगाया, रिकार्ड से जांच की और यह पाया गया, पूरा विवरण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमने यह पाया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल, जिसको सिण्डीकेट बोलते हैं, ने उनके जो सारे जजमेंट हैं, डिसीजन हैं, उन सारे डिसीजन को माना है। उन्होंने माना है कि डिसीजन सारे सही हैं। एक्जीक्यूटिव कौंसिल, सिण्डीकेट उनके डिसीजन्स को मंजूर कर लेती है, उसके बाद यह कहना कि डॉ. लाम्बा की बहुत भारी गलती रही, बड़ा मुश्किल हो जाता है....

श्री मनोहर कोठारी : मेरा निवेदन है, डॉ लाम्बा....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री खेतसिंह : फिर भी मैं निवेदन करता हूं, यदि उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ उदाहरण दिये हैं, उनसे यह साबित नहीं होता, निश्चित मानिये, उनसे यह साबित नहीं होता कि एक वॉइस चान्सलर को डिसमिस कर दिया जाय। इसी प्रकार से जोधपुर यूनिवर्सिटी के वॉइस चान्सलर के खिलाफ मांण्डल से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन उदाहरण दिये। उन्होंने कहा, शारदा शरणसिंह आर. एस. एस. से ताल्लुक रखता है, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार, रीडर का भी उन्होंने रखा। उसके बाद जब गवर्नमेंट को मालूम हुआ कि ऐसी एक्टिविटीज रही हैं तो उसको मीसा में पकड़ लिया। इस प्रकार लेक्चरार की बात उन्होंने कही थी। मैं कहता हूं, वॉइस चान्सलर से खुद से बात की। वॉइस चान्सलर कहता है, मेरे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिससे मालूम हो। मेरे पास सी. आई. डी. नहीं, और तरीका नहीं जिससे जान सकूं, हमेशा क्या रहे, यह मैं मालूम कर सकूं। मेरे सामने इस तरह

(श्री खेतसिंह)
की एक्टिविटीज करता हो तब तो मैं एक्शन ले सकता हूं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप जांच करवा लीजिये। अगर किसी लेक्चरार के खिलाफ डाउट है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सी. आई. डी. से जांच करवा लीजिये। जांच से साबित होता है कि आर. एस. एस. या आनन्द मार्ग से ताल्लुक है तो उसको नोटिस देकर सर्विस टर्मिनेट करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान है, उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं। हमने जोधपुर के कलेक्टर और एस. पी. को, जो नाम हमारे सामने आये, वह दिये। उन्होंने जांच की है और कार्यवाही चल रही है। और उनके खिलाफ में एन्टी-नेशनल एक्टिविटीज में शरीक होने के सबूत होंगे तो उस तरह उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ......

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अब तो बन्द है मीसा में ?

श्री सभापति : आपका क्वेश्चन क्या है ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मेरा क्वेश्चन यह है, उनका पास्ट मालूम नहीं था जोधपुर यूनिवर्सिटी के वॉइस चान्सलर को, लेकिन आज की तारीख में तो मीसा में बन्द है। अब भी बंगले से हटाया नहीं। बंगला अब खाली क्यों नहीं कराया ? आज का तारीख में तो मालूम है।

श्री खेतसिंह : जहां तक डॉक्टर पाण्डे के खिलाफ पांच सात माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, इसके बारे मे मैंने होम डिपार्टमेंट से मालूम किया, डॉक्टर पाण्डे की एक्टिविटी किस प्रकार की रही हैं ? क्या डॉ. पाण्डे आज किसी प्रकार से आनन्द मार्ग

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले थे क्या ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आनन्द मार्ग

श्री सभापति : पूरी बात सुन लीजिये, माननीय मंत्री जी की बीच में इन्ट्रप्ट न करे।

श्री खेतसिंह : इनके बारे में कहा, कभी इनके बारे में इस प्रकार की जांच हुई ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बारे मे यूनिवर्सिटी छात्र संघ था, उसने इस तरह के पेम्फलेट बांटे थे और इनके बारे में और जरिये से यह रिपोर्ट गई थी, गवर्नमेंट के पास भी गई थी और यह रिपोर्ट गई कि आनन्द मार्ग से ताल्लुक रहा है। उसके बारे में सी. आई. डी. से जांच करवाई गई। सी. आई. डी. ने जांच की, डी. आई. जी. रेन्क के व्यक्ति ने सारी जांच की। उन्होंने इस जांच के अन्दर इस बात को माना है, उसका एक्सट्रेक्ट है, वह पढ़ कर मैं सुना देना चाहता हूं, जिससे मालूम होना चाहिए कि पुराना सम्बन्ध रहा है, उस सम्बन्ध से कहना चाहिए, आनन्द मार्ग से अब भी कोई ताल्लुक है। उसके लिए सी. आई. डी. डी. आई. जी. की रिपोर्ट है वह इस प्रकार से है :-

"Enquiries revealed that Professor Pandey had contributed religious articles in the "Anand Marga'

(श्री खेतसिंह)

magazine about 8-10 years back. He was on the editorial board of the 'Cosmic Society' in the year 1967. He had also contributed articles in the December issue of 'Anand Marga' in the year 1969. These articles are of religious, cultural and social nature. There is no information regarding the other activities of Professor Pandey. The allegations that he is a C. I. A. agent is vague and mischievous and there is nothing in the record to show this." इससे मेरा ख्याल है, माननीय सदस्यों को यह मालूम हो गया, मैं भी इस बात से इन्कार नहीं करता कि उनका सम्बन्ध रहा है लेकिन जैसा चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, इस प्रकार के सम्बन्ध कईयों के, माननीय सदस्यों के भी किसी संस्था से हो सकते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार की, ऐसी एक्टिविटी रही जो राष्ट्रद्रोही हो, क्या ऐसी एक्टिविटी रही जिसका हिंसा से ताल्लुक हो-अगर ऐसी एक्टिविटी रही हों तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार के डॉ. पाण्डे के खिलाफ कोई सबूत हों तो कृपया आप हमारे सामने लायें, हम उस पर कार्यवाही करने को तैयार हैं ...

श्री गोपाल जोशी : आनन्द मार्ग की एक्टिविटी गुप्त रखी जाती हैं।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहूं, जिस रोज एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिमाण्ड पर बोल रहे थे तो बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने आर. के. मिश्रा के खिलाफ बहुत कुछ कहा। मैं उसको भी क्लीअर करना चाहूंगा, इसलिए कि वह हमारी पार्टी के सदस्य हैं और मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट है उन्होंने कहा कि वह इस तरह से यहां पर सिण्डीकेट के मेम्बर होने के नाते विश्वविद्यालय के रेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उनके लिए एअर कण्डीशनर लगा हुआ है और जिस कमरे के अन्दर रहते हैं वह फोश कमरा है, वह रंगरेलियां करते हैं। इस तरह का बात कही। मैंने सारी बातों की जांच की। वह सिण्डीकेट के मेम्बर के नाते रेस्ट हाउस में रहते हैं—यह बात सही है। उन्होंने लड़कियों के कॉलेज में जाकर एड्रेस किया। इसका मुख्य कारण यह था कि वे यहां पर साक्षरता का अभियान चला रहे हैं, जिसके अन्दर उन्होंने 70-80 सेन्टर चला रखे हैं और गर्मियों की छुट्टियों के अन्दर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जब सन् 1978 में जयपुर शहर को ढाई सौ वर्ष होंगे बसे हुए तब तक जयपुर शहर के अन्दर साक्षरता के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आन्दोलन चलाया जाय और इस तरह जो अनपढ़ है, उनको साक्षर बना दिया जाय। इसके बारे में यूनिवर्सिटी के लड़कों को एड्रेस किया, लडकियों को भी एड्रेस किया, कई जगह टीचर्स को भी एड्रेस किया है। वह चाहते हैं कि वे इसके अन्दर पार्टीसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान को सक्सेसफुल बनायें। उनके रहने के प्रश्न की मैंने सारी जांच की, वह बराबर पेमेन्ट करते हैं, जो खाने पीने का बिल आता है, उसका पेमेन्ट करते हैं। जिस कमरे में रहते हैं, वह ऑर्डिनरी रूम

(श्री खेतसिंह)

है। उसमें न एअर कण्डीशनर लगा हुआ है, न और बात यह है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जब सदन में कोई बात कहते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इतना कहने के बाद उनके बारे में और कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मैं आपसे इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, क्यों नहीं उन्हें इसका मेम्बर रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसके बारे में हमने लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली। उसने ओपिनियन दी, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन किसी कमेटी का मेम्बर होता है तो चेअरमैन वही रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि वॉइस चान्सलर को चेयरमैन को नहीं रख कर सलेक्शन कमेटी का चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बना दें--यह उचित होगा। यह आपके कहने की बात है कि उसकी ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहिए--उसको मैं मंजूर नहीं करना चाहता। इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते।

आपने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर संशोधन की आवश्यकता है। मैं भी यह निश्चित तौर पर मानता हूं, यह तीनों यूनिवर्सिटी एक्ट हैं--यह बहुत पहले के बने हुए हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनके अन्दर अमेंडमेंट की आवश्यकता है। इस पर विचार करेंगे, बैठेंगे, तय करेंगे कि किस तरह क्या किया जाय, इस विधेयक पर आज की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए हम इस एक्ट में किस प्रकार का क्या प्रावधान लायें जिससे यूनिवर्सिटी का कार्य और सुचारु रूप से चल सके और ठीक तरह कार्यवाही कर सके।

इन शब्दों के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि जो बिल पेश किया है, इस पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापिस लेने की प्रार्थना करें।

श्री उपाध्यक्ष : दीपंकर जी नहीं है। वापिस लेने का। दीपंकर जी नहीं है।

श्री दीपंकर : हां जी। कट मोशन मैं वापिस ले रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इधर नहीं उधर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल : I withdraw.

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : I withdraw

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इन माननीय सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाए ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री भंवरलाल : मैं वापिस लेता हूं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं वपिस लेता हूं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खंड 2। श्रीमती सुमित्रा सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : मेरा इसमें कोई संशोधन नहीं है। खंड 2 को स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकृत किया गया।

खंड 3

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें मेरा संशोधन है कि मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के बाद निम्नांकित उप-धारा (4) जोड़ी जायः—

"(4) इसमें की कोई भी बात उन अध्यापकों या अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगी जो कि 31-3-1975 को 5 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी विश्वविद्यालय में सेवारत हैं। ऐसे अध्यापक अथवा अधिकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस पद के लिए योग्यता रखते हों जिस पद पर वे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें संबंधित विभाग में स्थायी रिक्त पद के लिए चुना माना जावेगा।"

मैंने इस संबंध में पहले भी निवेदन किया है कि जो तीनों विश्वविद्यालयों के 189 अस्थाई शिक्षक हैं, उनके चयन के लिए अलग प्रावधान करना चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर उनको इन चयन समितियों के सामने जैसे दूसरे जा रहे हैं, उसी प्रकार जाना पड़े तो फिर इसमें उनके प्रति हमने कौनसी उदारता दिखायी और कौनसा प्रिविलेज दिया। इन लोगों की 10 साल की, 5 साल की सर्विस है, अगर वे चयन समिति द्वारा सलेक्ट नहीं हुए तो उनके साथ जबर्दस्त अन्याय होगा। वे ओवर-एज हो जायें और सलेक्ट न हो सकें तो कहीं के नहीं रह सकेंगे। और भी कानून हमने बनाए है तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में कुछ विशेष प्रावधान रखे हैं। इसलिए यह सजेस्ट किया है, आप मान लें। इस दृष्टि से जो मौजूदा हमारे पास अस्थाई बैकलॉग है, अगर उनमें किसी में अयोग्यता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पाई जाए तो ऐसे आदमियों को स्क्रीनिंग करके ड्राप कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह : इसमें मेरा निवेदन है कि आज हमारे करीब 90 कॉलेजेज हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी इसमें संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे पास जो कागज हैं वे आपके यहां से ही सक्यूं-लेट हुए हैं। खण्ड 8 में है, sorry।

श्री खेतसिंह : जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिनको 5 वर्ष या तीन वर्ष से ज्यादा समय हो गया है और विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, उनको स्थाई करने के लिए इस विधेयक के अन्दर प्रावधान जोड़ना चाहिए। मेरा निवेदन है कि राज्य में जितने कॉलेज हैं, वहां भी 5-5 साल से अस्थाई लेक्चरार्स काम करते हैं और उनका चयन पी.एस.सी. द्वारा होता है। वहां पर भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उन्होंने 4 वर्ष तक अस्थाई लेक्चरार की हैसियत से काम कर लिया इसलिए उनको स्थाई कर दिया जाए। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जो लेक्चरर्स योग्य हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय जौइन करने के बाद में शोध कार्य करके शैक्षणिक योग्यतायें प्राप्त की हैं, जिनके परिणाम अच्छे रहे हैं, जिनका आचरण अच्छा रहा है, जिनके राष्ट्र के प्रति ख्यालात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ऐसे अध्यापक तो हमेशा स्वतः ही सलेक्ट हुआ करते हैं। जो चयन करने वाला बॉडी है वह इन बातों को निश्चित तौर से चयन करने का ख्याल रखती है। वह उनके परफार्मेंस को देखती है, उनके अनुभव व रिकार्ड को भी देखती है। इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी और जो शंका अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, उसकी आवश्यकता नहीं है और जो मूल क्लॉज है उसको उसी रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4, माननीय प्रभारी मंत्रीजी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष जी, खण्ड 4 जो मैंने सक्यूंलेट किया है आपके पास में, उस खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे।

"4. चयन समितियों का गठन:— किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक या

(श्री खेतसिंह)

अधिकारी के प्रत्येक चयन के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्न-लिखित होंगे—

(1) सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) एक प्रख्यात शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाय।

(3) एक प्रख्यात शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाय।

(4) सिंडीकेट का एक सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु जहां किसी विश्वविद्यालय की कृषि संकाय में अथवा शिक्षण देने वाले या उसके अनुसंधान में मार्गदर्शन करने वाले किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, किसी प्राध्यापक की नियुक्ति की जाने वाली हो वहां इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक और विशेषज्ञ होगा :

परन्तु यह और भी कि अभियांत्रिक एवं प्रायोगिक संकाय में शिक्षणालयों के लिए चयन समिति में, आल इण्डिया कौंसिल ऑफ टैक्निकल एजूकेशन द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा।

(2) उप-धारा (I) के खण्ड (II) तथा (III) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद् तथा उसी उप-धारा के खण्ड (I) के अधीन नाम निर्दिष्ट सिण्डीकेट का सदस्य, उनके नाम निर्देशन से एक वर्ष के दौरान गठित प्रत्येक चयन समिति के सदस्य होंगे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी एक वर्ष में किसी चयन समिति के विशेषज्ञ के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह उसी वर्ष के दौरान किन्हीं दो चयन समितियों का सदस्य रहा हो।"

उसके बाद में जो मूल बिल है उसके अन्दर धारा है। एक हैड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन ऑफ दी फैकल्टी रखा जाए। उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए एक प्रोविजो है क्योंकि वह कृषि से सम्बन्ध रखता है। इस लिए दो प्रोविजो जोड़ गए हैं क्योंकि उसमें चयन के समय उसी तरह का एक्सपर्ट होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 4 में जो मंत्री जी ने संशोधन रखा है उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि मूल अधिनियम में जो खण्ड 4 है उसमें इसके अलावा जो बाकी प्रोविजन्स रह गए, वे ज्यों के त्यों रहेंगे या नहीं, क्योंकि जो खण्ड 4 का संशोधन है वह है, विधेयक के खण्ड 4 के स्थान पर रिप्लेस कर रहे हैं। मूल अधिनियम की धारा 4 को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो मूल अधिनियम की धारा 4 है ...

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक के खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्था-

(श्री उपाध्यक्ष)

पित किया जाय, यह है मंत्री जी का संशोधन ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहले मूल विधेयक में था उसके अनुसार....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी सी गलती रह गया । इसमें यह है कि 1974 के राजस्थान अधिनियम 18 की धारा 4 का सशोधन, मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा इसमें संशोधन है कि मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) में निम्नलिखित जोड़ा जाय—

"कोई भी व्यक्ति जिसका इस धारा के अधीन किसी चयन समिति के विशेषज्ञ के रूप में नाम निर्देशित किया गया हो किसी अध्यापक के चयन में भाग लेने का पात्र नहीं होगा यदि चयन के लिए अभ्यार्थियों में से कोई अभ्यार्थी या उक्त विशेषज्ञ का छात्र रहा हो या उक्त विशेषज्ञ ने ऐसे अभ्यार्थी के अन्वेषण प्रबन्ध (थीसिस) की परीक्षा की हो ।"

यह जो पहले उसमें प्रतिबन्ध था वह इसमें होना चाहिये । आप जो ड्रॉप कर रहे हैं उसमें वह नहीं होना चाहिये, रीजन चाहे आप कोई दें लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के पास पढ़ा हुआ होगा या उसकी थीसिस उसके द्वारा पास की हुई होगी तो वह व्यक्ति उसमें इन्ट्रेस्टेड जरूर होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मैंने संशोधन रखा है उसको माना जाय ताकि आपके पांचवे क्लॉज को जब आप लेंगे और उसमें आपने ड्रॉप करने की बात कही है वह भी समाप्त हो जायेगा । वह तो पूर्ववत रहनी चाहिए । नहीं तो ठीक नहीं रहेगा । इसके अलावा मेरा एक और संशोधन है यह नया प्रॉविजो होगा, धारा 4 में उप-धारा (6) निम्नलिखित जोड़ी जाय:—

"(6) प्रत्येक अध्यापक अथवा अधिकारी के पद के चयन के लिए गठित चयन समिति के साथ सम्बन्धित विभाग के तीन पर्यवेक्षक जो कि विभाग के समस्त अध्यापकों अथवा अधिकारियों द्वारा मनोनित किये जावेंगे, बैठेंगे । पर्यवेक्षक चयन समिति के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट सिन्डीकेट के पास भेजेंगे कि चयन समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का चयन में कितना पालन किया है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें टीचर का जो इनवॉल्वमेंट होने का डर है वह डर मिट जायेगा, क्योंकि मैंने जो प्रस्ताव किया है उसमें वह विजिलेन्स कमेटी की तरह उस पर काम करेगी और उसके बाद में सिन्डाकेट को एप्रूवल देगी कि चयन समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का चयन में पालन किया है या नहीं । उसके एप्रूवल के बाद ही चयन समिति की सिफारिशों को माना जायगा अन्यथा नहीं ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन खण्ड 4 में प्रस्तुत किया है मैं उनसे सहमत नहीं हूं । एक तो इन्होंने सब-सेक्शन 5 में, जो जोड़ा है उसके बारे में है दूसरा इन्होंने सेक्शन चार में

(श्री खेतसिंह)

उप-धारा 6 और एड की है। इनका कहना है कि जो लोग इन्ट्रेस्टेड होंगे वह अपने आदमियों का ले लेंगे। अब इसमें 500 विद्यार्थियों में से कोई न कोई तो विद्यार्थी किसी न किसी लेक्चरार या रीडर या प्रोफेसर के पास तो पढ़ा होगा। दूसरे इन्होंने विजिलेन्स कमेटी की बात कही है उसको मैं मन्जूर नहीं करता क्योंकि जब एक बार सलेक्शन कमेटी ने किसी व्यक्ति का सलेक्ट किया है तो हमें उस सलेक्शन कमेटी पर विश्वास होना चाहिये। इसलिए सलेक्शन कमेटी पर मैं दूसरी विजिलेन्स कमेटी की तरह दूसरे लोगों की समिति नहीं रख सकता। इसलिए मैं उनके संशोधनों को मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो खण्ड 4 में संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप से विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड चार संशोधित रूप में विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। प्रभारी मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (v) द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्थापित धारा 5 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाय:—

"(1) सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट, धारा 4 के अधीन गठित किसी चयन समिति की बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति नियम द्वारा विहित करेगी, जो प्रत्येक चयन समिति के सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 5 में मेरा संशोधन पार्ट (1) में है। आपने खण्ड 4 को संशोधित रूप में स्वीकार किया है जिससे उसका महत्व समाप्त हो गया। इसलिए इसमें प्रस्तावित नवीन धारा 5 में निम्नलिखित उप-धारा (4) और जोड़ी जाय:—

"(4) प्रत्येक चयन समिति किसी भी पद के लिए चयन करने में 75 प्रतिशत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अंक प्रत्याथियों की शैक्षणिक योग्यता के लिए और 25 प्रतिशत अंक साक्षात्कार द्वारा प्रतिभा के मूल्यांकन के लिए निर्धारित करेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार रखा जायेगा तो ठीक रहेगा। इसमें भी आप अगर 70 प्रतिशत ही अंक प्रत्याथियों की शैक्षणिक योग्यता के लिए और 30 प्रतिशत अंक उनकी प्रतिभा साक्षात्कार के वक्त कैसी होती है उसके लिए रखा जाय। इससे सलेक्शन में गड़बड़ियां कम होंगी। इसको आप स्वीकार करें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सलेक्शन के लिए गाइड लाइन दे दी जाती है और विश्वविद्यालयों में पहले ही तय होता है। इसमें चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी ले ले चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो। उसमें गाइड लाइन होती है कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिये और कितना अनुभव उस पोस्ट के लिए होना चाहिये। जो जो भी जरूरी होती है वह पहले गाइड लाइन में होता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो 70 प्रतिशत शैक्षणिक योग्यता के लिए और 30 प्रतिशत इन्टरव्यू के लिये अंक रखा है, मैं उचित नहीं समझता हूं। इसमें तो जो गाइड लाइन यूनिवर्सिटी की होती है वही सही है। जो चयन समिति करती है वह सभी देखती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य की राय से सहमत नहीं हूं। इसलिए जो इन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं इनके अमेन्डमेन्ट को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I press.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

खण्ड 6

श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकृत किया गया।

खण्ड 7

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

प्रभारी मंत्रीजी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 8 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित अनुसूची के अन्त में प्रयुक्त विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 संख्यांकित किया जाय तथा इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण और जोड़ा जाय, अर्थात्—

"(ii) अनुसूची के स्तम्भ (i) में क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट अध्यापकों के चयन के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ उसके द्वारा एक ऐसी समिति की सलाह पर चुने जावेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य, जो उस समिति का अध्यक्ष होगा, जिसका नाम निर्देशक उक्त आयोग के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा किया जाय एक प्रख्यात शिक्षाविद्, जिसे धारा 4 की उप-धारा (i) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाय तथा सिण्डीकेट का सदस्य, जिसे उसी धारा की उक्त धारा के खण्ड (iv) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाय, से मिलकर गठित होगी तथा उक्त समिति सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रत्येक चयन समिति के लिए विद्या परिषद् द्वारा चयनित कम से कम तीन विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करेगी जो पूर्विकता क्रम के अनुसार हों।"

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूर्विकता की जगह 'प्राथमिकता' कर दिया जाय।

श्री खेतसिंह : हिन्दी ट्रान्सलेशन तो उन्हीं पर छोड़ दीजिये। मन्शा यह है प्रायोरिटी बेसिस पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मन्त्री जी का संशोधन आने के बाद मैं अपने संशोधनों में से पहला और दूसरा संशोधन मूव नहीं करता। जहां तक 3 विशेषज्ञों को अपॉइन्ट करने का सवाल है, काफी सेटिस्फेक्टरी है। इसलिए मैं इसमें इन्क्लूड नहीं कर रहा हूं।

"(3) अनुसूची के कालम (2) में पैरा 3 (क) के भाग (i) में शब्द 'आचार्य' और 'तथापि' के मध्य शब्दावली 'अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का आचार्य हो' अन्तर्विष्ट की जाय'।"

उपाध्यक्ष महोदय, बिल में इस प्रकार है "उपाचार्य, प्राध्यापक और कोई भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्य अध्यापक जो उपाचार्य या प्राध्यापक के वेतनमान में परन्तु प्राचार्य के वेतनमान से निचले वेतनमान में वेतन पाता हो ।"

इसमें यह जोड़ा जाय कि किसी ग्रेजुएट कॉलेज का प्रिन्सिपल है, प्राचार्य नहीं है, प्रोफेसर ग्रेजुएट कॉलेज का प्रिन्सिपल है, वह उसमें हो । यह जोड़ा जाय । उसके साथ यह रख दिया जाय ।

"(ख) भाग (ii) के अन्त में 'अन्यथा उस विभाग का सबसे सीनियर प्राचार्य' शब्द जोड़े जायं ।"

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर न होकर लेक्चरार हो या रीडर हो तो समकक्ष पद के लिये तो वही योग्य माना जाय और अगर प्रोफेसर का ही चयन हो तो यह चाहूंगा मैं कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को उसमें रखा जाय ताकि विभाग को रिप्रेजेन्टेशन मिल जाय । जहां जहां भी ये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष हैं इस प्रिन्सिपल को माननीय शिक्षा मंत्रीजी मान लें कि सीनियर प्रोफेसर उस हालत में कर दिया जाय । यदि समकक्ष पद का चयन हो रहा है विभागाध्यक्ष को लेक्चरार मानते हैं तो उसमें प्रोफेसर को छूट होगी और रीडर है तो उसमें नहीं बैठेगा, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है वह उसमें बैठेगा और विभाग का रिप्रेजेन्टेशन हो जावेगा ।

इसके बाद रजिस्ट्रार उप-रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में इसमें केवल एक विशेषज्ञ का प्रोविजन है और माननीय मंत्रीजी ने इसमें कोई सुझाव नहीं दिया है । इसमें मैंने इसको इस प्रकार किया है ।

"अनुसूची के कॉलम (2) के पांचवें पैरा में पहला पैरा को भाग (i) लिखा जाय और भाग (ii) निम्नलिखित जोड़ा जाय ।

"(ii) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जिसे राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासनिक अनुभव हो' ।"

रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार आदि अधिकारियों का चयन करना हो तो उसमें कुलपति और एक विशेषज्ञ और इसके अलावा एक ऐसा शिक्षा विभाग का आदमी हो, जिसको कुलाधिपति नियुक्त करे जिसको शिक्षा विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो । इस प्रकार का आदमी इसमें होना चाहिये ताकि ये तीन हो जावें । अब तक कुलपति और एक विशेषज्ञ है । इस विशेषज्ञ की नियुक्ति भी उस चयन समिति के द्वारा होगी । इसमें यह भी विसंगति है कि दो आदमियों की चयन समिति में एक वाइस चान्सलर और दूसरा एक्सपर्ट । पहले वाइस चान्सलर करता था वही बात थी । अब दो होने पर भी एक एक की राय आ जाय । इसलिये इसमें तीन होने चाहिये । उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स विभाग का रखा जाय इसमें मेरा यह संशोधन है । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी गम्भीरता से इस पर विचार करके इन तीनों अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला ! आप बोलना चाहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आप (श्री गोटेवाला से) भूल गए थे क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : भूल नहीं गया था। मुझे आज्ञा होगी तब बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो खण्ड 8 की अनुसूची के पैरा 3 के स्तम्भ 2 में संशोधन दिये हैं। उसमें निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के संशोधन यहां पर प्रस्तुत कर दिये जिससे मैं समझता हूं कि मुझे उस बात पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात के संबंध में जरूर निवेदन करूंगा कि मैंने लास्ट में लिखा भी है और जिसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता भी व्यक्त की है। मैं केवल मात्र 179 अस्थाई प्राध्यापकों के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। यद्यपि शिक्षा मंत्री जी ने उस बारे में काफी कुछ कहा है लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जो प्राध्यापक 12 साल से, कोई 5 साल से और कोई 3 साल से यहां कार्यरत हैं और जिनकी सवायें भी ठीक हैं उनके सिर पर ऐन समय पर तलवार लटका दी-यह मैं वाजिब नहीं मानता हूं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके बारे में तय कर दिया है और वहां 250 के करीब अस्थाई प्राध्यापकों को स्थाई किया गया है इसी प्रकार मैंने इसमें यह निवेदन किया है "परन्तु ऐसे अस्थायी प्रवक्ताओं को जो कि विश्वविद्यालय में 1 वर्ष की सेवा अवधि (जो कि कानूनन प्रोबेशन की अवधि निश्चित है) पूर्ण कर ली हैं उन्हें उनके पदों पर सीधा स्थायी कर दिया जाये।" मेरा यह निवेदन है कि उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही अभी शिक्षा मन्त्री जी ने जवाब देते समय कई बातों के बारे में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी देशद्रोही हैं या इस प्रकार के लोग हैं उनका सलेक्शन नहीं होगा। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर काफी माननीय सदस्यों ने कई उप-कुलपतियों के खिलाफ चार्जेज लगाये वे उप-कुलपति भी उस चयन समिति के सदस्य होंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने शारदा शरणसिंह के बारे में अभी कहा था कि वह मीसा के अन्दर नजरबन्द है और वहां के वाइस चान्सलर को इस बारे में जानकारी नहीं हो सकती थी कि वह आर. एस. एस. से सम्बन्धित है या नहीं। लेकिन एक अकेले शारदाशरणसिंह का ही मामला नहीं है बल्कि श्री मोहनचन्द्र, आर. एस. गुप्ता, राम भरोसे, नित्यानन्द शर्मा, एम. एम. अरोड़ा, किशनसिंह, शक्तिदान और माधवानन्द तिवारी, यह ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रमाणित आरोप हैं। डी. आई. जी. की रिपोर्ट भी माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत की और यहां विश्व-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

विद्यालय के वाइस चान्सलर के लिए कहा। मैं यहां के गृह मन्त्रालय के ऊपर या सी. आई. डी. के ऊपर तो चार्ज नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन यह दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जहां आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल पर आपने कब्जा लिया है उसके बारे में आपके सी. आई. डी. के अधिकारियों की रिपोर्ट थी कि कोई भी अध्यापक आर. एस. एस. की शाखा में नहीं जाता। वह फाइल में मौजूद है। कृपा करके इसको ध्यान में रखते हुये सोचिये। जिन संस्थाओं के ऊपर प्रतिबन्ध लगा है उनके द्वारा और हमारे यहां के वातावरण को कृपया दूषित मत करवाइये।

यही निवेदन करता हुआ और यह अनुरोध करता हुआ कि विश्वविद्यालय में जिन प्राध्यापकों का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है उनको स्थाई किया जाये। डॉक्टर ओमप्रकाश कमेटी की रिपोर्ट भी है जिसमें यह है कि जिन प्राध्यापकों ने तीन साल का कार्यकाल समाप्त कर लिया है उनको स्थाई किया जाये। यही बात कह कर मेरे जो और संशोधन थे उनके सम्बन्ध में तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री जी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनसे मेरे मन की बात भी पूरी हो जाती है लेकिन एक बात पुनः कहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से 179 के बारे में निवेदन किया है, मैं भी शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी वह प्रावधान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे तो मन्जूर किया जाये और बाकी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं उन्हें मन्जूर करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन प्रस्ताव अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 9।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड—1.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकार किए गए ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को यथा संशोधित पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को मय संशोधन के पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया ।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

"राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी ।"]

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी-बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन नगर विकास न्यास के एक्ट में लाए गए हैं वह कुछ कठिनाइयां दूर करते हैं और उनका उद्देश्य यह मालूम होता है साफ तौर से कि इस वक्त तक जो दिक्कतें नगर विकास न्यास को जमीनों के अवाप्त करने में और इमारतों की तामीर के इम्प्रूवमेन्ट के सिलसिले में होती थीं उनको इन संशोधनों द्वारा दूर करने का कदम उठाया गया है और इसलिए इस बिल का स्वागत् करते हुये मैं यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस बिल में चीजें रखी गई हैं वह तो यकीनी सही हैं, उनसे नगर विकास न्यास के काम को कुछ बल मिलेगा और आगे उसको सुचारु रूप से चला सकेंगे लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इस बिल के परव्यू में नहीं लाई गई, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक नगर विकास न्यास की गतिविधियों का और उसके कार्य चलाने का ताल्लुक है मेरा निवेदन यह है कि इसमें कुछ कठिनाइयां अब भी मौजूद हैं। वह यह है कि आपने यह तो तय कर दिया है कि जो चीज इम्प्रूवमेंट से ताल्लुक रखती हैं या तामीरात ऐसे हों जिनमें कानून की खिलाफवर्जी की जाएगी, मास्टर प्लान की खिलाफवर्जी की जायगी, तो उन सब चीजों में रुकावट पैदा कर दी जाएगी। लेकिन आज भी स्कीम के बाहर के एरिया है और स्कीम के अन्दर के एरिया हैं यह अलग अलग हैं। हमारी एक म्यूनिसिपल कौंसिल है और कुछ एरिया नगर विकास न्यास का है। इस बात को पहले भी कई मर्तबा निवेदन कर चुका हूं कि बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो नगर विकास न्यास के अन्दर वेस्ट होने चाहिए थे लेकिन वह किन्हीं कारणों की वजह से वेस्ट नहीं किए जा सके और आज भी उनमें हर किस्म की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। बहुत सा शहर का हिस्सा ऐसा है जो शहर की म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है, जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में वेस्ट करता है और उसकी जमीनों को रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट फरोख्त करता है, उसका पैसा वह अपने उपयोग में लेता है। मैंने इस चीज के बारे में पहले भी कई मर्तबा कहा था इस बात की तवज्जोह मंत्री महोदय को दिलाई थी कि वह एरिया नगर विकास न्यास के अन्दर हो। उसको रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को किस आधार पर ट्रांसफर किया गया और अगर वह ट्रांसफर नहीं किया गया है तो उसकी जमीन सेल होती है उस सेल का पैसा वह बजाय रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के नगर विकास न्यास में आवे। वह गरीबों और कच्ची बस्तियों के लोगों को बसाने में लगाया जावे। वह पैसा असल में सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है और उसकी जो भी आमदनी है वह सब सेंट्रल गवर्नमेंट को उपलब्ध होती है। तो मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को आज आप अर्बन एरिया डिक्लेयर करेंगे उसमें आपकी नीति यह स्पष्ट होनी चाहिए कि उस अर्बन एरिया के अन्दर जो जमीन रिहेबिलटेशन डिपार्टमेंट के एरिया में वेस्ट करती है उसके बारे में आपकी क्या नीति रहेगी? मैं यह समझता हूं कि आपने अर्बन एरिया की स्कीम के बारे में यह तय किया है कि इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है और इसको वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाई जा सकती है तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जमीनें आज रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में हैं उनको आपको टेक ओवर करना चाहिए। इस मामले में आपका जो भी एग्रीमेंट है उसको फिर रिवाइज करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि शहर के एक हिस्से में आपने कुछ जमीनें, जो अजमेरी दरवाजे से सांगानेरी दरवाजे तक है, आपने रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी और बहुत कम पैसे में कर दी। उसका नतीजा यह निकला कि जो लोग बर्षों से, सौ डेढ़ सौ बर्षों

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

से रह रहे हैं उनको हटा दिया गया। हालांकि राज्य सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब, मरहूम बरकत साहब, जो चीफ मिनिस्टर थे, ने यकीन दिलाया था कि यहां पर रहने वालों को हम इस बात का मौका देंगे कि वह हमारे प्लान के मुताबिक यहां पर दुकानें बनालें और ऊपर की मंजिल में मकान बना लें। इसी प्रकार सुखाड़िया साहब ने भी हमको यह विश्वास दिलाया था कि इस किस्म की कार्यवाही की जाएगी। जब यह सवाल उठा उस वक्त इस किस्म का विश्वास दिलाया गया लेकिन बाद में गवर्नमेंट की नीति बदल गई। आपातकालीन स्थिति का फायदा उठा कर उन लोगों की आवाज बन्द कर दी गई और उनको उठा कर फेंक दिया गया, ऐसी जगह डाल दिया जहां आज भी किसी किस्म की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी ऐसे बहुत से एरिया हैं जिनकी कोई देख भाल नहीं होती है। मैं सिंधी कोलोनी में गया। उसकी ऐसी दयनीय हालत है कि वहां पर न सड़क हैं, न नालियां हैं, न उनके मकान के आगे कोई चीज इस किस्म की है कि जिससे सफाई रह सके, न नगर विकास न्यास वाले उस एरिया में किसी किस्म का इम्प्रूवमेंट करने को तैयार हैं, उसके विकास का अधिकार रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को है लेकिन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट वाले यह कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम सड़क बनावें या और कोई काम करें। तो जब इस किस्म के सवालात पैदा होते हैं तो न म्यूनिसिपेलिटि जिम्मेदारी लेती है, न नगर विकास न्यास जिम्मेदारी लेता है और न और कोई डिपार्टमेंट या रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन अर्बन एरिया के लिए आपने अभी कहा है कि उसका हम डिक्लेयर करेंगे, तो मैं निवेदन किया चाहूंगा कि जो मैंने नाम बताये हैं, अभी भी यह मौका है कि आप इस सिलसिले में इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करें। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि नगर विकास न्यास के ही एरिया में कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जो जंगलात के अन्दर हैं। वहां पर कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। जैसे नायकों का टीबा है या पुरानी बस्ती के अन्दर जो फकीरों का टीबा कहलाता है। यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर वेस्ट करता है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इसको मुंतकिल करने के लिए तय कर चुके हैं, लेकिन हमारी राज्य सरकार द्वारा या हमारे मंत्रालय द्वारा इस किस्म की कोई उसके लिए यह प्रार्थना नहीं की गई कि वह इसको मुंतकिल कर दें। इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग फोरेस्ट एरिया में शहर में रहते हैं उनकी आज तक कच्ची बस्तियां आबाद नहीं हुई और यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट उसका कोई फायदा नहीं उठा रहा है, यह भी अर्ज कर दूं इसलिए वह जंगलात का एरिया जरूर है, उसमें कोई दरख्त दूर दूर तक नजर नहीं आते। हो सकता है कि एक दो दरख्त मेरी नजर से ओझल हो गए हों लेकिन उस एरिया में, नायकों के टीबे में कहीं पर कोई दरख्त नहीं है। किन्तु जब यह सवाल पैदा होता है कि उनको बसाया जाय तो उनको बसाने की कोई सूरत पैदा नहीं होती।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि नगर विकास न्यास की जो एक अहम् जिम्मेदारी है वह यह है कि जो कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं उनको भूखण्ड आवंटित किए जावें और उनको बसाया जावे। यहां पर इस किस्म की जमीनें मौजूद हैं कि जो पूंजीपतियों ने ले रखी हैं और जिन पर कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। एक जमीन है रूंगटा की जो उसके कब्जे में है। नगर विकास न्यास वाले हमेशा उस जमीन के बारे में यह कहते रहे कि यह जमीन हमारी है और हम इसमें कच्ची बस्ती वालों को भूखण्ड आवंटित करेंगे। मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्यों राज्य सरकार इन सरमायेदारों को, इन पूंजीपतियों को इन गरीबों के मुकाबले ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहती है जब कि कब्जा उस जमीन पर साठ वर्षों से कभी भी नहीं रहा? मैंने कई मर्तबा राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया। आपने नगर विकास न्यास पर यह पाबन्दी लगा दी कि वह रूंगटा की जमीन पर किसी किस्म की मदालखत न करे। उसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर जो सौ-डेढ़ सौ मकानात कच्ची बस्ती में बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं न तो वे उनको आवंटित करते हैं, न स्टेट उनको आवंटित करती है और न रूंगटा उनसे कोई बात करना चाहता है। तो ऐसी हालत में अगर आप यह समझते हैं कि इस पर रूंगटा का ही हक है तो क्या दिक्कत है उसको अवाप्त करने में? राज्य सरकार की क्या उससे दिलचस्पी है? अगर वह यह चाहता है कि तमाम जमीन अपने कब्जे में लेकर उसके अन्दर कोई महल बनाए, या बहुत बड़ी कोई चीज खड़ी करे या बेचे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास का जो भी अर्बन एरिया है, जिसको आप डिक्लेयर करते हैं उसमें किसी की जमीन हो, चाहे वह पूंजीपति की हो, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की हो या रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की हो वह असल में नगर विकास न्यास की मिल्कियत होनी चाहिए उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हल किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कच्ची बस्ती की समस्या ऐसी है जिसे बहुत आसानी के साथ, सहूलियत के साथ हल कर सकते हैं क्योंकि यह डिपार्टमेंट के बीच की बात है। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनसे आप बातचीत करके उस जमीन के बारे में तय कीजिए। अगर आप उनको जमीन से मुंतकिल करना चाहें तो वह जमीन बहुत ऊंची जमीन है। 70-75 रुपये गज की जमीन है, वह कीमत उनसे वसूल करें और नगर विकास न्यास में जमा हो ताकि जो लोग वहां से जाने को तैयार नहीं हैं, जो किराये के मकानों में रहते हैं और राज्य सरकार के जो किरायेदार हैं उनको हम सहूलियत से बसा सकें। तो मेरा निवेदन करना है कि यह जो अर्बन एरिया आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें इस किस्म की जितनी भी जमीनें हैं, वह हम में वेस्ट करनी चाहिये और उसका फायदा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को हासिल होना चाहिये ताकि उसके अन्दर कच्ची बस्ती वालों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बसा सकें, आवंटित कर सकें मंत्री महोदय, एक प्रॉविजन आपने यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

रखा है, ऐसी जमीन जिसको राज्य सरकार समझती है कि नगर विकास के लिए ली जाये वह मुफ्त में मुंतकिल हो सकती है। उस जमीन को आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को आवंटित कर सके। यह एक बहुत अच्छा जज्बात है और आपने अच्छा ख्याल रखा है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप इस तरह की बात रखते हैं वहां यह तय करना चाहिये कि शहरों के दस मील के एरिया में जितनी भी जमीनें हैं वह आपको एक्वायर कर लेनी चाहिये और अगर ...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय सदस्य जो भी कहना है वह कह लीजिये ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप घर जाना चाहते हैं ?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दस मील के रेडियस के अंदर जो भी जमीनें हैं, वह जमीन आपको एक्वायर करनी चाहिये और एक्वायर करके उसके अन्दर जिस तरह से भी लोगों को बसाया जा सकता है, बसाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमें मालूम है, बीस सूत्री प्रोग्राम में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जमीनों का समाजीकरण किया जाये। इस समाजीकरण का यह मतलब है कि जितने भी ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उन लोगों को इस जमीन का फायदा मिलना चाहिये। यह सोशियेलाइजेशन का जो प्रोग्राम है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक जयपुर शहर का ताल्लुक है, आज तक कोई प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया गया है, बल्कि आधार यह बनाया जा रहा है इस चीज का कि जो लोग 31 अगस्त, 71 तक आबाद थे उनको बसाया जायेगा और बाकी के जो लोग हैं, उनके पास चाहे मकान नहीं हों, उनको किसी तरह से आबाद नहीं किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने वायदा किया था और लोगों को एक जगह से उठाया था। यहां पर कुछ जमीन ऐसी थी घाट दरवाजे के बाहर, हमने आज ट्रान्सपोर्ट वालों को वह जमीन बेची है, वहां के लोगों को जंगल में ले जाकर बसाया। वे मेरे और कलेक्टर साहब के वायदे के भरोसे आज तक वहां पर बैठे हुए हैं। हम दोनों ने मिल कर उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि आपको यह जमीन आवंटित कर दी जायेंगी या प्लॉट दे दिये जायेंगे। वहां भी यह कठिनाई पैदा की जा रही है कि उन्हें अपना हक साबित करना पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है कि हर उस चीज में, जो इस शहर के विकास के लिए जरूरी है, वे आपको सहयोग करते हैं, आपका समर्थन करते हैं उसके बावजूद जो हमारे वायदे हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यह उनके प्रति हमारा विश्वासघात होता है। मेरा अर्ज करना यह है कि आप इस दिशा में, सोशियेलाइजेशन की दिशा में कदम उठावें और इस तरह से यहां पर स्कीम लागू करें कि नगर विकास न्यास ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दे सके। एक और चीज जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय, का वह यह है कि नगर विकास न्यास है उसका

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कन्ट्रोल करने के लिए आपने एक डिपार्टमेन्ट, सुपर डिपार्टमेन्ट बना रखा है। वह चीफ टाउन प्लानर है। जितनी भी विकास की स्कीम्स हम यहां से भेजते है, वह उसमें अपनी ओर से कोई न कोई दिक्कत पैदा करके वापिस कर देता है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जयपुर का विकास रुका हुआ है। हमारा कहना यह है कि एक मास्टर प्लान तैयार हो गया है। किसी डिपार्टमेन्ट के अन्दर इन्जीनियर मौजूद है, तो उसको लिबर्टी होनी चाहिये कि वह अपने इन्जीनियर की राय के मुताबिक विकास कर सके। यह जो आपने सुपर पावर दे रखी है, वह दिक्कत का कम करने के बजाय ख्वामख्वाह की दिक्कतें पैदा करता है यह डिपार्टमेन्ट फिजूल है आपका पैसा भी फिजूल जा रहा है। जो कायदे कानून जमीनों के लिये बनाये गये आज से दस साल पहले बनाये गये, वे आज उचित नहीं हैं। आप यह चाहते है कि 15-20 फीट जगह आगे पीछे छोड़ी जावे, यह आज नहीं चल सकेगा। आज तो यह परेशानी आ गई है जो सरप्लस लैन्ड अर्बन एरिया में, जोधपुर जयपुर जैसे शहरों में आ गया है, या ऐसे शहरों में है जिनको कि आज कवर नहीं किया गया है। वह सरप्लस लैन्ड लेकर गरीबों को दिया जाये। तो अब यह चीज आ गई है तो मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चीज पर गौर करें। आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनायें ताकि लोगों को राहत मिल सकें। यह जो शर्त टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने रखी है, इस तरह की चौड़ी सड़कें हों, आगे-पीछे जगह छोड़ी जाये, इधर उधर छोड़ी जावे, यह सब जमीन जो बेकार है, किसी काम मे नहीं आ रही है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : क्या आप सारा ओग अभी निकाल देंगे ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हाउस की स्थिति को भी देख लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्लाज को, जिसको आपने मकान की तामीर के लिए बनाया है, भी आपको बदल देना चाहिए। उसमें भी जो सुझाव रखे गये हैं एक्वीजीशन के बारे में या इम्प्रूवमेंट के बारे में उनके बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि टाइम बहुत हो गया है, बहुत परेशान है लोग, ऐसा मालूम पड़ता है वे सुनना पसन्द भी नहीं करेंगे किन्तु मैं उनकी ही कठिनाई को रख रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने मास्टर प्लान तैयार किया है, हम उससे सहमत हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक तमाम इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, लेकिन मैंने कुछ अमेन्डमेंट दिये थे, किसी कारण से नहीं आये, मेरी गलती से नहीं आये होंगे। मैंने यह सुझाव रखा था कि आपने यह जो रखा है टाउन, मास्टर प्लान उसके मुताबिक बनना चाहिए। लेकिन ऐसी बस्तियों ऐसे एरियाज में, जिनमें गरीब कच्चे मकान वाले रहते हैं मास्टर प्लान लागू करेंगे तो आपको जो जमीन उपलब्ध है वह भी नहीं होगी। इसलिए शिड्यूल्ड कॉस्ट्स के लोग हों, चाहे कच्ची बस्ती वाले लोग हों,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उनके मामले में आपको गौर करना पड़ेगा आपको उसमें रिलेक्सेशन देना पड़ेगा। आपने जो कानून बनाया है, उसमें इस प्रकार से आपके मास्टर प्लान के प्रतिकूल किसी किस्म की इमारत, इम्प्रूवमेंट की इजाजत आप नहीं दे सकते हैं। इस इश्यू पर आपको गौर करना चाहिए और यह तय करना चाहिये कि ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रहते हैं जिनको आप मास्टर प्लान के मुताबिक जमीन नहीं दे सकते हैं, उनको इस स्कीम के मातहत नहीं बसा सकते, को उसके सम्बन्ध में आपको कुछ सोचना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो संशोधन प्रस्ताव दिये थे उन पर आपके दस्तखत नहीं थ इसलिए यह कैसे माना जाये कि यह कौन से माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : खैर, यह रह गया होगा परन्तु उनका यह फर्ज था कि बुला कर दस्तखत करवा लेते। बहरहाल रह गया। मैं तो अपना गलती पहले ही मा चुका हूं कि उसमें कुछ गलती रह गयी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : विभाजन संख्या भी उनमें नहीं लिखा गयी थी तो कैसे मालूम होता ? विभाजन संख्या होती तो आपको बुला लेते ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो मैंने सुझाव रखे हैं उनके ऊपर आप गौर करें और जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है, बीस सूत्री प्रोग्राम है, उसमें दो सूत्र ऐसे हैं जो शहरों के मुताल्लिक हैं, उनके बारे में आप तय करेंगे कि उनको किस तरह से आप लागू करें। जो हमको जमीन इन शहरों में सरप्लस अवेले-बल होगी, उसके बारे में भी राज्य सरकार को तय करना है। जैसे रामबाग की जमीन है। इस रामबाग की जमीन को लिया जायेगा तो उसका मालिक कौन होगा ? मैं समझता हूं कि इस मामले में गवर्नमेन्ट को तय करना होगा कि वह नगर विकास न्यास को दी जा सके ताकि रामबाग की सर-प्लस जमीन पर गरीबों को बसाया जा सके। वह एक इतना बड़ा है कि उसके अन्दर एक छोटा सा शहर बस सकता है। इसलिए नया कानून जो हमने अपनाया है, उससे हमको जो जमीन मिलने वाली है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, यह हमको देखना है। उस समय आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि आप उस जमीन को किसी पूंजीपति को दे दें या किसी उद्योगपति को दे दें। उस जमीन के लिए उन लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये जो कि गरीब हैं और बेघर हैं। इस कानून से हमारे जो साधन हैं वह इतने होने वाले हैं कि रिहायशी समस्या को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे, बशर्ते कि राज्य सरकार इस ओर सक्रिय रहे। मन्त्री महोदय गरीबों के हमदर्द हैं, उनकी हमदर्दी गरीबों के साथ रही है, वह इस प्रकार का प्लानिंग करें, इन शब्दों के साथ मैंने इस बिल का प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये सुझाव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतीराम यादव,

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(उपस्थित किन्तु बोले नहीं)

श्री श्रीराम गोटेवाला,।

(अनुपस्थित,

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बनवारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

(उपस्थित किन्तु बोले नहीं)

माननीय मन्त्री जी ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य श्री गफ्फार साहब ने अपने विचार व्यक्त किये, उन्होंने उसमें जयपुर की कच्ची बस्तियों की समस्याओं का जिक्र किया है, आपने यह भी फर्माया कि कुछ ऐसे भी एरिया हैं, म्यूनिसिपल कौंसिल और यू. आई. टी. दोनों ही जहां पर काम नहीं करती हैं, सड़कों और नलों की कोई व्यवस्था नही है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में भी उन्होंने बताया जो कि फोरेस्ट एरिया में आते हैं और यू. आई. टी. वहां पर कार्य नहीं कर पाती है। कुछ सरमायेदारों की जमीनों के बारे में भी कहा, रूंगटा की जमीन के बारे में जिक्र किया और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये। टाउन प्लानिंग के बारे में उनका विचार है कि यह बिल्कुल बेकार का महकमा है और शहरों के विकास में साधक की जगह बाधक बना हुआ है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिये भी उन्होंने कुछ सुझाव पेश किये। रामबाग पैलेस की जमीन के लिये भी कहा, इसकी जमीन यू. आई. टी. द्वारा एक्वायर की जा चुकी है। इसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं, और मान्यवर, उन्होंने यू. आई. टी. के बारे में, शहर के विकास के बारे में, कच्ची बस्तियों के लिये, जो कुछ भी बातें कहीं, वे गरीबों के हमदर्द हैं और वे हमेशा गरीबों के काम में दिलचस्पी लेते रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमेशा वह गरीबों के मामलों को लेकर मेरे पास आया करते हैं। जो भी समस्यायें हैं मैं उनसे भी मशविरा करूंगा, किस प्रकार की समस्यायें हैं, क्या बातें हैं, टाउन प्लानिंग इसमें क्या मदद कर सकता है। इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। मैं समझता हूं कि जो अभी तकलीफें हैं वह भविष्य में नहीं रह पायेंगी।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक विचारार्थ है इसका मूल उद्देश्य यही है कि यू. आई. टी. को जो विकास के लिये दिक्कतें आती थीं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाय। उनको दूर करने के लिये ही यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है: मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सदन की भी इच्छा है और मूड ऐसा बनता जा रहा है, इसलिए मैंने इस संशोधन विधेयक को विचारार्थ रखा है, इसके विस्तार में नहीं जाकर यही निवेदन करूंगा कि इसके उद्देश्यों में यह बताया गया है कि न्यास को कुछ मामलों में दिक्कत आती थी, एक साल का प्रॉविजन था, एक साल में कोई स्कीम नहीं बन सकती थी, वह इतनी जल्दी इम्पलीमेन्ट भी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसकी कालावधि को बढ़ा दिया गया है। जहां

Page No 163

(163)

(श्री रामनारायण चौधरी)
तक जमीनों को एक्वायर करने का प्रश्न है, इसकी यू.ग्राई.टी. एक्ट में व्यवस्था है। इस बात की जानकारी ग्राई कि लैण्ड एक्वीजीशस एक्ट ग्रौर यू.ग्राई.टी. एक्ट दोनों में व्यवस्था होना ठीक नहीं है। यह इसमें व्यवस्था की गई है। ग्रलवर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ग्रौर एक दूसरे माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान ग्राकर्षित किया, सेक्शन 91 (ए) के ग्रन्दर हैं

"Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to the Collector against the order within 30 days from the date of the order of the Trust and the Collector may, after hearing the parties to the appeal, either dismiss the appeal or may reverse or vary the whole or any part of the order."

यह जो ग्रापने मुझे बताया था कि यू. ग्राई. टी. के ग्रध्यक्ष कलेक्टर हैं ग्रौर वे नहीं सुनेंगे तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की है। उससे इन्साफ नहीं मिल सकेगा, यह निश्चित रूप से है कि व्यवहार में दिक्कत ग्रा सकती है; इसके लिए कोई ग्रौर व्यवस्था सोची जा सकती है मैं इसका बराबर ख्याल रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से ग्रनुरोध करता हूं कि जिन्होंने इस बिल को जनमत जानने के लिए ग्रथवा प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव पेश किये हैं, वे कृपया उनको वापिस ले लें ग्रौर इस बिल को पारित करने में मदद दें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली से) क्या ग्राप ग्रपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली : मैं ग्रपना प्रस्ताव वापिस लेने की ग्रनुमति लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की ग्रनुमति है कि माननीय सदस्य श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली ने राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की ग्रनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की ग्रनुमति दी गई।

श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली : मैं ग्रपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

विधेयक पर विचार

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पारित करने के लिये प्रस्ताव, माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही वृहस्पतिवार दिनांक 1 अप्रेल, 1976 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.16 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 1 अप्रेल, 76, के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची

राज्य में श्रेणी अनुसार आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची (जिलेवार)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल संख्या	अ श्रेणी	ब श्रेणी	सी श्रेणी
1.	अजमेर	76	3	5	68
2.	अलवर	103	1	3	99
3.	बांसवाड़ा	58	1	4	53
4.	बाड़मेर	51	1	4	46
5.	भरतपुर	89	2	9	78
6.	भीलवाड़ा	99	2	10	87
7.	बीकानेर	49	1	4	44
8.	बून्दी	31	1	2	28
9.	चित्तौड़गढ़	64	2	4	58
10.	चूरू	60	2	1	57
11.	डूंगरपुर	63	1	7	55
12.	गंगानगर	88	1	7	80
13.	जयपुर	224	2	18	204
14.	जालोर	33	1	2	30
15.	झालावाड़	43	1	2	40
16.	झुंझुनू	82	1	1	80
17.	जोधपुर	53	1	9	43
18.	जैसलमेर	21	1	0	20
19.	कोटा	55	1	4	50
20.	नागौर	79	1	7	71
21.	पाली	66	1	18	47
22.	सवाई माधोपुर	120	2	1	117
23.	सीकर	85	1	6	78
24.	सिरोही	26	2	0	24
25.	टोंक	53	–	–	53
26.	उदयपुर	141	2	18	121
	कुल योग....	1912	35	146	1731

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची)

क्र.सं.	अनुदान कहां से प्राप्त हुआ	अनुदान प्राप्त होने की तिथि	अनुदान राशि	प्रयोजन जिस हेतु अनुदान मिला है
1.	डिप्टी डाइरेक्टर हैण्डलूम बोर्ड, जयपुर	30-12-39	100.00	प्रसार हेतु
2.	डिप्टी डाइरेक्टर हैण्डलूम बोर्ड, जयपुर	15-3-60	1998 70	रंगाई शाला व बिक्री केन्द्र हेतु ।
3.	उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	1961	1400.0.	बिक्री केन्द्र हेतु
4.	डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज ऑफिसर	25-1-62	50.00	भारतीय नवम् हाथ कर्घा सप्ताह हेतु
5.			325.00 3304.75	विवरण नहीं है
			योग....7178.45	

परिशिष्ट 'क' प्रश्न 'का'

दिनांक 25 दिसम्बर, सन् 1967 ई. को साधारण सभा का मीटिंग हुई जिसमें श्री मूलचन्द जी सभापति के सभापतित्व में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ:—

1. संघ की कार्यकारिणी के चुनाव पर विचार:—	सर्व सम्मति से तय हुआ कि 1. श्री मूलचन्द जी बसोता को प्रेसीडेन्ट, के पद पर श्री मूलचन्द जी बरखेड़ा में प्रस्तावित किया और श्री मुंशीलाल महावर ने समर्थन किया । निर्विरोध प्रेसीडेन्ट सर्व सम्मति से तय हुआ ।

		2.	श्री मुंशीलाल महावर को श्री देवीराम ने प्रस्तावित किया और डूंडाराम ने समर्थन किया। निर्विरोध मन्त्री पद पर व संचालक के पद पर चुने गए।
		3.	श्री मूलचन्द जी बरखेड़ा को छीतरराम ने प्रस्तावित किया और श्री गंगाराम ने समर्थन किया। निर्विरोध सर्व सम्मति से चुने गए।
		4.	श्री डूंमाराम को नाथूलाल ने प्रस्तावित किया और मांगीलाल ने समर्थन किया। सर्व सम्मति से संचालक पद पर चुने गए।
		5.	श्री देवीराम को श्री सूंडाराम ने प्रस्तावित किया और समर्थन श्री नाथूलाल जी ने किया। सर्वसम्मति से चुने गए।
2.	संघ की ऑडिट पर विचार	2.	श्री प्रकाश मोहन ने संघ का ऑडिट किया था जिसकी प्रतिलिपि अभी भी सहायक रजिस्ट्रार ने नहीं भेजी है। अतः मंगायी जावे और उसके आने पर साधारण सभा में रखी जावे।
3.	संघ की तरफ से बैंक में राशि जमा और निकलवाने पर विचार।	3.	सर्व सम्मति से तय हुआ कि संघ की ओर से दी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर तथा दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर शाखा दौसा से राशि जमा कराने और निकलवाने का अधिकार श्री मुंशीलाल महावर संघ के मन्त्री को दिया जाता है।
4.	संघ के कार्यविधि तथा पुराने कपड़े पर विचार।	4.	सर्व सम्मति से तय हुआ कि संघ का पुराना कपड़ा रिडक्शन रेट पर बेचदिया जावे जो दिनों दिन खराब होता जा रहा है।

(168)

5.	संघ की ओर से राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में प्रतिनिधित्व करने पर विचार।	5.	संघ की ओर से श्री मूलचन्द बरखेड़ा राज. रा. बु. स. संघ में प्रतिनिधित्व करेंगे।

ह मु शीलाल महावर
15-5-67
सेक्रेट्री
दी दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि.
दौसा (जयपुर)

अ. निसानी मूलचन्द जी प्रेसीडेन्ट
अध्यक्ष
दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि.
दौसा (राजस्थान)

परिशिष्ट 'ब'

नक्शा आमदनी वर्ष 1-7-53 से 30 जून, 1954 तक दौसा बुनकर संघ लि.

आमदनी		खर्च	
26500)	जयपुर बैंक चालू खाता	26500)	जयपुर बैंक मियादी खाता
1291)	साढे पन्द्रह आने—सूत बिक्री	700)	,, ,,
16)	लोहे की पत्ती	927)	रु. आठ आने—चालू खाता
49)	साढे तीन आने—बंद खाता	896)	रु. पांच आने—खर्च खाता
927)	आठ आना—सूद खाता	213)	रु. चौदह आने—अमानत धन्धादास
464)	रु. साढे ग्यारह आने तहसील	11)	रु. साढे ग्यारह आने—रोकड़ पोते
मी. 29249 साढे छः आने		मी. 29249 साढे छः आने	

पूंजी		जिम्मेदारी	
11)	साढे ग्यारह आने—तहसील	1800)	रु. हिस्सा में
27200)	जयपुर बैंक	26446)	रु. सवा दस आने—अ. सदस्यों की
1571)	रु. साढे पांच आने—चालू खाता	49)	रु. साढे तीन आने—घन्ना-दास
409)	माल स्टाक	23293)	रु. पौने चौदह आने
100)	हिस्सा फंडरेशन	2592)	रु. - 2466) मुनाफा गत वर्ष साढे ग्यारह आने 126) साढे दस-ग्यारह आना मु. इस साल
1382)	रु. सवा दस आने—फंडरेशन		
213)	रु. चौदह आने अ. घन्नादास	2592)	साढे ग्यारह आने
30000 सवा नौ आने		कु. मी. 30888 सवा नौ आने	

नफा		नुकसान	
927)	रु. आठ आने सूद—बकाया	6)	आठ आने पत्ती बेचने में नुकसान
101)	रु. साढे पन्द्रह आने—सूत बिक्री	896)	रु. चार आने मु. कार्य
1029)	रु. साढे सात आने	मी. 902)	रु. तेरह आने
		126)	रु. साढे दस आने मुनाफा माल
		1029)	रु. साढे सात आने

पेज 1 से 39 तक के हिसाव देखे गए।

ह.
शक्तिसिंह
निरीक्षक ऑडिट,
सहकारी समितियां, दौसा

Page No 170

(170)

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

पाली में वाटर पोल्यूशन की जांच

538. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वाटर पोल्यूशन बोर्ड द्वारा पाली नगर में रंगाई और छपाई की फैक्ट्रियों से पानी दूषित होने के सम्बन्ध में जांच की गई थी ? यदि हां तो किन किन फैक्ट्रियों की जांच कब कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस जांच का क्या नतीजा रहा और बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा कुछ रंगाई और छपाई की फैक्ट्रियों के दूषित पानी की जांच की गई है। जिन फैक्ट्रियों की जांच की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस जांच द्वारा यह पाया गया कि मण्डल द्वारा निर्धारित सहन सीमा से कुछ पेरामीटर्स अधिक हैं। बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में 124 छोटी व बड़ी फैक्ट्रियों के व्यवस्थापकों को जल (प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 26 के अन्तर्गत सम्मति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। राजस्थान हैन्ड प्रोसेसर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष ने भी विभिन्न इकाइयों की ओर से दूषित जल के उपचार संयन्त्र लगाने का विश्वास दिलाया है। 56 इकाइयों ने सम्मति पत्र मण्डल को प्रस्तुत किए हैं जिनमें भी उन्होंने उपचार संयन्त्र लगाने का लिखित में वचन दिया है।

पाली में स्थित टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनके उच्छिष्टों का नमूना लिया गया

1

क्रम संख्या	औद्योगिक इकाई का नाम	नमूना लेने की तारीख
	2	3
1.	महाराजा श्री उम्मेद मिल	22-10-75
2.	मिश्रित उच्छिष्ट:—	
	(क) भोगी ब्लीचिंग एवं इसाइडिंग, पाली	23-10-75
	(ख) महावीर टैक्सटाइल	
	(ग) रूपाली डाईंग	...

1	2	3
	(घ) कल्पना डाइंग	....
	(ङ) पारस प्रिंटिंग	....
	(च) एस. एस. डाइंग	....
3.	मिश्रित उच्छिष्ट:—	....
	(क) गाडिया मिल्स, पाली	23-10-76
	(ख) पंकज टेक्सटाइल्स	....
	(ग) बसन्त ट्रेडिंग	....
	(घ) छोगालाल	....
4.	मेरता टेक्सटाइल	....
5.	भंवरलाल	....
6.	चतुर्भुज भंवरलाल इन्डस्ट्रीज, पाली	24-10-75
7.	मिश्रित उच्छिष्ट:—	
	(क) वेन्टेश डाइंग इन्डस्ट्रीज, पाली	23-10-75
	(ख) मास्टर प्रिन्टर्स	....
	(ग) हाजी राशन डाइंग	....
	(घ) छींपा परता करीम	....
	(ङ) गर्ग ट्रेडिंग	....
	(च) रंगलाल टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, पाली	....
	(छ) ज्ञानचन्द एवं पारत ,,	....
	(ज) प्रकाश टेक्सटाइल ,,	....
	(झ) जे. के. डाइंग ,,	....
	(ढ) मंजू टेक्सटाइल ,,	....
	(थ) ताज टेक्सटाइल ,,	....
	(द) सूरज टेक्सटाइल ,,	....
	(ध) मीनाक्षी टेक्सटाइल ,,	....

सीकर जिले के अनुदानित औषधालय

539. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में किन किन ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या ग्राम सिघासन में किसी प्राइवेट (निजी) औषधालय को राजकीय सहायता दी जाती है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या इस ग्राम में राजकीय चिकित्सालय (आयुर्वेदिक) भी संचालित है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या जिला परिषद् सीकर ने इस प्राइवेट (निजी) औषधालय के बजाय राज्य सहायता को अन्य ग्राम में, जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, दिया जाने का प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(5) क्या सहायता प्राप्त चिकित्सालय की राज्य सरकार द्वारा जांच करवाई गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) सीकर जिले के निम्नलिखित ग्रामों के औषधालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

1. श्री ऋषिकल ब्रह्मचर्य औषधालय लक्ष्मनगढ़, सीकर।
2. ग्रामोद्धार, औषधालय, फतेहपुर, सीकर।
3. रघुनाथ औषधालय, गाड़ोदा, सीकर।
4. महावीर औषधालय, धोंद, सीकर।
5. सार्वजनिक औषधालय, पालड़ा, सीकर।
6. सार्वजनिक औषधालय, श्री माधोपुर, सीकर।
7. सार्वजनिक औषधालय, सिघासन सीकर।
8. जवाहर सार्वजनिक औषधालय, ठिमोली।
9. रघुनाथ औषधालय, लक्ष्मनगढ़, सीकर।
10. माधव सेवा समिति औषधालय, सीकर।
11. शिव औषधालय, खण्डेला सीकर।

(2) जी हां। ग्राम सिघासन में स्थित सार्वजनिक औषधालय, सिघासन को वर्ष 1974-75 तक राजकीय अनुदान सहायता दी जाती रही है। इस वर्ष 1975-76 में जांच अधिकारी द्वारा सहायता नहीं दिये जाने की सिफारिश किये जाने के कारण इस वर्ष समिति द्वारा औषधालय की सहायता बन्द कर दी गई है। इस औषधालय की प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1960-61 से राजकीय सहायता दी जाती रही है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) जी हां। ग्राम सिघासन में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भी संचालित है। यह औषधालय वर्ष 1972 से संचालित है। जी हां। जिला परिषद् सीकर के पत्रांक 1513 दिनांक 11-7-75 के द्वारा उक्त औषधालय को अनुदान बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर संस्था की जांच कराई जाकर संस्था को नोटिस दिया गया व अनुदान बन्द कर दिया गया है।

(4) जी हां। ग्राम सिघासन में संचालित सहायता प्राप्त औषधालय की जांच इस वर्ष क्षेत्रीय उप-निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर एवं जिला आयुर्वेदाधिकारी सीकर द्वारा कराई गई।

(5) जिला परिषद् सीकर से प्राप्त शिकायत एवं जांच के दौरान प्राप्त कमियों के कारण निदेशालय के पत्रांक लेखा/10 अनु./नो/75/51417 दिनांक 5-12-75 के द्वारा नोटिस दिया गया एवं इस वर्ष अनुदान स्वीकृत नहीं कर इस संस्था को अनुदान बन्द कर दिया गया है।

चूने के पत्थर की लीज की बकाया राशि

540. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोटन नागौर जिला में चौहान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जो चूने का धन्धा करता है में चूने के पत्थर की लीज की धन राशि 1 मार्च, 76 तक कितनी बाकी है व कब से ?

(2) क्या उक्त कॉर्पोरेशन ने अपनी लीज की किश्तें जब जब ड्यू हुई, समय पर चुकाई हैं अथवा नहीं ? सरकार ने समय पर किश्तों का भुगतान न करने पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या इस कॉर्पोरेशन ने पिछले दस वर्षों में अपनी लीज की किश्तों का समय पर भुगतान किया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? पिछले दस वर्ष की बकाया किस प्रकार रही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या किश्तें समय पर न चुकाने से इस कॉर्पोरेशन की लीज रद्द की गई थी ? यदि हां, तो कितनी बार और कब कब और किन किन कारणों से ?

(5) क्या ऐसा भी हुआ कि बिना लीज की किश्तों के चुकारे के भी इस कॉर्पोरेशन को लीज कभी पुन: की गई ?

(स्थगित किया गया)

छोपा बड़ोद ग्राम पंचायत को नगरपालिका मे परिवर्तन करने का मामला

541. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छोपा बड़ोद ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने की कार्यवाही कब से विचाराधीन है व किस स्तर तक कार्यवाही की जा चुकी है ?

(श्री जगमोहन सिंह)

(2) इस ग्राम पंचायत को कब तक नगरपालिका घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत छीपा बड़ोद को नगरपालिका में परिवर्तित करने की कार्यवाही सन् 1972 से चालू है । राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6 की विज्ञप्ति दिनांक 26-9-75 को जारी कर इस बारे में आपत्तियां मांगी गई हैं ।

(2) प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा ।

महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के कर्मचारियों के क्वार्टर्स

542. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) उनमें से कितनों को चिकित्सालय के पास प्रवास के लिए राजकीय क्वार्टर्स आवण्टित किए गए ? कृपया उनकी पूर्ण सूची मय कर्मचारी के नाम के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सत्य है कि विद्युत् उपलब्ध होते हुये भी उपरोक्त किसी भी क्वार्टर में विद्युत् का फिटिंग नहीं किया हुआ है जिससे उनको इस सुविधा से वन्चित होना पड़ रहा है ?

(4) राज्य सरकार कब तक उपरोक्त क्वार्टर्स में बिजली का फिटिंग करवा देगी ?

उत्तर

(1) 246 ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(4) बिजली की फिटिंग हो चुकी है ।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची जिन्हें राजकीय आवास की सुविधा अस्पताल के पास आवण्टित की हुई है:—

1. श्री गोपालसिह
2. श्रीमती जानकी
3. श्री ग्यानमल
4. श्रीमती पुष्पा
5. श्री नारायण सिंह
6. श्रीमती कमला
7. श्री हनुमान
8. श्रीमती कासीबाई
9. श्री धानसिह
10. श्रीमती रेनूबाई
11. श्री शफी मोहम्मद
12. श्री भगवान
13. श्रीमती मोमा
14. श्री नारायण सिंह
15. श्री चन्द्रसिंह
16. श्री मेघसिंह
17. श्रीमती सीता
18. श्री गब्बरसिंह
19. श्री श्रीकृष्ण

(सूची)

20. श्री काना राम
21. श्रीमती मोहिनी
22. श्री कालूसिंह
23. श्री रामकुमार
24. श्री नारायणसिंह
25. श्रीमती रामप्यारी
26. श्रीमती गन्टूबाई
27. श्री आत्माराम
28. श्री मोहन
29. श्री रामसिंह
30. श्री छगन
31. श्रीमती जानकी
32. श्री विजयसिंह
33. श्री शैतानसिंह
34. श्री प्रहलाद
35. श्री कासीराम
36. श्री भंवरलाल
37. श्रीमती चन्द्रा
38. श्री जेठूसिंह
39. श्री छोटूसिंह
40. श्रीमती केसर
41. श्री हरिराम
42. श्री चरणदास
43. श्री कालू
44. श्री मोहन
45. श्रीमती जमना
46. श्रीमती नैनी
47. श्री बालू
48. श्री मोहन
49. श्री आत्माराम
50. श्रीमती सोहनी

रानीवाड़ा पंचायत समिति की विशिष्ट सिंचाई एवं कृषि योजना

543. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति के लिए एक विशिष्ट सिंचाई एवं कृषि योजना ए. आर. सी. द्वारा स्वीकृत किए हुए काफी अर्सा हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण करने का कार्य किस एजेन्सी द्वारा कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जालौर भूमि विकास बैंक की बकाया वसूली वांछित सीमा से कम होने एवं उसके विरुद्ध अन्य शिकायतें होने के कारण रानीवाड़ा पंचायत समिति में ऋण वितरण का कार्य इस बैंक को नहीं दिया जा सकता ?

उत्तर

(1) जालौर जिले की पंचायत समिति रानीवाड़ा की एक लघु सिंचाई परियोजना का कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम ने 1 अक्टूबर, 1975 को अनुमोदन पत्र प्रेषित किया था ।

(2) इस परियोजना के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य जालौर सहकारी भूमि

(कृषि मंत्री)

विकास बैंक लिमिटेड, जालोर द्वारा किया जाना है। कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम ने अपने अनुमोदन-पत्र में दिनांक 31 मार्च से पूर्व ऋण वितरण प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं।

(3) जालोर भूमि विकास बैंक की वसूली 30 जून, 1975 को 66.94 प्रतिशत थी जिसमें राजकीय हिस्सा पूंजी अंशदान देकर इस बैंक की ऋण वितरण क्षमता को असीमित कर दिया गया। अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए पंजीयक, सहकारिता विभाग से कहा जा रहा है।

तहसील बाड़मेर के ग्रामों में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि

544. श्री गंगाराम चोधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम गांगली, सणपा-मानजी व बटाडू तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर में स्थित कितनी कृषि भूमि गत 10 वर्षों में सीलिंग कानूनों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है?

(2) कथित कृषि भूमि का आवन्टन कब तक किया जाने को है?

(3) उपरोक्त भूमि में से किसी भू-भाग को सीलिंग कानून से एग्जेम्प्ट करने का मामला यदि सरकार के विचाराधीन है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और वह कोनसी भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) ग्राम गंगाली में 1001 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम सणपा मानजी में 1695 बीघा 5 बिस्वा एवं बटाडू में 694 बीघा 1 बिस्वा भूमि पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई है। नये सीलिंग कानून के तहत ग्राम बटाडू में 233 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम सणपा मानजी में 349 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की गई है।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 15-4-76 तक भूमि आवन्टन बन्द है। समस्त जिलाधीश गणों को 15 जून, 1976 तक अधिग्रहित भूमि का आवन्टन करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।

(3) भूमि को सीलिंग कानून से मुक्त करने का मामला अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। विवरण संलग्न है।

सवाई माधोपुर जिले में इमारती पत्थर से आय

545. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर के करौली उप-खण्ड तथा आसपास इलाके में भारी मात्रा में इमारती पत्थर निकाला जाता है? यदि हां, तो राज्य सरकार के आंकड़ों के हिसाब से उसका वार्षिक माप क्या है? पिछले दस साल के आंकड़े वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री चेतराम)

(2) इस व्यवसाय से राज्य सरकार को कितनी आमदनी होती है ? पिछले दस सालों में कितनी आमदनी (वर्षवार आंकड़े) हुई है ?

(3) राज्य सरकार ने खनिज उद्योग को बढ़ावा देने एवं नियमों के अनुसार इस क्षेत्र के विकास पर पिछले 10 वर्षों में (वर्षवार) सड़क आदि पर कितना रुपया खर्च किया है ?

(4) क्या यह सच है कि यह क्षेत्र डाकुओं के उत्पातों के लिये प्रसिद्ध है और पत्थर व्यापारियों को डाकुओं के कारण समय समय पर कार्य (खानें) बन्द करने पड़ते हैं तथा सरकार कोई मदद नहीं करती है ?

(5) क्या सरकार डाकुओं के कारण जो खानों के कार्य बन्द हो जाते हैं इस कारण ठेकेदारों को कुछ रियायतें देना चाहती है ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सच है कि करौली उप-खण्ड में तथा आसपास के इलाके में काफी मात्रा में इमारती पत्थर उपलब्ध है । पिछले दस वर्ष के उत्पादन के आंकड़े (परिशिष्ट 'अ' पर) संलग्न है ।

(2) पिछले 10 वर्ष में इस क्षेत्र से हुई आय का विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट 'ब')

(3) ब्यौरा संलग्न सूची (परिशिष्ट 'स') में अंकित है ।

(4) यह सही है कि क्षेत्र में डकैती की कुछ वारदातें होने की सुनने में आती रहती हैं, क्योंकि क्षेत्र (चम्बल क्षेत्र) मध्य प्रदेश से लगा हुआ है । इस विभाग में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि पत्थर के ठेकेदारान ने डाकुओं के कारण खानें बन्द की हों ।

(5) डाकुओं के कारण खनन कार्य बन्द होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है । इसलिए रियायत देने अथवा न देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(परिशिष्ट 'अ')

करौली उप-खण्ड व उसके आस पास के इलाके में गत 10 वर्षों में इमारती पत्थर (सैण्ड स्टोन) के उत्पादन का विवरण-पत्र

क्र. सं.	वर्ष (कलेण्डर वर्ष)	उत्पादन (टनों में)
1	2	3
1.	1966	188663
2.	1967	185938
3.	1968	201523
4.	1969	252785

Page No 178

(178)

1	2	3
5.	1970	234448
6.	1971	282212
7.	1972	289841
8.	1973	297013
9.	1974	328242
10.	1975	380704

परिशिष्ट 'ब'

करोली उप-खण्ड में व उसके आसपास के इलाके में गत 10 वर्षों में उत्पादित इमारती पत्थर (सैन्ड स्टोन) से विभाग को प्राप्त हुई आय का वर्ष वार विवरण।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आय (रुपयों में)
1.	1965-66	10,02562
2.	1966-67	1762214
3.	1967-68	1220152
4.	1968-69	1419511
5.	1969-70	1340537
6.	1970-71	1649314
7.	1971-72	1641556
8.	1972-73	1817957
9.	1973-74	2121470
10.	1974-75	2034513
11.	1975-76 (माह जनवरी 76 तक)	1320562

(परिशिष्ट 'स')

इस क्षेत्र में अन्य एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में (1956 तक) 2,16,000/- की धन राशि नाका फलौका पुरा से काटरी तक सड़क बनाने में व्यय की गयी।

चालू वित्तीय-वर्ष में निम्न तीन सड़कें बनाने का कार्य स्वीकृत हुआ है व खर्चा जो अभी तक हुआ है वह भी उसके सामने अंकित कर दिया गया है।

क्र. सं.	नाम सड़क	वित्तीय वर्ष	धन राशि जो व्यय हुई
1.	हिन्डान से खेरटा	रुपये 2,20,000/-	शून्य
2.	सांखरा से सरमथुरा	रुपये 2,00,000/-	रुपये 693-00
3.	खेरटा से भरना	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1193-00

गंगानगर शहर में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

546. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक लाख की जनसंख्या वाले गंगानगर शहर में गत 15 वर्षों से आवासीय भू-खण्ड का आवंटन नहीं हुआ है ?

(2) गंगानगर शहर में इस समय कुल कितने आवासहीन परिवार हैं और इन परिवारों को आवासीय भू-खण्ड के आवंटन का क्या योजना है और उसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत वर्षों में नगर परिषद् श्रीगंगानगर में 1986 आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।

(2) सन् 1974 में श्रीगंगानगर में नगर सुधार न्यास की स्थापना हो चुकी है। एवं नगर सुधार न्यास शीघ्र ही आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने की योजना बना रहा है।

ग्रामों में चिकित्सा सुविधा

547. श्री मोहनराज (बाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष पाली जिले में कितने शिविर किन किन स्थानों पर लगाये गये और उनमें कितने रोगियों की चिकित्सा की गयी ? इन शिविरों के नतीजे क्या रहे ? कृपया पूरा जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से किसा भी शिविर में राज्य के किसी भी

Page No 180

(180)

(श्री मोहनराज)
मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित एक भी सर्जन अथवा विशेषज्ञ नहीं पहुंचा ?

(3) क्या मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में यह घोषणा की थी कि राज्य के उच्चतम शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की चिकित्सा सेवा का लाभ ग्रामीण जनता को ऐसे शिविरों द्वारा पहुंचाया जायगा ? यदि हां, तो इस हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) पाली जिले के स्थानों पर लगाये गये शिविर एवं चिकित्सा की गई रोगियों की संख्या तथा उनके नतीजे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। देसूरी और बेड़ा के शिविरों में मेडिकल कॉलिज के नेत्र विशेषज्ञ भी आए थे।

(3) जी हां। वर्ष 1975-76 में राज्य के 26 जिलों में से 11 जिलों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा कार्यक्रम चालू कर दिया गया है।

पाली जिले के स्थानों पर लगाये गये शिविर एवं चिकित्सा की गई रोगियों की संख्या व नतीजे की तालिका

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	बाह्य रोगियों की जांच की सं.	केम्प में ऑपरेशन किये गये रोगियों की संख्या — नेत्र	प. नि.	जनरल सर्जरी
1.	पाली	29-9-75 से 1-10-75	1200	30	42	38
2.	सादड़ी	19-11-75 से 21-11-75	900	33	16	56
3.	राणावास	4-12-75 से 6-12,75	1000	44	6	46
4.	देसूरी	3-1-76 से 10-1-76	1600	51	25	63
5.	बेड़ा	15-1-76 से 17-1-76	1800	93	23	61

(रोगियों की चिकित्सा की गई का विवरण)

कृषि उपज मण्डी कुचामन सिटी के सचिव के विरुद्ध शिकायत

548. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी कृषि उपज मंडी के सचिव के विरुद्ध जबरदस्ती से मंडी टैक्स वसूल करने एवं व्यापारियों को मनमाने ढंग से परेशान करने की शिकायतें राज्य सरकार तथा राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड के अध्यक्ष के पास प्रस्तुत हुई हैं ?

(2) अगर हां, तो अब तक जांच क्यों नहीं कराई गई है ? अगर कराली गई है तो रिपोर्ट से अवगत करावें।

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(3) इस मंडी समिति की वार्षिक आय क्या है ?

(4) आय का कितना प्रतिशत विकास कार्यों में खर्च किया गया तथा कितना प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च हुआ ? कृपया आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) मण्डी समिति की वर्ष 1974-75 की कुल आय 1,84,801/- रुपये थी। इस वर्ष माह फरवरी तक की आय 2,38,777/- थी।

(4) विकास कार्यों में अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक मण्डी समिति के पास नये यार्ड हेतु निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पूरी भूमि उपलब्ध नहीं है जिसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। लगभग 18% व्यय प्रशासनिक व्यवस्था में ही किया हुआ है। गत वर्ष के आंकड़ों की तालिका संलग्न है।

कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी के दो वर्षों की आय-व्यय की तालिका

मद	1974-75	1975-76 (फरवरी तक)
आय:—		
अनुज्ञा-पत्र शुल्क	2,631.00	11,664.00
अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण शुल्क	2,474.00	2,437.50
मण्डी शुल्क	1,66,099.61	2,51,424.70
अन्य	12,797.43	23,130.90
कुल योग	1,84,801.04	2,88,777.10
व्यय:—		
विकास कार्यों पर:—		
(क) मण्डी प्रांगण क्रय	—	28,594.00

सुविधाओं पर:—		
(क) रैस्ट हाउस	—	1,736.55
(ख) प्याऊ	1,076.00	4,226.52
(ग) सफाई	204.00	185.00
	1,282.00	5,149.07
प्रशासनिक व्यय:—		
(क) वेतन व भत्ते	26,552.48	33,600.94
(ख) कार्यालय व्यय	5,788.18	39,018.72
	32,340.66	72,619.66
विविध:—	270.23	854.51
कुल योग	33,892.89	1,18,257.85

बारां वन मण्डल में भूमि पर नाजायज कब्जा

549. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां वन मंडल में हजारों बीघा वन भूमि पर लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में कितने कितने वन क्षेत्र पर..? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि छींपाबड़ोद रेंज में ही 8000 बीघा से ऊपर वन भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है जिसमें से पांच छः हजार बीघा नाजायज काश्त के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान मंडल वन अधिकारी बारां को इन नाजायज कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये गये हैं किन्तु उनकी मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) पिछले वर्षों में वन क्षेत्रों पर हुए नाजायज कब्जों की तहसील वार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। पूर्व वर्षों में लगभग 4192 बीघा वन भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया था जिसमें से लगभग 3356

(वन मन्त्री)
बीघा भूमि से बेदखल कराई जा चुकी है। शेष भूमि के लिए कार्यवाही जारी है।

(3) इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए मण्डल वन अधिकारी, बारां को उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिये गये हैं जिनकी पालना में इनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सूची

नाम तहसील	एरिया
छबड़ा	924 बीघा
छीपा बड़ौद	4192 बीघा
अटरू	149 बीघा
किशनगंज	2398 बीघा
शाहबाद	3734 बीघा
योग....	11397 बीघा

श्री सीताराम ट्रस्ट, डिग्गी

550. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डिग्गी में कोई श्री सीताराम ट्रस्ट है ? अगर है, तो इसके कौन अध्यक्ष हैं तथा कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस ट्रस्ट के तहत कितनी जमीन दुकानें और भी कोई आय के साधन हैं ? अगर हैं तो इन सबसे कितनी आय होती है और कितनी खर्च होती है ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा डिग्गी में सीताराम ट्रस्ट नाम से कोई ट्रस्ट रजिस्टर नहीं किया गया है। अतः अध्यक्ष व सदस्यों की सूची का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) उपरोक्त स्थिति के कारण सम्पत्ति आदि का विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मीटर रीडर सुनेल के विरुद्ध शिकायतें

551. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि श्रीनारायन लाल सोनी मीटर रीडर सुनेल जिला झालावाड़ के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें झालरापाटन व झालावाड़ की जनता एवं वाटर वर्क्स यूनियन की ओर से की गई थीं ? यदि हां, तो कब-कब और अन्य किन किन की ओर से की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। यह शिकायतें श्री सुरेशचन्द्र पालेखा से दिनांक 28-9-73 को सचिव राष्ट्रीय जल कर्मचारी संघ झालरापाटन से दिनांक 7-11-73 को व श्री दिलीपसिंह, श्री शादीलाल, श्री मन्नालाल, श्री प्रभूलाल श्री तेजमल कटारिया से दिसम्बर, 1973 में मौखिक रूप से प्राप्त हुई।

शिकायतों पर सहायक अभियन्ता भवानीमंडी द्वारा प्राथमिक जांच की गई

Page No 184

(184)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

व उसके उपरान्त दिनांक 6-11-75 को अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग अजमेर द्वारा राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुर्नविचार) की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया व अधिशासी अभियन्ता, जलदाय विभाग झालावाड़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त जांच पूरी होने पर कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

शाहपुरा का अस्पताल

552. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कस्बा शाहपुरा तहसील विराट नगर में मेडिकल डिस्पेन्सरी है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सच है कि शाहपुरा में 25 शैय्याओं का अस्पताल बनाये जाने हेतु भवन निर्माण करके राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो इस नये भवन का कब उद्घाटन किया गया तथा उद्घाटन समारोह में कौन कौन उपस्थित थे?

(3) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि अप्रेल, 76 से 25 शैय्याओं का अस्पताल चालू कर दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1973 से।

(2) जी हां। दिनांक 5-2-74 को उद्घाटन समारोह के समय तत्कालीन कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया मन्त्रिगण, क्षेत्रीय विधायक एवं गणमान्य व्यक्ति थे।

(3) जी नहीं।

बीकानेर जिले में सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

553. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के निमित्त सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विकास हेतु निर्धारित राशि का उपयोग बीकानेर जिले में राजस्थान नहर एवं लिफ्ट कैनाल क्षेत्रों में ही विश्व बैंक से हुए करार के अनुसार किया जाना चाहिए? अगर हां, तो क्या उक्त राशि में से जिले के बाहर भी खर्चा किया गया है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

बीकानेर जिले के निमित्त वन विकास हेतु सूखा उन्मूलन कार्यक्रम की राशि बीकानेर जिले के हित के लिए ही व्यय की जानी है। विश्व बैंक से इस प्रकार का कोई करार नहीं है। वर्ष 1975-76 में बीकानेर जिले के लिये आवंटित राशि किसी अन्य जिले के विकास के लिये व्यय नहीं की गई है।

ईंट भट्टों के लिये कृषि भूमि का परिवर्तन

554. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर के आदेश नम्बर एफ. 12 (3) (34) आर.ई.बी.-172/13242, तारीख 4-12-72 के द्वारा हनुमानगढ़ तहसील के ग्राम 15 एच. एम. एच. की मुरब्बा नम्बर 138/269 किला नं. 1 तारीख 3 (3-बीघा) वा 8 से 14 (7-बीघा) कुल दस बीघा भूमि ईंट भट्टे के लिए परिवर्तित की गई ? यदि हां, तो यह परिवर्तन किसके नाम से किस आधार पर किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त परिवर्तन खातेदार ने अपनी भूमि को सीलिंग से बचाने के लिये करवाया था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त खातेदार के सीलिंग केस का फैसला 16-8-75 को प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग तहसील हनुमानगढ़ के श्री रणजीतसिंह गठाला ने उपरोक्त भूमि के परिवर्तन को सही मान कर कर दिया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि यदि यह परिवर्तन सही न माना जाता तो कथित खातेदार का जमीन सीलिंग में अधिग्रहण होती? कृपया खातेदार के सीलिंग के फैसले की कॉपी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि जिलाधीश गंगानगर के आदेश क्रमांक एफ 12 (3) (34) राजस्व/72/13237-42, दिनांक 4-12-72 द्वारा श्री रामचन्द्र पुत्र पेमाराम जाट सा. हनुमानगढ़ को उसकी खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एच. एम. एच. तहसील हनुमानगढ़ के मु. नं. 138/269 का किला नं. 1 ता. 3, व 8 से 14 (कुल 10 बीघा भूमि को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 3 (ब) (118) राज/उप/70, दिनांक 12-11-70 के अनुसार अ-कृषि भूमि में परिवर्तित कर भट्टा स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) जी नहीं। उक्त स्वीकृति राजस्व (उप-निवेशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 3 (ब) (118) राज्य/उप/70, दिनांक 12-11-70 के अन्तर्गत प्रसारित की गई है।

(3) जी हां। यह सही है कि उपरोक्त खातेदार के सीलिंग केस सं. 7/75 का निर्णय दिनांक 16-8-75 को श्री रणजीत सिंह गठाला प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग तहसील हनुमानगढ़ द्वारा उपरोक्त भूमि के परिवर्तन को सही मानकर किया गया है। निर्णय की प्रति संलग्न है। प्राधिकृत अधिकारी के उक्त निर्णय में यह भी तय किया गया है कि यदि इस 10 बीघा भूमि को गै. मु. नहीं मानी जाकर सिंचित भूमि ही मानी जायेगी तो भी सिंचाई क्षमता 62 प्रतिशत होने के कारण यह कुल 66 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से कम है।

नकल फर्द अहकाम दिनांक 16-8-75 व अदालत प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग (श्री आर.एस. गठाला) मिसल नं. 7/75 उप-जिलाधीश, हनुमानगढ़ अनुभाग सरकार बनाम रामचन्द्र चौधरी पुत्र पेमाराम नरेन्द्र कुमार पुत्र चौ. रामचन्द्र पे 17-10-75। सुरेन्द्रकुमार पुत्र चौ. रामचन्द्र पे 17-10-75

(186)

(निर्णय)

पत्रावली राजकीय अभिभाषक की उपस्थिति में पेश हुई। घोषणाकर्त्ता चौधरी रामचन्द्र के बयान रिकार्ड किये गए जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि घोषणाकर्त्ता ने 66 बीघा भूमि कुल दर्ज की है जिसमें 10 बीघा गैर मुमकिन भट्टा होने की तस्दीक तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 15-4-74 व रिपोर्ट दिनांक 23-11-73 को मुलाहज़ा करने से घोषणा पत्र में दर्ज शुदा विवरण सत्य होना माना गया है। यहां यह लिख देना उचित होगा कि मुताबिक बयान घोषणाकर्त्ता 25 बीघा भूमि नहरी सिंचाई का साधन न होना भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त घोषणाकर्त्ता के विरुद्ध पुराने सीलिंग कानून के अधीन कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से घोषणा कर्त्ता के पास कुल 56 बीघा कृषि भूमि गै. मु. भट्टा (ई एक्स-1) की 10 बीघा भूमि निकालने के बाद दिनांक 1-1-1973 को शेष रहती है। अगर समस्त भूमि को नहरी भी मान लिया जावे तो भी भाखरा क्षेत्र की भूमि होने के कारण भाखरा नहर की सिंचाई सघनता 62 प्रतिशत से रकबा बताने पर 27 एकड़ नहरी एक फसली 100 प्रतिशत Intensity वाली से रकबा कम बनता है जो कि एक यूनिट की सीलिंग सीमा निर्धारित है। अतः घोषणाकर्त्ता का रकबा सीलिंग सीमा से कम होने के कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से क्म है।

ह.
र. सिंह गठाला

नई पाइप लाइन डालने का आधार

555. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नई पाइप लाइन डालने के लिये जलदाय विभाग के कुछ नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि 1974 में जयपुर शहर के बाहर आमेर रोड से करीब दो किलोमीटर लम्बी और छः इंच व्यास की पाइप लाइन एक आश्रम तक डाला गई है?

(3) इस पाइप लाइन को डालने में कितना खर्च हुआ?

(4) क्या यह भी सही है कि जहां यह पाइप लाइन डाली गई है वहां कोई रिहायशी बस्ती नहीं है?

(5) उपरोक्त पाइप लाइन किसके आदेश से डाली गई और क्या इसको डालने में विभागीय नियमों का पालन किया गया? यदि हां, तो किस रूप में? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आमेर रोड पर 6 इंच व्यास की लगभग 2 किलो मीटर लम्बी पाइप लाइन डाली गई है, किन्तु किसी आश्रम विशेष के लिए नहीं।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) इस पाइप लाइन पर करीब 65,000 रुपये का व्यय हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) उपरोक्त पाइप लाइन डालने का कार्य जयपुर की द्वितीय पुर्नगठित योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया है।

डिपो मैनेजर एवं सहायक डिपो मैनेजर के पद

556. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिए वर्तमान में कितने डिपो मैनेजर और सहायक डिपो मैनेजरों की आवश्यकता है तथा भविष्य में कितनी आवश्यकता होगी ?

(2) क्या यह सही है कि तीन डिपो मैनेजर और 27 सहायक डिपो मैनेजरों की सीधी नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं रहेगा ?

उत्तर

(1) निगम को वर्तमान में 24 आगार प्रबन्धकों तथा 45 सहायक आगार प्रबन्धकों यातायात निरीक्षकों की आवश्यकता है। वर्ष 1976-77 में 12 आगार प्रबन्धकों व 33 सहायक आगार प्रबन्धकों/यातायात निरीक्षकों की आवश्यकता का अनुमान है।

(2) निगम में आगार प्रबन्धकों और 38 सहायक आगार प्रबन्धकों/यातायात निरीक्षकों का चयन दिसम्बर, 1975 में सीधी भर्ती से किया गया था। इनमें से 18 आगार प्रबन्धक व 30 सहायक आगार प्रबन्धक इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह भर्ती 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के कोटे से की गई है। इस सीधी भर्ती से निगम में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नती पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। निगम में कार्यरत कर्मचारी भी जो निर्धारित योग्यता रखते हों, वे सीधी भर्ती के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त वे 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से भी पदोन्नती प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटा

557. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार कोटा में स्थित कृषि अनुसंधान कार्य केन्द्र को उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने जा रही है ?

(2) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने कृषि अनुसंधान कार्य कृषि विभाग से उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने का निर्णय राष्ट्रीय नीति के अनुसार किया है।

पंचायत विराटियां कलां

558. श्री सुखलाल संणवा (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में ग्राम पंचायत हाजीवास तहसील रायपुर के क्षेत्र को 2 हिस्से में बांट कर एक पंचायत विराटियां कलां और बना दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुरानी पंचायत की जगह कृषि प्रसार अधिकारी, रायपुर को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक अवैधानिक ढंग से बिना निर्वाचन के भंग सुदा पंचायत का सरपंच ही कार्य कर रहा है और प्रशासक ने कार्यभार नहीं संभाला है ? यदि हां, तो क्यों नहीं संभाला ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उपरोक्त दोनों पंचायतों के पुनः एकीकरण की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है। इसकी बाबत निर्णय होने के पश्चात् ही प्रशासक नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों का बकाया वेतन

559. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? इन कर्मचारियों को कितने दिनों का कुल कितना वेतन बाकी है ? इसका चुकारा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

करीब 3963 श्रमिक कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को जुलाई, 1975 से वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी राशि करीब एक करोड़ अट्ठाइस लाख रुपया होती है। इसमें से करीब 8 लाख रुपया श्रमिकों को अग्रिम के रूप में दिया जा चुका है।

प्रबन्धकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमिकों का बकाया भुगतान बैंक से ऋण की राशि प्राप्त होने पर किया जाना संभव होगा।

लाडनूं में नेत्र चिकित्सालय

560. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर में राज्य सरकार ने जन सहयोग से एक नेत्र चिकित्सालय खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

(श्री दीपंकर)

(2) क्या यह भी सही है कि जिस दानदाता ने दवाखाना बनाने की आज्ञा चाही थी उसके अन्तकाल होने पर नए दानदाता ने 5 लाख का लागत का भवन देना तय कर उसे अधिग्रहण करने की सूचना राज्य को दी है ? यदि हां, तो उसके विषय में राज्य ने क्या निर्णय लिया है ?

(3) क्या भवन एवं उपकरण जन सहयोग से मिलने पर राज्य सरकार इसी साल नेत्र चिकित्सालय खोलने का अपना इरादा पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु यह निश्चय इस आधार पर किया था कि दानदाता इस कार्य के लिए भवन, उपकरण आदि की व्यवस्था करने को तैयार थे। अब इसके लिए अनिच्छा प्राप्त होने से कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। यदि पूर्व प्रसारित स्वीकृति के अनुसार ही जन सहयोग उपलब्ध हुआ तो प्रस्ताव पर विचार करना संभव हो सकेगा।

गंगानगर शहर के विकास के लिए अवाप्त की गई कृषि भूमि

561. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर शहर के विकास के लिए कितनी कृषि भूमि अवाप्त की गई और कितनी भूमि का कब्जा ले लिया और इसमें से कितनी भूमि बेघरों को बसाने के लिए रिजर्व की है ?

उत्तर

गंगानगर शहर के लिए 430 बीघा भूमि अवाप्त की जाने की कार्यवाही चल रही है। इसमें से 14 बीघा भूमि अवाप्त हो चुकी है तथा इसका कब्जा भी इस न्यास को प्राप्त हो चुका है।

कुल 255 बीघा भूमि पर अवाप्ति के बाद आवासीय योजनायें प्रस्तावित हैं।

पी. एच. सी. पिड़ावा में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति

562. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पी. एच. सी. पिड़ावा में लेडी डॉक्टर की एक पोस्ट है ? अगर हां, तो अभी तक लेडी डॉक्टर को क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि आज से 2-3 माह पूर्व एक लेडी डॉक्टर का ट्रान्सफर पिड़ावा पी. एच. सी. जिला झालावाड़ में किया गया था ? अगर हां तो लेडी डॉक्टर ने ज्वाइन क्यों नहीं किया ? क्या राज्य सरकार इस लेडी डॉक्टर के विरुद्ध कोई एक्शन लेगी ?

(3) क्या यह सही है कि पिड़ावा पी. एच. सी. में बाउन्ड्री नहीं होने से गधे कुत्ते और दूसरे जानवर बैठे रहते हैं ?

(श्री हाजीजान माहम्मद खां)
अगर हां, तो राज्य सरकार पी. एच. सी की बिल्डिंग के चारों ओर दीवार बनाने का कष्ट करेगी ? अगर हां, तो कब तक कार्य शुरू कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नियुक्ति की गई थी किन्तु कार्यभार नहीं संभाला।

(2) जी नहीं। महिला चिकित्सक को प्रथम नियुक्ति पर लगाया गया था व उसके द्वारा कार्यभार एक माह में नहीं संभालने पर आदेश स्वत: ही दिनांक 12-2-76 को निरस्त हो गए।

(3) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बाउंड्रीवाल बनाने के लिए धनराशि देना संभव होगा।

नाहरी का नाका जयपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला

563. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, जयपुर में एक शिव मन्दिर की आड़ में सरकारी जमीन पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है और इस सम्बन्ध में समाचार-पत्र प्रजासन्देश, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, तरुण राजस्थान, लोक जीवन एवं बढ़ते चरण के माध्यम से नगर विकास न्यास, जयपुर को शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित पत्रों के अलावा अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब कब ?

(3) प्रश्न के भाग (1) एवं (2) में वर्णित शिकायतों में क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ?

(4) क्या प्रश्न के भाग (1) एवं (2) में वर्णित शिकायतों की जांच की गई है यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि जांच पूर्ण हो गई तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

(5) क्या प्रश्न के भाग (1) में वर्णित अतिक्रमण को राज्य सरकार हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नाहरी का नाका में प्रस्तावित रोटरी में एक अनधिकृत शिव मन्दिर एवं कुछ दुकानें व थड़ियां हैं। जी हां, कुछ पत्रों में इस प्रकार का समाचार छपा है। राष्ट्रदूत में दिनांक 28-2-74. प्रजा सन्देश में 12-2-74, एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26-2-74 को समाचार छपा है।

(2) नगर आयोजना विभाग के माध्यम से दिनांक 19-11-74 एवं एस. पी. ई. के माध्यम से दिनांक 4-9-75 को शिकायते प्राप्त हुई हैं।

(3) श्री हरीनारायण सैनी, स्टेनोग्राफर विकास एवं पंचायत विभाग पर आरोप लगाया गया था कि उसने कुछ

(नगर विकास न्यास मंत्री)

गुन्डों को मिलाकर एक ग्राम सेवक समाज नामक संस्था बना रखी है जिसका वह मंत्री है व शिव मन्दिर का आड़ में थडियां व पक्की दुकानें बनवाली हैं जिससे वह 500-600 रुपये मासिक नाजायज आमदनी कर रहा है

(4) जी हां। इस मामले में कुछ दुकानदारों ने दीवानी न्यायालय में दावा कर निषेधाज्ञा ले रखी है जिस पर न्यायिक विचार होने (सब जुडिस) होने के कारण किसी प्रकार की टिप्पणी देना उपयुक्त नहीं होगा।

(5) दीवानी न्यायालय से निषेधाज्ञा के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण के मामलों में न्यास की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दे दिये गए हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-76)

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में हरिजनों से खालो हेतु राशि

श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल परियोजना क्षेत्र में भूमिहीनों एवं हरिजनों को भूमि अलॉट की गई है उनसे पक्के खालों के लिए फार्म भरवाये जा रहे हैं और खाले के लिए 9250 रुपये उन हरिजन कृषकों के नाम लिखे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह राशि वह गरीब हरिजन दे सकेगा ?

उत्तर

यह सही है कि राजस्थान कैनाल परियोजना क्षेत्र में हरिजन भूमिहीनों को भूमि अलॉट की गई हैं। यह भी सही है कि उनसे पक्के खालों के लिये फार्म भरवाये जा रहे हैं। उसकी रकम 9275/-रुपये प्रति मुरब्बा बैंक द्वारा इन कृषकों को ऋण के रूप में दी जाती है इस कारण उनके नाम यह राशि लिखी जा रही है, यह राशि उनसे आसान किश्तों में वसूल की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-76)

जयपुर नगर विकास न्यास की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

321. श्री जैसाराम (सिवाना) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर को विशेष पुलिस संस्थान (सी. बी. आई.) राजस्थान शाखा, जयपुर से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एक परिवाद समाचार-पत्र "प्रजा सन्देश" सहित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कथित समाचार-पत्र में मुख्यतया क्या-क्या आरोप आरोपित किये गये थे और वर्तमान में कितने वर्ग गज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने प्रश्न एक में

(श्री जैसाराम)
वर्णित परिवार की जांच करने हेतु किसी अधिकारी को एक निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यदि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित जांच अब तक पूर्ण नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने विशेष पुलिस संस्थान (सी. बी. आई.) राजस्थान शाखा, जयपुर को वर्ष 1975 में सूचित किया था कि परिवाद में वर्णित स्टेनोग्राफर के विरुद्ध अलग से जांच की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि इस सम्बन्ध में जांच पूर्ण हो गयी है, तो जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि जांच लम्बित है तो इसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित अतिक्रमण के स्थान पर सरकार जन हित में कोई निर्माण कार्य का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार का निर्माण कार्य करने का विचार है और यह कब शुरू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस परिवाद में श्री हरीनारायण सैनी, स्टेनोग्राफर, विकास एवं पंचायत विभाग पर आक्षेप लगाया गया कि उसने कुछ गुण्डों को मिलाकर एक ग्राम सेवक समाज नाम की संस्था बना रखी है जिसका वह मंत्री है व शिव मन्दिर की आड़ में थड़ियां व पक्की दुकानें बनवा ली हैं जिससे वह 500-600 रुपये मासिक नाजायज आमदनी करता है। करीब 900 वर्गगज में वर्तमान में अतिक्रमण है।

(2) अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर को तुरन्त रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। इसमें कोई अवधि निर्धारित नहीं थी। सचिव ने दो राज में अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करदी थी जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग (2) में दिया जा चुका है।

(4) जी हां। अध्यक्ष नगर विकास न्यास ने एस. पी. ई. को जांच कराए जाने की सूचना दी थी। श्री हरिनारायण सैनी के विरुद्ध जांच करने के लिए अध्यक्ष, नगर विकास न्यास एवं जिलाधीश, जयपुर ने उसके पैत्रिक विभाग को लिखा है। दुकानों व थड़ियों का निर्माण अवैध पाया गया है जिसे हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश न्यास का दे दिए गए हैं।

(5) न्यास का प्रस्ताव इस स्थान पर ट्रेफिक रोटरी बनाने का है। इसका विकास नाहरी का नाका कच्ची बस्ती काम्प्लेक्स के विकास के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रतिवेदन

अधीक्षक आरक्षी, विशेष पुलिस स्थापना, जयपुर के पत्र की प्रति भेजते हुए लेख है कि सम्बन्धित स्टेनो के बारे में रिपोर्ट

(प्रतिवेदन)

तुरन्त दें। यदि इसका प्रस्ति उचित नहीं है तो इसे जयपुर से हटाने के बारे में भी अपनी सहमति प्रकट करें।

ह./- जी. रामचन्द्र
4-8-75

सचिव, न. वि. न्यास

सम्बन्धित पंजिका अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह./- चिरंजीलाल शर्मा
5-8-75

स. म.

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कृपया पत्रावली के विभिन्न अनुच्छेदों का अवलोकन करें। नाहरी का नाका में मुख्य सड़क पर न्यास की भूमि पर जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई टंकी के पास अवैध रूप से कई एक दुकानें व खोखे लग गये हैं। इन अतिकमरण को हटाये जाने का मामला काफी समय से विचाराधीन है व पत्रावली समय समय पर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की गई है। ये मामला राजस्थान विधान सभा में प्रश्नोत्तर के समय आ चुका है। समय-समय पर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इन अवैध निर्मित दुकानों को हटाये जाने के लिये सम्बन्धित कार्यवाही न हो सकी। पिछले कई महीनों से नाहरी का नाका कच्ची बस्ती कॉम्पलेक्स में बस्ती में विकास कार्यों में अड़चन नहीं आवे इस कारण कुछ समय के लिए इस पत्रावली को विचाराधीन रखा गया था। अब सड़कों का कार्य कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है। मेरी राय से अब उचित फोर्स के साथ इन अवैध बनी दुकानों को हटाना चाहिये। इस कार्य के लिए मौके पर एक दण्डनायक की उचित मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ मौजूदगी भी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय यदि उचित समझें तो मौके का निरीक्षण नगर दण्डनायक जयपुर से भी करवालें ताकि ऑपरेशन करते समय सभी उचित एतिहात रखली जावे।

ह./- सी. एल. खन्ना,
सचिव।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

क.सं.	वर्ष	विद्यार्थी का नाम, जिसे सरकार द्वारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मनोनीत किया गया उसका पता एवं वल्दियत	प्रथम वर्ष टी. डी. सी. में प्राप्त अंकों का प्रतिशत	पी. एम. टी. में प्राप्त मार्क्स
1	2	3	4	5
1.	1970	श्री अनिल कुमार नेहरा पुत्र श्री जयलाल नेहरा मार्फत रामकुमार, डी. 91, युनिवर्सिटी मार्ग, जयपुर।	52-89 प्रतिशत	152/300
2.	1970	श्री रिछपाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मार्फत राधेश्याम हरकायनका, सहायक अध्यापक, मा. विद्यालय, श्री माधोपुर, सीकर।	52-89 प्रतिशत	152/300
3.	1970	श्री उमेदीलाल गुप्ता पुत्र श्री जे. एन. गुप्ता, 23-विकास पथ, अलवर।	53-78 प्रतिशत	152/300
4.	1970	कुमारी वेनु सक्सेना पुत्री श्री शेखर सक्सेना, नवयुग ग्रन्थ कुटीर, कोटगेट, बीकानेर।	52-22 प्रतिशत	136/300
5.	1970	श्री चांद माथुर पुत्र श्री मुरारी लाल माथुर, 52-गोपालबाड़ी, जयपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	
6.	1970	श्री जसवन्तसिंह भाटी पुत्र श्री 3/172 बारियों की घाटी, उदयपुर।	51 प्रतिशत	134/200

1	2	3	4	5
7.	1970	कुमारी लीला छंगाणी पुत्री श्री डॉ. डी. एल. छंगाणी, रीडर, ई. एन. टी., मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।	51-11 प्रतिशत	134/300
8.	1970	कुमारी शोभा ओझा पुत्री डॉ. डी. बी. ओझा मार्फत डी. एस. दाधीच, एवं डॉ. (श्रीमती) रमादेवी दाधीच, दाधीच हाउस, सान्ताक्रुज पूर्व बम्बई।	52 प्रतिशत	—
9.	1970	श्री राजकुमार मिश्रा पुत्र श्री आर. आर. मिश्रा, 6 आदर्श नगर, जयपुर।	55-77 प्रतिशत	251/450
10.	1971	श्री विनय धावन, 28 पब्लिक, श्री गंगानगर।	56-5 प्रतिशत	—
11.	1970	श्री चन्द्रप्रकाश बाघवा पुत्र श्री नन्द गोपाल बाघवा, मार्फत हनुमान मेडिकल हाल, अलवर।	50-22 प्रतिशत	152/300
12.	1971	श्री शरद माथुर पुत्र श्री एम.डी. माथुर, के.-12, मालविया मार्ग, जयपुर।	54-22 प्रतिशत	159/300
13.	1971	श्री हरिराम चन्दनानी पुत्र श्री एच. एम. चन्दनानी, एक्स-85, शारदा मोहल्ला, डिग्गा बाजार, जयपुर।	53-06 प्रतिशत	—
14.	1972	श्री राकेश कौशिक पुत्र श्री बी. बी. कौशिक, जी. बी. पोदार कॉलेज, नवलगढ़।	51-46 प्रतिशत	159/300

(196)

1	2	3	4	5
15.	1972	श्री शरदकुमार सिंघल पुत्र श्री सुखं सिंघल, बी-76, रमन मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-4।	65-73 प्रतिशत	178/300
16.	1972	श्री गजानन्द अग्रवाल पुत्र श्री एम. एल. अग्रवाल, 61-बी-ब्लाक, श्री गंगानगर।	57-86 प्रतिशत	178/300
17.	1972	श्री किशोरसिंह पुत्र श्री छापसिंह, ग्राम व पोस्ट काली पहाड़ी, वाया इस्लामपुर, जिला झुन्झुनु।	56-93 प्रतिशत	178/300
18.	1973	श्री पुरुषोत्तम व्यास पुत्र स्व. श्री एम. एल. व्यास, पोलो विक्ट्री सिनेमा के सामने, जयपुर।	51-55 प्रतिशत	232/450
19.	1973	श्री चेतनसिंह पुत्र श्री जस्टिस कानसिंह, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	
20.	1973	श्री रामप्रकाश शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल एम. एल. ए., बी-5, एम. एल. ए. क्वार्टर, जयपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	
21.	1973	श्री रवी मूर्ति पुत्र विंग कमाण्डर श्री बी. के. मूर्ति ऑफिस इन्चार्ज, फ्लाई एयर फोर्स इन्चार्ज, जोधपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	—
22.	1973	श्री विजय कुमार बेनीवाल पुत्र श्री भीमसेन, एम. एल. ए. जी-20 रामबाग रोड, जयपुर-4	48-8 प्रतिशत	—

Page No 197

1	2	3	4	5
23.	1973	श्री सरदसिंह पुत्र श्री एम. एल. सांगरोध, म. न. 172, माली स्ट्रीट मन्दिर, जोधपुर।	55-54 प्रतिशत	177/300
24.	1973	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हर-भगवानदास मार्फत जिला कृषि अधिकारी, श्री गंगानगर।	53-20 प्रतिशत	177/300
25.	1973	श्री उम्मेद कछावा पुत्र श्री आर. एल. कछावा, 81-बर्ट पोला, जोधपुर।	53-08 प्रतिशत	177/300
26.	1973	श्री वासदेव के. धवानी पुत्र श्री कीमत राय धवानी, 476 आदर्श नगर, जयपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	—
27.	1973	श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द अग्रवाल, धूलेश्वर बाग, जयपुर।	—	—
28.	1974	श्री निर्मल कुमार शर्मा पुत्र श्री मार्फत एस. के. शर्मा, एल. पी. बी-50, जनता कॉलोनी, जयपुर।	58-02 प्रतिशत	—
29.	1974	श्री आदित्य भारद्वाज, मार्फत श्री गोविन्द प्रसाद भारद्वाज, स्टेट बैंक फ्री गंज, आगरा।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	—
30.	1974	श्री अब्दुल रऊफ कुरेशी मार्फत श्री अहमद बक्स, सिंधी, जैब मंजिल, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर।	50 प्रतिशत	225/450

Page No 198

(198)

1	2	3	4	5
31.	1974	श्री मुकेश कुमार व्यास, मार्फत श्री राधेकान्त व्यास, 15-शिवाजी मार्ग, डिग्गी हाउस, सी-स्कीम, जयपुर ।	46-44 प्रतिशत (225-450)	158/300
32.	1974	कुमारी राधा वोहरा पुत्री श्री आर. एन. बोहरा, सोमनाथ मन्दिर के पास, पाली (राज.) ।	(214-450) 47-55 प्रतिशत	150/300
33.	1974	कुमारी मेसा सक्सेना, मार्फत ले. कर्नल के. एन. सक्सेना, ए. ए. एण्ड एम ओ. हैड क्वार्टर्स 61 (आई. एन. ओ. ई. पी.) सब-ऐरिया मार्फत 56 ए. पी. ओ. ।	53-52 प्रतिशत	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।
34.	1974	मिस सतनाम कौर मार्फत श्री दया सिंह, एस-5, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर ।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।	—यथा—
35.	1974	श्री राजेन्द्र छंगाणी, मार्फत श्री डी. एल. छगाणी, 39 ए. सिविल लाइन, बीकानेर ।	—यथा—	—यथा—
36.	1974	श्री प्रकाश चन्द ओझा पुत्र श्री के. ओझा एडवोकेट, रानी बाजार, बीकानेर ।	—यथा—	—
37.	1974	श्री महेश बडले, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर ।	—यथा—	155/300
38.	1974	श्री गोपाल कृष्ण हांडा पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ हांडा चैक-22, पी. बी. रायसिहनगर ।	47-77 प्रतिशत	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

1	2	3	4	5
39.	1974	श्री प्रबोध कुमार पुत्र श्री बी. सी. गुप्ता, ई-39, शास्त्री नगर, जयपुर।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
40.	1974	श्री सत्येन्द्र कंजोलिया पुत्र श्री बी. सी. कंजोलिया, सुपरिंटेंडिंग इन्जिनियर, माही प्रोजेक्ट, बांसवाडा।	71-01 प्रतिशत	—यथा—
41.	1974	श्री मनोहर लाल नागर पुत्र श्री शिवनारायण, एम. एल. ए., कमरा नं. 67, गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर।	62-62 प्रतिशत	—यथा—
42.	1974	कुमारी जी. एस. शोभा पुत्री श्री जी. एम जप्रपाणी, चीफ मैडिकल इन्जीनियरिंग, आर. आर. एल. एल. टी. सी., जयपुर।	56 प्रतिशत	—यथा—

नोटः—वर्ष 1975 में काश्मीर के लिये कोई छात्र का मनोनयन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर शहर में संचालित कार्यालय / प्रवृत्तियों के लिये भवन किराये आदि की सूची

क्र. सं.	नाम मकान मालिक मय पूर्ण पते के	कौन सी तिथि से किराये पर लिया गया	मासिक किराया	वर्ष 1973 में बढ़ाये गये किराये का विवरण	
				तारीख किराये बढ़ाने की	बढ़ी हुई मासिक दर
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रघुनाथ सिंह, कानोता हाउस, जयपुर।	11-1-63	1094	—	—
2.	श्रीमती सविता शर्मा, युनिवर्सिटी मार्ग, जयपुर।	18-6-75	802	—	—
3.	श्री बी. एल. अजमेरा, आदर्श नगर, सी-16, जयपुर।	16-7-68	450	—	—
4.	श्री देवकीनन्दन शर्मा, बी-49, सेठी कालोनी, जयपुर।	26-1-72	365	—	—
5.	श्रीमती प्रमिला देवी, सिन्धी कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर।	20-8-69	300	—	—
6.	श्री हरिनारायण माथुर, सी-61 तनेजा ब्लॉक आदर्श नगर, जयपुर।	12-11-68	318	—	—
7.	श्री रघुवंश तलवार, बी-16 ध्रुव मार्ग, जयपुर।	1-10-74	700	—	—

8.	श्रीमती विजय कुमारी, नटवाड़ा हाउस, आमेर रोड, जयपुर ।	1-1-72	250	—	—
9.	श्रीमती उमेश कुमारी, नटवाड़ा हाउस, आमेर रोड, जयपुर ।	15-11-72	325	—	—
10.	श्री महेश नारायण भारद्वाज, हथरोई, जयपुर ।	18-8-75	किराया अभी निश्चित नहीं हुआ ।	—	—
11.	श्रीमती जोतसिंह सैन, जयपुर, भास्कर मार्ग वनीपार्क, जयपुर ।	19-8-71	453	—	—
12.	श्री जी. डी. देवोद, राजेन्द्र मार्ग, जयपुर ।	24-7-74	725	—	—
13.	श्रीमती विजय कुमारी, नटवाड़ा हाउस, जयपुर ।	1-3-73	245	—	—
14.	श्री आर. एन. माथुर, शास्त्री नगर, जयपुर ।	1-11-72	536	—	—
15.	श्रीमती शान्ती देवी पुरोहित, बजाज नगर, जयपुर ।	16-6-72	400	11-9-74	700 (रसोई आदि की एकोमोडेशन बढ़ाने पर, पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किराया 300 रु. मासिक बढ़ाया गया ।

(202)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची)

प्रतिलिपि

कार्यालय उप-जिलाधीश जागीर, जयपुर

क्रमांक ... . जागीर दिनांक.... 1976

विभागीय आदेश

श्री कुन्दनमल जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन भूतपूर्व जागीरदार सालरसू तहसील फागी को उसके निवेदन पर सिवाय चक काबिल काश्त भूमि रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भोज्याड़ा तहसील चाकसू में खुदकाश्त भूमि आवंटित की जाती है।

ह.
उप जिलाधीश (जागीर),
जयपुर।

क्रमांक 2. दिनांक 5-1-76

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. खुदकाश्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
2. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. तहसीलदार, चाकसू को उनकी रिपोर्ट दिनांक 3-1-76 के क्रम में भेजकर लेख है कि आदेशानुसार भूमि पर जागीरदार को शीघ्र कब्जा दिलाया जाकर सूचना भिजवावें।
4. श्री कुन्दनमल गोदीका भूतपूर्व जागीरदार सालरसू तहसील फागी वास्ते लिये जाने कब्जा हाल पता गोदीका भवन नं. 722 गोदीका का रास्ता बिषून हाउस के सामने जयपुर नं.-3।

ह. सुखदेव आर्य
5-1-76

उप जिलाधीश (जागीर),
जयपुर।

Page No 203

(203)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 290 की, सूची)

राजस्थान नहर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों को राजस्थान नहर का कार्य शुरू होने से माह फरवरी, 76 तक स्थाई आवंटित भूमि की जिलेवार सूची

सं.	नाम जिला	आवन्टितियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़ में)
1.	गंगानगर	32201	4,34,623
	उदयपुर	66	1393
	जैसलमेर	302	4094
	झून्झुनू	782	16860
	बीकानेर	8,167	97022
	कोटा	7	102
.	जोधपुर	208	3408
8.	अजमेर	42	944
9.	सीकर	263	5,657
10.	जयपुर	122	2,389
11.	भीलवाड़ा	8	124
12.	बाड़मेर	22	313
13.	चूरू	397	7693
14.	नागौर	233	3943
15.	झालावाड़	3	61
16.	जालोर	1	31
17.	चित्तौड़गढ़	6	140
18.	पाली	22	382
19.	भरतपुर	17	328
20.	टोंक	2	47
21.	सवाई माधोपुर	42	647
22.	अलवर	114	2175
23.	बून्दी	2	31
24.	पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के विस्थापित एवं मूल प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रित एवं विकलांग सैनिक	6960	107263

Page No 204

(204)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 293 की सूचा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को धारा 6 के तहत जिन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में परिवर्तित करने हेतु आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं उनकी सूची ।

1.	बासनी (नागौर)	दिनांक 15-4-75 को विज्ञप्ति जारी हुई
2.	मूंडवा (नागौर)	"
3.	कुचेरा (नागौर)	"
4.	मंडेला (झुंझुनू)	9-8-75 "
5.	छीपा बडौदा (कोटा)	26-9-75 "